चतुर्दश माला, खंड 3, अंक 19

गुरुवार, 19 अगस्त, 2004
28 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 19, गुरुवार, 19 अगस्त, 2004/28 श्रावण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 342, 344 और 345	1–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 346 से 361	29–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 3138 से 3367	79–428
सभा पटल पर रखे गए पत्र	429–434
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
पहला प्रतिवेदन	434
उर्जा संबंधी स्थायी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	434–435
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	435
रेल संबंधी स्थायी समिति	
पहला प्रतिवेदन	435
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन	435–436
याचिका का प्रस्तुतीकरण	
श्री बसुदेव आचार्य	436
कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	436
सदस्य द्वारा निवेदन	
टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्य न कर सकने के कारण लाहौल-स्पीति और चम्बा जिले के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में	446–448

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले 459–467

(एक) जम्मू-कश्मीर में राजौरी-पुंछ को रेल से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा 459

(दो) किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पेरियार बांध की ऊंचाई को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एम. आरून रशीद 460

(तीन) हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में हेलीकाप्टर सेवाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह 460

(चार) कुरूक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री नवीन जिन्दल 461

(पांच) जलगांव और उघना के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन 461–462

(छह) पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना 462

(सात) महाराष्ट्र के शोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: खोलने तथा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख 462–463

(आठ) राजस्थान राज्य में पर्यटन के विकास के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह 463

(नौ) देश में बढ़ रही क्षेत्रीय असमानताओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास 464

(दस) उत्तर प्रदेश में गजरौला और सम्भल के बीच एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

प्रो. राम गोपाल यादव 464

(ग्यारह) बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव 464–465

(बारह) तमिलनाडु के बाढ़-प्रवण तिरुवन्नमलाई तथा धर्मपुरी जिलों में पनधारा प्रबंधन योजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 465–466

विषय	कॉलम
(तेरह) 'आदिशंकर सर्किट' योजना के अंतर्गत चिदम्बरम शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा मांगी गई निधि को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई. पोन्नुस्वामी	466
(चौदह) आतंकवादी समुहों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को बार-बार बंधक बनाए जाने की समस्या से निपटने के लिए ठोस नीतिगत मार्ग-निर्देश बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री किन्जरपु येरननायडु	466–467
(पंद्रह) असम में ब्रह्मपुत्र और दिहिंग नदियों द्वारा हो रहे भूमि कटाव को रोकने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	467
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	475–476
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	475–488
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	489–490
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	489–490

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरुवार, 19 अगस्त, 2004/28 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदयः श्री प्रबोध पाण्डा, प्रश्न सं. 342

[अनुवाद]

"डायरेक्ट टु होम" सर्विस (डी.टी.एच.) शुरू करना

***342. श्री प्रबोध पाण्डा:**[+]
श्री उदय सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और कुछ निजी प्रसारणकर्ताओं ने डी.टी.एच. परियोजना को स्वीकृति देने हेतु सरकार से निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) डी.टी.एच. परिचालकों द्वारा कितने चैनलों का प्रसारण किए जाने की संभावना है;

(घ) इसका केबल आपरेटरों के एकाधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या उपभोक्ताओं को इस सेवा के लिए मासिक किराए का भुगतान करना पड़ेगा;

(च) यदि हां, तो इस सेवा के लिए कितना किराया और स्थापना शुल्क निर्धारित किया गया है; और

(छ) इस सेवा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (छ) भारत में डीटीएच सेवा का शुभारंभ करने के लिए 2 नवंबर, 2000 को लिए गए सरकार के निर्णय के अनुसरण में, भारत में डीटीएच प्रसारण सेवा संचालित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की बाबत् 15 अगस्त, 2001 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। अभी तक प्राप्त 4 आवेदनों में से ए एस सी इण्टरप्राइजेज लि. को दिनांक 16.9.2003 को लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। उन्होंने दिनांक 2.10.2003 से सेवा प्रारंभ कर दी है। अन्य 3 आवेदन अर्थात् मैसर्स टीवी, इस्सेल श्याम कम्युनिकेशंस लि. तथा नोएडा साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क लि. के आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।

सरकार ने अनुमानतः 164 करोड़ रुपये के निवेश वाली दूरदर्शन की के यू बैंड ट्रांसमिशन परियोजना को अनुमोदित कर दिया था। इस परियोजना में 30 फ्री-टु-एयर चैनलों अर्थात् 20 दूरदर्शन तथा निजी प्रसारकों के 10 चैनल, विशेष रूप से, क्षेत्रीय चैनलों के वितरण को परिकल्पना है। शुरूआती चरण में, इस नई प्रौद्योगिकी के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, गुजरात तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करने वाली प्रायोगिक परियोजना के एक भाग के रूप में आंगनबाड़ियों, स्कूलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों, युवा क्लबों, सरकारी समितियों जैसी सार्वजनिक संस्थानों को 30 चैनलों के समूह के अभिग्रहण हेतु सेप टाप बाक्स तथा डिश एण्टीना उपलब्ध कराए जाएंगे। इन संस्थाओं को टीवी रिसीवर को छोड़कर डिश एंटिना उपग्रह अभिग्रहण उपस्कर वाले दस हजार पूर्ण सेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना के शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

डीटीएच तथा केबल नेटवर्क सेवा किसी कार्यक्रम की विषय-वस्तु के प्रसारण की दो अलग-अलग पद्धतियां हैं। डी टी एच तथा केबल सेवा दोनों को साथ-साथ संचालित किया जा सकता है। डी टी एच भारत के लिए एक नई संकल्पना है जबकि विदेशों में यह कई वर्षों से संचालित की जा रही है। जहां तक शुल्क दरों और प्रतिष्ठापन प्रभारों का संबंध है, उनको डीटीएच लाइसेंसधारक द्वारा नियत किया जाता है। तथापि, करार के प्रपत्र-ख की अनुसूची में यथानिर्धारित लाइसेंस करार की निबंधन एवं शर्तों के अनुच्छेद-7.7 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारक, चैनल समूह अथवा चैनल टियर आदि की कीमत निर्धारण के संबंध में उपभोक्ताओं के हित

में लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी दिशानिर्देश/ विनियमन का पालन करेगा। दूरदर्शन की के यू बैंड परियोजना के उपभोक्ताओं को किसी मासिक शुल्क प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा। इस समय मैसर्स एएससी इण्टरप्राइजेज लि. द्वारा डीटीएच में 78 चैनल उपलब्ध कराने की जानकारी प्राप्त हुई है और उसके द्वारा भविष्य में लगभग 100 चैनलों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, मैं आपको बोलने के लिए एक मिनट का समय दूंगा, क्योंकि आप प्रत्येक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अत:, मैं आपको विषय पर विचार किए बिना एक मौका दूंगा।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, सभा पटल पर रखा गया उत्तर संतोषजनक नहीं है, बल्कि निराश करने वाला है। माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत होंगें कि एक अश्लील चैनल के बारे में रिपोर्ट है, जो एक डी टी एच चैनल था, जिस पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप था। वर्ष 1997 में जब वर्तमान मंत्री जी देवगौडा सरकार में भी मंत्री थे, सरकार ने डी टी एच सेवाओं पर रोक लगा दी थी।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री प्रबोध पाण्डा: मेरा प्रश्न यह है: हमारे देश में डी टी एच सेवाओं ने अनुज्ञप्ति कैसे पायी? यह कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया था। मैं जानता हूं कि यह इस सरकार द्वारा नहीं बल्कि राजग सरकार द्वारा मंजूर किया गया था। परन्तु मेरा प्रश्न यह है: क्या इस संबंध में आप उस सरकार के पद चिह्नों का अनुसरण करने जा रहे हैं? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है।

अध्यक्ष महोदय: आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए दूसरा मौका मिलेगा।

श्री प्रबोध पाण्डा: यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कोई नियम नहीं है। आप खुद अपने नियम नहीं बना सकते। आपके अनुसार, आपने बहुत उचित प्रश्न उठाया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री, क्षमा चाहता हूं, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न उठाये हैं। *...(व्यवधान)* पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती। मैं कई वर्षों से सदस्य रहा हूं।

माननीय सदस्य ने कई प्रासंगिक प्रश्न उठाये है। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। जब कू बैंड, जो डी टी एच है, पर वर्ष 1997 में रोक लगाई गयी थी तब परिस्थितियां भिन्न थी। उस समय हमारे पास अनिवार्य अपलिंकिंग शक्तियां नहीं थी। दूसरा, विदेशी इक्विटी पर सीमा निर्धारण के संबंध में उस समय कोई नीतिगत निर्णय नहीं था। इस दौरान, हमने इन दो शर्तों को पूरा किया है। हमारी अनिवार्य अपलिंकिंग है। इक्विटी और विदेशी निवेश की सीमा है। अत:, डी टी एच प्लेटफार्म की अनुमति दी गई है।

इन्होंने डी टी एच प्लेटफार्म से अश्लील कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने या उसे प्रस्तुत किए जाने की संभावना के बारे में प्रश्न उठाया है। अभी तक, मैं आपको यह बता सकता हूं कि हमें इस बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

श्री प्रबोध पाण्डा: यह मात्र अश्लील सामग्रियों से संबंधित प्रश्न ही नहीं है बल्कि यह आतंरिक सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न भी है। विभिन्न विद्रोही समूह, आतंकवादी संगठन, आई.एस.आई. तथा राष्ट्रविरोधी तत्व यहां हैं। वे डी टी एच प्लेटफार्म का गोपनीय संदेशों को भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

महोदय, आपकी अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने जोर देकर एक सिफारिश की थी। मैं उद्धृत करता हूं:

> ''समिति सरकार से अनुरोध करती है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में संसद को विश्वास में लिया जाए तथा डी टी एच के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक विधान लाने के बारे में विचार करे।''

अत:, मेरा प्रश्न यह है कि बिना इस सभा को विश्वास में लिए, कैबिनेट डी टी एच को कैसे मंजूर कर सकती है? वर्तमान सरकार भी इस मामले को सभा के सामने लाने की इच्छुक नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे देश में डी टी एच प्रौद्योगिकी को तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक यह मामला इस सभा में नहीं लाया जाता है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: सरकार ने, तत्कालीन गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह द्वारा, इस मामले पर विचार किया तथा इस समूह ने इस पूरे मामले को दो दृष्टिकोणों से देखा-एक राष्ट्रीय सुरक्षा तथा दूसरा नैतिकता की दृष्टि से। मंत्रियों के समूह ने, अपने विवेक से, उस समय यह राय व्यक्त की कि इन दोनों में से किसी भी पहलू के साथ समझौता नहीं किया गया है। अत:, डी टी एच सेवा शुरू की गई।

श्री प्रबोध पाण्डा: इसके बारे में आप हमें क्यों नहीं बता सकते हैं? संसद के बारे में क्या विचार है? यह स्थायी समिति की सिफारिश थी कि संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः यह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

श्री प्रबोध पाण्डाः सरकार की राय क्या है? क्या वे इस संसद, स्थायी समिति को सम्मान देने के बारे में सोच रहे हैं? क्या वे इसका अनादर न करने के बारे में सोच रहे हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डीः महोदय, आप उस स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष थे। उस समय, सरकार ने यह निर्णय लिया था मैं उस समय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। परन्तु मैं सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। सरकार तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ...*(व्यवधान)* अतः, अब डीटीएच ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः वह कहते हैं कि सुरक्षा उपायों के अधीन, अनुमति दी जा सकती हैं। उन्होंने यही कहा है।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः इसे पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। एक कंपनी को अनुमति पहले ही दी गई है तथा वह कंपनी अपनी सेवाएं भी दे रही है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी वह यही कह रहे हैं कि आपको इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः बिल्कुल, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री पाण्डा, मैंने यह प्रश्न आपकी ओर से पूछा है। कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रबोध पाण्डाः मेरा प्रश्न यह है कि इस मामले को संसद की जानकारी में लाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः मैं सोचता हूं कि नई स्थायी समिति इसकी समीक्षा करे।

श्री उदय सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर देने का प्रयास किया है। अब, प्रौद्योगिकी को दूर रखने के प्रयास का कोई औचित्य नहीं है। यदि डीटीएच भविष्य की प्रौद्योगिकी हैं, तो इसे आने दें।

मेरे सहयोगी ने यहां जो प्रश्न उठाया है वह राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। दोनों ही अत्यधिक तर्क संगत है। मैं यह प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। क्या सरकार द्वारा दिखाई जाने वाली सामग्री पर राष्ट्रीय आम राय बनाने की कोई योजना हैं ताकि शुरूआत से जब डी टी एच भारत में शुरू हो रहा है, मार्ग निर्देश बनाए जा सकें तथा एक ढांचा स्थापित किया जा सके? वह सामग्री जिसका प्रसारण हम भारत में नहीं चाहते हैं उसे शुरूआत में ही रोका जाना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि बाद में जब हम मामले पर विचार कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी बदल गई है तथा ऐसे में इसे रोक पाना बहुत कठिन है।

श्री एस. जयपाल रेड्डीः जो अनुज्ञप्ति दी गई उसमें सरकार के लिए किसी भी समय हस्तक्षेप करने हेतु सुरक्षा के पर्याप्त उपाय है। प्रत्येक अनुज्ञप्ति को, यदि शर्तों का उल्लंघन होता है, रद्द किया जा सकता है। तथापि, मैं सदस्य की सामग्री को नियंत्रित करने की अपील की सराहना करता हूं तथा सरकार इस पहलू पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहितेः अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में जो इन्फर्मेशन दी गई है, पाण्डा जी ने बताया है कि

[अनुवाद]

यह संतोषजनक नहीं है।

[हिन्दी]

मैं करैक्ट करना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

चार आवेदकों में से, मात्र एक को डी टी एच सेवा चलाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

जवाब में यह दिया है कि

[अनुवाद]

अभी 78 चैनल कार्य कर रहे हैं। परन्तु स्थिति यह है, ए एस सी इंटरप्राइजेज 79 चैनल चला रहा है तथा मेरी सूचना अनुसार वे 400 चैनल चलाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। जवाब में, यह बताया गया है कि उन्होंने 100 चैनल चलाने का प्रस्ताव दिया है। मैं मात्र प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूं जो मेरे पास है।

[हिन्दी]

15 मार्च, 2001 को जो गाइड लाइन्स जारी की गई हैं,

[अनुवाद]

मैंने इस मार्गनिर्देश को पढ़ा है। इनमें तीन बड़ी खामियां है।

[हिन्दी]

डी.टी.एच. आपरेटर को किसी भी चैनल को शुरू करने के लिए किसी से भी परमीशन लेने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

उन्हें बस डब्ल्यू.पी.सी. को सूचना देनी है। दूसरा, जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, वास्तविक तौर पर अश्लीलता पर कोई नियंत्रण नहीं है।

[हिन्दी]

कोई भी डी.टी.एच. आपरेटर किसी भी सब्सक्राइबर को अपनी इन्फर्मेशन पास आन कर सकता है, कोई भी मैसेज पास आन कर सकता है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।

[अनुवाद]

मात्र एक नियंत्रण यह है कि यदि मांगी जाए तो 90 दिनों की रिकार्डिंग प्रस्तुत की जानी चाहिए। यही एक मात्र नियत्रण है जो उनके पास है।

अध्यक्ष महोदय: मोहिते जी, यह वाद-विवाद नहीं है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: सर, सिक्योरिटी के पाइंट आफ व्यू से, कोई डी.टी.एच. आपरेटर यदि किसी विदेशी चैनल को इन्फर्मेशन दे दे या परमीशन दे दे,

[अनुवाद]

और यदि यह संदेश या सूचना किसी अन्य देश, जैसे पाकिस्तान, को दे दी जाती है और यदि इस नीति के लिए कोई समुचित नियंत्रण नहीं हो,

[हिन्दी]

मेरा सवाल है कि जब वे तीन मेजर लौकुने हमारी गाइडलाइन और पालिसी में हैं,

[अनुवाद]

तो क्या सरकार अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व सरकार इस पर समुचित नियंत्रण रखेगी तथा निगरानी तंत्र को

[हिन्दी]

अपडेट करेंगे क्या?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व डब्ल्यू.पी.सी. के अतिरिक्त गृह मंत्रालय की अनुज्ञप्ति भी ली जाती है। इसलिए, सुरक्षा से जुड़े पहलू पर विचार किया जा रहा है। दूसरी बात, जब अनुज्ञप्ति की शर्तों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु तीन महीने का अभिलेख अवश्य रखा जाएगा, वह भी किसी भी संभावित गुप्त संदेश पर नजर रखता है। मैं समझता हूं कि भय को अधिक बढ़ा-चढ़ाकर रखा जा रहा है।

श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली: अध्यक्ष महोदय, हाल ही में एक तेलगु चैनल को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह कहा गया है कि उस चैनल के पास कोई अनुज्ञप्ति या अनुमति नहीं है। क्या सरकार बिना अनुमति के प्रसारण करने वाले सभी निजी चैनलों को इसी प्रकार बंद करने जा रही है और क्या ये निजी चैनल नियमित समाचार बुलेटीन प्रसारित करते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यदि कोई चैनल बिना अनुमति के चलाया जा रहा है तो उसे रद्द किया जाएगा। इन शर्तों के अनुपालन में कोई भेद-भाव नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष महोदय, चार कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किए थे, जिनमें से ए.एस.सी. इण्टरप्राइजेज को लाइसेंस दे दिया है और तीन कंपनियां ऐसी रह गई हैं जिन्हें लाइसेंस अभी तक नहीं दिया गया है जबकि सारा रिकार्ड भी उन्होंने आपको दे दिया है। एन.डी.ए. सरकार ने एक कंपनी को लाइसेंस दिया, लेकिन अब तो अपनी सरकार आ गई है और तीन कंपनियों की एप्लीकेशंस आपके पास हैं तथा आप डीटीएच ब्राडकास्टिंग सिस्टम को डैवलप भी करना चाहते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह सवाल है कि आप इन तीन कंपनियों को कब तक लाइसेंस दे देंगे?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मित्रों, कोई भी व्यक्ति जो शर्तों को पूरा करेगा उसे अनुज्ञप्ति दी जाएगी, केवल तीन लोगों को ही नहीं और लोगों का भी स्वागत है। जितनी अधिक संख्या होगी उतनी ही खुशी होगी। सवाल यह है कि अन्य तीन लोगों को इसलिए नहीं दिया गया कि वे सभी शर्ते पूरी नहीं कर रहे थे। शर्ते पूरी की जाने की स्थिति में किसी को भी मना नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, आज से चार दिन पहले हिन्दुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है कि बाजार में इस तरह के कार्ड एवेलेबल हैं, डीटीएच में लगाने पर जो पोरनोग्राफिक चैनल्स हैं

[अनुवाद]

और लोग इसे बड़ी संख्या में प्रयोग कर रहे है।

[हिन्दी]

वह कार्ड 1200-1400 में स्मगल होकर दिल्ली में पच्चास हजार की संख्या में बिक रहे हैं। हम लोगों की चिन्ता यह है कि डीटीएच आने के बाद बड़ी संख्या में जो पोरनोग्राफिक चैनल्स आ रहे हैं, उन्हें रोकने का क्या उपाय है? आपने जो उत्तर दिया है उसमें स्पष्ट नहीं किया है। उसे रोकने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा बच्चों और परिवार के लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, इन पहलुओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए हाल ही में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार को इन सारे पहलुओं की जांच करने को कहा है। सरकार जांच करेगी। लेकिन मैं आप से कहता हूं कि, अभी, इस प्लैटफार्म से उपलब्ध कराई जा रही किसी प्रकार की अश्लील सामग्री के बारे में मुझे कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

श्री पवन कुमार बंसल: जैसा कि पिछले पांच वर्षों का हमारा अनुभव रहा है कि अनुज्ञप्तिधारियों ने अनुज्ञप्ति की विभिन्न शर्तों पर लेश मात्र ध्यान दिया है बल्कि उन्होंने बिना दंड के भय से इसकी उपेक्षा की है। इस स्थिति को देखते हुए हम विषय वस्तु और प्रसारण को नियंत्रित करने की बात करते हैं पूर्व में संचार कन्वर्जेंस विधेयक लाने का प्रयास किया गया था जो भारतीय दूरसंचार आयोग के रूप में एक अधिक शक्तिशाली नियामक की स्थापना द्वारा प्रसारण-सामग्री को नियंत्रित करने वाले विभिन्न बेंचों तथा प्रसारण को नियंत्रित करने वाले विभिन्न बेंचों के माध्यम से दोनों बातों का ध्यान रखेगा जो बिल्कुल संभव है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा-मंत्री जी ने अपने उत्तर में केवल प्रचालकों का भी उल्लेख किया है-कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि ये लोग शुल्क वसूलने में मनमानी न करें। ये लोग लोगों को ये सेवाएं ऐसी की मतों पर मुहैया कराते हैं जो बहुत आकर्षक होते हैं लेकिन बाद में एक बार जब आदमी इन चीजों को लगा लेता है तो कीमतें बढ़ा दी जाती है। उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल आप कैसे रखेंगे?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं इस बात से अवगत हूं कि स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष आप ही है, ने संचार कंवर्जेंस विधेयक पर विचार किया था और कुछ सिफारिशें की थी। सरकार अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या प्रसारण तथा प्रसारण सामग्री दोनों के लिए एक व्यापक कंवर्जेंस नियामक होना चाहिए या प्रसारण तथा प्रसारण-सामग्री दोनों के लिए अलग-अलग नियामक होना चाहिए। इसी दौरान दूरसंचार नियामक प्राधिकार से सम्बंधित अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया गया है कि यह केवल प्रसारण से सम्बंधित पहलुओं की जांच करेगा। इसलिए, इस समय ट्राई कम से कम प्रसारण के मामले में एक नियामक के रूप में कार्य कर रहा है। जहां तक केबल प्रचालकों का सम्बंध है, ट्राई ने पहले ही एक आदेश पारित किया है कि केबल आपरेटरों को शुल्क नहीं बढ़ाना चाहिए। तथापि, मैं इस प्रश्न को समझ सकता हूं कि हमें इस मामले में एक और विस्तृत दिशा-निर्देश की जरूरत है। हमें एक और शक्तिशाली नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता है और इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि डी.टी.एच. कब से शुरू हो जाएगा-क्योंकि कुछ दिन पूर्व मंत्रीजी ने आश्वस्त किया था कि अक्टूबर तक कुछ केन्द्र काम करना शुरू कर देंगे। मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि ये प्रेस रिपोर्ट विश्वसनीय है या नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह दूरदर्शन के बारे में है या कलकत्ता डी.टी.एच. के बारे में?

श्री रूपचंद पाल: मैं कलकत्ता डी.टी.एच. की बात कर रहा हूं। आपने कहा था कि अक्टूबर तक यह काम करना शुरू कर देगा। संचार नीति जो कि कंवर्जेंस पर आधारित थी और जो अपेक्षित है यह हो सकता है कि हम लोग इस प्रकार की तैयारी

के लिए तैयार नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पहले ही एक ब्राडबैंड नीति तथा आवृत्तियों के आबंटन की रूप रेखा तैयार कर ली है इससे कनवर्जेंस के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: दूरसंचार मंत्रालय तथा भारतीय दूरसंचार नियामक द्वारा इस पहलू की जांच की जानी है। तथापि, यद्यपि माननीय सदस्य ने मुझसे नहीं पूछा है, परन्तु मैं स्वयं कहना चाहूंगा कि दूरदर्शन अपना स्वयं का डी.टी.एच., सीधे घरों को शुरू कर रहा है। इसमें दूरदर्शन के अनेक चैनल तथा कई निजी चैनल भी होंगे। हमने पहले ही इस पर लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। दूरदर्शन डी.टी.एच. के अपने चार ट्रान्सपोंडर होंगे जिसके कारण हम दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्लैटफार्म से 40 चैनल प्रसारित कर सकेंगे। इसे आप आम आदमी का डी.टी.एच. या गरीबों का डी.टी.एच. कह सकते हैं। दूरदर्शन डी.टी.एच. से आपको हर मास चंदा शुल्क देने की झंझट नहीं रह जाएगा और केबल प्रचालकों से भी मुक्ति मिल जाएगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस मामले में मेरा हाथ मजबूत करें।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दूरदर्शन में जिस तरीके से विज्ञापनों में अंग प्रदर्शन की होड़ चल रही है, क्या इस पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है? क्या यह सही नहीं है कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे दूरदर्शन और अन्य निजी चैनलों के बीच भ्रम न पैदा करे। दूरदर्शन पर इस प्रकार की अनैतिकता का आरोप नहीं है। जहां तक अन्य चैनलों की बात है तो उसकी जांच के लिए प्राधिकारी हैं, कानून है, और हमारे पास अंतर-मंत्रालीय समूह है। मैं उनकी चिंताओं से सहमत हूं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मेरा सप्लीमेंटरी, जो मंत्री जी ने सप्लीमेंटरीज के आंसर्स दिये हैं, उनके ऊपर से आ रहा है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: उसका स्वागत है

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, आप डी.टी.एच. के लिए दूरदर्शन से भी कह रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन जो मैम्बर्स का कन्सर्न है या जनता का कन्सर्न है, जिसके लिए लोग हाई कोर्ट भी पहुंचे थे कि डी.टी.एच. प्लेटफार्म को जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अभी जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं, उनसे सवाल नहीं है, लेकिन जो दूरदर्शन करेगा, लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीनियर्स माइंड है। जब ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने क्लियर किया था, उस समय यह कन्सर्न नहीं था, लेकिन अब इस तरह की टेक्नोलोजी एवेलेबल है कि आपका कंडीशनल एक्सेस मोड्यूल कार्ड, जिसके बारे में मोदी जी ने कहा कि वह स्मगल होकर आ रहा है। कैम कार्ड लगाकर कोई भी डी.टी.एच. को यंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आप जो मोनीटर करेंगे, चाहे ट्राई करे, चाहे रेगुलेटरी एथारिटी करे, जो भी करे, वह जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको करेंगे, उसके सैण्टर को करेंगे, लेकिन जो सिगनल रिसीव कर रहे हैं, इतने बड़े देश में आप कैसे करेंगे। मैं यह पूछूंगा कि क्या आप प्रोज एण्ड कान्ज को देखकर रेगुलेटरी रिजीम को ठीक करके बन्दोबस्तों को करके और उसके बाद इस तरह की परमीशन देंगे या पहले इन तमाम चीजों को करके बाद में रेगुलेटरी रिजीम के बारे में बात करेंगे। जैसा आपने खुद कहा कि हम इसके प्रोज एण्ट कान्ज को देखकर रेगुलेटरी रिजीम को देखेंगे, क्योंकि ट्राइ नहीं कर सकती, ट्राई ने खुद कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देख सकते, कैरिज को देख सकते हैं। जब ब्राडकास्टिंग बिल लाया गया था, कन्वर्जेंस बिल की बात कही गई, पिछले एक दशक में बहुत सी बातें हुई, लेकिन इस तरह से परमीशन देकर, जैसे केबल के बारे में किया गया, पहले इनका नेटवर्क बढ़ गया, बाद में आपने उसे मोनीटर करने की कोशिश की। इसलिए पहले आप मोनीटरिंग और रेगुलेटरी रिजीम को इनप्लेस करके उसके बाद परमीशन देंगे या पहले आप इस तरह के सिक्योरिटी कन्सर्न आफ पोर्नोग्राफी के जो चैनल्स हैं, उनको आप बढ़ावा देंगे?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्रेस रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए तथा जनहित याचिका को भी ध्यान में रखते हुए नैतिकता और सुरक्षा से संबंधित इन पहलुओं का फिर से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। किन्तु अभी तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि हमने एक कंपनी को लाइसेंस दिया है, अतः दूसरों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में हम देरी नहीं कर सकते हैं। किन्तु सभी सावधानियां कानून और प्राधिकरणों दोनों के माध्यम से बरती जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 343, श्री आनंदराव विठोबा अडसूल। श्री अडसूल, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर जी जब तक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में कहे गए शब्दों के लिए यहां माफी नहीं मागेंगे तब तक सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपराह्न दो बजे एक वक्तव्य दिया जाएगा। आपको यह पता है।

चूंकि आप अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अतः, अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। चूंकि आप वह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अतः, मैं वह प्रश्न छोड़ रहा हूं। इस प्रकार, आप अनुपस्थित नहीं हैं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.26 बजे

[इस समय श्री मोहन रावले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 344, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चूंकि उन्होंने अपना प्रश्न नहीं पूछा है, मैं अगले प्रश्न पर जा रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब कोई आपसी टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह तय हुआ है कि दो बजे मंत्री जी स्टेटमैंट देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी सीट पर जाइए। मैं आप सबसे अपनी-अपनी सीट पर जाने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सभा को नहीं चलने देना चाहते हैं, तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। कल इस पर सहमति हुई थी कि अपराह्न दो बजे एक वक्तव्य दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग मुझे एक बार बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग चुप कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग शांत रहिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दो बजे मंत्री जी का स्टेटमैंट होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने क्वैश्चन नहीं किया इसलिए मैंने दूसरा क्वैश्चन ले लिया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे मत कीजिए। वीर सावरकर का आदर सब लोग करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इतिहास को कोई नहीं बदल सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुबोध मोहिते, इस तरह तो आप वीर सावरकर का सम्मान नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस तरह वीर सावरकर की रिस्पैक्ट नहीं होती।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दो बजे स्टेटमैंट होगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा पूर्वाह्न 11.45 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.48 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.48 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, कृपया मुझे एक मिनट बोलने का मौका दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से विनती करता हूं कि हाउस को शांति से चलने दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पूरा देश हमें देख रहा है। सभा को चलने देने के लिए हम लोग एक दूसरे को सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, एक मिनट के लिए मौका दें।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अलाऊ किया है, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। हमारी अपनी भावनाएं हैं; आपकी अपनी भावनाएं हैं और उनकी अपनी भावनाएं हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। पेट्रोलियम मंत्री श्री मणिशंकर जी द्वारा सावरकर जी का जो अपमान किया गया है, उसको लेकर दो दिन से इस सदन के अंदर हम इस मामले को लगातार उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथ: फिर वही बात कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया धैर्य रखिए। मामला क्या है? यदि इसी प्रकार सभा चलती रही, तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा। मैं सभा को मात्र वित्त विधेयक पारित करने के लिए ही चलाउंगा और उसके सिवाय कुछ नहीं। स्कूली छात्र भी इससे बेहतर व्यवहार करते हैं।

श्री अनत गंगाराम गीते, कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर जी दो दिन से इस सदन में हैं और दो दिन से ही हम मांग कर रहे हैं कि उन्होंने सावरकर जी का अपमान किया है उस पर वे अपना वक्तव्य दें। यह खबर सभी अखबारों में आई है लेकिन इन दो दिनों में न उन्हें महसूस हुआ कि इस प्रकार के जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उनका वे खंडन करें या अपना स्टेटमेंट दें। माननीय प्रणव मुखर्जी साहब ने कल बयान दिया और आज दो बजे भी बयान देने की बात मान ली और हमने भी उनकी बात को कबूल किया कि वे बयान दें। लेकिन जिनके खिलाफ आक्षेप है और वे सदन में मौजूद हैं तो उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बयान से सदन को अवगत कराएं। जो सावरकर जी का अपमान हुआ है ...*(व्यवधान)* जो भी स्थिति है उससे वे सदन को अवगत कराएं।

श्री वीरचन्द्र पासवान: अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल यह सहमति हुई थी–और उनके सहयोग के लिए मैं सभी माननीय नेताओं का आभारी हूं–कि आज अपराह्न दो बजे एक वक्तव्य दिया जाएगा। यह वक्तव्य अपराह्न दो बजे दिया जाएगा और वक्तव्य देने के लिए मैं उन्हें अनुमति दूंगा।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि माननीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए, तो वह अपराह्न दो बजे वक्तव्य देंगे। ...*(व्यवधान)*

*343.

तारांकित प्रश्न संख्या 343 को
नियम 39(1)(परंतुक) के अंतर्गत
सदस्य द्वारा वापस लिया गया

अध्यक्ष महोदय: श्री अडसूल, क्या अब आप अपना प्रश्न पूछेंगे?

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमें ही पूरक प्रश्न पूछने का मौका दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

भूमिहीन गरीब लोगों के लिए बंजरभूमि का आबंटन

***344. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंजरभूमि, शुष्क/अर्ध शुष्क भूमि का राज्यवार कुल कितना क्षेत्र है और तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी अप्रयुक्त भूमि को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/उपाय किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार भूमिहीन गरीब लोगों को समर्थ बनाने हेतु उन्हें ऐसी भूमि देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद के सहयोग से प्रकाशित किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2000 (वेस्टलैण्ड एटलस आफ इंडिया, 2000) में देश में बंजर भूमि का क्षेत्रफल 638518.31 वर्ग किलोमीटर (63.85 मिलियन हैक्टेयर) होने का अनुमान लगाया गया है। अर्द्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994 में गठित तकनीकी समिति ने इन कार्यक्रमों की समीक्षा की थी और 182 जिलों में 745914 वर्ग किलोमीटर (74.59 मिलियन हैक्टेयर) क्षेत्र की अर्द्धशुष्क (सूखा प्रवण क्षेत्र) के रूप में तथा 40 जिलों में 457949 वर्ग किलोमीटर (45.79 मिलियन हैक्टेयर) क्षेत्र की शुष्क (मरुभूमि क्षेत्र) के रूप में पहचान की थी। इन बंजरभूमि, शुष्क तथा अर्द्धशुष्क क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ख) पहचान किए गए इन बंजरभूमि, अर्द्धशुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए मंत्रालय तीन विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को कार्यान्वित कर रहा है। ग्राम स्तर पर इन कार्यक्रमों को वाटरशेड आधार पर ग्राम पंचायतों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों के तहत वाटरशेड क्षेत्र में भूमि विकास, मृदा-नमी संरक्षण, जल संसाधनों के विकास तथा वनीकरण/चरागाह विकास से संबंधित कार्यकलापों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। वाटरशेड के संबंध में शुरू किए जाने वाले वास्तविक कार्यों और गतिविधियों के बारे में निर्णय प्रयोक्ता समूहों और स्व-सहायता समूहों की अपेक्षाओं के रूप में यथा प्रतिबिम्बित स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय समुदाय द्वारा लिया जाता है।

(ग) और (घ) भूमि राज्य का विषय है और राज्य सरकारें भूमिहीन गरीबों को सरकारी बंजरभूमि का वितरण कर रही हैं। मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार वितरित की गई ऐसी भूमि के क्षेत्र का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

भारत की राज्य-वार बंजरभूमि

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

क्रम सं.	राज्य	शामिल किए गए जिलों की सं.	शामिल किए गए जिलों का कुल भौगोलिक क्षेत्र	शामिल किए गए जिलों में बंजरभूमि का कुल क्षेत्र	कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में बंजरभूमि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	275068.00	51750.19	18.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	83743.00	18326.25	21.88
3.	असम	23	78438.00	20019.17	25.52
4.	बिहार	55	173877.00	20997.55	12.08
5.	गोवा	02	3702.00	613.27	16.57
6.	गुजरात	25	196024.00	43021.28	21.95

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	19	44212.00	3733.98	8.45
8.	हिमाचल प्रदेश	12	55673.00	31659.00	56.87
9.	जम्मू और कश्मीर	14	222236.00	65444.24	64.55
10.	कर्नाटक	27	191791.00	20839.28	10.87
11.	केरल	14	38863.00	1448.18	3.73
12.	मध्य प्रदेश	62	443446.00	69713.75	15.72
13.	महाराष्ट्र	32	307690.00	53489.08	17.38
14.	मणिपुर	09	22327.00	12948.62	58.00
15.	मेघालय	07	22429.00	9904.38	44.16
16.	मिजोरम	03	21081.00	4071.68	19.31
17.	नागालैण्ड	07	16579.00	8404.10	50.69
18.	उड़ीसा	30	155707.00	21341.71	13.71
19.	पंजाब	17	50362.00	2228.40	4.42
20.	राजस्थान	32	342239.00	105639.11	30.87
21.	सिक्किम	04	7096.00	3569.58	50.30
22.	त्रिपुरा	04	10486.00	1276.03	12.17
23.	तमिलनाडु	29	130058.00	23013.90	17.70
24.	उत्तर प्रदेश	83	294411.00	38772.80	13.17
25.	पश्चिम बंगाल	18	88752.00	5718.48	6.44
26.	संघ राज्य क्षेत्र	20	10973.00	574.30	5.23
	योग	584	3287263.00	638518.31	20.17

टिप्पणी: जम्मू और कश्मीर में 1,20,849 वर्ग किलोमीटर के नक्शे तैयार नहीं किये गये हैं, अतः प्रतिशतता के परिकलन के लिए इसे शामिल नहीं किया गया है।

विवरण II

अर्द्धशुष्क (सूखा प्रवण) तथा शुष्क (मरुभूमि) क्षेत्रों का राज्य-वार क्षेत्रफल

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में	
		अर्द्धशुष्क (सूखा प्रवण)	शुष्क (मरुभूमि)
1.	आंध्र प्रदेश	99218	19136
2.	बिहार	9533	—
3.	छत्तीसगढ़	21801	—
4.	गुजरात	43938	55424
5.	हरियाणा	—	20542
6.	हिमाचल प्रदेश	3319	35107
7.	जम्मू-कश्मीर	14705	96701
8.	झारखंड	34843	—
9.	कर्नाटक	84332	32295
10.	मध्य प्रदेश	89101	—
11.	महाराष्ट्र	194473	—
12.	उड़ीसा	26178	—
13.	राजस्थान	31969	198744
14.	तमिलनाडु	29416	—
15.	उत्तर प्रदेश	35698	—
16.	उत्तरांचल	15796	—
17.	पश्चिम बंगाल	11594	—
	योग	745914	457949

विवरण III

मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी बंजरभूमि का वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित किया गया क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश	16.81
2.	असम	2.36
3.	बिहार*	5.28
4.	गुजरात	5.52
5.	हरियाणा	0
6.	हिमाचल प्रदेश	0.07
7.	कर्नाटक	5.49
8.	केरल	1.83
9.	मध्य प्रदेश**	0.32
10.	महाराष्ट्र	4.09
11.	मणिपुर	0.13
12.	पंजाब	0.44
13.	उड़ीसा	2.90
14.	तमिलनाडु	0.83
15.	त्रिपुरा	0.53
16.	उत्तर प्रदेश*	9.96
17.	पश्चिम बंगाल	1.73
18.	गोवा	0.02
19.	मिजोरम	0.30
20.	राजस्थान	0.37
21.	दिल्ली	0.02
	योग	59.00

*झारखण्ड सहित

**छत्तीसगढ़ सहित

*उत्तरांचल सहित

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 9.96 लाख हैक्टेयर जमीन गरीबों को दे दी गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, केवल तर्कपूर्ण बात कहे बिना किसी भाषण के तर्क आधारित अनुपूरक प्रश्न पूछे।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सर्वे कराकर पता लगाया है कि जो जमीन गरीबों को दी गयी, क्या वह उन्हीं के पास है और अगर है तो वे उसका क्या उपयोग कर रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, यह विषय राज्य सरकार का है और यह उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि जिन भूमिहीनों को जमीने दी गयी हैं उनपर उनका दखल या कब्जा बना रहे। कोई विशेष सूचना होने पर हम भी राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि कोई भूमिहीन बेदखल न होने पाये। इस विषय में हम राज्य सरकारों से लिखा-पढ़ी भी करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया द्वितीय अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: नहीं महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आपको दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछना है, ठीक है।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष जी, आजादी से पहले तीन-चार तरह की जमीनें गांव के लोगों के पास थीं-बंजर, परती, ओरण और गोचर जमीनें आदि। लेकिन धीरे-धीरे वे जमीनें अलाट हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर वन्य प्राणी रहते है और गांव का पशुधन रहता है अगर वे जमीनें अलाट हो गयीं तो वन्य प्राणी और पशुधन कहां रहेंगे। क्या इस बात का कोई सर्वे माननीय मंत्री जी ने कराया है। जंगल खत्म होने पर मनुष्य ही जीवित नहीं रहेगा, क्या इस पर सरकार ने विचार किया है। मैं यह बात खासतौर से जानना चाहता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जंगल की जमीनों को बांटने और लेने का प्रावधान नहीं है। जहां जंगल नहीं हैं वहां जंगल लगाकर दिये जाएं इसका प्रावधान है। मरुभूमि, गोचर, परती या वेस्टलैंड जिनमें उपज नहीं होती है उन्हीं जमीनों को उपजाऊ बनाकर राज्य सरकारें गरीबों में बांटती हैं। हमारे यहां आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी और डीबीपी के डैवलेपमेंट प्रोग्राम हैं। उसमें जो उपजाऊ जमीन नहीं है उसे उपजाऊ बनाने के लिए ट्रीटमेंट देकर योजनाएं बनती हैं और उनके लिए राशि दी जाती है और उन्हें उपयोगी बनाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: हमारे संसदीय क्षेत्र इटावा में भी बहुत सारा वेस्टलैंड और पहाड़ी इलाका पड़ा हुआ है, जिसके कारण उसे दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में घोषित कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस वेस्टलैंड और पहाड़ी इलाके को समतल करने की क्या कोई योजना बनाई जा रही है और क्या स्टेट सरकार को कोई आर्थिक सहायता उसके लिए दी जा रही है जिससे उन इलाकों का समतलीकरण किया जा सके तथा इन जमीनों को गरीबों को आवंटित किया जा सके?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो वेस्टलैंड है या इरिड या सैमी-इरिड लैंड है, इसको उपजाऊ बनाने के लिए जो भी प्रयास राज्य सरकारें करती हैं या सहायता मांगती हैं तो केन्द्र सरकार हमेशा तैयार रहती है। ऐसी जमीन जो अभी उपजाऊ नहीं है उसको उपजाऊ बनाने के लिए कोई योजना हो तो केन्द्र सरकार पर्याप्त सहायता करेगी।

[अनुवाद]

श्री ई. पोनुस्वामी: तमिलनाडु के 29 जिलों के कुल 1,30,058 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में से केवल 24 जिलों में 23,013 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को ही कवर किया गया है। देश में आबंटित की गयी कुल 80,704 लाख रु. की धनराशि में से तमिलनाडु सरकार द्वारा केवल 3,615 लाख रु. ही जारी किये गये हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इन आंकड़ों में दलित समुदाय के भूमिहीन गरीबों को किया गया आवंटन भी शामिल है क्योंकि उन्हें गांवों में सामाजिक-आर्थिक भेद-भाव का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए इस योजना के क्रियान्वयन की मानिटरिंग करने के लिए कोई एजेंसी है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, माननीय मंत्री जी, क्या यह प्रश्न उठता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, अनउपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, वाटरशेड मेनेजमेंट करने के लिए 6 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि खर्च करने का प्रावधान है। जितनी जमीन होती है 6 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से केन्द्र सरकार सहायता करती है और योजना बनाकर उसको क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन जहां तक मानिटरिंग का सवाल है तो यह पंचायत लेवल पर, ब्लाक लेवल पर और जिला परिषद के लेवल पर कार्यान्वित होती है। हर जगह निगरानी समितियां बनी हुई हैं। ग्रामीण विकास समितियां पुनर्गठित हो रही हैं। राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मानिटरिंग करने के लिए समितियां बनी हुई हैं। हमारे कामन मिनिमम प्रोग्राम में भी निर्देश है कि सिर्फ मानिटरिंग का प्रावधान किया जाए और जो राशि दी जाती है वह सही आदमी तक पहुंच सके।

सिनेमा उद्योग को होने वाली आय

***345. श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के सिनेमा उद्योग की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिनेमा उद्योग के विकास और विस्तार हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। भारतीय फिल्म संघ (एफ एफ आई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्ष के दौरान फिल्म उद्योग द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
2000-01	450
2001-02	900
2002-03	1040

(ग) और (घ) सरकार ने मनोरंजन क्षेत्र के समग्र विकास के हित में इस क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए अनेक पहलें की हैं।

* फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग के लिए संस्थागत और बैंक वित्त-पोषण की सुलभता को सुविधाजनक बनाया गया है।
* फिल्म क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वचालित माध्यम से अनुमति प्रदान कर दी गई है।
* अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सहभागिता के जरिए भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने को सुविधाजनक बनाया गया है।
* विभिन्न देशों के साथ फिल्म सप्ताहों और समारोहों का पारस्परिक आधार पर आयोजन किया जाता है।
* भारतीय फिल्म उद्योग के लिए वित्त-पोषण एवं सृजनात्मक सामग्री तथा बाजार में सुलभता का विस्तार करने के उद्देश्य से सरकार-से-सरकार आधार पर दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण करार करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
* केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर मनोरंजन उद्योग के लिए नीतिगत ढांचे के बारे में सुझाव देने के उद्देश्य से मनोरंजन क्षेत्र के विकास हेतु एक समिति का गठन किया गया है।
* समिति की सिफारिशों में, अन्य के साथ-साथ, मनोरंजन कर में कमी करने; भारत में विदेशी फिल्म दल द्वारा शूटिंग करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एकल स्थल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की सुविधा देने की सिफारिश भी शामिल है। इन सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों को बार-बार सूचित किया गया है।
* भारत के मनोरंजन क्षेत्र में एक ग्रहणशील निवेश पद्धति लाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया है जो इस क्षेत्र में उद्यम पूंजी के प्रभाव को सुविधाजनक बनाने की कार्यनीति के बारे में सुझाव देगी।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, माननीय मंत्री ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 में भारतीय फिल्म फेडरेशन द्वारा अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आकंड़ों में वर्ष 2002-03 में यह राशि 1,040 करोड़ रुपये है। सिनेमा उद्योग द्वारा केन्द्र सरकार को दी गयी यह एक बड़ी राशि है। वे जितना भी लाभ इससे प्राप्त कर रहे हैं, और वे इस उद्योग से जितना भी राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। सरकार द्वारा शुल्क में कमी का उतना लाभ फिल्म उद्योग अर्जित नहीं कर पा रही है। फिल्म उद्योग पूर्णत: आयातित उपकरण और कच्चे माल पर निर्भर है। सरकार बहुत अधिक शुल्क लगाती है। सीमा शुल्क लगभग 16 प्रतिशत है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या सीमा शुल्क को समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव है।

साथ ही क्या सरकार द्वारा लगाए गए समतुल्य शुल्कों को समाप्त किया जा सकता है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार की नीति है कि सिनेमा उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये। मेरे द्वारा दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्रा का अर्जन बढ़ता जा रहा है। जहां तक सीमा शुल्क का प्रश्न है मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार कर सकते हैं। तथापि मैं इस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मेरा मंत्रालय इस विषय पर उदारता दिखायेगा।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, आप जानते हैं कि यह उद्योग अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। अभिनय पेशे के लिए कोई सीमा शुल्क नहीं है। जो इस उद्योग में है वे पहले लोक प्रसिद्धि में रहते है और जब कैरियर खराब होता है उनके पास रोजगार के अवसर नहीं होते। स्थिति अत्यंत खराब है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास कलाकारों अथवा टैक्निशियनों को बीमा अथवा भविष्य निधि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। क्या सरकार के पास कोई स्रोत है अथवा क्या सरकार इस विषय पर कोई आश्वासन दे सकती है?

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने की अनुमति देता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, हमारे पास गरीब कलाकारों के लिए योजना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बड़ी संख्या में लोगों को इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम इस योजना का विस्तार करने का प्रयास करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बाढ़ से रेलवे को हुई क्षति

***346. श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री चंद्रभूषण सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में विशेषकर मध्य और पूर्व के राज्यों में हाल में आई बाढ़ से रेलवे को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को हुई क्षति और बाधित ट्रेन सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे को हुई क्षति की मरम्मत/बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) हाल ही में आई बाढ़ के कारण 12.8.2004 तक रेल सेवाओं में हुआ व्यवधान (बड़ी लाइन और मीटर लाइन पर मेल/एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियां) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

रेलवे	गाड़ियों के रद्द किए गए फेरों की संख्या	गाड़ियों के आंशिक रूप से रद्द किए गए फेरों की संख्या	गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए फेरों की संख्या
पूर्व मध्य	2005	230	217
उत्तर	1174	-	230
पूर्वोत्तर सीमा	394	222	-
पश्चिम	121	128	27
मध्य	105	4	61

माल और यात्री सेवाओं के व्यवधान के कारण रेलवे को लगभग 91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

(ग) मानसून के लिए तैयार रखी सामग्री (बोल्डर, राख, सिण्डर, गन्नी बैग्स आदि) को क्षतिग्रस्त और जमीन में दरार वाले स्थलों पर तत्काल पहुंचाया जाता है। विभागीय स्तर पर अथवा ठेके पर आदमी, सामग्री और मशीनरी जुटाकर मरम्मत संबंधी कार्य किए जाते हैं। सर्विस गर्डरों का उपयोग करके क्षतिग्रस्त पुलों को अस्थायी तौर पर चालू किया जाता है।

अनुमानित आकलन के अनुसार, 16.08.04 तक व्यय की गई राशि लगभग 48 करोड़ रुपए हैं जिसमें यथा समय स्थायी मरम्मत संबंधी कार्यों पर किए जाने वाला व्यय शामिल नहीं है।

विवरण

2004-05 के दौरान बाढ़/दरारों और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए भारतीय रेल खंड (16.8.04 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	रेलवे	राज्य	खंड	स्थल/रेलवे किमी.	से	तक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मध्य रेलवे	महाराष्ट्र	कसरा-इगतपुरी (ब.ला.)	132-133, 132/29 से 134/8-9, 132/7-134/9	03-08-04	05-8-04	अप एवं मिडिल लाइन पुनर्स्थापित की गई। डाउन लाइन का कार्य प्रगति पर है जिसके 18.8.04 तक पूरा होने की संभावना है।
2	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	सीतामढ़ी-दरभंगा (मी.ला.)	44/9-45/3, 45/7-10, 57/4-5, 57/10-12	09-07-04	20-07-04	विभिन्न स्थलों पर दरारें।
			सीतामढ़ी-दरभंगा	41/2-42/0, 42/2-6	09-07-04	23-07-04	विभिन्न स्थलों पर दरारें।
			सीतामढ़ी-दरभंगा	42/0-1, 42/1-2, 43/2-7, 45/11-12, 46/2-7, 61/8-62/3, 64/11-12, 65/11-12, 93/10-13, 94/12-13	09-07-04	09-08-04	विभिन न स्थलों पर दरारें.
			सीतामढ़ी-दरभंगा	59/11-60/0, 60/14-15, 61/4-5	09-07-04	02-08-04	विभिन्न स्थलों पर दरारें।
			सीतामढ़ी-दरभंगा	46/7-8 65/10-11, 65/13-14, 65/15-66/9, 66/10-67/1, 67/2-3, 68/6-7	09-07-04	02-08-04	विभिन्न स्थलों पर दरारें।
			सीतामढ़ी-दरभंगा	62/4-5, 63/12-13, 64/4-5, 64/7-10	09-07-04	05-08-04	विभिन्न स्थलों पर दरारें।
			सीतामढ़ी-दरभंगा	64/1-2, 66/9-10, 92/10-11, 93/5-7	09-07-04	20-08-04 (अनुमानित)	विभिन्न स्थलों पर दरारें।
			सीतामढ़ी-दरभंगा	103/6-7, 103/12-13, 104/7-8, 104/9-12	09-07-04	07-08-04	विभिन्न स्थलों पर दरारें।
3.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	झंझारपुर-निरमली	39/4-5, 39/12-16, 40/1-8, 40/9-41/9, 41/10-11, 41/12-42/1, 45/3-4, 45/11-12, 46/9-10, 46/11-12, 47/2-5	30-06-04	02-08-04	पटरियों का बाढ़ के पानी में डूब जाना। बाढ़ के कारण पुल सं. 106, 98, 95 और 92 प्रभावित हुए।

1	2	3	4	5	6	7	8
			झंझारपुर-निरमली (मी.ला.)	47/14-48/4, 62/4-11, 65/1-3	30-06-04	30-8-04 (अनुमानित)	पटरियों का बाढ़ के पानी में डूब जाना
			झंझारपुर-लौकहा बाजार (मी.ला.)	0/15-16, 1/5-6, 1/10-11, 1/13-2/0, 2/2-3, 2/4-5, 2/11-12, 6/9-10, 6/11-12, 8/9-10, 8/12-15, 9/1-6, 9/7-9, 9/15-10/0, 10/0-12, 10/13-15, 12/7-11, 24/10-11	09-07-04	30-08-04 (अनुमानित)	पटरियों का बाढ़ के पानी में डूब जाना
4.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	झंझारपुर-सकरी (मी.ला.)	26/14-27/8	09-07-04	15-07-04	पटरियों का बाढ़ के पानी में डूब जाना
			झंझारपुर-सकरी	35/6-11, 35/15-36/1, 36/2-3, 37/1-2, 38/1-2, 38/8-10	09-07-04	16-07-04	पटरियों का बाढ़ के पानी में डूब जाना
5.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	दरभंगा-सकरी (मी.ला.)	1/15, 1/17-18, 7/6-8	12-07-04	16-07-04	दरारें।
			दरभंगा-सकरी	2/18-2/9	12-07-04	17-07-04	दरारें।
			दरभंगा-सकरी	2/11-15, 4/4-8	12-07-04	18-07-04	दरारें।
			दरभंगा-सकरी	4/8-11	12-07-04	21-07-04	दरारें।
			दरभंगा-सकरी	4/11-14, 4/15-5/4, 5/8-11, 5/13-15	12-07-04	24-07-04	दरारें।
6.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	खगड़ियां-मानसी (मी.ला.)	121/14, 122/5-6	19-07-04	20-07-04	बाढ़ के कारण गिट्टी बह गई।
7.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	मानसी-सहरसा (मी.ला.)	2/17-3/1, 4/3-7 बीआर. नं. 52, 4/15, 5/9-14, 16/10-11, 17/8-9	11-07-04	15-09-04 (अनुमानित)	पहुंच मार्गों का टूटना और दरारं पड़ना।
8.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर (ब.ला.)	61/14-15, 62/1-5, 63/14-15, 64/5-6, 66/3-4	16-07-04	24-07-04	बाढ़ के कारण गिट्टी बह गई।
9.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	मजफ्फरपुर-सुगौली (ब.ला.)	164/7-8	09-07-04	10-07-04	तटबंध का टूटना।
10.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	सहरसा-बनमखी (मी.ला.:	33/0-32/13, 64/3-4	11-07-04	14-07-04	बाढ़ के पानी का पुल के गर्डरों तक पहुंचना।
11.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	सहरसा-फारबिसगंज (मी.ला.)	89/5-6, 150/11-16	09-07-04	15-07-04	तटबंध का टूटना।

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	समस्तीपुर-दरभंगा (ब.ला.)	8/2-3, 8/6-7	12-07-04	18-07-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	8/7-9	12-07-04	26-07-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	9/6-8, 9/9-10	12-07-04	06-08-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	11/10-11	12-07-04	03-08-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	11/13-14, 12/2-3, 12/8-9	12-07-04	25-07-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	14/0-2, 16/4-5	12-07-04	26-07-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	15/2-4, 15/11-12, 15/13-14	12-07-04	22-07-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	15/15-16/1	12-07-04	31-07-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	16/1-4	12-07-04	06-08-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	21/3-4, 21/5-6, 21/15-22/1, 25/7-8	12-07-04	31-07-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	25/9-26/1	12-07-04	12-08-04	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
			समस्तीपुर-दरभंगा	27/1-2, 27/5-6, 28/5-7, 21/0-3	12-07-04	30-08-04 (अनुमानित)	ऊपर तक पानी बहने के कारण दरारें पड़ना।
13.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	समस्तीपुर-मानसी (मी.ला.)	44/4-5, 44/0-3, 43/12-13, 41/1-4, 40/10-12	12-07-04	21-07-04	दरारें।
	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	समस्तीपुर-मानसी	43/0-2, 42/8-10, 42/4-5, 42/1-3	12-07-04	20-07-04	दरारें।
	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	समस्तीपुर-मानसी	27/5-6, 14/6 (बीआर. 7, 21/9-10 (बीआर. 9, 23/8-9)	12-07-04	20-08-04 (अनुमानित)	दरारें।

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	पूर्व मध्य रेलवे	बिहार	रक्सौल-सीतामढ़ी (मी.ला.)	126/10-11	09-07-04	06-08-04	दरारें, पुल संख्या 88 प्रभावित हुआ।
			रक्सौल-सीतामढ़ी	137/2-3, 137/9-10, 139/11-140/0	11-07-04	10-08-04	दरारें, पुल संख्या 4ए, 5 और 7 प्रभावित हुए।
15.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	असम	गुवाहाटी-लमडिंग (ब.ला.)	135-137, 104/9-105/4, 29/3-4, 79/2-80/5, 81/3-7, 88/2-90/0, 87/3-7, 83/6-7	18-07-04	02-08-04	बाढ़ के पानी के कारण गिट्टी बह गई।
16.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	असम	कटिहार-जोगबनी (मी.ला.)	96/6-12	10-07-04	15-07-04	पटरियों का बाढ़ के पानी में डूब जाना।
17.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	असम	लमडिंग-बदरपुर (मी.ला.)	84/1-4, 146/0-1 147/6-7, 161/1-6 160/3-7, 160/1-2, 147/0-1, 147/3-5, 151/0-1, 150/2-3, 149/1-9, 153/3-4, 157/0-6, 157/9-158/0, 150/8-9, 152/7-9, 107/9-108/0	15-04-04	30-04-04	रेलपथ के ऊपर पानी भर गया। विभिन्न स्थलों पर दरारें पड़ गई।
18.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	असम	लमडिंग-बदरपुर	110/6-8, 152/4-5	12-05-04	13-06-04	भूस्खलन के कारण रेलपथ पर 35000 घन मी. मिट्टी गिर गई।
19.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	असम	लमडिंग-बदरपुर	2/5-14/0-1, 149/5-6, 145/6-8, 130/1-4, 29/3-4, 30/2-3, 35/0-36/0, 43/6-7, 103/0-139/0 135/9-136/0, 28/0-1 और 28/4-5, 61/8-9, 58/2-3, 81/7-82/2, 83/2-5, 85/7-8, 1/0-7/1, 7/0-12/13	27-06-04	16-08-04	भूस्खलन और गिट्टी बहना। रेलपथ धंस गया, पानी ऊपर तक भर गया।
20.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	असम	रंगिया-मुरकोंगसलेक (मी.ला.)	358/9-10	14-05-04	28-05-04	पुल सं. 348 पर 10 मीटर और 11 मीटर तक पहुंच मार्गों के तटबंध का बहना।
21.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	असम	रंगिया-मुरकोंगसलेक	356/9-10, 8/9-11/10, 43/10-11, 389/4-5 और 445/12-1 4, 130/8-9	17-06-04	05-08-04	पानी ऊपर तक भर गया, दरारें पड़ गई, किनारें टूट गए।

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	असम	रंगिया-रंगापाड़ा (मी.ला.)	8/13-8/0-1	23-06-04	24-06-04	पुथीमारी नदी के किनारे के बंध में दरारें पड़ने के कारण पानी का स्तर बढ़ गया।
23.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	असम	सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग (छो.ला.)	36/11-12	17-07-04	29-07-04	स्तम्भ दीवार टूट गई और धंस गई।
24.	पश्चिम रेलवे	गुजरात	अंकलेश्वर-राजपीपला (छो.ला.)	308/28-310/8, 315/20-22, 321-322	05-08-04	आज की तिथि तक	भारी वर्षा के कारण किनारों का टूटना
25.	पश्चिम रेलवे	गुजरात	भरूच-जम्बूसर-कवि खंड (छो.ला.)	-	04-08-04	14-08-04	भारी वर्षा के कारण यातायात स्थगित रहा।
26.	पश्चिम रेलवे	गुजरात	बिल्लीमोरा-वाघई (छो.ला.)	62/2	03-08-04	05-08-04	ऊपर तक पानी भर गया।
27.	पश्चिम रेलवे	गुजरात	कोसाम्बा-उमरपाड़ा खंड (छो.ला.)	-	03-08-04	आज की तिथि तक	भारी वर्षा के कारण यातायात स्थगित रहा।
28.	पश्चिम रेलवे	गुजरात	साबरमती-भटोडा (मी.ला.)	27/8-9	31-07-04	02-08-04	भारी वर्षा के कारण पुल सं. 22 क्षतिग्रस्त।
29.	पश्चिम रेलवे	गुजरात एवं महाराष्ट्र	विरार-सूरत (ब.ला.)	168/14-24, 168/13-15	03-08-04	15-08-04	पुल सं. 275 पर ऊपर तक पानी भर गया।
30.	पश्चिम रेलवे	गुजरात	गोधरा-रतलाम	510/16-28, 513-514, 519/4-6, 495/0-3, 505/20-506/6	13-08-04	15-08-04	रेलपथ का पानी में डूब जाना 15.8.04 को अप लाइन पुनर्स्थापित की गई। डाउन लाइन का कार्य प्रगति पर है।
31.	उत्तर रेलवे	हरियाणा	अंबाला-कालका (ब.ला.)	206/14-15, 207/1-2, 207/15-16, 210/0-3, 218/1-2, 236/7-12, 237/1-3, 239/11-12, 251/1-2	03-08-04	09-08-04	एक पुल इतना अधिक क्षतिग्रस्त हो गया कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। उसका पुनर्निर्माण करना होगा। अस्थायी बहाली के लिए सर्विस गर्डरों का उपयोग किया गया। लगभग 400 मीटर कुल लंबाई प्रभावित हुई। पांच स्थलों पर किनारे टूट गए। 190 मी. लंबे भाग में गिट्टी में बह गई।
32.	उत्तर रेलवे	हरियाणा	अंबाला-राजपुरा (ब.ला.)	275/15-17, 275/9-13, 275/1-7, 274/25-27, 271/5-7	03-08-04	13-08-04	अंबाला और शंभू स्टेशन के बीच 4.4 किमी. के भाग में स्थलों पर किनारे पर दरारें पड़ गईं।
33.	पूर्व रेलवे	बिहार	भागलपुर-मंदारहिल खंड		21-06-04	01-07-04	

रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ

***347. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानून अड़चन के कारण रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर नए एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ आबंटित नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर पर्याप्त बूथों के अभाव में यात्रियों को असुविधा हो रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने और अधिक बूथ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार राजधानी गाड़ियों में पहले ही उपलब्ध कराई जा रही एसटीडी सुविधा की तर्ज पर अन्य गाड़ियों में भी एसटीडी बूथ उपलब्ध कराने का विचार कर रही है;

(च) क्या राजधानी एक्सप्रेस के एसटीडी बूथ से की जाने वाली काल की दर बहुत अधिक है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यात्रियों को बेहतर दूर-संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सब्स्क्राइबर ट्रंक डायलिंग (एसटीडी)/इंटरनेशनल सब्स्क्राइबर डायलिंग (आईएसडी)/पब्लिक काल आफिस (पीसीओ) बूथों के आबंटन की नीति को युक्तिसंगत बनाया गया है और क्षेत्रीय रेलों को अधिकाधिक स्टेशनों पर उत्तरोत्तर अतिरिक्त बूथों की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिक निर्देश दे दिए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रारंभ में उपलब्ध कराई गई टेलीफोन सुविधा इन्मारसैट टेलीफोन पर आधारित थी। यह सुविधा मैसर्स विदेश संचार निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले उपस्कर के जरिए उपलब्ध कराई गई थी। इस सेवा के लिए टेलीफोन प्रभार का निर्धारण मैसर्स विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था जोकि अपेक्षाकृत अधिक था, क्योंकि यह सेवा इन्मारसैट सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।

देश में सार्वजनिक सेल्यूलर फोन सेवाओं के प्रसार से राजधानी गाड़ियों में उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट फोन के उपयोग में काफी कमी आ गई थी इसलिए इन सेवाओं को अब समाप्त कर दिया गया है।

अल्पसंख्यकों को अधिकार देना

***348. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव विकास प्रतिवेदन 2004 में देश में अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अल्पसंख्यकों को अधिकार देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) मानव विकास रिपोर्ट, 2004 में देश में अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।

(ग) अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा और आर्थिक विकास के संवर्धन की प्रतिबद्धता के मद्देनजर, निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं:

1. विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग।
2. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान स्कूलों, होस्टलों और प्रयोगशालाओं के निर्माण आदि के लिए अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में वित्तपोषण करता है। यह अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है।
3. अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में घोषित अल्पसंख्यकों के वर्ग भी मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से हास्टल सुविधाएं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी लाभ उठाते हैं।

4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय एरिया इंटेंसिव स्कीम और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य शैक्षिक अवसंरचना का विकास करना और मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना है।

5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति और उर्दू पढ़ाने के लिए मानदेय प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता स्कीम भी क्रियान्वित करता है।

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित कर रही है।

7. अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में घोषित अल्पसंख्यकों के वर्ग भी मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से हास्टल सुविधाएं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी लाभ उठाते हैं।

8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए तथा तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए क्रियान्वित की जा रही सभी विकास स्कीमों के फायदे अल्पसंख्यक भी लेते हैं।

दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय

***349. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन (डी.डी.) की वर्तमान राजस्व स्थिति क्या है;

(ख) क्या दूरदर्शन (डी.डी.) की प्रचालन लागत बढ़ रही है और राजस्व घट रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दूरदर्शन (डी.डी.) को आर्थिक संकट से उबारने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन के सकल वाणिज्यिक राजस्व की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	दूरदर्शन
2001-02	615.20
2002-03	553.81
2003-04	530.23

(ख) सेवा कर, आयकर, बिक्रीकर, चुंगी एवं अन्य करों के भुगतान, वेतन के साथ महंगाई भत्ते के विलय से तथा विद्युत आपूर्ति के कारण व्यय में वृद्धि, डी डी न्यूज चैनल पर अतिरिक्त वृद्धि, एथेंस ओलम्पिक के लिए अधिकार शुल्क के भुगतान आदि जैसे विभिन्न कारणों से दूरदर्शन की परिचालन लागत में वृद्धि हो रही है। यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-04 में दूरदर्शन का राजस्व कम था। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति देखने को मिली है। वित्त-वर्ष 2004-05 (अप्रैल से जुलाई) के पहले चार माह के दौरान राजस्व 129.55 करोड़ रुपये है जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान अर्जित 64.82 करोड़ रुपये से अधिक है।

(ग) सरकार ने विभिन्न करों के भुगतान के संबंध में छूट देने के मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया है। प्रसार भारती को हाल ही में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक(1)(ख) के साथ पठित धारा-12 क के अंतर्गत एक पुण्यार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस पंजीकरण के साथ ही पुण्यार्थ प्रयोजना के लिए प्रसार भारती की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 के अनुसार छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि करने के लिए दूरदर्शन द्वारा उठाये गये कदम निम्नानुसार हैं:

(1) कार्यक्रमों के विपणन में सुधार लाने के उद्देश्य से मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और बंगलौर में विपणन प्रभागों को परिचालित किया गया है।

(2) फिल्मों और फिल्म आधारित कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की वाणिज्यिक क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

(3) विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनसे व्यवसाय प्राप्त करने के लिए विकास संचार प्रभाग की स्थापना की गई है।

(4) इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि विभिन्न चैनलों के स्लाट खाली न रहने पाएं।

(5) समय से बिलों को तैयार करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली में दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा की बिलिंग प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(6) दूरदर्शन के कार्यक्रमों और इसकी ब्रांड छवि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के साथ समाचार पत्र-प्रचार के लिए विनिमय व्यवस्था की गई है।

काली सूची में शामिल कंपनियां

***350. श्री शिवाजी अधलराव पाटील:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग 60 कंपनियों को प्रसार भारती ने काली सूची में डाल दिया था वे नाम बदल कर पुनः प्रसार भारती के साथ काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक प्रसार भारती द्वारा काली सूची में डाली गई कंपनियों के नाम क्या हैं और इन कंपनियों में प्रत्येक के विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सौंपे गए कार्य को पूरा न करने, वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के लिए 34 कंपनियों को काली सूची में डाल दिया गया है जिनमें से 28 कार्यक्रम निर्माण गृह और 5 उपस्कर आपूर्तिकर्ता तथा 1 निर्माण फर्म है। काली सूची में डाली गई कंपनियों के नाम, काली सूची में डाले जाने के कारणों सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रसार भारती ने आगे सूचित किया है कि इन सभी कंपनियों के नाम सभी दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों को इस निदेश के साथ परिचालित कर दिए गए हैं कि इन कंपनियों से व्यवसाय के किसी प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी कोई भी कंपनी परिवर्तित नाम से गुप्त रूप में व्यवसाय के लिए न आने पाए।

विवरण

क्र.सं.	निर्माता/कंपनी का नाम	आरोपों की प्रकृति
1	2	3
1.	सुश्री इंदिरा सहगल, नई दिल्ली	कमीशनिंग स्कीम के अंतर्गत निर्माता ने अग्रिम भुगतान प्राप्त किया। तथापि, वह कार्यक्रम निर्माण को पूरा करने में असमर्थ रहा और उसने पैसा वापस नहीं लौटाया।
2.	श्री उमाशंकर, नई दिल्ली	–वही–
3.	श्री लेख टंडन, मुम्बई	–वही–
4.	मै.जे.के. वीजन, (सुश्री ज्योत्सना सिंह), नई दिल्ली	–वही–
5.	मै. जेविका चित्रा, नई दिल्ली	–वही–
6.	मै. हरबन्स फिल्म्स (डा. रानी बलबीर कौर) चण्डीगढ़	–वही–
7.	मै. लाइव वीडियो टेक (श्री सुरेश जिन्दल) नई दिल्ली	–वही–
8.	मै. ओरियम मल्टीचैनल प्रा.लि. (श्री मनमोहन सिंह) नई दिल्ली	–वही–
9.	श्री सुजातुल्ला खां, नई दिल्ली	–वही–

1	2	3
10.	मै. मेडियार्ट फिल्म प्रा.लि. नई दिल्ली	कमीशनिंग स्कीम के अंतर्गत निर्माता ने अग्रिम भुगतान प्राप्त किया। तथापि, वह कार्यक्रम निर्माण को पूरा करने में असमर्थ रहा और उसने पैसा वापस नहीं लौटाया।
11.	मै. श्री अरविन्दों समिति	–वही–
12.	श्री सुहासिस चट्टोपाध्याय, कोलकाता	–वही–
13.	श्री डी.एस. नटराजन, हैदराबाद	–वही–
14.	मै. कमेंटेटर्स एण्ड कण्ट्रीब्यूटर्स इंडिया, लखनऊ	–वही–
15.	सुश्री रीना मुंजाल, लखनऊ	–वही–
16.	मैं श्री प्रवीन आर्ट क्रिएसन्स, हैदराबाद	–वही–
17.	मै. ज्वालामुवीज, भुवनेश्वर	–वही–
18.	मै. आत्मा (श्री मुकुल राय चौधरी), कोलकाता	–वही–
19.	श्री बी पी तन्ना, अहमदाबाद	–वही–
20.	श्री संजय राय, नई दिल्ली	–वही–
21.	श्री पिंकी चौधरी, कोलकाता	कमीशनिंग स्कीम के अंतर्गत निर्माता ने अग्रिम भुगतान प्राप्त किया था। परन्तु वह कार्यक्रम का निर्माण करने में असफल रहा। अग्रिम की मूलराशि की वसूली कर ली गई थी परन्तु वह इस पर देय ब्याज अदा करने में असफल रहा।
22.	मै. ज्योति सिने आर्टस (श्री चन्द्र कुमार सेकिया), गुवाहाटी	जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।
23.	मै. रंग (श्री पराग शर्मा), गुवाहाटी	जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।
24.	मै. मेघ एड विजन, जयपुर	जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।
25.	मै. ग्रुप सेवन प्रोडक्शन, नई दिल्ली	कार्यक्रम के आबंटन के लिए कर्मचारियों के साथ मिलीभगत होने के आधार पर सी बी आई की सिफारिश पर काली सूची में डाला गया।
26.	मै. पीर पंचल, फिल्म्स (जी.आर. खान), श्री नगर	जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।
27.	मै ट्रुम प्रोडक्शंस (सुश्री तबस्सुम फातिमा) नई दिल्ली	जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।
28.	मै सूद टेलीफिल्म्स (श्री सुनील सूद) दिल्ली	जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।
29.	मै. महेश्वरी इलेक्ट्रानिक्स एंड इलेक्टिकल्स, बीकानेर	सीबीआई की सलाह पर
30.	मै. एस बी इलेक्ट्रिक कंपनी, बीकानेर	सीबीआई की सलाह पर
31.	मै. निजामुद्दीन काण्ट्रेक्टर, बीकानेर	सीबीआई की सलाह पर
32.	मै. जयमाता इलेक्ट्रोविजन, बीकानेर	सीबीआई की सलाह पर
33.	मै. सी जी इण्टरप्राइजिज, दिल्ली	सीबीआई की सलाह पर
34.	मै. दीप ज्योति इलेक्ट्रोनिक्स, दिल्ली	सीबीआई की सलाह पर (मामला न्यायाधीन है)

ग्रामीण स्कूल सफाई कार्यक्रम

***351. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण स्कूल सफाई कार्यक्रम-सी.आर.एस.पी., पूर्ण सफाई अभियान के अंतर्गत स्वीकृति शौचालयों का निर्माण कार्य पीछे चल रहा है और अभी तक बहुत कम शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) स्वीकृति किए गए शौचालयों का अभी तक निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा नियत समय सीमा के भीतर इनका निर्माण पूरा कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) जी, नहीं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) परियोजनाओं के अंतर्गत देश के 398 जिलों में अभी तक 3.23 करोड़ पारिवारिक शौचालय, 3.53 लाख स्कूल शौचालय ब्लाक और 25,236 सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं को 4-5 वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाना है। अभी तक 86.92 लाख पारिवारिक शौचालय, 1.04 लाख स्कूल शौचालय और 3,576 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए हैं। राज्य-वार स्वीकृत और बनाए गए शौचालयों की संख्या संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) के लिए निधियों का राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। अब तक, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राज्यों को 770.63 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

स्वीकृत शौचालयों के निर्माण का काम पूरा करने के लिए टी.एस.सी. कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रेरित करने हेतु भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। ऐसी पंचायती राज संस्थाएं जिसने पूर्ण स्वच्छता कवरेज हासिल कर लिया है, को प्रोत्साहित करने के लिए 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' शुरू किया गया है। कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्कूल शौचालयों के निर्माण हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए दो तकनीकी नोट तैयार किए गए हैं और परियोजना जिलों को परिचालित कर दिए गए हैं।

विवरण I

टी.एस.सी. परियोजना, जिन्हें 4-5 वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाना है, के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित शौचालयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत शौचालय			निर्मित शौचालय		
		निजी पारिवारिक शौचालय	स्कूल शौचालय	सामुदायिक शौचालय	निजी पारिवारिक शौचालय	निर्मित स्कूल शौचालय	निर्मित सामुदायिक शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3462766	26218	0	2345559	31460	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	63735	533	0	5404	323	0
3.	असम	379376	2801	0	14805	90	0
4.	बिहार	2324994	14224	5862	34234	380	198
5.	छत्तीसगढ़	2432998	16045	47	1149	1222	15

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	दादर एवं नगर हवेली	2480	0	12	0	0	0
7.	गोवा	15000	283	150	0	0	0
8.	गुजरात	183898	5948	0	2316	1961	0
9.	हरियाणा	549060	5043	551	82809	1279	65
10.	हिमाचल प्रदेश	38360	1758	86	107	267	36
11.	जम्मू-कश्मीर	587833	7297	578	1491	127	25
12.	झारखण्ड	757064	5413	2913	9425	809	58
13.	कर्नाटक	187000	4384	70	42664	1015	19
14.	केरल	900028	3792	1040	239909	963	403
15.	मध्य प्रदेश	3311313	56583	801	174979	9114	87
16.	महाराष्ट्र	2513829	41193	2688	234833	8136	784
17.	मणिपुर	63578	606	56	0	0	0
18.	मेघालय	86669	1574	100	0	0	0
19.	मिजोरम	9221	389	50	0	0	0
20.	नागालैंड	67522	568	1176	26574	284	65
21.	उड़ीसा	2370426	16972	942	381183	7034	61
22.	पांडिचेरी	18000	26	0	900	26	1
23.	पंजाब	337843	11845	259	24525	398	57
24.	राजस्थान	613478	25089	325	60079	5428	10
25.	सिक्किम	15715	891	165	4135	728	120
26.	तमिलनाडु	2120136	26504	1682	1183709	12689	448
27.	त्रिपुरा	332629	2529	0	311474	1096	13
28.	उत्तर प्रदेश	4195887	35198	1187	704484	6036	567
29.	उत्तरांचल	324030	8750	80	12498	5	2
30.	पश्चिम बंगाल	4073756	30585	4416	2793323	13412	532
	कुल योग	32340624	353041	25236	8692568	104282	3576

विवरण II

टी.एस.सी. के तहत विगत तीन वर्षों में और आज तक निधियों की राज्यवार रिलीज

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	आरंभ से लेकर कुल रिलीज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1895.70	1600.87	4660.35	10371.43
2.	अरूणाचल प्रदेश	52.80	0.00	0.00	152.26
3.	असम	464.65	0.00	199.31	832.91
4.	बिहार	1663.56	1548.70	0.00	4456.09
5.	छत्तीसगढ़	229.33	175.64	0.00	1485.14
6.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	3.15	0.00	3.15
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	94.65	0.00	643.75
9.	हरियाणा	62.06	402.90	62.06	1490.05
10.	हिमाचल प्रदेश	36.28	79.29	0.00	132.82
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	76.48	1163.26
12.	झारखण्ड	632.71	223.87	284.61	1704.93
13.	कर्नाटक	62.19	0.00	0.00	978.04
14.	केरल	875.02	439.27	864.13	2855.47
15.	मध्य प्रदेश	219.17	644.93	4425.96	7972.12
16.	महाराष्ट्र	108.55	591.37	725.05	6581.24
17.	मणिपुर	0.00	0.00	103.56	151.64
18.	मेघालय	0.00	0.00	221.37	221.37
19.	मिजोरम	2.03	0.00	11.51	11.51
20.	नागालैंड	0.00	13.79	0.00	132.12
21.	उड़ीसा	567.83	1113.85	284.16	3269.96
22.	पांडिचेरी	47.42	0.00	0.00	94.84

1	2	3	4	5	6
23.	पंजाब	142.17	52.67	0.0	1212.33
24.	राजस्थान	0.00	265.62	119.12	2299.75
25.	सिक्किम	126.43	17.98	38.37	272.82
26.	तमिलनाडु	1758.98	2192.49	2770.53	8746.57
27.	त्रिपुरा	364.63	249.56	819.21	1940.72
28.	उत्तर प्रदेश	2475.03	2137.30	3120.44	11096.38
29.	उत्तरांचल	34.62	151.16	13.40	702.41
30.	पश्चिम बंगाल	1170.99	2011.21	1181.10	6087.89
31.	सहायक सेवाएं	13.86	100.00	519.28	670.14
	कुल योग	13006.01	14110.27	20500.00	77740.11

पंचायतों के नियंत्रण से संबंधित विश्व बैंक की रिपोर्ट

***352. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि पंचायतों को काम लो और निकाल दो (हायर एंड फायर) की नीति अपनाने का सुझाव दिया है ताकि स्थानीय प्रशासन उनके बजट पर बेहतर नियंत्रण करके संसाधनों की कमी से निपट सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारों के बिना ग्राम पंचायतें अपने बजट का नियंत्रण नहीं कर सकतीं और संसाधन की कमी से नहीं निपट सकतीं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में दिए गए सुझावों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने राज्यों से नीति में किस सीमा तक संशोधन करने के लिए कहा है ताकि ग्राम पंचायतें लोगों के कल्याण के लिए इन योजनाओं को नियंत्रित कर सकें और इन्हें कार्यान्वित कर सकें?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) विश्व बैंक की रिपोर्ट में स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं जिसमें बजटीय स्वायत्तता के लिए की गई सिफारिश भी शामिल है। यह सुझाव दिया गया है कि स्थानीय शासन के पास अपने कर्मचारियों की सेवा लेने, उन्हें छोड़ने और उनके लिए क्षतिपूर्ति स्तर पर निर्धारित करने की शक्तियां होनी चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, बिना इसके स्थानीय शासनों के लिए अपने बजटों को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा और यह बजट के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। विश्व बैंक के अनुसार, ये शक्तियां उस दोहरी जिम्मेदारी को समाप्त कर देंगी, जो स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के बीच उस सरकारी इकाई, जिसके लिए वे काम करते हैं, के प्रति जवाबदेही तथा सरकार के स्तर, जो कार्य स्थल पर उनकी दक्षता निर्धारित करती है कि बीच द्वंद्व उत्पन्न करती है। ग्रामीण स्थानीय सरकारों द्वारा सेवा सुपुर्दगी के कारगर कार्यान्वयन में उनके अधिकारियों की जवाबदेही की जरूरत होगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी सिफारिश इसलिए की गई है कि ग्राम पंचायतें लोगों से सबसे अधिक नजदीक रहती हैं और ये लोगों की प्राथमिकताओं एवं जरूरतों का बेहतर ढंग से पता लगा सकती हैं और उनका निवारण कर सकती हैं। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता और संसाधनों के साथ लंबी अवधि के लक्ष्य दिये जाने चाहिए। ग्राम पंचायतों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जन-संसाधनों का इस्तेमाल करने, अपने स्वयं को स्टाफों की भर्ती करने तथा उन्हें छोड़ने, और निजी, गैर-सरकारी संगठन या सार्वजनिक

क्षेत्र जिन्हें भी वे उपयुक्त पाते हैं, से तकनीकी सहायता, ठेकेदार या अन्य सेवाएं लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। योजना, बजट, निधि और परिसंपत्तियां उनके लिए मानी जानी चाहिए और उच्च स्तरीय पंचायतों को उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।

सरकार विश्व बैंक की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के बारे में अच्छी तरह जानती है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पंचायतों को सशक्त बनाने और उन्हें स्व-शासन की संस्था बनाने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण समृद्धि विषय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में संविधान के भाग-IX का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त कार्य-योजना तैयार करने हेतु सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। गोलमेज बैठकों की समय-सारणी निम्नानुसार है:

पंचायती राज के अलग-अलग पहलुओं पर आयोजित होने वाले सात गोल मेज सम्मेलनों की समय सारणी

गोल मेज सम्मेलन-I

शनिवार-रविवार, 24-25 जुलाई: कोलकाता: "पंचायती राज: प्रभावी अंतरण", कार्य, कर्मी और निधियों के साथ-साथ सभाओं का सशक्तिकरण।

गोल मेज सम्मेलन-II

शनिवार-रविवार, 28-29 अगस्त: बंगलौर: "पंचायती राज: योजना और कार्यान्वयन तथा ग्रामीण व्यापार केन्द्र", समानान्तर निकायों के विषय सहित।

गोल मेज सम्मेलन-III

बुधवार-गुरूवार, 22-23 सितम्बर: रायपुर "पंचायती राज में आरक्षण", जिसमें अनुसूचित जनजाति (पेसा के कार्यान्वयन सहित), अनुसूचित जाति और महिलाएं शामिल हैं।

गोल मेज सम्मेलन-IV

शनिवार-रविवार, 2-3 अक्तूबर: चण्डीगढ़-"संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज और पंचायती राज न्याय प्रक्रिया"

गोल मेज सम्मेलन-V

बुधवार-गुरूवार, 27-28 अक्तूबर: उत्तरांचल (स्थान निर्धारित किया जाना है)-"पंचायतों की स्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट" (अंतरण अनुसूची की तैयारी सहित)

गोल मेज सम्मेलन-VI

शनिवार-रविवार, 27-28 नवम्बर: गुवाहाटी-"पंचायती राज चुनाव और लेखा परीक्षा"

गोल मेज सम्मेलन-VII

शनिवार-रविवार, 11-12 दिसम्बर: पुणे-"पंचायती राज संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण"

पंचायती राज: निधियों, कर्मियों तथा कार्यों की प्रभावी सुपुर्दगी और ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाने के संबंध में कोलकाता में 24-25 जुलाई, 2004 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पंचायती राज के प्रभावी मंत्री और उनके प्रतिनिधि चालू वित्त वर्ष में होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में आगे की कार्रवाई के लिए विचाराधीन विषयों के संबंध में संबंधित सरकारों को बैठक के दौरान निकले निष्कर्षों की सिफारिश करने पर सहमत थे।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाएं

***353. श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को सफाई सुविधाएं प्रदान की गयी हैं;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उठाये गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों को इस क्षेत्र में सहायता के लिए किस सीमा तक लगाया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक इन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार देश में स्वच्छता सुविधाओं से युक्त ग्रामीण आबादी का राज्य-वार प्रतिशत विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) शुरू किया है जो देश के 398 जिलों में कार्यान्वयन के अधीन है। इसके अतिरिक्त, टी एस सी के लिए आधारभूत सर्वेक्षण कराने और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए 130 जिलों को प्रति जिला-10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। भारत सरकार ने उन पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिए 'निर्मल ग्राम पुरस्कार नाम की एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की है, जो पूर्ण स्वच्छता कवरेज प्राप्त करते हैं।

(ग) और (घ) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) के दिशा-निर्देशों में सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान शुरू करने, क्षमता विकास क्रियाकलापों, उत्पादन केन्द्रों/ग्रामीण स्वच्छता बाजारों की स्थापना और सामाजिक जागरण के लिए जिला स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की अनुमति है। गैर-सरकारी संगठनों को केवल जिला कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ही शामिल किया जा सकता है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर अमल करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसी भी गैर-सरकारी संगठन को प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

विवरण

शौचालय सुविधा से युक्त ग्रामीण परिवारों के संबंध में राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	शौचालय सुविधा से युक्त ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	41.80
2.	हिमाचल प्रदेश	27.72
3.	पंजाब	40.91
4.	चंडीगढ़	68.53
5.	उत्तरांचल	31.60
6.	हरियाणा	28.66
7.	दिल्ली	62.89
8.	राजस्थान	14.61
9.	उत्तर प्रदेश	19.23
10.	बिहार	13.91
11.	सिक्किम	59.35
12.	अरुणाचल प्रदेश	47.34
13.	नागालैंड	64.64
14.	मणिपुर	77.50
15.	मिजोरम	79.74
16.	त्रिपुरा	77.93
17.	मेघालय	40.10
18.	असम	59.57
19.	पश्चिम बंगाल	26.93
20.	झारखंड	6.57
21.	उड़ीसा	7.71
22.	छत्तीसगढ़	5.18
23.	मध्य प्रदेश	8.94
24.	गुजरात	21.65
25.	दमन और दीव	32.02
26.	दादर और नगर हवेली	17.32
27.	महाराष्ट्र	18.21
28.	आंध्र प्रदेश	18.15
29.	कर्नाटक	17.40
30.	गोवा	48.21
31.	लक्षद्वीप	93.14
32.	केरल	81.33
33.	तमिलनाडु	14.36
34.	पांडिचेरी	21.42
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	42.33
	कुल भारत	21.92

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कल्याण योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा

***354. श्री एन.एन. कृष्णदासः**
श्री वरकला राधाकृष्णनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन हेतु क्या परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सकार को गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में अनुसचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु अनेक योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित निधियों के उपयोग में राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा की गई किसी गड़बड़ी का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग पर निगरानी रखने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित विभिन्न स्कीमों की समीक्षा राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों आदि के परामर्श से नियमित रूप से की जाती है। स्कीमों की समीक्षा के आधार पर, जहां कहीं आवश्यक होता है, स्कीम में संशोधन सहित आवश्यक उपचारी उपाय किए जाते हैं। विभिन्न स्कीमों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तिः

(क) अनुरक्षण भत्ते और अन्य भत्तों को बढ़ाया गया है।

(ख) स्कीम के व्याप्ति क्षेत्र को व्यापक बनाने हेतु आय की अधिकतम सीमा भी बढ़ायी गई है।

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तिः

(ग) छात्रवृत्ति की दरों को बढ़ाया गया है।

(घ) स्कीम के अंतर्गत ग्राह्य वार्षिक तदर्थ अनुदान की राशि बढ़ायी गई है।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीमः

(ङ) अनुरक्षण भत्ते और अन्य भत्तों को बढ़ाया गया है।

(च) इसके व्याप्ति क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए आय की अधिकतम सीमा भी बढ़ायी गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा निधियों के उपयोग के व्यपगत का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं। केन्द्रीय सहायता, सामान्यतया, पूर्व अनुदानों के उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही निर्मुक्त की जाती है। मंत्रालय के अधिकारी इन स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

रेलवे में जनशक्ति

***355. श्री के.एस. रावः**
श्री कैलाश मेघवालः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेल नेटवर्क के बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण के बावजूद भी रेलवे जनशक्ति कम करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी अपनी 2002-2003 की रिपोर्ट में जनशक्ति के सुव्यवस्थित उपयोग के मद्देनजर आधुनिकीकरण की आवश्यकता का उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रेलवे में फालतू जनशक्ति की गणना कर ली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का रेलवे कर्मचारियों के लिए कोई आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) लाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) यातायात के बदलते हुए पैटर्न और प्रणाली में विकसित प्रौद्योगिकी के समाहन की वजह से, कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो जाती है। अतः इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी अस्थायी अवधि तक के लिए फालतू हो जाते हैं जब तक कि उन्हें पुनः प्रशिक्षित करके पुनः तैनात नहीं किया जाता। यद्यपि उपर्युक्त कार्रवाई से कुछ गतिविधियों में कर्मचारियों में कमी आती है, किन्तु नए क्षेत्रों में संबंधित कर्मचारियों की भी आवश्यकता बढ़ जाती है। 30.6.2004 तक लगभग 3332 कर्मचारी फालतू हैं। चूंकि कर्मचारियों का फालतू हो जाना और उनकी पुनः तैनाती करना एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः माह-दर-माह इन आंकड़ों में परिवर्तन होता रहता है।

(छ) जी हां।

(ज) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की मौजूदा योजना की तर्ज पर स्थायी वर्ग 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों, जिन्हें फालतू घोषित कर दिया गया है, के लिए एक विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का विकल्प देने वाला कर्मचारी प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 35 दिनों के हिसाब से और सेवा के बाकी प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों के हिसाब से महंगाई भत्ता तथा मूल वेतन के बराबर अनुग्रह राशि पाने का हकदार होगा। ऐसी अनुग्रह राशि का भुगतान सामान्य सेवानिवृत्ति संबंधी प्राप्तियों के अलावा होगा।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

***356. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास हेतु क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले भूतपूर्व सैनिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) इन योजनाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(ङ) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल रही है; और

(ज) यदि हां, तो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ज) पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार कुल 18,52,680 भूतपूर्व सैनिकों के पंजीकृत और जीवित होने की रिपोर्ट है। भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

2. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रयोजन के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। इनमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सेवानिवृत्ति या सेवामुक्त होने के बाद उनका बेहतर नियोजन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने, भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों, भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन, कंपनियों आदि के माध्यम से रोजगार के अवसरों की योजनाएं है। राज्य सरकारों ने भी उनके पुनर्वास के लिए योजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों को निजी क्षेत्र में पुनः रोजगार दिया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वासित भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में राज्यवार आंकड़ों की मानीटरी नहीं की जाती है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना हेतु निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है:

I. पुनर्स्थापना और पुनर्वास योजनाएं

(क) पुनः रोजगार

(1) *नौकरियों में आरक्षण:* केन्द्रीय और राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय/राज्य सरकार के पदों में उनके पुनर्नियोजन के लिए अनेक रियायतें उपलब्ध करा रही हैं। इनमें पदों का आरक्षण/आयु और शैक्षिक अर्हताओं में छूट, आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से छूट, निशक्त भूतपूर्व सैनिकों का प्राथमिकता के आधार पर नियोजन शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ग' पदों की रिक्तयों में 10% और समूह 'घ' पदों में 20% आरक्षण प्रदान किया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक अपने पदों में समूह 'ग' पदों में 14.5% और समूह 'घ' पदों में 24.5% आरक्षण उपलब्ध कराते हैं। केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के 10% पद भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित हैं। रक्षा सुरक्षा कोर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए शतप्रतिशत पद आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारें अपनी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण उपलब्ध करा रही हैं।

वर्ष 2003 के दौरान 11659 भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

(2) *सुरक्षा एजेंसियां:* पुनर्वास महानिदेशालय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उद्योगों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को पंजीकृत/प्रायोजित करता है। इस योजना से भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसरों की पेशकश करने के अलावा सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों को स्वरोजगार भी उपलब्ध होता है। वर्ष 2003 के दौरान इस योजना के तहत 9543 भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार दिया गया था।

(ख) स्वरोजगार

(1) *ऋण सहायता योजनाएं:* सरकार ने लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग लगाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और ऋण देकर आर्थिक सहायता देने की अनेक योजनाएं बनाई हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार-II (सेमफेक्स-II), राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना और सेमफेक्स-III महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजनाएं हैं। ऋण मंजूरी के आवेदन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा राज्यों में संबंधित जिला सैनिक बोर्डों को सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं। आवेदनों की संवीक्षा की जाती है और जिनमें पात्रता मानदंड और अन्य निबंधन तथा शर्तें पूरी होती हों उनकी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के जरिए ऋण की मंजूरी की सिफारिश की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या और सेमफेक्स-II, सेमफेक्स-III और एन ई एफ के तहत मंजूर की गई राशि इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	सेमफेक्स-II		सेमफेक्स-III		एन ई एफ	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2001-02	335	38059	33	77.73	11	76.41
2002-03	427	275.98	23	46.93	02	0.350
2003-04	251	440.37	16	58.66	12	80.98

(2) भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन योजना:

पुनर्वास महानिदेशालय कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न कोयला सहायक कंपनियों में कोयले की लदाई और ढुलाई के लिए भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियों को प्रायोजित करता है। पुनर्वास महानिदेशालय के पास पंजीकृत बेरोजगार सेवानिवृत्त अधिकारी भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियां बनाने के लिए चुने जाते हैं और संबद्ध कोयला सहायक कंपनियों के लिए पांच वर्षों के वास्ते प्रायोजित किए जाते हैं जिसे अगले चार वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस समय कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न कोयला सहायक कंपनियों के तहत ऐसी 96 कंपनियां संचालित की जा रही हैं।

(3) कोयला टिप्पर योजना

पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारण मारे गए रक्षा कार्मिकों की पत्नियों को भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनी में अपने नाम से एक टिप्पर ट्रक चलाने के लिए प्रायोजित किया जा सकता है। पात्र विधवाओं को टिप्पर लेने के लिए किसी भी नामित कोयला परिवहन कंपनी के पास

सीमांत राशि, ऋण कार्रवाई, बीमा, सड़क कर आदि के लिए 85,000/- रुपए जमा कराना होता है। कोयला परिवहन कंपनी टिप्पर की कार्रवाई उसको चलाने और उसकी अनुरक्षण लागत के लिए उत्तरदायी होती है। विधवा को 5 वर्ष तक प्रतिमाह 3,000/- रुपए का भुगतान किया जाता है तथा उसके बाद आरंभ में जमा की गई 85000/- रुपये की धनराशि उन्हें वापस लौटा दी जाती है। इस समय 227 विधवा/निशक्त सैनिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

(4) रक्षा श्रेणी के अंतर्गत तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने युद्ध अथवा शांति के समय सैन्य सेवा की वजह से मारे गए सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों तथा सैन्य सेवा के कारण 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त सैनिकों के लिए विपणन योजना में तेल उत्पाद एजेंसियों अर्थात एल पी जी डीलरशिप, पेट्रोल पंप, मिट्टी के तेल के वितरण आदि में 8 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। वर्ष 2004 में पुनर्वास महानिदेशालय ने रक्षा श्रेणी के अंतर्गत 521 पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए हैं।

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को सी एन जी स्टेशनों के प्रबंधन की योजना जुलाई, 2001 में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना में सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2003-04 में इस योजना के तहत 96 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(6) सेना के अधिशेष वाहनों का आबंटन

भूतपूर्व सैनिक/सेवा के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों की पत्नियां सेना के अधिशेष/चरणबद्ध तरीके से हटाए गए वाहनों के आबंटन के लिए आवेदन करने की पात्र हैं। भूतपूर्व सैनिक जिला/राज्य सैनिक बोर्डों में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है और उसे उनके द्वारा डिपोवार रखी गई वरिष्ठता के आधार पर आबंटन के लिए सेना मुख्यालय को आगे भेज सकता है। वर्ष 2003-04 में भूतपूर्व सैनिकों को 352 अधिशेष वाहन आबंटित किए गए थे।

(7) दिल्ली और उसके आसपास मदर डेयरी दूध तथा फल सब्जी की दुकानों का आबंटन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के कार्मिकों को मदर डेयरी दूध तथा फल एवं सब्जी की दुकानों का आबंटन किया जाता है। वर्ष 2003-04 में मदर डेयरी बूथों तथा फल एवं सब्जी की दुकानों का आबंटन करके 1850 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

II. प्रशिक्षण

भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कार्मिकों दोनों के लिए प्रशिक्षण देना पुनः स्थापना तथा पुनर्वास में एक प्रमुख कार्य है। पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मुख्य जोर रोजगार/स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आयोजित करना है जिससे सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी आजीविका शुरू करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध हो सके। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, तकनीकी कुशलता देने तथा कृषि आधारित उद्योग की जानकारी देने आदि के पाठ्यक्रम शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों/सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों की संख्या तथा इसमें हुए व्यय का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (लाख रुपए में)
2001-2002	7,221	44.76
2002-2003	6,704	152.19
2003-2004	8,450	190.45

III. भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाएं

(1) रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से वित्तीय सहायता

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में एकत्र की गई राशि के एक भाग को रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष के रूप में अलग रखा जाता है जिसका इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा उपचार, पुत्रियों के विवाह, मकानों की मरम्मत, बच्चों की शिक्षा आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान के लिए किया जाता है। विपन्नता में रह रहे वृद्ध तथा दुर्बल भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को दो वर्ष की अवधि के लिए 1000/- रुपए की मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को मुहैया कराई गई कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (लाख रुपए में)
2001-2002	754	61.66
2002-2003	2011	107.69
2003-2004	402	45.14

(2) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर 1 अप्रैल 2003 से शुरू की गई है। पेंशन प्राप्त कर रहा प्रत्येक सेना कार्मिक सेवानिवृत्त होने पर अपना अंशदान देकर अनिवार्यत: इस योजना का सदस्य बन जाएगा। इसी प्रकार, भूतपूर्व सैनिक जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक बार अंशदान के जरिए अथवा लगातार तीन वार्षिक किस्तों में अंशदान के जरिए सदस्य बन सकते हैं। अंशदान की दर पेंशन/परिवार पेंशन के आधार पर प्रतिमाह 1800/- रुपए से लेकर प्रतिमाह 18000/- रुपए तक है। युद्ध-शहीदों की विधवाओं को अंशदायी स्वास्थ्य योजना अंशदान से मुक्त रखा गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान अंशदायी स्वास्थ्य योजना पर 17.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों/आश्रित, जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, विनिर्दिष्ट गंभीर रोगों के इलाज के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहेंगे।

(3) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों/विधवाओं को शैक्षिक रियायतें तथा सुविधाएं

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए सैनिक स्कूलों, एम बी बी एस, आई आई टी/पालिटेक्निकों तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीटें आरक्षित की गई हैं। संक्रिया में शहीद हुए अथवा निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चों को केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/कालेजों में नि:शुल्क शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(4) कैंटीन स्टोर विभाग (सी एस डी) सुविधाएं:

भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार यूनिटों/स्थापनाओं में उपलब्ध कैंटीन सुविधाओं के लिए पात्र हैं।

(5) यात्रा रियायत:

रेल यात्रा रियायत: युद्ध विधवाओं के लिए द्वितीय क्षेणी के यात्रा किराए में 75 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है। इसके अलावा, वीरता पुरस्कारों की चक्र श्रृंखला के प्राप्तकर्ता तथा मरणोपरांत प्राप्तकर्ताओं की विधवाएं एक सहचर के साथ I/II ए सी स्लीपर श्रेणी में यात्रा हेतु मुफ्त रेल पास के लिए पात्र है।

हवाई यात्रा रियायत: वीरता पुरस्कार विजेता तथा युद्ध में स्थायी रूप से निशक्त हुए अधिकारी तथा उनके आश्रित क्रमश: 75 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत रियायत के लिए पात्र हैं।

3. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए विशिष्ट तौर पर कोई बजट आबंटित नहीं है। तथापि, सरकार पुनर्वास महानिदेशालय को भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु बजटीय आबंटन प्रदान करती है। विभिन्न पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजनाएं संबंधित एजेंसियों जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल कंपनियां, कोल इंडिया लिमिटेड, आदि द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

4. भूतपूर्व सैनिकों की मौजूदा संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 60,000 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर सीमित होने की वजह से रोजगार सहायता मांगने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देना संभव नहीं है। अत: वित्तीय संस्थानों तथा कारपोरेट क्षेत्र को शामिल करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करने तथा निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने पर जोर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य सैनिक बोर्ड/ जिला सैनिक बोर्ड	30.6.2004 को भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	66552
2.	अरुणाचल प्रदेश	284
3.	असम	23505
4.	बिहार	55890
5.	छत्तीसगढ़	3896
6.	गोवा	1772
7.	गुजरात	17503
8.	हिमाचल प्रदेश	89753
9.	हरियाणा	194141
10.	जम्मू-कश्मीर	61227
11.	झारखंड	15876
12.	कर्नाटक	56854
13.	केरल	143710
14.	मध्य प्रदेश	33045

1	2	3
15.	महाराष्ट्र	157300
16.	मणिपुर	4312
17.	मेघालय	2040
18.	मिज़ोरम	4369
19.	नागालैंड	2239
20.	उड़ीसा	22807
21.	पंजाब	230616
22.	राजस्थान	125875
23.	सिक्किम	1144
24.	तमिलनाडु	114466
25.	त्रिपुरा	1965
26.	उत्तर प्रदेश	213816
27.	उत्तरांचल	113571
28.	पश्चिम बंगाल	51361
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	511
30.	चंडीगढ़	7345
31.	दिल्ली	33545
32.	पांडिचेरी	1390
	कुल	1852680

नोट: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से संबंधित आंकड़ें अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

अपमिश्रण जांचने के लिए सचल प्रयोगशाला

***357. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण की जानकारी है जो संभवत: टैंक परिचालकों और पेट्रोल पंपों के मालिकों के बीच सांठगांठ से किया जाता है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और कुछ अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से प्रत्येक जिले में सचल प्रयोगशालाओं की संख्या को बढ़ाने का आग्रह किया है ताकि पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण को रोका जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान प्रत्येक राज्य में उक्त गतिविधियों में कितने पेट्रोल पंप संलिप्त पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(ङ) सरकार पेट्रोलियम अपमिश्रण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार को बेईमान तत्वों द्वारा परिवहन ईंधनों में मिलावट तथा अन्य ऐसे कदाचार करने की रिपोर्ट प्राप्त होती हैं।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अतिरिक्त सचल प्रयोगशालाओं के प्रावधान के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को राज्य में स्थित 9 स्थिर और 3 सचल प्रयोगशालाओं में उपलब्ध क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है। आपातकाल के मामले में तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे पड़ोसी राज्यों में स्थित प्रयोगशालाओं की सेवाएं भी ली जा सकती हैं, जैसा कि अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।

(घ) 2003-04 के दौरान मिलावट में संलिप्त पाए गए पेट्रोल पम्पों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ङ) सरकार ग्राहकों को सही मात्रा में स्वच्छ और मिलावटरहित ईंधन की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है। मिलावट को कम, न्यूनतम और अंतत: समाप्त करने के लिए और अन्य कदाचारों की रोकथाम करने हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं:

* सरकार ने आटो ईंधनों में मिलावट के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का दुरुपयोग और अन्य कदाचारों को रोकने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। ये आदेश राज्य सरकारों और तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों को तलाशी और जब्ती की शक्ति प्रदान करते हैं।

* तेल विपणन कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करती हैं और मिलावट तथा कदाचारों में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशनिर्देशों और/या डीलरशिप करार के अंतर्गत कार्रवाई करती हैं। मिलावट के सिद्ध मामलों में डीलरशिप की समाप्ति के दंड का उपयोग किया जाता है।

* तेल विपणन कंपनियों ने परिवहनकत्ताओं द्वारा मार्ग में मिलावट रोकने के लिए नई छेड़छाड़-रोधी टैंक ट्रक ताला प्रणाली की भी शुरुआत की है।

* मार्कर प्रणाली की शुरुआत के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं।

* मिट्टी तेल का आयात सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया है।

* खुदरा आटोमेशन के माध्यम से खुदरा बिक्री केन्द्रों में ईंधन टैंकों की ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जी पी एस) और निगरानी स्तर के माध्यम से टैंक ट्रकों के परिवहन की निगरानी जैसे आई टी समाधानों की शुरूआत की जा रही है।

* खुदरा बिक्री केन्द्रों की ब्रान्डिंग और खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन आरम्भ किए गए हैं।

विवरण

2003-04 के दौरान पता लगाए मिलावट के मामलों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पता लगाए गए मिलावट के मामलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	28
बिहार	07
दिल्ली	03
गुजरात	20
हरियाणा	08
जम्मू-कश्मीर	01
झारखंड	04
कर्नाटक	07
केरल	05
मध्य प्रदेश	15
महाराष्ट्र	26
उत्तर पूर्वी राज्य	02
उड़ीसा	05
पंजाब	12
राजस्थान	10
तमिलनाडु	22
उत्तर प्रदेश	36
उत्तरांचल	02
पश्चिम बंगाल	03
योग	216

इन मामलों में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है जिनमें पहले मामले में बिक्री और आपूर्ति के निलंबन सहित जुर्माने और दूसरे मामले में डीलरशिप की समाप्ति दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

[हिन्दी]

देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की खपत

***358. श्री रामदास बंडु आठवले:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की वार्षिक खपत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष के दौरान देश में व्यावसायिक और घरेलू उपयोग हेतु सरलीकृत पेट्रोलियम गैस की अनुमानित कुल आवश्यकता और खपत कितनी है;

(ग) क्या स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से उत्पादित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मांग को पूरा कर पाने में अपर्याप्त है और इसका अन्य देशों से आयात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू स्रोतों से उत्पादित और अन्य देशों से आयातित कितनी-कितनी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सप्लाई की जाती है; और

(ङ) सरकार द्वारा आयातित और घरेलू गैस पर प्रति सिलिंडर कितनी राजसहायता दी जाती है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। एल पी जी की खपत का आकलन वार्षिक आधार पर किया जाता है। वर्तमान वर्ष अर्थात 2004-05 के लिए अनुमानित खपत निम्नानुसार है:

आंकड़े हजार मीट्रिक टन (टी एम टी) में

घरेलू	9,582
गैर-घरेलू	545
योग	10,127

(ग) और (घ) घरेलू स्रोतों से एल पी जी का उत्पादन वर्तमान में देश में मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त है। उपलब्धता में कमी आयातों के जरिए पूरी की जाती है। पिछले तीन वर्ष में एल.पी.जी. के घरेलू उत्पादन और आयातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

आंकडे टी एम टी में

वर्ष	घरेलू उत्पादन	आयात
2001-02	6,992	659
2002-03	7,288	1,073
2003-04 (अनंतिम)	7,651	1,708

(ङ) 5 वर्ष में राजसहायता चरणों में समाप्त किए जाने के आधार पर वर्ष 2004-05 के लिए घरेलू एल पी जी पर सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमानित राजसहायता प्रति सिलेंडर 40.65 रुपये है।

[अनुवाद]

सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान

***359. श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचियां केन्द्र सरकार को भेज दी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन सूचियों के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) जी हां। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर ली गई है।

(ख) भारत सरकार ने अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया है। इस अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार आयोग इस सूची में पिछड़ा वर्ग के रूप में किसी वर्ग के नागरिक को शामिल करने के अनुरोधों की जांच करता है और पिछड़ेपन के सामाजिक और शैक्षिक तथा अर्थिक पहलू के आधार पर इन सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को अधिक अथवा कम शामिल करने की शिकायतों को सुनता है एवं केन्द्र सरकार को ऐसा परामर्श देता है जो वह उचित समझे।

भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने/संशोधन करने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है तथा उनका ब्यौरा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

(ग) जहां तक पिछड़े वर्गों की राज्य सूचियों का संबंध है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपनी सूची केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं करनी होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के कार्यक्रमों में हिंसा और अश्लीलता

***360. श्री लालचन्द्र कोल:**
श्री खगेन दास:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन और केबल टी.वी. पर प्रसारित हो रहे बहुत से कार्यक्रम और विज्ञापन अश्लीलता, अभद्रता और हिंसा से भरे हुए होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे विज्ञापनों और कार्यक्रमों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार टी.वी. पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों में बढ़ती हिंसा, अपराध और अश्लीलता को रोकने के लिए टेलीविजन संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने या केबल टी.वी. सहित इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए कोई नया कानून अधिनियमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग)) केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुन: प्रसारित सभी उपग्रह टीवी चैनलों के कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पालन करना होता है।

कार्यक्रम संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि किसी भी ऐसे कार्यक्रम को केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जो सुरूचि या शालीनता के विरुद्ध हो, जिसमें कोई भी अश्लील सामग्री शामिल हो, जिससे हिंसा को बढ़ावा देने या हिंसा को भड़काने की संभावना हो, जिससे चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन होता हो और जो अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो। इसी प्रकार से, विज्ञापन संहिता में प्रावधान है कि केबल सेवा में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों को देश के कानूनों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए और वे उपभोक्ताओं की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक संवेदनशीलताओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। विज्ञापन संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि किसी भी ऐसे विज्ञापन को अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे लोगों को अपराध के प्रति प्रेरित करने, अव्यवस्था पैदा करने या हिंसा भड़काने अथवा कानून का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति हो अथवा जो किसी भी रूप में हिंसा या अश्लीलता को महिमामंडित करता हो। संहिता में यह भी प्रावधान है कि सभी विज्ञापनों में अभद्र, फूहड़, अश्लील, अशोभनीय या अपमानजनक विषय-वस्तुओं या निरूपण को शामिल नहीं किया जाएगा।

संहिताओं के उल्लंघनों के संबंध में कार्रवाई किसी भी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् उप मंडलीय मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा सकती है। केन्द्र सरकार ने स्वप्रेरणा से अथवा विशेष शिकायत प्राप्त होने पर कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के अंतर्गत 2 अन्तर-मंत्रालयीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों की सिफारिशों पर संहिताओं के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में टीवी चैनलों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन विज्ञापन संहिता में फूहड़ भाषा, अश्लीलता और हिंसा को अनुमति नहीं दी जाती है। दूरदर्शन की प्रसारण संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी अश्लील सामग्री, हिंसा को भड़काने आदि प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(घ) और (ङ) यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आवागमन की सुविधाएं

***361. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भवनों तथा वर्तमान परिवहन प्रणाली तक पहुंच न होने के कारण नि:शक्त व्यक्ति बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर पाने से वंचित हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय नि:शक्त रोजगार संवर्धन केन्द्र ने सरकार से अनुरोध किया है कि नए भवनों और परिवहन प्रणाली तक नि:शक्त व्यक्तियों की पहुंच अनिवार्य बनाने हेतु एक विधेयक लाया जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) यह आमतौर से माना जाता है कि बाधामुक्त वातावरण की कमी, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की प्रमुख अड़चनों में से एक है। तथापि, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं और विकलांग व्यक्तियों के बीच इस तरह की विकलांगता की व्यापकता और पैटर्न का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय को राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति रोजगार संवर्धन केन्द्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाए किए हैं:

1. नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत एक कानूनी प्रावधान किया गया है जिसमें परिवहन, रोड पर और निर्मित वातावरण में किसी तरह की भेदभाव न करने की व्यवस्था है।

2. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त सार्वजनिक भवनों में जाकर देखते हैं ताकि उन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त तत्काल पहुंच योग्य बनाया जा सके।

3. शहरी विकास मंत्रालय ने मोडल भवन उपनियम तैयार किया है जिनमें बाधामुक्त वातावरण के उपबंध हैं। इन दिशा-निदेशों और स्थान मानकों को राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों को अंगीकार करने के लिए परिचालित किया गया है।

4. सर्व शिक्षा अभियान में सभी स्कूलों के लिए बाधामुक्त वातावरण की बात कही गई है जिससे कि विकलांग बच्चों को अन्य की तरह समान पहुंच उपलब्ध हो।

5. सरकार विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा स्कीम के अंतर्गत मौजूदा/नए स्कूलों में वास्तुकार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

6. राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संगम को अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि सभी राज्य परिवहन उपक्रमों को अनुदेश जारी किए जाएं जिससे कि उत्पाद और परिचालन दोनों अवस्थाओं पर उनके वाहनों में विकलांग व्यक्ति अनुकूल विशेषताओं को शामिल और लागू किया जा सके।

सांस्कृतिक संस्थाओं में परिवर्तन

3138. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण संस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या नए चेयरमैन को चुनने के लिए महापरिषद का भी गठन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दमन एवं दीव में पंचायतों को अधिकार हस्तांतरित न करना

3139. **श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र की पंचायतों को संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार पूरे अधिकार नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दमन एवं दीव में पंचायतों को अधिकार हस्तांतरित न करने के परिणामस्वरूप इस संघ राज्य क्षेत्र की विकास प्रक्रिया धीमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में पंचायतों को पूरे अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) दमन व दीव में 1994 में पंचायत विनियमों के लागू होने के बाद, संविधान की अनुसूची 11 में दिए 29 विषयों में से दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पांच कार्य पूर्णरूप से दमन व दीव में अंतरित किए और इसके अतिरिक्त नौ कार्य आंशिक रूप से अंतरित किए। इन कार्यों के साथ-साथ कुल 266 कर्मी भी अंतिरत किए गए थे। प्रशासक ने जुलाई, 2004 में संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों से परामर्श कर संविधान की अनुसूची 11 के समस्त 29 विषयों की समीक्षा शुरू की थी। दमन एवं दीव का प्रशासन कुछ अन्य कार्यों के संबंध में अधिकारों को सौंपने पर विचार कर रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत से कहा गया है और वह उन कार्यों का पता लगाए जिन्हें उनके प्रस्तावित विनियमन में संशोधन करके जिला पंचायत को अंतरित किया जा सके। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि दमन व दीव में 14 कार्यों से संबंधित अधिकारों को सौंपने का काफी कार्य शुरू कर दिया है। बड़ी मात्रा में कर्मियों का अंतरण भी हुआ है और 16.70 करोड़ रु. की भारी धनराशि भी अंतरित कर दी गई है। विकास प्रक्रिया की गति में कमी नहीं आई है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को उपयोग के लिए पर्याप्त निधि दी गई है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और अधिकारों को नियंत्रित करने वाले वर्तमान पंचायत विनियमों में

व्यापक संशोधन का भी प्रस्ताव किया है जिससे कि संविधान की अनुसूची 11 में दिए समस्त विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित करने पर विचार किया जा सके।

(ग) केन्द्र सरकार ने अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक दल गठित किया है जिसमें गृह मंत्रालय का ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं ताकि संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज की समीक्षा की जा सके तथा सुधारों के लिए सुझाव दिए जा सकें। अधिकारियों का दल संघ राज्य क्षेत्रों के भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा पंचायतों एवं लोक सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा इस विषय के विचारकों/गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे। यह दल अपने मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकि वे अक्टूबर, 2004 के शुरू में चण्डीगढ़ में होने वाली गोलमेज सम्मेलन, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज पर चर्चा होनी है, से पहले बकाया मुद्दों को सुलझा सकें।

[हिन्दी]

प्रदूषित नदियों के पास के गांवों के लिए पेयजल

3140. **श्री थावरचन्द गेहलोतः** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रदूषित नदियों के पास नदीवार और राज्यवार ऐसे कितने गांव स्थित हैं जहां ग्रामीणों और उनके पशुओं को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार की प्रदूषित नदियों के पास स्थित गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने की योजनाएं, जिनमें दूषित नदियों के किनारे बसे गांवों में भी स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा बनाई, निष्पादित एवं कार्यान्वित की जाती हैं। तदनुसार, दूषित नदियों के किनारे बसे गांवों, जहां ग्रामवासियों एवं मवेशियों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, की नदी-वार तथा राज्य-वार संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। 1991 में राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के प्रारंभ होने पर राज्यों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, जिसका बाद में 1999 में अद्यतन किया गया था, रासायनिक संदूषण से प्रभावित ग्रामीण बसावटों की राज्य-वार संख्या में विवरण के रूप में संलग्न है। लगभग 85 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोत भू-जल आधारित हैं।

(ख) से (घ) तथापि, भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को गुणवत्ता संबंधी उप-मिशन परियोजनाओं के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत उन्हें आबंटित निधियों के 15 प्रतिशत हिस्से का उपयोग करने की जरूरत होती है। 1.4.1998 से, गुणवत्ता संबंधी उप-मिशन परियोजनाओं की योजना बनाने, इन्हे मंजूरी देने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित की गई हैं। जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देशों के अनुसार, गांवों में सभी सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति स्रोतों का वर्ष में कम से कम दो बार, विशेषकर बरसात से पहले और बाद में, 14 नेमी मानदंडों के अनुसार परीक्षण किया जाना होता है। इसके अलावा, सभी स्थलीय स्रोतों अर्थात् हैंडपम्पों, ट्यूबवेलों, स्वच्छ कुओं में समय-समय पर क्लोरीन डाली जाती है। जहां भी पेयजल स्रोतों के रासायनिक संदूषण का पता चलता है, राज्य सरकारों द्वारा उपचारी कार्रवाई की जाती है।

विवरण

सचिव के पत्र सं. क्यू-14018/67/99-टी.एम. (स्टेट) दिनांक 17 नवम्बर, 1999 के प्रत्युत्तर में राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.4.99 को गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	से प्रभावित बसावटें						
		फ्लोराइड	लवणता	लौह	आर्सेनिक	नाइट्रेट	अन्य कारण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	8301	5518	441	0	0	0	14260
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	7	0	0	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	12	0	40972	0	0	0	40984
4.	बिहार	18	—	23514	0	0	0	23532
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	1175	256	0	0	0	0	1431
7.	हरियाणा	131	0	0	0	0	0	131
8.	हिमाचल प्रदेश	738	106	450	0	0	0	1294
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	954	1002	483	0	0	0	2439
11.	केरल	115	37	549	0	0	0	701
12.	मध्य प्रदेश	1686	788	3297	2	0	0	5773
13.	महाराष्ट्र	21	480	0	0	0	0	501
14.	मणिपुर	0	0	15	0	0	0	15
15.	मेघालय	0	0	282	0	0	0	282
16.	मिजोरम	0	—	—	—	—	—	0
17.	नागालैण्ड	0	0	128	0	0	0	128
18.	उड़ीसा	2712	3361	58060	0	0	0	64133
19.	पंजाब	997	776	28	0	0	0	1801
20.	राजस्थान	16560	14415	0	0	0	0	30975
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1835	5219	1000	0	4000	1400	13454
23.	त्रिपुरा	0	0	7283	0	0	0	7283
24.	उत्तर प्रदेश	1667	624	2115	0	0	0	4406
25.	पश्चिम बंगाल	52	—	—	3133	0	0	3185
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	29	0	0	0	29
27.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
28.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0
29.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	0	10	0	0	0	0	10
31.	पांडिचेरी	14	5	17	1	3	0	40
32.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	36988	32597	138670	3136	4003	1400	216794

[अनुवाद]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्न मूल्य निर्धारित करना

3141. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री शिवाजी अधलराव पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत बेचे जाने वाले खाद्यानों के मूल्यों को गरीबी रेखा के नीचे वाले खाद्यान्नों से कम निर्धारित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य सरकारों से भी ऐसे अनुरोध मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी, हां।

(ख) किसी भी अन्य राज्य सरकार से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खाद्यान्नों की दर बीपीएल दर से कम नहीं हो सकती।

जनजातीय क्षेत्रों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

3142. श्री गिरिधर गमांग: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में विस्तार और कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक राज्यवार कितनी धनराशि खर्च/आवंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) जनजातीय क्षेत्रों (अनुसूची-5) सहित देश के सभी भागों में कार्यक्रम के माध्यम से संपर्कता प्रदान करने के लिए बसावटों के चयन के लिए निर्धारित जनसंख्या आधारित प्राथमिकता के तद्नुसार कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) आबंटन, राज्य-वार किए जाते हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत, राज्यों को, संपर्क रहित बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए अपेक्षित सड़क लम्बाई के आधार पर निधियों का 80% और मरम्मत की आवश्यकता वाली सड़क लम्बाई के आधार पर निधियों का 20% जिले-वार आबंटन करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बौद्ध-स्तूप का निर्माण

3143. श्री मोहन सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित पुराने किले के पीछे मिलेनियम पार्क में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे बौद्ध-स्तूप के निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमोदन ले लिया गया है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह पता लगा लिया है कि उपर्युक्त स्तूप के निर्माण से हुमायूं के मकबरे की सुंदरता और भव्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) क्या उक्त ढांचे के निर्माण के लिए पुरातत्व विभाग का अनुमोदन अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि निर्माण का स्थल निकटतम संरक्षित स्मारक के विनियमित क्षेत्र से परे है किन्तु हुमायूं के मकबरे के पूर्व और उससे परे विशेषत: रिंग रोड से देखने में निश्चित रूप से बाधा पहुंचेगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के विनियमित क्षेत्र से परे क्षेत्र में निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है।

[अनुवाद]

निर्धन कलाकारों को वित्तीय सहायता

3144. श्री ब्रह्मानन्द पंडा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार निर्धन कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए नई नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो चालू वर्ष में निर्धन कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है; और

(घ) निर्धन कलाकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितने कलाकारों को सहायता मिलने वाली है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे कलाकारों को वित्तीय सहायता की स्कीम के लिए चालू वित्त वर्ष 2004-2005 में कुल 2.40 करोड़ रु. का बजट आबंटन किया गया है।

(घ) वर्तमान लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	82
2.	असम	13
3.	बिहार	12
4.	चंडीगढ़	2
5.	दिल्ली	39
6.	गोवा	22
7.	गुजरात	3
8.	हरियाणा	4
9.	हिमाचल प्रदेश	2
10.	कर्नाटक	74
11.	केरल	113
12.	मध्य प्रदेश	14
13.	मणिपुर	57
14.	मिजोरम	3
15.	महाराष्ट्र	50
16.	उड़ीसा	168
17.	पांडिचेरी	1
18.	पंजाब	2
19.	राजस्थान	6
20.	तमिलनाडु	6
21.	उत्तर प्रदेश	154
22.	पश्चिम बंगाल	16
	कुल	843

दूरदर्शन द्वारा वृत्तचित्र

3145. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्रों का निर्माण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आज तक वृत्तचित्र/16 एम.एम./वीडियो कवरेज बनाने के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी विषय पर कोई फिल्म बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसी विषय पर ऐसी कोई फिल्म बनाए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, गुवाहाटी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 26 वृत्तचित्र तैयार किए और ये सभी पूर्वोत्तर से संबंधित पर्यटन विकास, सांस्कृतिक विरासत, संगीत एवं नृत्य, पर्वों और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों जैसे विषयों से संबंधित थे।

पिछली तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन के केंद्रीय निर्माण केन्द्र, नई दिल्ली ने 52 लघु फीचर और 5 पूर्ण लम्बाई के वृत्तचित्र तैयार किए।

इस प्रयोजनार्थ कोई पृथक बजट आबंटन नहीं किया गया था और व्यय को इन केन्द्रों के सामान्य बजट से पूरा किया गया था।

(ङ) और (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चालू वित्त वर्ष में ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

नहर खोदना

3146. **श्री मधुसूदन मिस्त्री:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय पाकिस्तानी सीमा के पास गुजरात में कच्छ सीमा पर नहर खोदकर नर्मदा नदी से पानी लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के साथ कच्छ सीमा पर तार की बाड़ नहर खोदने की अपेक्षा अधिक उचित है; और

(ग) यदि हां, तो नहर खोदने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अजमेर में बीसलपुर और बुद्धपुष्कर जल योजना से जलापूर्ति

3147. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अजमेर में बीसलपुर और बुद्धपुष्कर जलयोजना से जल लेती है;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं, जहां से जल लिया जाता है और इसकी मात्रा और दर कितनी है;

(ग) रेल कारखानों द्वारा बीसलपुर जलयोजना में पूरी मात्रा में जल न लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे द्वारा बुद्धपुष्कर के कुओं से लगातार जल निकालने के कारण पुष्कर सरोवर और इसके आस-पास के गांवों में जल स्तर में तेजी से गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो बुद्धपुष्कर से जल नहीं लेने हेतु अजमेर मंडल के गांवों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) (1) विलासपुर जल योजना-11.80 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से 2800 किलो लीटर प्रति दिन और (2) रेलवे स्रोत-1700 किलो लीटर प्रति दिन।

(ग) रेल सेवाओं का स्वरूप अनिवार्य प्रकृति का है, इसलिए यह केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं हो सकती है, वह भी किसी बाह्य एजेंसी का। रेलों के पास बुद्ध पुष्कर में स्वयं अपना स्रोत है जहां से 100 वर्षों से अधिक समय से पानी निकाला जा रहा है। बिलासपुर जल योजना के माध्यम से जल आपूर्ति अधिक विश्वसनीय नहीं है। जब कभी बिलासपुर जल योजना के माध्यम से जल आपूर्ति में समस्या होती है, रेलवे सबसे पहले प्रभावित होने वाली पार्टी है और इसके परिणामस्वरूप यात्री सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(घ) जी नहीं। बुद्ध पुष्कर, जो एक प्राकृतिक जलस्रोत है, का जल स्तर पुष्कर सरोवर की तुलना में 18 मीटर अधिक है और पुष्कर सरोवर में जल स्तर गिरने का अगर कोई कारण है तो यह कारण नहीं हो सकती है। संभवत: हाल में इस क्षेत्र में कम वर्षा के कारण जल स्तर में गिरावट आई हो।

(ङ) जी हां।

(च) रेलवे ने यह मामला राज्य सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है और रेल मंत्री ने मुख्य मंत्री, राजस्थान को एक पत्र भेजा है।

कल्याण योजनाओं हेतु धनराशि

3148. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:**
श्री बीर सिंह महतो:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं तथा उसके अंतर्गत आवंटित/स्वीकृत धनराशि का योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल आबंटित धनराशि में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजनावार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तविक रूप में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या धनराशियों के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) अप्रयुक्त धनराशि के संबंध में सरकार द्वारा क्या विधियां और नियम अपनाए/निर्धारित किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों एवं उनके द्वारा उपयोग की गयी निधियों का योजनावार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सामान्य तौर पर, चालू वर्ष के दौरान पूर्व निधियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

विवरण

2003-04

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति		अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए हास्टलों का निर्माण		अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए हास्टलों का निर्माण		अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम		सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989		अनुसूचित जातियों के लिए योग्यता उन्नयन	
		नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	6222.90	5595.74	5449.14	प्र.उ.प्र.	458.90	प्र.उ.प्र.	42.67	42.67	649.90	505.50	34.05	प्र.उ.प्र.	464.42	379.00	42.00	42.00
2.	असम	625.21	305.76	412.41	280.83	10.07	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	933.00	500.00	0.00	24.00	32.79	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.82	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	408.29	65.00	352.71	152.10	20.54	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.10	प्र.उ.प्र.	15.00	7.95
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	1.11	0.32	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.50	0.00	0.00
6.	गुजरात	644.46	320.36	1373.70	1055.28	345.57	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	17.54	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	256.63	29.64	0.00	0.00
7.	हरियाणा	1434.00	856.22	228.53	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23	18.38	7.05	प्र.उ.प्र.
8.	हिमाचल प्रदेश	248.66	362.07	11.82	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	28.96	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	148.46	112.69	95.98	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	झारखंड	0.00	0.00	281.03	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	2124.76	2124.76	2481.93	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	406.35	406.35	319.20	319.20	14.33	प्र.उ.प्र.	0.00	300.63	21.55	प्र.उ.प्र.
12.	केरल	0.00	0.00	677.57	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	40.25	प्र.उ.प्र.	33.00	प्र.उ.प्र.	20.54	प्र.उ.प्र.	43.70	43.05	3.00	3.00
13.	मध्य प्रदेश	2955.43	3277.34	1278.93	प्र.उ.प्र.	85.60	प्र.उ.प्र.	999.42	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	25.63	25.63	1280.97	प्र.उ.प्र.	58.00	प्र.उ.प्र.
14.	महाराष्ट्र	1991.36	2881.63	2765.57	प्र.उ.प्र.	157.73	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.40	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00
15.	मणिपुर	4.42	0.00	82.76	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	15.55	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	779.30	1728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00
18.	पंजाब	680.03	380.28	0.00	0.00	18.51	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00
19.	राजस्थान	2984.25	3608.94	1207.70	1007.86	124.59	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.68	54.29	0.00	0.00
20.	सिक्किम	1.12	34.76	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	48.00	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.95	प्र.उ.प्र.	2.25	2.25
21.	तमिलनाडु	3800.74	5123.08	2184.45	2328.88	91.04	प्र.उ.प्र.	1134.00	प्र.उ.प्र.	378.00	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	124.61	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00
22.	त्रिपुरा	76.80	178.91	174.23	181.89	6.64	7.28	0.00	0.00	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
23.	उत्तर प्रदेश	7817.94	13417.94	5137.58	प्र.उ.प्र.	92.56	51.72	91.83	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	1030.22	570.20	34.31	34.31
24.	उत्तरांचल	407.74	538.34	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	3994.68	2140.69	2165.81	प्र.उ.प्र.	6.81	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संघ शासित क्षेत्र																
26.	चंडीगढ़	12.50	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42	32.39	0.00	0.00
28.	दिल्ली	99.37	0.00	22.16	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	99.73	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी	3.13	11.33	99.73	प्र.उ.प्र.	0.45	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	100.00	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	34.63	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00

नि.रा. = निर्मुक्त राशि

उ.प्र. = राशि जिसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए

प्र.उ.प्र. = प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र

2003-04

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति		अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए हास्टलों का निर्माण		विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार		किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण	
		नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	299.02	प्र.उ.प्र.	402.60	प्र.उ.प्र.	220.00	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	प्र.उ.प्र.
2.	असम	1.61	प्र.उ.प्र.	26.00	प्र.उ.प्र.	2.00	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	43.30	प्र.उ.प्र.
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.18	54.18
4.	गोवा	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	5.07
5.	गुजरात	323.25	323.26	207.3	207.3	0.00	0.00	0.00	0.00	65.91	प्र.उ.प्र.
6.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79	23.27
7.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	83.16	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	प्र.उ.प्र.
8.	कर्नाटक	187.25	प्र.उ.प्र.	26.57	प्र.उ.प्र.	296.02	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	79.41	प्र.उ.प्र.
9.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26	प्र.उ.प्र.
10.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.86	प्र.उ.प्र.
11.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.75	प्र.उ.प्र.
12.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13	7.46
13.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37	प्र.उ.प्र.
14.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	प्र.उ.प्र.
15.	उड़ीसा	18.09	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	161.67	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	5.43	प्र.उ.प्र.
16.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56	प्र.उ.प्र.
17.	राजस्थान	326.72	प्र.उ.प्र.	194.24	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18	13.55
18.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33
19.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48	68.48	0.00	0.00	106.85	106.85
20.	त्रिपुरा	240	240	175	175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	प्र.उ.प्र.
21.	उत्तर प्रदेश	987.91	प्र.उ.प्र.	615.29	615.29	195.47	195.47	19.84	लागू नहीं	127.35	प्र.उ.प्र.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	उत्तरांचल	11.9	प्र.उ.प्र.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्र.उ.प्र.
23.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.84	प्र.उ.प्र.
	संघ शासित क्षेत्र										
24.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	प्र.उ.प्र.
25.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	लागू नहीं	7.00	प्र.उ.प्र.

नि.रा. = निर्मुक्त राशि

उ.प्र. = राशि जिसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए

प्र.उ.प्र. = प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र

2004-05

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति		अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए हास्टलों का निर्माण		अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए हास्टलों का निर्माण		अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम		सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989		अनुसूचित जातियों के लिए योग्यता उन्नयन	
		नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	1404.17	देय नहीं	1634.74	देय नहीं	137.67	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	233.07	देय नहीं	123.72	देय नहीं	4.22	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	100.00	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	117.66	देय नहीं	1567.79	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	1.93	देय नहीं	0.33	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	देय नही	0.00	0.00
6.	गुजरात	298.45	देय नहीं	412.11	देय नहीं	103.67	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.71	देय नही	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	1866.72	68.56	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84	देय नही	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	394.13	देय नहीं	3.55	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	382.39	देय नहीं	28.80	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	84.21	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.	कर्नाटक	1008.32	देय नहीं	744.58	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.50	देय नहीं	0.00	0.00
12.	केरल	0.00	0.00	203.27	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	1132.84	देय नहीं	383.68	देय नहीं	25.68	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	931.05	देय नहीं	829.67	देय नहीं	47.32	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	3.82	देय नहीं	24.83	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	4.67	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	345.70	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	407.43	779.58	382.31	देय नहीं	37.38	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	सिक्किम	14.75	देय नहीं	0.00	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	784.82	देय नहीं	0.00	देय नहीं	27.31	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	त्रिपुरा	0.00	0.00	196.84	देय नहीं	5.98	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	3897.99	देय नहीं	1541.27	देय नहीं	88.32	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.70	देय नहीं	41.75	देय नहीं
24.	उत्तरांचल	168.24	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	2985.42	देय नहीं	649.74	देय नहीं	2.05	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संघ शासित क्षेत्र																
26.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	देय नहीं	0.00	0.00
27.	दिल्ली	0.00	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पांडिचेरी	0.00	0.00	29.92	0.00	2.54	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी: चालू वर्ष की निर्मुक्तियों को निर्मुक्त करते समय पूर्व वर्ष की निर्मुक्तियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया।

2004-05 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्त वर्ष 2005-06 में देय होगा।

नि.रा. - निर्मुक्त राशि

उ.प्र. - राशि जिसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए

प्र.उ.प्र. - प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र

2004-05

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति		अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए हास्टलों का निर्माण		विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार		किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण	
		नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.	नि.रा.	उ.प्र.
1.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	देय नहीं
2.	गोवा	5.96	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	गुजरात	0.00	0.00	260.30	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	देय नहीं
5.	महाराष्ट्र	13.76	देयं नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	मणिपुर	108.50	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	देय नहीं
8.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	देय नहीं
9.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	देय नहीं
10.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	देय नहीं
11.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.18	देय नहीं
12.	त्रिपुरा	0.00	0.00	120.67	देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संघ शासित क्षेत्र										
13.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	देय नहीं	0.00	0.00

टिप्पणी: चालू वर्ष की निर्मुक्तियों को निर्मुक्त करते समय पूर्व वर्ष की निर्मुक्तियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया।

2004-05 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्त वर्ष 2005-06 में देय होगा।

नि.रा. = निर्मुक्त राशि

उ.प्र. = राशि जिसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए

प्र.उ.प्र. = प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र

[अनुवाद]

रेल विकास निगम

3149. डा. राम लखन सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज को सशक्त बनाने के लक्ष्य से परियोजनाओं को पूरा करने हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वर्णिम चतुर्भुज को सशक्त बनाने हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा चलाई गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय रेल विकास योजना के समन्वय, सहयोग और कार्यकरण से रेल विकास निगम लिमिटेड में क्या भिन्नता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। स्वर्णिम चतुर्भज एवं विकर्णीय मार्गों के सुदृढ़ीकरण तथा पत्तन संपर्क/भीतरी प्रदेश के विकास के लिए व्यावहारिक परियोजना के निष्पादन हेतु रेल विकास निगम लि. की स्थापना की गई है।

(ख) रेल विकास निगम लि. को हस्तांतरित परियोजनाओं तथा जिन राज्यों में ये परियोजनाएं स्थित हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रेल विकास निगम. लि., राष्ट्रीय विकास योजना में शामिल कुछ परियोजनाओं, जो व्यावहारिक हैं, का निष्पादन कर रहा है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं का निष्पादन रेलों द्वारा किया जा रहा है।

विवरण

रेल विकास निगम लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए स्वीकृत कार्यों की सूची

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	प्रत्याशित लागत	परिव्यय 2004-05
1	2	3	4	5
	नई लाइनें			
1.	दैतारी-बांसपानी	उड़ीसा	590.60	83.00
2.	हरिदासपुर-पारादीप	उड़ीसा	301.63	6.00
	आमान परिवर्तन			
3.	उत्तर प्रदेश आनंद नगर-नौतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप	उत्तर प्रदेश	381.17	20.00
4.	तंजावूर-विल्लुपुरम्	तमिलनाडु	231.00	15.00
5.	अरसीकेरे-हसन-मेंगलोर	कर्नाटक	357.11	0.01
6.	भिलड़ी-समदरी	राजस्थान/गुजरात	244.74	20.00
7.	दिल्ली-रेवाड़ी	दिल्ली-हरियाणा	140.00	0.00
8.	संबद्ध शाखा लाइनों सहित रंगिया-मरकोंगसेलेक	असम/पूर्वोत्तर क्षेत्र	915.70	3.00
9.	गांधीधाम-पालनपुर	गुजरात	344.63	13.00
10.	वृद्धाचलम के रास्ते कडलूम-सेलम	तमिलनाडु	261.00	25.00
	दोहरीकरण			
11.	टिकियापाड़ा-संतरागाछी IV लाइन	पश्चिम बंगाल	22.50	20.00
12.	बिलासपुर-उरकुरा	छत्तीसगढ़	227.36	72.00

1	2	3	4	5
13.	अतिपट्टू-कोरूक्कुपेटै	तमिलनाडु	70.56	6.00
14.	नई दिल्ली-तिलकब्रिज पांचवीं एवं छठी लाइन	दिल्ली	33.34	15.00
15.	दिवा-कल्याण 5-6 लाइन का दोहरीकरण	महाराष्ट्र	48.06	9.00
16.	तालचेर-कटक-पारादीप (महानदी और बिरूपा पर दूसरा पुल)	उड़ीसा	109.45	10.99
17.	होजपेट-गुंतकल	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश	154.14	65.00
18.	गुरुप-शक्तिगढ़, तीसरी लाइन	पश्चिम बंगाल	55.58	4.00
19.	पाकनी-सोलापुर	महाराष्ट्र	38.52	25.00
20.	चेन्नै बीच-अतिपट्टू चौथी लाइन	तमिलनाडु	50.23	5.00
21.	खोरधा रोड बारंग-तीसरी लाइन	उड़ीसा	133.41	10.00
22.	कटक-बारंग	उड़ीसा	127.13	20.00
23.	बरौनी-तिलरथ बाईपास	बिहार	15.37	12.00
24.	रायचूर-गुंतकल	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश	136.62	10.00
25.	चेन्नै बीच-कोरूक्कुपेटै	तमिलनाडु	55.23	5.00
26.	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	उत्तर प्रदेश	230.73	10.00
27.	रजतगढ़ बारंग	उड़ीसा	157.98	15.00
28.	पाकनी-महोल	महाराष्ट्र	42.73	10.00
29.	पांसकुड़ा-हल्दिया चरण-I	पश्चिम बंगाल	26.02	10.00
30.	पट्टाभिराम-तिरुवल्लूर चौथी लाइन (15.06 कि.मी.) एवं तिरुवल्लूर अरक्कोणम तीसरी लाइन (26.83 कि.मी.)	तमिलनाडु	71.94	6.00
31.	गूटि-रेणिगुंटा-कहीं-कहीं दोहरीकरण	आंध्र प्रदेश	305.95	37.50
32.	बालापल्लि-पुल्लमपेट गूटि-रेणिगुंटा का चरण I	आंध्र प्रदेश	85.59	5.00
33.	पणवेल-जसई-जेएनपीटी	महाराष्ट्र	53.25	25.00
34.	साहिबाबाद-आनंद विहार-तीसरी एवं चौथी लाइन	दिल्ली/उत्तर प्रदेश	49.57	7.50
	महानगर परिवहन परियोजना			
35.	ठाणे-मुम्ब्रा पांचवीं और छठी लाइन	महाराष्ट्र	49.34	0.01
	रेल विद्युतीकरण			
36.	रेणिगुंटा-गुंतकल	आंध्र प्रदेश	168.34	40.00
37.	भुवनेश्वर-कोट्टावालसा	उड़ीसा/आंध्र प्रदेश	322.71	35.00
38.	तालचेर-पारादीप सहित खड़गपुर-भुवनेश्वर	पश्चिम बंगाल/उड़ीसा	325.18	36.00

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)
	दोहरीकरण		
39.	जं. केबिन-पलवलः चौथी लाइन	हरियाणा	210.00
40.	पलवल-भूतेश्वर तीसरी लाइन	हरियाणा/उत्तर प्रदेश	240.43
41.	भोपाल-बीनाः तीसरी लाइन	मध्य प्रदेश	200.00
42.	कल्याण-कसाराः तीसरी लाइन	महाराष्ट्र	166.85
43.	इगतपुरी-भुसावलः तीसरी लाइन	महाराष्ट्र	400.00
44.	पांसकुडा-खड़गपुरः तीसरी लाइन	पश्चिम बंगाल	120.00
45.	भिगवान-गुलबर्गा	महाराष्ट्र	394.00
46.	मुम्बरा-दिवा पांचवी एवं छठी लाइन	महाराष्ट्र	50.00
	आमान परिवर्तन		
47.	भारूच-सामनी-दहेज	गुजरात	150.00
48.	अजमेर-फुलेरा-रिंगस-रेवाड़ी	राजस्थान/हरियाणा	746.00
	नई लाइनें		
49.	वल्लारपद्म-इडापल्लि	केरल	84.00
50.	हस्तावरम-कृष्णापत्तनम	आंध्र प्रदेश	335.00
51.	सूरत-हजीरा	गुजरात	200.00
52.	भद्रक-धामरा	उड़ीसा	200.00
53.	छत्तरपुर-गोपालपुर	उड़ीसा	50.00
54.	तुगलकाबाद-दादरी आईसीडी	दिल्ली/उत्तर प्रदेश	242.00
	अन्य कार्य		
55.	पुणे-गुंतकल विद्युतीकरण	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश	380.00
56.	100 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार से मालगाड़ियां चलाने के लिए ग्रेडोन्नयन कार्य		3500.00

[हिन्दी]

गुजरात में रेलवे स्टेशनों के कंप्यूटरीकृत बुकिंग कार्यालय

3150. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में कंप्यूटरीकृत वापसी यात्रा टिकट बुकिंग सुविधायुक्त रेलवे स्टेशनों और शहर बुकिंग कार्यालयों का स्टेशनवार और शहर बुकिंग कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपयुक्त राज्यों में इनकी संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) किसी भी गाड़ी में वापसी यात्रा आरक्षण के लिए किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक किसी भी कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र से करवाया जा सकता है गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में ऐसे स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) जी हां। देश के अधिक से अधिक नगरों में इस सुविधा का विस्तार किया जा हा है। महाराष्ट्र राज्य में रोहा, भिवंडी, टाटा मैमोरियल अस्पताल (मुंबई), वाडसा, बोएसर और अमलनेर तथा गुजरात राज्य में डाकोर, कोसांबा, मोरवी, अठवालाइन्स (सूरत सिटी) और बोडेली शहरों में इस सुविधा का विस्तार किए जाने की योजना है।

विवरण

महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पहले से चल रहे कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	स्थान
1	2
	महाराष्ट्र
1.	अचलपुर
2.	अहमदनगर
3.	अजनी
4.	अकोला
5.	अलीबाग
6.	अम्बरनाथ
7.	अमरावती
8.	आनंदपुर ट्रस्ट
9.	अंधेरी (मुंबई)
10.	औरंगाबाद
11.	बडनेरा
12.	बालाघाट
13.	बलहारशाह
14.	बांद्रा टर्मिनस
15.	बारामती
16.	बेलापुर
17.	बेलापुर सी बी ओ
18.	भांडरा रोड रेलवे स्टेशन
19.	भंडुप
20.	भायन्दर (मुंबई)
21.	भुसावल
22.	बोरीवली (मुंबई)
23.	भायकला
24.	चालीसगांव
25.	चंद्रपुर
26.	चेम्बूर
27.	चिन्चवाड़
28.	चिपलून
29.	चर्चगेट (मुंबई)
30.	दादर
31.	दहानु रोड
32.	दोंड
33.	डेक्कन जिमखाना (पुणे)
34.	देवलाली
35.	धुले
36.	डोंबीवली (मुंबई)
37.	घाटकोपर (मुंबई)
38.	घोड़ाडोंगरी
39.	गोंदिया
40.	हरीसंस सी टी एस पी एल

1	2	1	2
41.	हिंगनघाट	68.	मुलुंद (मुंबई)
42.	हिंगलोई डेक्कन	69.	मुंबई सेंट्रल
43.	आई एन एस हामला	70.	मुंबई सी एस टी
44.	आई एन एस शिवाजी लोनावला	71.	नागपुर
45.	इतवारी (नागपुर)	72.	नैनपुर
46.	जलगांव	73.	नांदेड
47.	जलना	74.	नंदूरवाड
48.	कल्याण	75.	नासिक
49.	करड	76.	नासिक सी बी ओ
50.	करजत	77.	नेवीनगर कोलाबा
51.	खड़की	78.	नेरल
52.	खोपोली	79.	उस्मानाबाद
53.	कोल्हापुर	80.	पालघर
54.	कुदाल	81.	पंडरपुर
55.	कुर्दवाड़ी	82.	पनवेल (मुंबई)
56.	लातूर	83.	परभनी
57.	लोकमान्य तिलक टर्मिनल	84.	पर्ली बैजनाथ
58.	लोनावला	85.	पुणे
59.	महाराष्ट्र असम्बली	86.	पुणे छावनी
60.	महावीर सी टी एस पी एल	87.	रत्नागिरी
61.	मलाड (मुंबई)	88.	रविवार पेट्ट (पुणे)
62.	मलकापुर	89.	सहार एयरपोर्ट मुंबई
63.	मांडला फोर्ट	90.	सांगली
64.	मानखुर्द	91.	संथरा मार्केट (नागपुर)
65.	मनमाड	92.	सतारा
66.	मिनाक्षी सी टी एस पी एल	93.	सिवनी
67.	मिरज	94.	सेवाग्राम

1	2
95.	शंकरशेठ (पुणे)
96.	शेगांव
97.	शिरडी
98.	शोलापुर
99.	थाणे
100.	थिविम
101.	तुमसर रोड
102.	उल्हास नगर
103.	वर्तक नगर
104.	वसई रोड (मुंबई)
105.	वाशी
106.	विरार (मुंबई)
107.	वर्धा
108.	वासिम
109.	यवतमाल
110.	जोनल ट्रेनिंग स्कूल
	गुजरात
1.	अहमदाबाद
2.	अलकापुरी
3.	अमरेली
4.	आणंद
5.	अंकलेश्वर
6.	भचाऊ
7.	भक्तिनगर
8.	भरूच
9.	भावनगर
10.	बिल्ली मोरा
11.	दोहद
12.	धरणगाधरा
13.	द्वारका
14.	गाधीधाम
15.	गांधीग्राम
16.	गांधीनगर
17.	गोधरा
18.	हापा
19.	हिम्मतनगर
20.	जामनगर
21.	जूनागढ़
22.	मनीनगर (अहमदाबाद)
23.	मेहसाणा
24.	नादियाड
25.	नवागढ़
26.	नवसारी
27.	न्यू भुज
28.	ओखा
29.	पदमावती कम्पलेक्स सी बी ओ (वडोदरा)
30.	पालनपुर
31.	पत्तन
32.	पोरबंदर
33.	प्रताप नगर (वडोदरा)
34.	राजकोट
35.	साबरमती
36.	सरदारग्राम
37.	सूरत

1	2
38.	सूरेन्द्रनगर
39.	उधना
40.	वडोदरा
41.	बलसाड़
42.	वापी
43.	वस्त्रपुर
44.	वेरावल
45.	विरमग्राम

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत धनराशि के आवंटन में गिरावट

3151. श्री सुग्रीव सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या पी.एम.जी.एस.वाई. हेतु वर्ष 2004-05 की वार्षिक योजना में धनराशि आवंटन में भारी गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (ग) जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए 2000-01 से 2002-03 तक केन्द्रीय सड़क निधि से निधियों का आबंटन 2500 करोड़ रु. प्रति वर्ष था, केन्द्रीय सड़क निधि में हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) पर उपकर से हुई कम प्राप्ति के कारण, वर्ष 2003-04 के दौरान इसे घटाकर 2325 करोड़ रु. और 2004-05 के दौरान और घटाकर 2148 करोड़ रु. कर दिया गया। 2003-04 के केन्द्रीय बजट में एच.एस.डी. पर लगाया गया 50 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त उपकर अभी तक पी.एम.जी.एस.वाई. को उपलब्ध नहीं हुआ है।

आई.एन.एस. विक्रांत का संग्रहालय में परिवर्तन

3152. श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आई.एन.एस. विक्रांत को संग्रहालय में परिवर्तित करने के सबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक सरकार द्वारा आई.एन.एस. विक्रांत को संग्रहालय में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस विरासत युद्धपोत को संग्रहालय में परिवर्तित करने का निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) आई.एन.एस. विक्रांत को कब तक संग्रहालय में परिवर्तित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) विक्रांत को एक आंतिरक संग्रहालय के रूप में दिसंबर, 2001 से फरवरी 2003 तक आम जनता के लिए खोला ाया था। तत्पश्चात् इस पोत को मरम्मत के लिए नौसेना डाकयार्ड, मुम्बई में खड़ा कर दिया गया है। विक्रांत को संग्रहालय में परिवर्तित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जून, 04 में बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य हेतु केवल 25 करोड़ रुपए के निवेश का वचन दिया है। इस पोत को संग्रहालय में परिवर्तित करने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) विक्रांत को संग्रहालय में परिवर्तित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई

3153. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लदान तथा इनकी ढुलाई कार्य को रोक दिया गया है जो कि वर्ष 2003-04 अथवा उससे पूर्व चल रहा था;

(ख) इस निर्णय के कार्यान्वयन की तारीख और इसके क्या कारण हैं और ऐसी वस्तुओं की ढुलाई हेतु क्या वैकल्पिक सुविधा की गई है;

(ग) दिल्ली और मुंबई मार्ग पर किन स्टेशनों पर इन वस्तुओं के लदान से मना किया गया है; और

(घ) इन प्रभावित स्टेशनों पर जनता को ताजा वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2003-04 से सिर्फ नश्य सामान के लदान और परिवहन के लिए किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बारेशरिया भावना

3154. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अव्यपगत केंद्रीय पूल संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषण हेतु राज्य प्राथमिकता प्रस्ताव सूची में असम के साउसपुर जिले के जगुमुरी में बारेशरिया भावना के स्थायी ढांचे और संबद्ध ढांचों के निर्माण हेतु परियोजना प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का लागत सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ओ.एन.जी.सी. द्वारा अर्जित लाभ

3155. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ओ.एन.जी.सी. द्वारा कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान शुद्ध लाभ में तेजी से गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ओ.एन.जी.सी. के राजस्व और लाभ में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने क्रमशः 6198 करोड़ रुपए, 10529 करोड़ रुपए और 8664 करोड़ रुपए का निवल वार्षिक लाभ अर्जित किया।

(ख) और (ग) पिछले वर्ष 2003-04 के दौरान ओएनजीसी का निवल लाभवर्ष 2002-03 की तुलना में 1865 करोड़ रुपए (17.71%) कम हो गया है। लाभ में कमी का मुख्य कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी पर तेल विपणन कंपनियों की अल्प-वसूलियां वहन करने के लिए कच्चे तेल, एल पी जी और एस के ओ के मूल्यों में सरकार के निर्णय के अनुसार ओ एन जी सी द्वारा सरकारी रिफाइनरियों और तेल विपणन कंपनियों को छूट देना है।

(घ) ओ एन जी सी के राजस्व और लाभ में वृद्धि करने के लिए ओ एन जी सी और सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य उपायों के साथ-साथ मूल्यों के इष्टतमीकरण के माध्यम से राजस्व को अधिकतम बनाना, मूल्य वृद्धि के लिए इष्टतम उत्पाद-मिश्रण; उन्नत तेल निकासी/वर्धित तेल निकासी योजनाओं के माध्यम से उत्पादन में सुधार; सभी चरणों पर लागत का इष्टतमीकरण; विदेशों में तेल क्षेत्र प्राप्त करना; प्रचालनात्मक कुशलता पर बल; नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत नए वित्तीय और प्रशासनिक उपायों की शुरूआत आदि सम्मिलित हैं।

पेट्रोल पंप के आबंटन हेतु मानदंड

3156. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग और अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को पेट्रोल पम्पों के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इन मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों से कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) वर्ष 2000-03 में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके गुजरात और अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों में कितने पेट्रोल पंप आबंटित किए गए और केन्द्र सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल पम्पों सहित पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। तेल विपणन कंपनियों को इस उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश बनाने के लिए कहते हुए सरकार ने उन्हें दिशानिर्देशों में सम्मिलित करने के लिए कतिपय व्यापक और वस्तुनिष्ट मानदंडों का परामर्श किए हैं। इनमें से एक मानदंड है समाज के विभिन्न वर्गों हेतु डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आरक्षण प्रदान करना। मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को अनु.जा./अनु.जन. के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता के लिए संग्रह निधि योजना जारी रखने का भी परामर्श दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने तदनुसार अपने दिशानिर्देश तैयार किए हैं और वे इन दिशानिर्देशों के अनुसार चयन और आबंटन कर रही हैं। उपर्युक्त दिशानिर्देशों में अनुसूचित जातियों/अनुसचित जनजातियों के लिए डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों हेतु 25% आरक्षण की व्यवस्था है। अनु.जा./अनु.जन. श्रेणी के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है, उनका "मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता" मानदंड के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं किया जाता।

(ख) से (घ) जबकि विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटे सहित, डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए विभिन्न मानदंडों को निर्धारित करने वाले दिशानिर्देशों का चयन करने में सभी संबंधित पक्षों द्वारा पालन किया जाता है तेल विपणन कंपनियों और सरकार को कुछ चयनों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की जांच की जाती है और जांच के बाद उपचारी कार्रवाई की जाती है।

गुजरात में स्मार्ट ग्राम परियोजना

3157. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास स्मार्ट ग्राम परियोजना (एस.वी.पी.) के अंतर्गत गुजरात के प्रत्येक 225 तालुकाओं हेतु एक गांव को स्वीकृति देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अहमद नगर-बीड रेल लाइन

3158. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमद नगर-बीड रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष इस परियोजना पर खर्च की गई धनराशि तथा इसके लिए और किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। अहमदनगर-बीड से पर्ली वैजनाथ (250 किमी.) तक नई लाइन को बजट 1995-96 में शामिल किया गया था। बजट के अनुसार परियोजना की प्रत्याशित लागत 353.08 करोड़ रुपए है।

(ग) बजट 2004-05 में परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 30.06.04 तक परियोजना पर लगभग 0.56 करोड़ रुपए (अनंतिम) खर्च किए गए हैं।

(घ) अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए धनराशि जारी करना

3159. **श्री सीताराम सिंह:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए चालू वर्ष 2004-2005 में राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) नामक प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित करता है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यवार तथा योजनावार रिलीज की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को रिलीज की गई राशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रामीण विकास योजनाएं									
		एसजीआर वाई	एसजी एस वाई	आई ए वाई	पीएम जीएस वाई	डीपीएपी	डीडीपी	आई डब्ल्यू डीपी	एआरडब्ल्यूएसपी	सीआर एसपी/टीएससी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	14092.31	2652.99	9547.07	1897.00	872.00	1238.00	1359.00	6554.50	1044.49	39257.36
2.	अरूणाचल प्रदेश	748.14	102.90	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2785.00	0.00	4017.33
3.	असम	19420.80	3597.59	9292.53	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	90.00	32671.92
4.	बिहार	27907.27	5700.35	26491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	60219.02
5.	छत्तीसगढ़	7865.18	1401.23	1537.52	0.00	415.00	0.00	249.00	983.00	1100.17	13551.10
6.	गोवा	202.04	25.00	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.13
7.	गुजरात	6169.98	998.64	2583.96	0.00	291.00	988.00	199.00	2445.00	200.00	13875.58
8.	हरियाणा	3250.42	587.52	873.74	0.00	0.00	436.00	208.00	729.00	811.13	6895.81
9.	हिमाचल प्रदेश	1207.36	245.30	386.53	0.00	59.00	0.00	187.00	2003.50	0.00	4088.69
10.	जम्मू-कश्मीर	1700.76	299.49	485.13	0.00	0.00	0.00	66.00	4615.50	964.73	8131.61
11.	झारखंड	18926.12	2378.99	7175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1088.83	130.00	29699.75
12.	कर्नाटक	10523.85	2003.38	4650.78	0.00	120.00	394.00	453.00	3708.89	441.99	22295.89
13.	केरल	4722.06	898.91	2881.98	0.00	0.00	0.00	99.00	1737.00	502.00	10840.95
14.	मध्य प्रदेश	16985.19	2882.44	5365.47	0.00	1392.00	0.00	776.00	2859.50	1909.51	32170.11
15.	महाराष्ट्र	20803.28	3960.20	8251.82	0.00	109.00	0.00	801.00	5896.00	2955.24	42776.54
16.	मणिपुर	739.57	0.00	296.56	0.00	0.00	0.00	167.00	956.00	0.00	2159.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मेघालय	1109.69	46.27	639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1795.06
18.	मिजोरम	337.90	62.53	157.08	0.00	0.00	0.00	68.00	790.00	0.00	1415.51
19.	नागालैण्ड	1001.64	77.43	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	810.50	0.00	2296.84
20.	उड़ीसा	15940.39	3034.66	7238.58	0.00	25.00	0.00	482.00	2560.00	90.00	29370.63
21.	पंजाब	3615.34	285.53	578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.00	699.94	6218.60
22.	राजस्थान	7991.19	1521.23	2438.12	13000.00	277.00	2242.00	575.00	7528.35	296.33	35869.22
23.	सिक्किम	374.11	69.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.07	630.64
24.	तमिलनाडु	12322.86	2345.83	4515.00	0.00	508.00	0.00	801.00	2630.50	801.26	23924.45
25.	त्रिपुरा	2353.68	435.46	955.25	0.00	0.00	0.00	31.00	977.00	253.66	5006.05
26.	उत्तर प्रदेश	47097.04	8575.36	16279.86	0.00	49.00	0.00	160.00	4796.00	1668.59	78625.85
27.	उत्तरांचल	3145.57	477.55	1709.84	0.00	245.00	0.00	401.00	1428.00	503.23	7910.19
28.	पश्चिम बंगाल	16170.23	3002.54	9685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3148.00	424.56	32430.94
	कुल	266723.97	47668.55	124977.41	14897.00	4362.00	5298.00	7353.00	62069.07	15080.90	548429.90

[अनुवाद]

स्टेशनों पर बुक स्टालों का आबंटन

3160. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बजट में घोषित नई बुकस्टाल नीति के अनुसार शिक्षित बेरोजगारों तथा समाज के कमजोर वर्गों को बुकस्टालों के आबंटन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उपर्युक्त वर्गों के पक्ष में "ख", "ग" तथा "घ" श्रेणी के स्टेशनों से ए.एच. व्हीलर एंड कंपनी को हटाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने कांट्रेक्टरों द्वारा बुकस्टाल लगाने तथा ए.एच. व्हीलर एंड कंपनी और हिगिनबोथम्स लिमिटेड द्वारा लगाए जा रहे बुकस्टालों की संख्या के लिए कोई अधिकमत सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) चूंकि नई बुक स्टाल नीति 11.6.2004 को लागू हुई है। क्षेत्रीय रेलें बेरोजगार स्नातकों तथा समाज के कमजोर वर्गों को बुक स्टाल आबंटित करने के लिए रेलवे स्टेशनों की पहचान कर रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई और दुर्गापुर संयंत्रों में विनिर्मित पहिए

3161. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं के लिए खराब पटरियों, दोषपूर्ण डिब्बों, लापरवाह ड्राइवरों के बाद अब निम्न गुणवत्ता के पहियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्रों में विनिर्मित पहियों को खराब और जल्दी टूटने वाला पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति से बंचने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) जुलाई 2001 से जून 2003 की अवधि के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी) द्वारा निर्मित रेल इंजन पहियों की विफलता के कुछ मामले सूचित किए गए थे। दिसम्बर, 1999 से अक्तूबर, 2003 की अवधि में भी डी एस पी में 1995-98 में निर्मित किए गए सवारी डिब्बों के पहियों की विफलता के कुछ मामले हुए थे।

(ग) पहियों की विशिष्टयां संशोधित कर दी गई हैं। विनिर्माण गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.), लखनऊ भी समय-समय पर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में गुणवत्ता लेखापरीक्षा भी कर रहा है।

किसानों के लिए डीजल पर राज सहायता

3162. श्री परसुराम माझी: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी तेल कंपनियों से किसानों को दी जाने वाली डीजल पर राज सहायता को अंतिम रूप देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तेल कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन तेल कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्यों में किसानों को दी जा रही राज सहायता की राशि कितनी है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सिंचाई के लिए डीजल पम्प सेटों का उपयोग करने वाले किसानों को राहत प्रदान करने से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

3163. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पणजी में नवम्बर 2004 में कराए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वहां अवसंरचना तैयार करने के लिए मंत्रालय और आई एफ एफ आई द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को 29 नवम्बर, 2004 से 9 दिसंबर, 2004 तक पणजी में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। गोवा सरकार द्वारा आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। आधारभूत ढांचे के निर्माण में होने वाला पूरा व्यय गोवा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

[हिन्दी]

अजमेर-पुष्कर रेल लाइन

3164. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में प्रस्तावित नई अजमेर-पुष्कर रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) अपनी भूमि गंवा चुके लोगों को कितनी राशि के मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या इस रेल लाइन का लंबे मार्ग से विस्तार किया गया है जबकि इसे छोटा भी रखा जा सकता था; और

(घ) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। रेलों द्वारा 13 गांवों में 63.77 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। सरकारी भूमि अभी राज्य सरकार द्वारा सौंपी जानी है।

(ख) भूमि अधिग्रहण के बदले 10.93 करोड़ रुपए की राशि जिसे राज्य सरकार द्वारा भू-स्वामियों को वितरित की जानी है, राज्य सरकार के पास जमा करा दी गई है।

(ग) विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् संरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(घ) चूंकि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपी जानी है इसलिए यह बताना व्यावहारिक नहीं है कि कब तक भूमि अधिगृहित कर ली जाएगी। मार्च 2004 तक 10.97 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सब-मिशन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निधियां

3165. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सब-मिशन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं तथा राज्य को अतिरिक्त धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने अप्रैल, 2003 में उप-मिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने हेतु केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा अगस्त, 2003 में राज्य सरकार को उत्तर भेजा गया था।

(ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि देकर राज्यों के प्रयासों में मदद देती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि के अंतर-राज्य आबंटन के लिए मानदण्ड नीचे दिए अनुसार हैं:

	जिस बात को महत्व दिया जाता है	प्रतिशतता
(क)	ग्रामीण जनसंख्या	40
(ख)	डी.डी.पी., डी.पी.ए.पी., एच.ए.डी.पी. के अन्तर्गत राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थ में विशेष वर्ग के पर्वतीय राज्य	35
(ग)	कवर नहीं/आंशिक रूप से कवर गांव (2 : 1 के अनुपात में)	15
(घ)	गुणवत्ता प्रभावित गांव	10
	योग	100

1.4.1998 से राज्य सरकारों को गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए उप-मिशन परियोजनाओं को मंजूर तथा कार्यान्वित करने की समस्त शक्तियां दी गई हैं। एआरडब्ल्यूएसपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता समस्या से निपटने हेतु उप-मिशन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिवर्ष एआरडब्ल्यूएसपी का 15 प्रतिशत आबंटन निर्धारित किया जाता है। पूर्णत: कवर राज्य भारत सरकार के अनुमोदन से जल गुणवत्ता से निपटने के लिए एआरडब्ल्यूएसपी की 15 प्रतिशत से भी अधिक निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

असम में कच्चे तेल की चोरी

3166. श्री राजेन गोहेन: क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में असम में कच्चे तेल की चोरी के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या असम में कच्चे तेल की चोरी के ऐसे ही एक मामले की जांच सी.बी.आई. कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रारंभिक निष्कर्ष क्या निकले और सरकार को सी.बी.आई. की अंतिम रिपोर्ट किस तारीख तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) ओ आई एल और ओ एन जी सी दोनों ने सूचित किया है कि उनके पाइपलाइन नेटवर्क्स से कच्चे तेल की चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं। पिछले तीन वर्ष अर्थात अप्रैल, 2001 से मार्च, 2004 तक के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइनों से चोरी के 30 मामलों की सूचना दी है। इसी अवधि के दौरान ओ एन जी सी ने ऐसे 16 मामलों की सूचना दी है।

ऐसी चोरी को कम करने, न्यूनतम करने और अंततोगत्वा पूर्णतः समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ तेल कंपनियों, केन्द्र और राज्य सरकारों तथा कानून प्रवर्तक एजेंसियों के बीच समन्वय और ग्रामीण रक्षा दलों की तैनाती, हेलीकाप्टरों द्वारा आवधिक सर्वेक्षण, संयुक्त गस्त कवायद, डाग स्कवैडों को लगाना, सार्वजनिक सहायता प्राप्त करना आदि शामिल है। स्थिति की आवधिक रूप से निगरानी करने के लिए सरकार ने असम राज्य के लिए तटीय सुरक्षा समन्वय समिति (ओ एम सी सी) के जरिए तत्स्थान संस्थात्मक व्यवस्था भी लागू की हैं। ओ आई एल और ओ एन सी जी ने सूचना दी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में 77 गिरफ्तारियां की गई थी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे में इस्पात की खपत

3167. **श्री पुष्प जैन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं में स्वदेशी इस्पात की कितनी मात्रा में खपत हुई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा आयातित इस्पात की गुणवत्ता क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल परियोजनाओं पर इस्पात का उपयोग विभिन्न कार्यकलापों जैसे पुलों, सुरंगों, इमारतों और अवसंरचनाओं का निर्माण, रेलपथ सामग्री, सिगनल एवं बिजली के उपस्करों आदि में किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले इस्पात की मात्रा उपलब्ध नहीं है क्योंकि अधिकांश मामलों में ठेकेदारों द्वारा अपेक्षित आपूर्ति की सीधे तौर पर व्यवस्था की जाती है।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान 15764 मीटरिक टन आयातित पटरियां प्राप्त की गई थी और यह आपूर्ति रेलवे की विशिष्टियों के अनुरूप की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय सीमेंट निगम की राजबन सीमेंट फैक्टरी में भ्रष्टाचार

3168. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय सीमेंट निगम लि. की राजबन सीमेंट फैक्टरी द्वारा मनेरी भाली विभाग, उत्तरकाशी को सीमेंट की आपूर्ति के मामले में मैसर्स टेक्नो स्टील लखनऊ को सेवा कमीशन के अवैध भुगतान के माध्यम से हुए राजस्व के भारी नुकसान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी राजस्व की हानि को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) महोदय, मनेरी भाली परियोजना, उत्तर काशी, उत्तरांचल सरकार को सीमेंट की आपूर्ति के लिए मैसर्स टेक्नो स्टील, लखनऊ को सेवा कमीशन के भुगतान से सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है। ऐसे कमीशन का भुगतान कंपनी की विपणन नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कोष के लिए भारतीय सीमेंट निगम को वित्तीय सहायता

3169. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा भारतीय सीमेंट निगम को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कोष के लिए दी गई एक करोड़ रु. की

राशि का इस्तेमाल निजी फर्मों तथा कांट्रैक्टरों को भुगतान करने के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वित्तीय अनियमितता में लिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी नहीं, भारतीय सीमेन्ट निगम ने सरकार द्वारा जारी की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम कोष (वीआरएस फन्ड) का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिये सरकार द्वारा इसे जारी किया गया था।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 'कपार्ट' के अंतर्गत विकास

3170. श्री मनोरंजन भक्त: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 'कपार्ट' के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रही स्वयंसेवी एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 'कपार्ट' के अंतर्गत चलाए गए विशिष्ट कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किस सीमा तक ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिली है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों (अर्थात् 20.03.2002 को) के दौरान स्वैच्छिक संगठन, (वीओ) अर्थात् विवेकानंद स्मृति कोलिनपुर, पो.-डेरबाताबादी, जिला-अंडमान, ने कपार्ट को एक परियोजना प्रस्ताव भेजा था जिसे अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि यह कपार्ट के निर्धारित प्रपत्र में नहीं भेजा गया था।

[हिन्दी]

राजस्थान में पुरातत्व महत्व वाले स्थानों का सर्वेक्षण

3171. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारान और झालावाड़ जिलों को पुरातत्व महत्व के स्थानों में शामिल किया गया है;

(ख) क्या उपर्युक्त जिलों में पुरातत्व के महत्व के स्थानों पर सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह स्थान कहां-कहां हैं;

(घ) क्या सरकार को ग्राम सिशौला, पंचायत समिति नैननवा, जिला बूंदी में पुरातत्व महत्व की वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में प्रमाण मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त वस्तुओं की सुरक्षा, संरक्षण तथा खोज हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। कोटा, बूंदी, बरन तथा झालावाड़ जिलों में कई केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं।

(ग) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) एकत्र किए गए साक्ष्यों के अनुसार उन्हें इस समय केन्द्रीय संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता।

विवरण

राजस्थान के बरन, बूंदी, झालावाड़ तथा कोटा जिलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों की सूची

बरन जिला

क्र.सं.	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम
1	2	3	4
1.	अटरु	अटरु/गणेश गंज	मंदिर के अवशेष
2.	मंगलौर	बदवा	यूप के खम्भे

1	2	3	4
3.	बरन	बरन	मंदिर (बारहवीं शताब्दी)
4.	शाहबाद	कृष्ण विलास	प्राचीन अवशेष तथा संरचनात्मक अवशेष पुराना मंदिर, मूर्तियां तथा उत्कीर्ण लेख
5.	अटरु	शरेगढ़	पुराने मंदिर मूर्तियां तथा उत्कीर्ण लेख
	बूंदी जिला		
1.	बूंदी	बूंदी	महल में हरदोती परम्परा के भित्ति चित्र
2.	केशवरी पाटन	केशवरी पाटन	प्राचीन टीला
3.	नैवा	नैवा	प्राचीन टीला
	झालवाड़ जिला		
1.	दाग	विन्नायागा	बौद्ध गुफाएं तथा खम्भे
2.	दाग	दाग	निरंजनी आदि गुफाएं
3.	गंगधर	दलसागर	प्राचीन अवशेष
4.	गंगधर	दूधालिया	प्राचीन अवशेष
5.	दाग	हथियागौर	बौद्ध गुफाएं
6.	झालरपाटन	झालरपाटन	चन्द्रभंगा के निकट प्राचीन मंदिर
7.	दाग	कोलवी	बौद्ध गुफाएं, खम्भे तथा मूर्तियां
	कोटा जिला		
1.	संगोल	चारचोमा	शिव मंदिर तथा दो अप्रकाशित गुप्त कालीन उत्कीर्ण लेख
2.	रामगंज मंडी	दारा	मंदिर, किला दीवार तथा मूर्तियां
3.	कोटा	केसवा	उत्कीर्ण लेख वाले मंदिर

[अनुवाद]

वृक्षारोपण के लिए बंजर भूमि

3172. **श्री निहाल चन्द:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में फलों के वृक्ष लगाने के लिए किसानों अथवा भूमिहीन व्यक्तियों को बंजर भूमि तथा वन भूमि आबंटित करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए निधियां आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) भूमिहीन व्यक्तियों को बंजरभूमि आबंटित करना राज्य का विषय है। इस प्रकार की कोई योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा वितरित की गई बंजरभूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भूमिहीन गरीबों को वृक्षारोपण के लिए या किसी

अन्य प्रयोजन के लिए वन भूमि आबंटित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी बंजरभूमि का वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित किया गया क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42.02
2.	असम	5.89
3.	बिहार*	13.21
4.	गुजरात	13.81
5.	हरियाणा	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17
7.	कर्नाटक	13.72
8.	केरल	4.57
9.	मध्य प्रदेश**	0.79
10.	महाराष्ट्र	10.23
11.	मणिपुर	0.32
12.	पंजाब	1.10
13.	उड़ीसा	7.26
14.	तमिलनाडु	2.07
15.	त्रिपुरा	1.32
16.	उत्तर प्रदेश\"	24.89
17.	पश्चिम बंगाल	4.32
18.	गोवा	0.05
19.	मिजोरम	0.74
20.	राजस्थान	0.93
21.	दिल्ली	0.06
	योग	147.47

*झारखंड सहित

**छत्तीसगढ़ सहित

"उत्तरांचल सहित

फकीराग्राम-धुबरी में आमान परिवर्तन

3173. श्री किरिप चालिहा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में फकीराग्राम-धुबरी रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज तक इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित तथा उपयोग की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) फकीराग्राम-धुबड़ी खंड (66.16 किमी.) पर, फकीराग्राम-सपतग्राम (7.98 किमी.), जहां पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं, का आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है। गोलकगंज और गौरीपुर (13.36 किमी.) के बीच भी मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस खंड पर शेष कार्य सुरक्षा कारणों से शुरू नहीं किया गया है।

(ख) फकीराग्राम-धुबड़ी के आमान परिवर्तन का कार्य संबद्ध शाखा लाइनों (419.48 किमी.) सहित न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव का ही एक भाग है। इस परियोजना पर 31.3.2004 तक 596.49 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2004-05 के दौरान इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है। शाखा लाइनों और न्य जलपाईगुड़ी तथा न्यू बोंगाईगांव के बीच भी निर्माण कार्यों की प्रगति के लिए निधियों का उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए मानदंड

3174. श्री सुभाष महरिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत देश के, विशेषकर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के संबंध में निर्धारित मानदंडों में रियायतें देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) पीएमजीएसवाई का उद्देश्य देश के अन्य भागों में 500 तथा इससे अधिक की आबादी वाली सभी पात्र संपर्कविहीन बसावटों को सड़कों से जोड़ना है, जबकि पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल), मरूभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय (अनुसूची-5) क्षेत्रों के संबंध में इसका उद्देश्य 250 और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ना है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव में निगमित निकायों का सहयोग

3175. श्री अधीर चौधरी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव में निगमित निकायों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में स्मारकों के पुनरुद्धार हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) संस्कृति विभाग के अधीन वर्ष 1996 में स्थापित राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों सहित भारत की सांस्कृतिक दाय को प्रोत्साहित तथा संरक्षित करने में निगमित निकायों, प्राइवेट संस्थाओं और व्यक्तियों को सहभागी बनाया जा सकता है। इसमें शामिल हैं-आगा खां सांस्कृतिक न्यास की हुमायूं का मकबरा, दिल्ली के बगीचों के पुनरुद्धार की परियोजना, ताज महल, आगरा के संरक्षण तथा वहां पर पर्यटक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का समझौता ज्ञापन, तथा जन्तर-मन्तर, दिल्ली के विकास में एपीजे सुरेन्द्र होटल्स की भागीदारी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल ड्रेनेज टेक्नोलाजी प्रोग्राम

3176. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नेशनल ड्रेनेज टेक्नोलाजी प्रोग्राम का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश राज्य को शामिल किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश को शामिल करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) फरवरी, 2004 में, 54.57 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से, जिसमें केंद्र सरकार का अंश 49.62 करोड़ रु. था, "देश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में गंदे जल की निकासी प्रणाली में सुधार" नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बाढ़ की वजह से प्रभावित समस्याग्रस्त क्षेत्रों में गंदे जल की निकासी संबंधी स्थितियों में सुधार करना है।

(ग से (ङ) 5.45 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "आंध्र प्रदेश राज्य में प्रमुख निकासी समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सुधार" नामक योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना में शामिल की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार को पहली किस्त के रूप में, जुलाई, 2004 को 1.50 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बस्तियां

3177. श्री शैलेन्द्र कुमारः क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की बस्तियों में उचित विकास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (घ) अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित सामाजिक रूप से लाभवंचित समूहों का विकास अभी भी देश की विकास नीति में प्राथमिकता पर है। समाज के इन वर्गों के कल्याण/विकास के लिए कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है और इन कार्यक्रमों के लाभों को समाज के कमजोर वर्गों तथा आसानी से पहुंचाने के लिए इन कार्यक्रमों में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। मंत्रालय के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि कार्यक्रम के चरण-2 के अंतर्गत, 50 प्रतिशत आबंटन को अनुसूचित जातियों/जनजातियों की बसावटों में गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह कार्यक्रम के चरण-1 के अंतर्गत, 22.5 प्रतिशत संसाधन अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु निजी लाभार्थी योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु 50 प्रतिशत लाभ का सुरक्षित रखते हुए विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। ग्रामीण आवास के लिए, मंत्रालय इंदिरा आवास योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत कुल आबंटन का कम से कम 60 प्रतिशत अनसूचित जातियों/जनजातियों के परिवारों को दिया जाना चाहिए। इसी तरह पेयजल आपूर्ति के दिशा-निर्देशों में भी प्रावधान है कि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की कम से कम 35 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों/जनजातयों के लाभ के लिए प्रयोग की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

के.आई.एल.ए. को मान्यता

3178. श्री सी.के. चन्द्रप्पनः क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (के.आई.एल.ए.) को पंचायती राज के एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में घोषित करने और इसकी क्षमता एवं संभाव्यता को बढ़ाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में इस अग्रणी संस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्रोत्साहन सहायता और मान्यता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) पंचायती राज मंत्रालय केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (के.आई.एल.ए.) को अनुसंधान और प्रशिक्षण का एक प्रतिष्ठित संस्थान मानता है परन्तु पंचायती राज मंत्रालय को केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (के.आई.एल.ए.) को पंचायती राज के एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में घोषित करने का अथवा इसकी क्षमता एवं संभाव्यता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 2003-04 और 2004-05 के दौरान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अन्य ग्रामीण विकास कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए के.आई.एल.ए. को केन्द्रीय सहायता के रूप में 84.00 लाख रुपए की राशि दो किस्तों में रिलीज की गई है।

पंचायती राज चुनाव

3179. प्रो. एम. रामदासः क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और संख्या कितनी है जहां 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के बाद भी पंचायती राज संस्थानों के चुनाव नहीं कराए गए हैं;

(ख) इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव न कराए जाने के कौन-से विशेष कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराने का प्रबंध किया है जहां तीन दशकों से भी अधिक समय से निर्वाचित निकाय नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पांडिचेरी तथा झारखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराए गए हैं।

(ख) से (घ) अनुसूची V क्षेत्र में गैर-जनजातीय आबादी के मुद्दे पर कुछ विवाद के कारण झारखण्ड में चुनाव नहीं कराए गए हैं। झारखण्ड सरकार ने भारत सरकार को बताया है कि राज्य सरकार ने हाल ही में नवम्बर, 2003 में झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 को संशोधित किया है तथा इस वर्ष के अंत तक चुनाव करा लिए जाएंगे। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने भारत सरकार को बताया है कि पांडिचेरी में चुनाव नहीं कराए जा सके क्योंकि पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित न्यायिक मामले लंबित थे। चूंकि मामले का निपटान हो गया है, अब पांडिचेरी में शीघ्र ही चुनाव करा लिए जाएंगे।

फालतू पड़ी भूमि का वितरण

3180 श्री पी. करुणाकरन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में उपलब्ध फालतू पड़ी भूमि से संबंधित कोई ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस फालतू पड़ी भूमि को भूमिहीन कामगारों के बीच वितरित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची संख्या-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 में की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन पूर्णतया राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। संघ सरकार इस क्षेत्र में केवल एक सलाहकार एवं समन्वयक की भूमिका अदा करती है। अधिकतम सीमा से फालतू भूमि तथा इसके वितरण के संबंध में इसे शुरू किए जाने से लेकर अब तक का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार (योजना का आरंभ होने से लेकर) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण का

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फालतू घोषित किया गया क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	अलग-अलग लाभभोगियों को वितरित किया गया क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	789910	646521	582188
2.	असम	613405	575337	545875
3.	बिहार	415447	390752	306964
4.	गुजरात	226043	161716	146578
5.	हरियाणा	107067	103171	102388
6.	हिमाचल प्रदेश	316556	304895	6167
7.	जम्मू-कश्मीर	455575	450000	450000
8.	कर्नाटक	268478	164675	123412
9.	केरल	141427	96851	68745
10.	मध्य प्रदेश	298763	260323	186942
11.	महाराष्ट्र	708098	650031	613965
12.	मणिपुर	1830	1685	1682
13.	उड़ीसा	180301	168035	158030
14.	पंजाब	223115	105858	104257
15.	राजस्थान	611912	570290	463547
16.	तमिलनाडु	202795	194118	183670
17.	त्रिपुरा	1995	1944	1598
18.	उत्तर प्रदेश	366176	335099	259334
19.	पश्चिम बंगाल	1394180	1304185	1088445
20.	दादर व नगर हवेली	9406	9305	6851

1	2	3	4	5
21.	दिल्ली	1132	394	394
22.	पांडिचेरी	2326	1286	1070
	योग	7335937	6496471	5402102

[हिन्दी]

'ममियों' की खोज

3181. डा. राजेश मिश्रा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन स्थानों के क्या नाम है जहां 'ममियों' पाई गई है और वे किस स्थिति में हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के स्पिति क्षेत्र में बौद्ध-मठों में पांच सौ साल पुरानी 'ममी' पाई गई हैं;

(ग)) उनके संरक्षण और रख-रखाव के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में ऐसे स्थानों के विकास हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को देश में अभी तक कोई 'ममी' नहीं मिली है।

(ख) शुष्क जलवायु में सूखा हुआ एक दफन शव गांव गिऊ, जिला लाहौल तथा स्पीती, हिमाचल प्रदेश के निकट संयोगवश मिला गया था। उक्त शव की अवधि का अनुमान लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक तिथि उपलब्ध नहीं है।

(ग) शव इस समय गांव के मंदिर में रखा हुआ है जिसका रख-रखाव ग्रामवासी कर रहे हैं।

(घ) उक्त गांव प्रतिबंधित प्रवेश वाले सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र में आम जनता तथा पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास इस अवस्था में इस स्थल का संरक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और प्रोत्साहन

3182. श्री छत्तर सिंह दरबार:
श्री कीर्तिवर्द्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में जनजातियों की भाषा, लोक नृत्य, कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय के पास "जनजातीय और लोककला एवं संस्कृति का परिरक्षण एवं संवर्धन" के लिए अनेक कार्यक्रम हैं। उनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व और हिमालयी बेल्ट के विभिन्न भागों में अनेक बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय के पास जनजातीय तथा लोककला एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक विशेष स्कीम के साथ-साथ अन्य अनवरण स्कीमें हैं। इस स्कीम के तहत ऐसे स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों तथा निजी व्यक्तियों, जनजातीय और गैर-जनजातीय दोनों, जो जनजातीय और लोककला एवं संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन कार्य में कार्यरत हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जारी की गई राशि
2001-2002	95,00,000/-रु.
2002-2003	95,00,000/-रु.
2003-2004	59,74,228/-रु.

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु नया आयोग

3183. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए दो नए आयोगों के गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पृथक-पृथक उनके सदस्य कौन-कौन हैं, उनकी विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी हां। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग तथा अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्थानों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्रत्यक्ष सम्बद्धता प्रदान करने के लिए एक आयोग के शीघ्र गठन का प्रस्ताव है।

(ग) राष्ट्रीय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु, इसके गठन की तारीख से 6 माह का समय दिया जाएगा।

[हिन्दी]

अप्रयुक्त भूमि का निपटान

3184. श्री संतोष गंगवार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा के अंतर्गत अप्रयुक्त भूमि के निपटान के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या प्रमुख शहरों के केन्द्र में स्थित रक्षा भूमि की नीलामी के संबंध में निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में रक्षा भूमि के ऐसे प्लाटों से संबंधित ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) पर दिए गए उत्तरों के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) पर दिए गए उत्तरों के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़कों की मरम्मत

3185. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सेना की आवाजाही के कारण अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे सीमा क्षेत्रों में सड़कों को बहुत क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने इन जिलों में सड़क अवसंरचना को चालू स्थिति में रखने हेतु अनुदान राशि का निवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सेना द्वारा संक्रियात्मक तथा संभारिकीय उद्देश्यों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ सड़कों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब सरकार से प्राप्त अनुरोध पर, अमृतसर, गुरदासपुर तथा फिरोजपुर जिलों में इस तरह की 146.30 कि.मी. सड़कों को संक्रियात्मक कारणों की वजह से सैन्य बजट से रख-रखाव हेतु हाथ में लिया गया है।

कर्नाटक में प्रमुख उद्योगों की स्थापना

3186. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कर्नाटक में कितने प्रमुख उद्योग किन-किन स्थानों में स्थापित किए गए;

(ख) लाभ के मद्देनजर उनके सपूर्ण कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक के हावेरी जिले को विकसित करने और रोजगार प्रदान करने के लिए भी वहां किसी प्रमुख उद्योग को स्थापित करने के बारे में कभी सोचा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यम हैं। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, विगत दो वर्षों में कर्नाटक राज्य में किसी भी प्रमुख उद्योग की स्थापना नहीं की गई है और कर्नाटक के हावेरी जिले में सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

3187. श्री टेक लाल महतो:
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री काशीराम राणा:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखण्ड सहित विभिन्न राज्यों में पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों को खोलने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने आबंटन किए गए और कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(घ) उक्त राज्यों में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में जिला-वार अब तक कितने उपभोक्ता है; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची के उपभोक्ताओं को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप (पेट्रोल पम्प और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (गैस एजेंसियां) स्थापित करने के लिए नियत किए गए, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखण्ड के जिलों सहित देश के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों के लिए समय-समय पर विज्ञापन जारी करती हैं।

पिछले तीन वर्ष अर्थात् 2001-02 से 2003-04 के दौरान चार सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों ने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए 10,376 स्थानों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए 1,997 स्थानों हेतु विज्ञापन जारी किए थे, तथा इसी अवधि के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए क्रमशः 4,243 और 2005 आबंटन किए गए। इन आबंटनों में से 1,904 और 1,109 आबंटन क्रमशः खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए पिछले तीन वर्ष में जारी किए गए विज्ञापनों के प्रति किए गए और शेष पहले जारी किए विज्ञापनों, कारगिल आबंटन इत्यादि के प्रति थे।

(घ) और (ङ) 1.8.2004 स्थिति के अनुसार देश में एल पी जी कनैक्शनों की वर्तमान प्रतीक्षा सूची की संख्या 84,361 है। इस प्रतीक्षा सूची को तत्काल निपटाने के लिए ओ एम सीज को कारगर कदम उठाने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

नर्सों के लिए नियम और विनियम

3188. डा. के.एस. मनोज: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना की सेवाओं में कार्य कर रही नर्सों की सेवा शर्तें और नियोजन की क्या स्थिति है;

(ख) क्या सेना नर्सिंग सेवा अध्यादेश-1943 और सेना नर्सिंग सेवा (भारत) नियम 1944 में कोई संशोधन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेना के अन्य अधिकारियों की तरह नर्सिंग अधिकारियों को भी वेतन, भत्ते और कम रैंक के सेनाकर्मियों द्वारा सेल्यूट और सम्मान मिलता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश, 1943 को विधि आदेश का अनुकूलन, 1950 और कमांडर-इन-चीफ (पद नाम में परिवर्तन) अधिनियम, 1955 (1955

का XIX, एस-2 और अनुसूची (7.5.1995) द्वारा संशोधित किया गया था।

सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश, 1943 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

I विधि आदेश का अनुकूलन, 1950 द्वारा:-

(क) इस अध्यादेश का शीर्ष, सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश, 1943 को बदलकर भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश, 1943 कर दिया गया।

(ख) "इन दी प्राविंसिज" शब्दों को हटा दिया गया था।

(ग) "सैन्य नर्सिंग सेवा (भारत)" शब्द के स्थान पर "भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

(घ) "क्राउन" शब्द के स्थान पर 'यूनियन' शब्द प्रतिस्थापित किया गया।

(ङ) "हिज मेजेस्टीज" शब्दों के स्थान पर "भारतीय (दी इंडियन)" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

(च) "कोई ब्रिटिश नागरिक अथवा किसी भारतीय राज्य का कोई नागरिक" शब्दों के स्थान पर "भारत का कोई भी नागरिक" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

(छ) "और भारतीय नर्सिंग सेवा रिजर्व में सेना के उन सदस्यों को, जिन्हें भारतीय सेना अधिनियम, 1911* के अध्यधीन बलों और व्यक्तियों के साथ सेवा करने के लिए लगाया गया है" शब्दों को हटा दिया गया है।

II कमांडर-इन-चीफ (पदनाम में परिवर्तन) अधिनियम, 1955 (1955 का XIX, एस-2 तथा अनुसूची (7.5.1955) द्वारा "कमांडर-इन-चीफ, इंडिया आर्मी" शब्दों के स्थान पर "सेना प्रमुख (चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ)" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुरूप वेतन और भत्तों के हकदार हैं। वे अपनी सेवा संबंधी मानदंडों के अनुसार सेल्यूट तथा अन्य सम्मान के भी हकदार हैं। तथापि, एक पृथक संवर्ग कार्यों और उत्तरदायित्वों वाला अनुषंगी बल होने के कारण सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों की तुलना नियमित सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों से नहीं की जा सकती।

*अब सेना अधिनियम 1950 (1950 का XLVI)

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस

3189. श्री गिरिधारी यादव:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री चन्द्र शेखर दूबे:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की आपूर्ति की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित गांवों की राज्य-वार और जिले-वार संख्या विशेषकर झारखंड राज्य के धनबाद में कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) 1.7.2004 की स्थिति के अनुसार ओ एम सीज ने शहरी/ग्रामीण श्रेणी के अंतर्गत योजनागत 1429 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 1075 और ग्रामीण श्रेणी के अंतर्गत योजनागत 1247 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 569 चालू कर दी हैं। इसके अतिरिक्त शामिल न किए गए ब्लाकों/तहसीलों/मंडलों को शामिल करने के लिए मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (ओ एम सीज) को निम्न आय वर्ग के ग्राहकों के लिए 5 कि.ग्रा. के सिलेंडर आरम्भ करने, गांवों में सामुदायिक रसोइयां स्थापित करने आदि जैसे नवाचार उपाय आरम्भ करने की सलाह दी है।

(ख) से (घ) वर्तमान में ओ एम सीज के 16 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर झारखण्ड के जिला धनबाद में ग्राहकों की सेवा में लगे हैं जिनमें से एक शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में प्रचालनरत है।

झारखण्ड सहित पूरे देश में एल पी जी कनैक्शन मांग पर उपलब्ध हैं और आशा है कि ओ एम सीज द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न नवाचार कदमों के कारण धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी की उपलब्धता और बढ़ेगी। राज्य-वार और जिला-वार शामिल किए गए गांवों का ब्यौरा ओ एम सीज के पास उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद के अंबेडकर भवन परिसर के लिए वित्तीय सहायता

3190. डा. तुषार अमर सिंह चौधरी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार के पास अहमदाबाद में प्रस्तावित अंबेडकर भवन परिसर के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है। प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मीटर गेज/ब्राड गेज रेल लाइनें

3191. श्री तापिर गाव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मीटर गेज/ब्राड गेज लाइनों की कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है;

(ख) ऐसी रेल लाइनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेलवे लाइन के विकास, संवर्द्धन और विस्तार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) (31.3.2003 को उपलब्ध सूचना के अनुसार) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी एवं छोटी लाइनों की कुल लंबाई (रूट किलोमीटर) नीचे दी गई हैं:-

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य	रेल लाइनों की लंबाई (रूट किलोमीटर)		
	बड़ी लाइन	छोटी लाइन	कुल
अरुणाचल प्रदेश	—	1.26	1.26
असम	1227.70	1289.53	2517.23
मणिपुर	—	1.35	1.35
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	1.50	1.50
नागालैण्ड	11.13	1.72	12.85
त्रिपुरा	—	64.42	64.42
कुल	1238.83	1359.78	2598.61

(ग) हारमुती से इटानगर (33 कि.मी.) तक नई लाइन का निर्माण कार्य पहले से ही बजट में शामिल कर लिया गया है। यद्यपि अरुणाचल राज्य सरकार द्वारा हारमुती से इटानगर रेल लाइन के स्थान पर बेंदुट्टी से इटानगर (45 कि.मी.) तक नई रेल लाइन के संरेखण के परिवर्तन के कार्य को रोकने का अनुरोध किया गया है। परिवर्तित संरेखण का सर्वेक्षण संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के लिए वर्ष 2004-05 के बजट में 2 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों को खोलने के लिए लाइसेंस

3192. श्री रमेश बैस:
श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों के नाम और संख्या कितनी है जिन्हें पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां खोलने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) उक्त कंपनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों को खोलने के संबंध में बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन शहरों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां पर उक्त कंपनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों को खोला जा रहा है और इसका ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सरकार ने तीन निजी कंपनियों नामतः मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल), मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड (ई ओ एल) और मैसर्स शैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एस आई पी एल) को परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए प्राधिकृत कर दिया है। आर आई एल, ई ओ एल और एस आई पी एल ने क्रमशः 5,849, 1,700 और 2,000 खुदरा बिक्री केन्द्र देश भर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना इन कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के अनुसार की जाएगी बशर्ते कि वे कम से कम 5.6% खुदरा बिक्री केन्द्र दूरदराज के क्षेत्रों में और कम से कम 5.3% खुदरा बिक्री केन्द्र निम्न सेवा क्षेत्रों में स्थापित करेंगी। इसके अतिरिक्त वे समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए अनुसार अन्य विपणन सेवा बाध्यताओं और खुदरा बिक्री सेवा बाध्यताओं का पालन करेंगी।

(ग) पूर्वोक्त निजी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निजी तेल कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा

राज्य	मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड	मैसर्स शैल इंडिया प्रा.लि.
1	2	3	4
गुजरात	449	362	76
राजस्थान	302	90	77
मध्य प्रदेश	430	60	87
छत्तीसगढ़	77		43
महाराष्ट्र	684	120	291
गोवा	21	6	17
कर्नाटक	357	71	171
आंध्र प्रदेश	332	90	196
केरल	168	50	96
तमिलनाडु	560	95	98
पांडिचेरी	11	0	14
पश्चिम बंगाल	377	64	96
उड़ीसा	172	20	77

1	2	3	4
बिहार	354	55	47
झारखंड	127		36
पंजाब	255	93	134
हरियाणा	219	75	104
दिल्ली	47	19	44
उत्तर प्रदेश	575	250	84
दूरदराज के क्षेत्र/निम्न सेवा क्षेत्र	332	180	112
योग	5,849	1,700	2,000

[अनुवाद]

बंगलौर में सेना की भूमि का हस्तांतरण

3193. श्री डी.वी. सदानंद गौडा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर शहर के अवसंरचनात्मक विकास के लिए कर्नाटक सरकार को सेना की भूमि दिए जाने संबंधी पैकेज डील पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो बंगलौर महानगर पालिका को अंतरित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंगलौर महानगर पालिका को कितने और क्षेत्रों का अंतरण किया जाना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी, नहीं। इस सौदे के एक भाग के रूप में, 9.0547 एकड़ रक्षा भूमि, बेंगलूर शहर के अवसंरचनात्मक विकास के लिए, बेंगलूर महानगर पालिका को सौंपी गई है। 2.0453 एकड़ शेष भूमि अभी बेंगलूर महानगर पालिका को अंतरित की जानी है।

मछलीपट्टनम गुड़ीवाड़ा रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3194. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मछलीपट्टनम गुड़ीवाड़ा रेल लाइन को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने संबंधी उपबंध का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) इस खंड में कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मछलीपट्टनम-गुड़ीवाड़ा के बीच मौजूदा लाइन पहले ही बड़े आमान में है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिहीन लोगों को भूमि का आबंटन

3195. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:
श्री रामदास बंडु आठवले:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बेघर लोगों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बेघर लोगों को कब तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संख्या-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 में की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन पूर्णतया राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। संघ सरकार इस क्षेत्र में केवल एक सलाहकार एवं समन्वयक की भूमिका अदा करती है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) भूमि राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

राजस्थान के उदयपुर मंडलीय मुख्यालय में कंटेनर डिपो

3196. श्री महावीर भगोरा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के उदयपुर मंडलीय मुख्यालय में कोई कंटेनर डिपो नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उमरदा डेबारी में कंटेनर डिपो की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) उदयपुर में कोई कंटेनर डिपो नहीं है।

(ख) फिलहाल उदयपुर में कंटेनर डिपो की कोई योजना नहीं बनाई गई है क्योंकि यह भारतीय रेल के मीटर लाइन खंड में स्थित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोलियम उत्पादों की खोज हेतु सर्वेक्षण

3197. योगी आदित्यनाथ:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने स्थानों पर पेट्रोलियम उत्पादों की खोज संबंधी सर्वेक्षण किया गया था और इनमें से कितने स्थानों पर तेल का पता चला है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार देश में उत्पादित किए जा रहे पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा का तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खोज के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने अपतटीय क्षेत्रों सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में भूकंपीय सर्वेक्षण किए हैं।

पिछले तीन वर्ष के दौरान ओ एन जी सी, ओ आई एल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा की गई तेल और गैस खोजों में से 3 आंध्र प्रदेश में, 16 असम में, 12 गुजरात में, 7 राजस्थान में, तमिलनाडु और त्रिपुरा प्रत्येक में 1 और अपतटीय क्षेत्रों में 9 हैं।

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान ओ एन जी सी, ओ आई एल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है-

राज्य/क्षेत्र	कच्चा तेल (एम एम टी में)	प्राकृतिक गैस (बी सी एम)
आंध्र प्रदेश	0.281	1.927
अरुणाचल प्रदेश	0.084	0.045
असम	4.59	2.204
गुजरात	6.135	3.518
राजस्थान	—	0.168
तमिलनाडु	0.374	0.605
त्रिपुरा	—	0.508
अपतट	21.909	22.986
योग	33.373	31.961

(ग) और (घ) वर्ष 2004-05 के दौरान ओ एन जी सी, ओ आई एल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा 44,778 ग्राऊंड लाइन किलोमीटर (जी एल के) 2 डी भूकंपीय आंकड़ों के अर्जन, 44,706 वर्ग किलोमीटर 3 डी भूकंपीय आंकड़ा अर्जन और 259 अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) ने भी अन्वेषण ब्लाकों के सीमांकन के लिए लगभग 2300 लाइन किलोमीटर (एल के एम) 2 डी अन्वेषण पूर्व/भूकंपीय सर्वेक्षण, तटीय क्षेत्रों में 35000 जी एल के वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण और अपतटीय क्षेत्रों में 7500 एल के एम 2 डी भूकंपीय सर्वेक्षण करने की योजना बनाई है।

[अनुवाद]

संरक्षित स्मारकों के आस-पास निर्माण की गतिविधियां

3198. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री विजय कृष्ण:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में संरक्षित स्मारकों के आस-पास निर्माण की गतिविधियों को रोकने के संबंध में दोहरी नीति अपना रही है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से संबंधित स्मारकों के आस-पास निर्माण संबंधी अपनी अधिसूचना का पुनरीक्षण करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, नहीं। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 के अधीन, 1992 में जारी अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण की अनुमति नहीं है। यहां तक कि निषिद्ध क्षेत्र के आगे 200 मीटर तक विनियमित क्षेत्र में, कोई निर्माण कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(ग) जी, हां।

(घ) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को निदेश दिया है कि वह जहां निषेध लागू किया जाता है अथवा छूट दी जाती है, वहां मामला दर मामला आधार पर कोई तंत्र विकसित करने पर विचार करे क्योंकि संरक्षण की कोटि एवं ढंग विभिन्न घटकों जैसे संरक्षित स्मारकों के स्वरूप, उनसे संबंधित स्थान, मौसम संबंधी दशा, स्थलाकृति, मृदा, आदि पर निर्भर करता है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि जन हित एक ओर स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण पर और दूसरी ओर विकास एवं प्रगति पर निर्भर करता है, अत: इन दो विरोधी बलों को समय और अन्तराल के संदर्भ में संगत और संतुलित किए जाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां और बड़े निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य में, अपेक्षाकृत कम निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र से जरूरत पूरी हो सकती है। अन्तत: न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को यह निदेश दिया कि वह निर्णय की तारीख से छ: महीनों की अवधि के अन्दर दिनांक 16.06.1992 की अधिसूचना की पुनरीक्षा करे।

(ङ) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, दिनांक 16.06.1992 की अधिसूचना की पुनरीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में दैतारी-बांसपनी रेलवे लाइन परियोजना

3199. श्री अनन्त नायक:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा में दैतारी-बांसपनी रेलवे लाइन की परियोजना को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, से दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के क्षेत्राधिकार में दिए जाने के प्रयासों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के स्थान परिवर्तन के कारण ईस्ट कोस्ट रेलवे की राजस्व आय में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में ऐसी किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। नई लाइन का निर्माण पूर्व तट रेलवे द्वारा ही किया जा रहा है।

(ख) और (ग) क्योंझार जो फिलहाल केवल द.पू. रेलवे से जुड़ा है, तक परियोजना के आंशिक भाग में गाड़ी परिचालन परिचालनिक सुविधा के कारण अस्थाई रूप से दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू किया जाएगा और यह व्यवस्था पूर्व तट रेलवे से संपर्क स्थापित हो जाने तक जारी रहेगी। दो रेलों के बीच राजस्व की भागीदारी प्रचलित रीति के अनुसार की जाएगी।

[हिन्दी]

बलावली स्टेशन पर गंगा नदी पर रेलवे पुल

3200. **श्री राजेन्द्र कुमार:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बलावली स्टेशन के अंतर्गत गंगा नदी पर जो रेलवे पुल बनाया गया था, वह क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह पुल कब बनाया गया था और इसके क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिनके पर्यवेक्षण में इस पुल का निर्माण किया गया था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) बालावाली रेलवे स्टेशन के पास गंगा नदी पर बने नए रेलवे पुल को मई 2000 में यातायात के लिए चालू कर दिया गया था। चालू किए जाने के बाद इसके कुछ इलैस्टोमेरिक बेयरिंगों में उभार के साथ-साथ पूर्व-बलित कंक्रीट गर्डरों की सतह पर थर्मल क्रैकों जैसे डिस्ट्रेस के संकेत दिखाई दिए थे। यह डिजाइन में कमी होने के कारण हुआ था। बेयरिंगों को अब बदल दिया गया है और गर्डरों में थर्मल क्रैकों को सील कर दिया गया है। जब से पुल चालू हुआ तभी से इसका उपयोग किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि निर्माण के दौरान पर्यवेक्षण में कोई गलती नहीं पाई गई थी।

[अनुवाद]

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं की पेंशन को आयकर से छूट

3201. **श्री जे.ए. आरून रशीद:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2001 में भारतीय सेना द्वारा सरकार को युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को आयकर में छूट देने के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) कराधान संबंधी नीतिगत मामला होने के कारण इस विषय पर वित्त मंत्रालय द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है तथा इस मामले पर यथासमय निर्णय ले लिया जाएगा।

[हिन्दी]

''पैलेस आन व्हील्स'' को सफदरजंग स्टेशन से चलाया जाना

3202. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली कैंट स्टेशन से चलने वाली ''पैलेस आन व्हील्स'' रेलगाड़ी के यात्रियों के लिए स्टेशन पर इस समय पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पर्यटन विभाग ने इस ट्रेन को दिल्ली कैंट की बजाय सफदरजंग स्टेशन से चलाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) दिल्ली छावनी एक महत्वपूर्ण "क" श्रेणी का स्टेशन है। सभी प्रतिष्ठित गाड़ियां जैसे "पैलेस आन व्हील्स", "रायल ओरिएण्ट एक्सप्रेस" और "फेयरी क्वीन" दिल्ली छावनी स्टेशन से चलाई जाती हैं। अत विशिष्ट व्यक्तियों (वी आई पी) के लिए विश्राम कक्ष, पैदल पार पथ, पानी के कूलर, पैदल ऊपरि पुल, यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस), खान-पान/विक्रेता स्टाल, कुली आदि जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं इस स्टेशन पर मौजूद हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेयजल संबंधी समझौता ज्ञापन

3203. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री कैलाश बैठा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 2004 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्टेट्स कोल्ड-टू सन्टर्स वाटर प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है;

(ग) यदि हां, तो तथ्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के विभिन्न ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों को कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस योजना में रुचि नहीं दिखाई है और पेयजल योजना के लिए केन्द्र सरकार के साथ समझौता करने में क्या-क्या मतभेद हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) स्वजलधारा के दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2 में प्रावधान है कि स्वजलधारा के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकारों को पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन करना होगा, जिसमें राज्य सरकार जल और स्वच्छता क्षेत्र में सुधार सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेगी।

तदनुसार, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को नवम्बर, 2003 में समझौता ज्ञापन का माडल मसौदा परिचालित किया है। समझौता ज्ञापन एक राज्य-विशिष्ट दस्तावेज होगा, जिसे राज्य में खासकर प्रणाली एवं स्रोतों के स्थायित्व, जल गुणवत्ता तथा संस्थागत ढांचे की क्षमता एवं कमजोरियों के संबंध में स्थानीय परिस्थिति और क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के चरणों में क्षेत्र स्थिति अध्ययन की तैयारी, राज्य दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप दिया जाना, राज्य के लिए व्यापक जल एवं स्वच्छता नीति बनाना, सहमत कार्य की रूपरेखा और भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना तथा राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाना शामिल है। अंतिम समझौता ज्ञापन राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जाएगा और इसमें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सुधार पहलों के कार्यान्वयन के लिए एक सहमत कार्य ढांचा शामिल होगा। राज्य सरकारों से कहा गया है कि समझौता ज्ञापन में भारत सरकार और विदेशी सहायक एजेंसियों की सभी वित्तपोषण व्यवस्थाओं का एक ढांचा दिया जाएगा।

वर्तमान में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने क्षेत्र स्थिति अध्ययन का पहला मसौदा तैयार किया है जबकि अन्य राज्यों ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू की है। समझौता ज्ञापन प्रक्रिया में ऊपर दर्शाए गए विभिन्न चरणों के पूरा होने पर ही समझौता ज्ञापन संपन्न होगा और उसके बाद स्वतंत्र निगरानीकर्ता/पर्यवेक्षी मिशनों के द्वारा सहमत कार्य ढांचे के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।

[हिन्दी]

भेल, झांसी द्वारा रेल इंजनों का विनिर्माण

3204. श्री अखिलेश यादव: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी को रेलवे इंजन विनिर्माण के कितने आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या भेल ने अपनी क्षमता मशीनों तथा इंजन के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले अन्य उपकरणों तथा जनशक्ति को बढ़ा लिया है किन्तु क्रयादेशों की प्राप्ति न होने के कारण यह आज बंदी के कगार पर है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी बंदी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) भेल, झांसी ने विगत तीन वर्षों के दौरान इंजनों की आपूर्ति के लिए कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं किया है।

(ख) भेल ने लोकोमोटिव के निर्माण के लिए नया ब्लाक बनाने में पूर्व में ही 23 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया था तथा 500 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती भी की थी। प्रति वर्ष लोकोमोटिव के 30 नग की स्थापित क्षमता के लिए विशेष उद्देश्यात्मक सुविधाएं सृजित की गयीं। ये अधिकांशतः बेकार पड़े हुए हैं। हालांकि, सामान्य उद्देश्य की मशीनों तथा जनशक्ति की तैनाती निम्नतर मूल्यवर्द्धन के साथ अन्य प्रयोग में की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप यूनिट के कारोबार तथा लाभदायकता में गिरावट हुई है।

(ग) इन सुविधाओं का उपयोग करने में मदद करने हेतु इस मामले को भारतीय रेल तथा अन्य के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्रामीण जल संवर्द्धन योजना

3205. श्री तथागत सत्पथी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण जल संवर्द्धन योजना को अंतिम रूप दिया है तथा क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू योजना के दौरान इसे कितने राज्यों में क्रियान्वित किया गया है या किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उड़ीसा राज्य पर विशेष ध्यान दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) संकट से निपटने में इस योजना का संभावित प्रभाव क्या होगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (ज) प्रधान मंत्री ग्रामीण जल संवर्द्धन योजना को शुरू करने संबंधी प्रस्ताव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को, उनकी व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) द्वारा विचार किए जाने हेतु 18.12.2003 को प्रस्तुत किया गया था। व्यय विभाग ने इस प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणियां की हैं और स्पष्टीकरण मांगे हैं। मामले की मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

मीडिया तथा प्रचार पर व्यय

3206. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मीडिया और प्रचार के लिए विशेषकर कर्नाटक राज्य में गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2002-2003 में उक्त परियोजनार्थ किया गया खर्च बजटीय प्रावधान से अधिक था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का अन्यत्र प्रयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) विभिन्न माध्यमों से मीडिया और प्रचार अभियान को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में चलाया जाता है, न कि राज्य-वार। विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुए व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (रु. लाख में)
1.	2003-04	2605.00
2.	2004-05	500.13 (16.8.2004 की स्थिति के अनुसार)

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख में एचपीटी/एलपीटी/वीएलपीटी की स्थापना

3207. **श्री छेवांग थुपस्तन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लद्दाख क्षेत्र में स्थापित एचपीटी/एलपीटी और वीएलपीटी का उनके स्थलों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लद्दाख के लेह और करगिल दोनों जिलों से एचपीटी/एलपीटी/वीएलपीटी की स्थापना के लिए भारी मांग रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) लद्दाख क्षेत्र में इस समय दूरदर्शन के 33 ट्रांसमीटर (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-1 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-2, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-30) कार्यशील हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) विगत में विभिन्न क्षेत्रों से लेह और करगिल जिलों में नए ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुए थे और जम्मू एवं कश्मीर के लिए दूरदर्शन की विस्तार योजना को तैयार करते समय इन पर विचार किया गया था। लेह और करगिल जिलों के लिए संस्वीकृत सभी ट्रांसमीटरों को अब चालू कर दिया गया है और अतिरिक्त ट्रांसमीटरों को स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। देश के कवर न किए गए क्षेत्रों को अब टी वी कवरेज के यू बैंड में उपग्रह प्रसारण के जरिये उपलब्ध कराना परिकल्पित है जिसके शीघ्र शुरू हो जाने की आशा है।

विवरण

लद्दाख क्षेत्र में कार्यशील दूरदर्शन के ट्रांसमीटर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1)	लेह			
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)	करगिल	लेह	(डीडी न्यूज)	
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (30)	अखान	बास्गो	बटालिक	बौद्ध खुरबू
	चुमाथांग	चुशुल	दाह	दस्किट
	डोमचुक	फतुला	हनले	इचर
	खालसी	खटलई	निमू	नाथमा
	पनामिक	पानिकर	सक्ति	सियाचिन (बेस कैंप)
	तांग्से	तिमसोगम	तुरटोक	जांगला
	द्रास	मुलबेख	पदम	रिंगडम गोंपा
	संकू	करगिल	(डीडी न्यूज)	

[हिन्दी]

सेना में विद्यमान रेजीमेंटें

3208. श्री खीरेन रिजीजु: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सेना में विद्यमान रेजीमेंटों के क्या-क्या नाम हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्यों से राज्यों के नाम पर रेजीमेंटें बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भारतीय सेना की 29 रेजिमेंटों के नामों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) विभिन्न राज्यों के नामों पर रेजिमेंटें खड़ी करने संबंधी प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों जैसे अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) सरकार की नीति किसी विशेष श्रेणी, पंथ, समुदाय, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर कोई नई रेजिमेंट खड़ी न करके एक ऐसी सेना रखने की है जिसमें सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। राज्य सरकारों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

विवरण

रेजिमेंटों के नाम

(क) ब्रिगेड आफ गार्ड्स

(ख) पैराशूट

(ग) मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री

(घ) पंजाब

(ङ) मद्रास

(च) ग्रेनेडियर्स

(छ) मराठा लाइट इन्फैंट्री

(ज) राजपूताना राइफल

(झ) राजपूत

(ञ) जाट

(ट) सिख

(ठ) सिख लाइट इन्फैंट्री

(ड) डोगरा

(ढ) गढ़वाल राइफल

(ण) कुमाऊं

(त) असम

(थ) बिहार

(द) महार

(ध) जम्मू-कश्मीर राइफल

(न) जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री

(प) लद्दाख स्काउट

(फ) नागा

(ब) पहली गोरखा राइफल

(भ) तीसरी गोरखा राइफल

(म) चौथी गोरखा राइफल

(य) पांचवीं गोरखा राइफल

(र) आठवीं गोरखा राइफल

(ल) नौवीं गोरखा राइफल

(व) ग्यारहवीं गोरखा राइफल

[अनुवाद]

पंजाब में ग्रामीण विकास परियोजनाएं

3209. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्षों से आज तक पंजाब राज्य के प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं वहां शुरू की गई ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में उस राज्य में इन कार्यक्रमों के तहत क्या उपलब्धियां हासिल की गई;

(ग) पंजाब में गरीबी अनुपात कम करने के लिए दसवीं योजना में कौन से विशिष्ट कार्यक्रम बनाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों से आज तक कितनी राशि जारी की गई एवं विभिन्न योजनाओं के तहत क्या उपलब्धियां हासिल की गईं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय पिछले तीन वर्षों से पंजाब राज्य में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और संपूर्ण स्वच्छता अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को सरकारी सब्सिडी और बैंक ऋण के माध्यम से आय सृजन के अवसर प्रदान कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 (जुलाई, 2004 तक) के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई निधियां तथा प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पंजाब सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात को नीचे लाने के लिए एक विशिष्ट योजना है।

विवरण

2001-02 से 2004-05 (जुलाई 2004 तक) के दौरान पंजाब राज्य में सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय रिलीज

क्र.सं.	कार्यक्रमों का नाम	केन्द्रीय रिलीज (लाख रुपए में)				वास्तविक उपलब्धि				इकाई
		2001-2002 के दौरान	2002-2003 के दौरान	2003-2004 के दौरान	2004-2005 के दौरान	2001-2002 के दौरान	2002-2003 के दौरान	2003-2004 के दौरान	2004-2005 के दौरान	
1.	ईएएस/एसजीआरवाई-I	1048.38	1183.87	1349.38	3615.34	9.75	9.88	14.40	9.26	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
2.	जेजीएसवाई/एसजीआरवाई-II	1067.80	2685.11	3270.70	—	8.75	15148.00	15853.00		सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)/ पूरा किया गया कार्य
3.	एसजीएसवाई	325.37	391.58	443.97	285.53	6272.00	6547.00	6554.00	987.00	कुल सहायता प्राप्त स्वरोजगारी (संख्या)
4.	डीआरडीए प्रशासन	453.41	420.44	450.95	—	—	—	—	—	—
5.	आई ए वाई	882.13	598.55	802.72	578.79	5317.00	5651.00	6050.00	359.00	आवास इकाइयां (संख्या)
6.	एलएफबीएस	99.82	0.00	0.00	—	966.00	0.00	0.00	—	सहायता प्राप्त परिवार (संख्या)
7.	एनओएपीएस	329.25	0.00	0.00	—	45265.00	0.00	0.00	—	सहायता प्राप्त व्यक्ति (संख्या)
8.	अन्नपूर्णा	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—	लाभार्थियों की संख्या
भूमि संसाधन विभाग										
9.	आई डब्ल्यू डी पी	186.61	0.00	50.66	—	0.00	0.00	0.00	—	वाटर शेड (संख्या)
10.	एस आर ए और यू एल आर	0.00	50.00	55.85	—	0.00	0.00	0.00	—	
पेयजल आपूर्ति विभाग										
11.	ए आर डब्ल्यू एस पी	1985.50	3081.00	2269.00	1039.00	282.00	710.00	746.00	एनए	कवर की गई बसावटें (संख्या)
12.	आर एस पी	142.17	52.67	0.00	699.94	0.00	0.00	0.00	एनए	—

(i) काम के बदले अनाज योजना और अन्नपूर्णा को 2002-03 से बन्द कर दिया गया है।

(ii) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2002-03 से राज्य सरकार को अंतरित कर दी गई है।

(iii) ई ए एस/(एस जी आर वाई-I) और जे जी एस वाई (एस जी आर वाई-II) 01.4.04 से एस जी आर वाई के रूप में एकल मजदूरी रोजगार में मिला दी गई है।

(iv) एन ए - उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

आरा-सासाराम रेल लाइन

3210. श्री अजीत कुमार सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरा-सासाराम रेल लाइन परियोजना का कार्य प्रगति पर है एवं इसे 2005 तक पूरा किये जाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य की धीमी गति के कारण परियोजना के निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना के पूरे हो जाने पर कब तक रेल चलाये जाने के कार्य के शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) आरा-सासाराम नई ब.ला. रेल लाइन (98 कि.मी.) 189.14 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत पर 1997-98 के बजट में शामिल की गई थी। सासाराम-नोखा खंड (20 किमी.) पूरा हो गया है। नोखा-संजौली खंड (10 किमी.) को 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है, जहां मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य पूरे होने वाले हैं। इसके अलावा, संजौली-पिरो खंड (32 किमी.) में, भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। बजट 2004-05 में इस कार्य के लिए 16 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। समग्र परियोजना को पूरा करने के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा एन.टी.सी. भूमि की खरीद

3211. श्री के. सुब्बारायण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयम्बटूर में रेलवे के भावी विकास हेतु एन.टी.सी. भूमि खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणियों/डिपो में आग/विस्फोट

3212. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री गणेश सिंह:
श्री राजनारायण बुधौलिया:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री विजय कृष्ण:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004, 2004-2005 के दौरान तथा अब तक आयुध निर्माणियों/डिपो में आग लगने/विस्फोट होने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके परिणामस्वरूप जान एवं माल की हानि का घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले की जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) प्रत्येक जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	तारीख	निर्माणी	दुर्घटना का ब्यौरा	जन-जीवन का नुकसान	वित्तीय हानि (रुपयों में)	जांच समिति के निष्कर्ष	सुझाए गए उपचारात्मक उपाय	कार्यान्वयन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान आग/विस्फोट की घटनाएं								
1.	31.10.03	आयुध निर्माणी, चांदी	फ्यूज माइन 1-सी के एडवांस नमूने का प्रूफ	1	शून्य	फ्यूज की जांच सुरक्षा क्लिप के साथ की गई होगी, जिससे शियर	(1) विनिर्दिष्ट प्रूफ प्रक्रिया का कड़ाई से कार्यान्वयन।	सभी उपचारात्मक उपाय

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			करते समय दुर्घटना हुई थी।			वायर क्षतिग्रस्त हो गया होगा। जब क्लिप खींचा गया उस समय फ्यूज कार्य किया होगा।	(2) केवल अनुभवी व्यक्ति, जो प्रूफ प्रक्रियाओं का जानकार हो, उसको ही प्रूफ संबंधी कार्यकलापों का प्रभारी बनाया जाना चाहिए। (3) मिसफायर होने के मामले में, ड्रिल सामान्य सुरक्षा निर्देशों के अनुसार किया जाए। (4) प्रूफ जांच उपकरण को शामिल करने की संभावना का पता लगाया जाए।	कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

वर्ष 2004-2005 (10 अगस्त, 2004 तक) के दौरान आग/विस्फोट की घटनाएं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13.4.04	वाहन निर्माणी, जबलपुर	उत्पादन-क्षेत्र के बाहर, जहां पैकिंग वुड स्क्रैप रखा हुआ था, स्टोर यार्ड में आग लगी।	शून्य	3,02,56,000/-	जांच समिति किसी विशिष्ट कारण का पता नहीं लगा सकी। तथापि, निम्नलिखित संभावित कारणों की पहचान की गई: (1) अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिगरेट, बीड़ी के जलते टुकड़े फेंकना। (2) तापमान का 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अत्यधिक होना।	(1) पैकिंग वुड स्क्रैप रखने के लिए अन्य संभावित स्थलों की पहचान करना। (2) पैकिंग वुड स्क्रैप को दिन-प्रतिदिन के आधार पर, निर्धारित स्थलों पर ले जाना। (3) अग्निशमन-व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए। (4) अचल/अधिशेष परिसम्पत्ति का तत्काल निपटान।	सभी उपचारात्मक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
2.	21.4.04	आयुध निर्माणी, खमरिया	125 मि.मी. के गोलाबारूद के शाट के साथ कम ज्वलनशील कारतूस से खोखों की असेम्बली करते समय।	1	2,19,31,500/-	आग, इलेक्ट्रिक शार्ट सर्किट के कारण लगी होगी।	(1) धातु के पाइपों के जरिए फ्लेम प्रूफ फिटिंग तथा वायरिंग करना। (2) इलैक्ट्रिक सेक्शन तथा प्रोडक्शन सेक्शन द्वारा भवन का लाइटनिंग प्रोटेक्टर टेस्टिंग रिकार्ड का रख-रखाव किया जाना चाहिए। (3) प्राधिकृत विस्फोटक 800 कि.ग्रा. (खतरनाक अवशिष्ट डिवीजन 1.3) की सीमा से अधिक न हो। (4) प्राधिकृत मानव-सीमा 30 आदमियों से अधिक न हो।	भवन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके बाद प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय कार्यान्वित किए जाएंगे।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	28.4.04	आयधु निर्माणी, वरणगांव	लीड स्टाइफनेट का विस्फोट	1	नगण्य	फनल के जरिए (हाथ से आपरेशन) लीड स्टाइफनेट के निस्यंदन के दौरान दुर्घटना घटी। विस्फोट के कारण मौत हुई।	(1) भवन संख्या 90-91 में निजी टेस्टर उपलब्ध होने चाहिए। (2) कमरे के दरवाजे पर निजी स्टेटिक चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए उपस्कर लगाना। (3) प्रेशर गाज तथा नियंत्रण प्रणाली युक्त वैक्यूम पंप मुहैया कराया जाना चाहिए। (4) 25+2 डिग्री सैंटिग्रेड तापमान के साथ 65.70% सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। (5) एक कक्ष के अंदर विस्फोटक सीमा अधिकतम एक किलोग्राम होनी चाहिए अर्थात् उस कक्ष में केवल एक इनशियेटर कार्य करना चाहिए। (5) शुष्कन से पहले तथा इसके बाद इनशियेटर के आर्द्रता अंश के सोखने के स्तर के दौरान सामान्य सुरक्षा दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होने चाहिएं।	पाइन्ट (4) को छोड़कर सभी उपचारात्मक उपाय लागू किए गए हैं। पाइन्ट (4) को भवन की मरम्मत करने और इसे सौंप दिए जाने के बाद लागू किया जाएगा।

[अनुवाद]

पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में नई रेल लाइन

3213. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर में नई रेल लाइन बिछाने के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जालंधर एवं जम्मू के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रेलवे लाइनों का कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) जालंधर और जम्मू तवी के बीच रेल संपर्क पहले से ही मौजूद है। जालंधर-जम्मू तवी के बीच दोहरीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है और तीन खंडों यथा सुचीपिंड-भोगपुर-सिखाल (26 कि.मी.) मुकेरियां-मीरथल (18 कि.मी.) और भरौली-माधोपुर पंजाब (13 कि.मी.) का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। संपूर्ण परियोजना के 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

मार्केटिंग प्रसारण अधिकार देने में अनियमितताएं

3214. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, इंडिपेंडेंस कप, 1997, आईसीसी नाक आउट टूर्नामेंट, 1998 एवं विश्व कप 1999 के मार्केटिंग प्रसारण अधिकार देने में हुई अनियमितताओं की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इन जांचों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) अनियमितताओं के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यह सूचित किए जाने के पश्चात् कि आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके, इंडिपेंडेंस कप, 1997 और विश्व कप, 1999 के संबंध में मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से बंद कर दिया गया है।

विम्बलडन, 1997 के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इन्हीं आधारों पर मामले को बंद करने की सलाह दी। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मामले की पुनः जांच-पड़ताल करने का निदेश दिया। फ्रेंच ओपन, 1997 के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से दो अधिकारियों के संबंध में मामले को बंद कर दिया गया है। अन्य दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल नाकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, 1998 के संबंध में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ बड़ी शास्ति हेतु विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

डी.आर.वी.एन. की वित्तीय स्थिति

3215. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभागीय रेलवे-विकास निगम (डी.आर.वी.एन.) की संरचनात्मक एवं वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) डी.आर.वी.एन. के जरिए पश्चिमी तट रेलवे जोन के तहत नई रेल लाइन बिछाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन पर, विशेषकर कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में कितनी धनराशि का उपयोग हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.) के निदेशक मंडल के अंतर्गत एक अंशकालिक अध्यक्ष, पांच कार्यकारी निदेशक (एक प्रबंध निदेशक सहित), एक सरकारी निदेशक और चार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक होते हैं। पूर्णकालिक निदेशकों के चयन की प्रक्रिया जारी है।

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ रुपए है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 717 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसका कि कंपनी से इक्विटी पूंजी के समय भुगतान किया जाएगा।

(ख) और (ग) भारतीय रेल में कोई पश्चिम तटीय रेलवे जोन नहीं है। यह संदर्भ शायद दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र के लिए है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के नेटवर्क के तटीय क्षेत्र में पड़ने वाली किसी भी नई लाइन की परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड में हस्तांतरित नहीं किया गया है और इसलिए डिपाजिट आर वी एन के अंतर्गत कोई राशि मुहैया नहीं कराई गई है।

विशेष रेल संरक्षा निधि

3216. डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री चन्द्र शेखर दूबे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष रेल संरक्षा निधि को वित्त पोषित करने के स्रोत क्या-क्या हैं तथा वर्ष 2004-05 के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ख) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान टूटे-फूटे रेल पुलों तथा रेल लाइनों की मरम्मत के लिए आवंटित धनराशि एवं इस उद्देश्य हेतु हुए खर्च का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड के धनबाद एवं रांची जिलों के रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाओं की कमी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) विशेष रेल संरक्षा निधि के उपयोग के क्या प्रभाव पड़े हैं तथा इस निधि के सृजन के समय से दुर्घटनाओं में किस सीमा तक कमी आई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) विशेष रेल संरक्षा निधि (एसआरएसएफ) को सामान्य राजकोष से 12,000 करोड़ रु. की धनराशि लाभांश मुक्त अनुदान के रूप में लेकर और यात्री किराए पर संरक्षा अधिभार लगाकर रेल मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले 500 करोड़ रु. की राशि से वित्तपोषित किया गया है। वर्ष 2004-05 के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि के लिए कुल बजट अनुमान (शुद्ध) 2933 करोड़ रु. हैं। इसमें 2075 करोड़ रु. सामान्य राजकोष से लेकर, 700 करोड़ रु. रेल मंत्रालय द्वारा संरक्षा अधिभार लगाकर तथा 158 करोड़ रु. राजस्व से लेकर एकत्रित किए गए हैं।

(ख) भारतीय रेलवे पर निधि का आबंटन और व्यय राज्य-वार नहीं रखा जाता है। ये आंकड़े रेलवे-वार रखे जाते हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान रेल पुलों और रेलपथों की मरम्मत हेतु जोनल रेलवे-वार निधि का आबंटन एवं व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2002-2003

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्रीय रेलवे	लाइनों की मरम्मत/नवीकरण		पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन	
	आबंटन (सकल) संशोधित अनुमान	व्यय (सकल)	आबंटन (सकल) संशोधित अनुमान	व्यय (सकल)
मध्य	204.00	267.35	36.00	24.52
पूर्व	110.00	165.41	13.90	24.32
उत्तर	346.00	353.47	22.60	29.51
पूर्वोत्तर	41.28	60.02	4.98	6.73
पूर्वोत्तर सीमान्त	43.00	54.30	19.00	15.33
दक्षिण-मध्य	204.15	223.85	11.23	9.13
दक्षिण-पूर्व	401.62	427.62	16.03	18.19
दक्षिण	129.00	157.30	6.23	6.04
पश्चिम	263.00	297.35	15.50	17.84
पूर्व-मध्य	131.01	—	9.80	—
पूर्व-तट	—	—	—	—
उत्तर-पश्चिम	24.03	—	1.50	—
उत्तर-मध्य	—	—	—	—
दक्षिण-पूर्व-मध्य	—	—	—	—
दक्षिण-पश्चिम	—	—	—	—
पश्चिम-मध्य	—	—	—	—
कुल सकल	1897.09	2006.67	156.77	151.61
क्रेडिट	434.46	349.22	0.88	0.49
कुल (शुद्ध)	1462.63	1657.45	155.89	151.12

2003-2004

क्षेत्रीय रेलवे	लाइनों की मरम्मत/नवीकरण		पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन	
	आबंटन (सकल) संशोधित अनुमान	व्यय (सकल) (अनंतिम)	आबंटन (सकल) संशोधित अनुमान	व्यय (सकल) (अनंतिम)
मध्य	135.85	122.14	22.16	20.54
पूर्व	115.00	120.99	4.09	4.31
उत्तर	281.00	309.52	45.25	43.93
पूर्वोत्तर	42.00	41.77	12.00	12.00
पूर्वोत्तर सीमान्त	53.00	65.32	10.00	8.66
दक्षिण-मध्य	167.30	156.26	21.12	15.71
दक्षिण-पूर्व	143.00	143.65	6.48	6.87
दक्षिण	155.00	150.22	7.53	6.65
पश्चिम	167.00	169.03	15.31	11.43
पूर्व-मध्य	109.00	124.41	15.20	11.17
पूर्व-तट	83.86	96.52	4.54	1.08
उत्तर-पश्चिम	117.60	124.99	1.11	1.36
उत्तर-मध्य	93.06	92.61	5.17	3.85
दक्षिण-पूर्व-मध्य	95.00	102.20	3.23	2.52
दक्षिण-पश्चिम	16.21	26.44	2.43	1.10
पश्चिम-मध्य	80.00	97.83	11.87	6.09
कुल सकल	1853.89	1943.90	187.52	157.27
क्रेडिट	43.93	330.81	2.75	1.38
कुल (शुद्ध)	1417.96	1613.09	184.77	155.89

(ग) और (घ) रेलें मंडल-वार स्थिति रखती हैं न कि जिला-वार। रांची (दक्षिण-पूर्व रेलवे) और धनबाद (पूर्व-मध्य रेलवे) पर सुविधाओं की स्थिति निम्नानुसार है:-

(1) **रांची मंडल:** निर्धारित मानदंड के अनुसार न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं इस मंडल के सभी स्टेशनों पर मुहैया की गई हैं।

(2) **धनबाद मंडल:** कुछ मात्रात्मक कमियों जैसे कि बुकिंग काउंटर के क्षेत्र में 2 बुकिंग काउंटरों के स्थान पर 1 बैंकिंग काउंटर का होना, मूत्रालय/शौचालय आदि की कमी के अलावा स्टेशनों पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं मुहैया हैं।

(ङ) संरक्षा में सुधार के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि के माध्यम से गतायु परिसंपत्तियों को बदलने के अतिरिक्त भारतीय रेलें विभिन्न उपाय कर रही हैं। इसलिए अकेले विशेष रेल संरक्षा निधि से दुर्घटनाओं की संख्या में आई कमी की मात्रा का निर्धारण करना व्यावहारिक नहीं है। फिर भी परिणामी रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है जो वर्ष 2001-02 में 414 से घटकर वर्ष 2002-03 में 351 और वर्ष 2003-04 में 325 हुई हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनियमितताएं

3217. श्री राम कृपाल यादव:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में उद्यमों में हो रही अनियमितताओं के कारण करोड़ों रुपयों का घाटा उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनियमितताओं में लिप्त पाए गए कितने अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया एवं इनका उद्यम-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उठाए गए घाटे के कई कारण हैं। इनमें पुराने संयंत्र व मशीनरी, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, संसाधन संकट, अत्यधिक निविष्टि लागत, कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या, उच्च ब्याज भार, निम्न क्षमता उपयोग, निम्न आदेश पुस्तक स्थिति, कच्चे माल का अभाव/अनुपलब्धता तथा प्रबंधन अक्षमता इत्यादि शामिल है। घाटे के लिए अनियमितता सहित किसी विशेष कारण को अलग से बताना और उत्तरदायी ठहराना कठिन है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन को सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों के सभी अधिकारियों की भर्ती करने तथा हटाने की स्वायत्तता प्राप्त है। दंडित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार से विचार-विमर्श करना अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। तथापि, सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता तंत्र मजबूत बनाने तथा खरीद की प्रक्रिया इत्यादि को सुचारू बनाने जैसे कई उपायों से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

जमालपुर रेलवे कार्यशाला में सामग्री निर्माण

3218. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी रेलवे की जमालपुर रेलवे कार्यशाला में रेलवे सामग्री का निर्माण/उत्पाद किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्यशाला निरंतर लाभ अर्जित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्जित आय एवं किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेल मंत्रालय ने जमालपुर कार्यशाला में रेल पहियों के निर्माण की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(च) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यशाला में रेल पहियों के निर्माण कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	विनिर्माण की जाने वाली मदें	2001-02		2002-03		2003-04	
		सं.	कीमत (करोड़ रुपए में)	सं.	कीमत (करोड़ रुपए में)	सं.	कीमत (करोड़ रुपए में)
1.	140 टन ब्रेकडाऊन क्रेन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	6	46.08	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	ओवर हेड इलेक्ट्रिक यान	5	4.0	कुछ नहीं	कुछ नहीं	6	6.0
3.	20 टन की क्रेन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	1.04	3	3.12
4.	लिफ्टिंग जैक	79	1.82	120	2.76	79	1.82
5.	रेल उपस्कर	–	39.7	–	43.6	–	35.0
	कुल		45.52		93.48		45.94

(ग) जमालपुर कारखाने के अंदर ही चल स्टाक की मरम्मत और आवधिक ओवर हालिंग, कल-पुर्जों का विनिर्माण, क्रेनों का विनिर्माण किया जाता है। चूंकि ये मदें रेलों की अपनी ही खपत के लिए होती हैं इसलिए, मौजूदा प्रणाली में लाभ की गणना नहीं की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रचार फोटो प्रभाग एवं गीत और नाटक प्रभाग को बंद करना

3219. श्री अतीक अहमद:
श्री सुरेश कुरूप:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्र प्रचार फोटो प्रभाग (फील्ड पब्लिसिटी फोटो डिवीजन) तथा गीत और नाटक प्रभाग निदेशालय को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अधिशेष होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे अधिशेष कर्मचारियों को सरकार के अन्य विभागों में खपाने के लिए सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) विभिन्न संगठनों के युक्तिसंगत पुनर्गठन हेतु उठाए जाने वाले कतिपय कदमों के अध्यधीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय 1334 पदों को समाप्त करने के लिए प्रारम्भ में सहमत हो गया था।

व्यय सुधार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मामला सचिवों की समिति के समक्ष रखा गया था जिसने 28 अप्रैल, 2004 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव रखा कि क्षेत्रीय प्रचार और गीत एवं नाटक प्रभाग को बंद किया जाए तथा फोटो प्रभाग, प्रकाशन विभाग और फिल्म प्रभाग का आकार काफी हद तक कम किया जाए।

विभिन्न मुद्दों और विकल्पों के विस्तृत अध्ययन के पूरा होने के पश्चात् मामले की सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए समाप्त किए जाने वाले पदों की संख्या के संबंध में अभी तक परिशोधित आकलन तैयार नहीं किया गया है।

अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा विदेशी फेलोशिप

3220. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा उच्च शिक्षा के लिए विदेशी फेलोशिप दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज तक दी गई फेलोशिप का ब्यौरा क्या है एवं प्राप्तकर्त्ता व्यक्तियों के नाम क्या है; और

(ग) फेलोशिप लाभार्थियों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नियम 43 के प्रवर्धन के लिए सुझाव

3221. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पोत भंजक गतिविधियों को शामिल करने के लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 43 में प्रवर्धन के सुझाव की जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। सरकार को गुजरात सरकार से पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 43 में संशोधन करने तथा पोत भंजक गतिविधियों को शामिल करने के लिए एक सुझाव मिला है ताकि किनारे पर लगाने के बाद पोतों का निरीक्षण विस्फोटक विभाग द्वारा किया जा सके।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइन का निर्माण

3222. श्री ताराचंद साहू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए जोन-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) प्रत्येक रेल लाइन पर वास्तव में कितनी धनराशि का खर्चा आया है;

(ग) प्रत्येक रेल लाइन से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय कितनी है;

(घ) क्या कुछ रेल लाइनों को बिछाने का कार्य रोक दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य किस तिथि से रोका गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन लाइनों पर निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य चल रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्षेत्रवार नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रत्येक पिछले तीन वर्ष एवं चालू वित्त वर्ष के दौरान किया गया आबंटन तथा मार्च, 2004 तक प्रत्येक परियोजना पर खर्च वास्तविक राशि निम्नलिखित तालिका में दी गई है। प्रत्येक रेलवे की प्रतिफल दर परियोजना शुरू करने के समय पर आंकी गई थी और प्रत्येक परियोजना के सामने नीचे दिखायी गई है:-

क्र.सं.	परियोजना	परिव्यय 2001-02	परिव्यय 2002-03	परिव्यय 2003-04	परिव्यय 2004-05	मार्च, 04 तक वास्तविक खर्च	प्रतिफल की दर %
1	2	3	4	5	6	7	8
	मध्य रेलवे						
1.	बारामती-लोनांद	4.00	5.00	4.00	4.00	6.62	ऋणात्मक
2.	पनवेल-करजत	14.00	20.00	20.00	5.00	113.82	4.8
3.	अहमदनगर-बीड-परली वैजनाथ	3.00	15.00	15.37	20.00	11.75	3
4.	अमरावती-नारखेर	8.00	10.00	10.00	16.49	107.00	10.41
5.	पुंतबा-शिरडी	4.00	10.00	10.00	8.92	13.15	5.08
	पूर्व तटीय रेलवे						
6.	हरिदासपुर-पारादीप	20.00	5.00	20.00	6.00	24.10	13.59
7.	तलचेर-संबलपुर	1.00	0.01	1.00	1.00	454.61	2.61
8.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	2.00	2.00	5.00	8.00	18.45	4.38
9.	तलचेर-बिमलगढ़	0.00	0.00	0.01	5.00	0.00	-3.77
10.	अंगुल-सुफिदा रोड	23.00	1.00	2.00	2.00	0.86	23.43
11.	खुर्दा रोड-बोलनगीर	15.00	5.00	15.00	15.38	28.24	14.41
12.	दैतारी-बेसपानी	50.00	40.00	75.00	83.00	446.52	16.43
13.	कोरापुत-रायगदा	1.00	0.01	0.01	5.01	484.80	13.24
	पूर्व मध्य रेलवे						
14.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	10.00	10.00	12.00	10.10	41.75	ऋणात्मक
15.	हाजीपुर-सगौली	0.00	0.00	0.10	10.00	3.83	-5.35
16.	कोडरमा-तिलैया	0.01	10.00	15.00	15.00	8.25	14.52
17.	गंगा नदी पर मुंगेर-रेल एवं सड़क पुल	5.00	5.00	30.00	30.00	22.52	1.54
18.	फतुहा-इस्लामपुर पुर्नस्थापन और दानियावान के रास्ते शेखपुरा से न्योरा तक	15.00	15.00	12.00	10.00	149.42	ऋणात्मक
19.	कोसी पुल	0.00	0.00	10.00	10.00	0.71	ऋणात्मक
20.	कोडरमा-रांची	20.00	35.00	50.00	50.00	217.63	ऋणात्मक
21.	गिरिडिह-कोडरमा	6.00	15.00	15.00	15.00	74.67	ऋणात्मक

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	खगरिया-कुशेश्वरास्थान	5.00	5.00	2.00	2.00	9.63	ऋणात्मक
23.	आरा-सासाराम	6.00	15.00	16.00	16.00	70.94	4.82
24.	सकरी-हासनपुर	5.00	10.00	10.00	10.00	24.41	1.32
25.	पटना-गंगा पुल पटना एवं हाजीपुर के बीच संपर्क लाइनों सहित	15.00	50.00	50.00	50.00	116.26	5.6
26.	राजगिर-हिसुआ-तिलैया एवं इस्लामपुर-नतेसर	5.00	15.00	12.00	12.00	97.07	ऋणात्मक
	पूर्व रेलवे						
27.	आजिमगंज (जालीपुर)- जियागंज से घाट तक	0.01	0.01	2.00	0.01	0.00	ऋणात्मक
28.	दुमकाके रास्ते मंदारहिल-रामपुरहाट	6.00	7.00	10.00	10.00	53.73	ऋणात्मक
29.	लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना	15.00	3.00	7.00	1.00	94.30	4.4
30.	देवगढ़-दुमका	4.00	12.43	15.00	15.00	35.54	ऋणात्मक
31.	बोगांव-पेटरापोल	0.99	0.01	0.02	0.02	8.17	ऋणात्मक
32.	देवगढ़-सुल्तानगंज, बंका-बाराहाट और और बंका-मितिया रोड	12.00	15.00	9.00	8.00	43.09	ऋणात्मक
33.	कुण्डु बाइपास एक्सटेंशन तक तारकेश्वर-बिशनुपुर कुमार जो हावड़ा-बर्धमान कार्ड को जोड़ता है	25.00	1.00	1.00	2.99	22.65	ऋणात्मक
	उत्तर मध्य रेलवे						
34.	इटावा-मैनपुरी	5.00	1.00	10.00	10.00	19.89	ऋणात्मक
35.	गुना-इटावा	25.00	40.00	40.00	31.00	329.54	2.87
36.	फतेहबाद और बाह के रास्ते आगरा-इटावा	10.00	20.00	20.00	5.00	39.04	ऋणात्मक
37.	ललितपुर सतना एवं रीवा-सिंगरौली	5.00	30.00	32.45	32.00	29.33	ऋणात्मक
	पूर्वोत्तर रेलवे						
38.	किछा-खातिमा	0.00	0.00	0.01	5.37	0.01	-3.24
39.	दुरौंडा-महाराजगंज	0.10	5.00	1.00	1.00	7.56	8.68
40.	महाराजगंज-मसराख	0.00	0.00	0.01	2.00	0.01	-2.14
41.	कटरा-फैजाबाद	13.50	10.00	3.00	1.00	88.95	0.3

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम एन एच पर आर ओ बी	0.10	0.02	0.01	0.01	0.08	उपलब्ध नहीं
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे						
43.	डिब्रूगढ़ और नार्थ बैंक लाइन के बीच लिंक लाइनों के साथ बोगीबील पुल	14.89	40.00	60.00	60.00	156.31	उपलब्ध नहीं
44.	हरमुखी-ऐटानगर	5.00	4.00	3.00	2.00	0.04	ऋणात्मक
45.	जोगीघोपा पर ब्रह्मपुर नदी के पार रेल एवं सड़क पुल सहित जोगीघोपा-गुवाहाटी	15.00	5.00	0.98	0.98	722.39	4.05
46.	जीरीबाम इम्फाल (तुपुल)	0.00	0.00	0.01	3.00	0.00	-19.39
47.	कुमारघाट-अगरतला	40.00	80.00	85.00	80.00	343.97	2.17
48.	न्यू मेकनागुड़ी-जोगीघोपा	20.00	8.00	25.00	42.00	33.97	ऋणात्मक
49.	दुधनोई-देपा	0.10	0.01	0.01	0.01	0.50	ऋणात्मक
50.	एकलाखी-बेलूरघाट	50.00	20.00	15.00	5.00	207.25	ऋणात्मक
	उत्तर रेलवे						
51.	कालका-परवानू	10.00	4.05	0.01	0.15	0.15	ऋणात्मक
52.	रेवाड़ी-रोहतक	0.00	0.00	0.01	3.00	0.00	3.35
53.	जींद-सोनीपत	0.00	0.00	0.01	3.89	0.00	-15.64
54.	चण्डीगढ़-लुधियाना	35.00	15.20	15.00	20.00	119.32	ऋणात्मक
55.	नंगलडैम-तलवाड़ा एवं मुकेरियां तलवाड़ा की साइडिंग का काम हाथ में लेना	10.00	10.00	12.31	11.00	91.47	ऋणात्मक
56.	तरण तारण-गोंदिवाल	10.00	3.00	2.00	1.00	10.34	ऋणात्मक
57.	जम्मूतवी-उधमपुर	40.00	36.00	30.00	10.44	483.00	0.5
58.	उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला	100.00	0.00	0.00	0.00	1289.78	ऋणात्मक
59.	ब्याससे डेराबाबा जयमल सिंह	0.10	0.01	0.01	0.01	0.00	ऋणात्मक
60.	अबोहर-फाजिल्का	2.00	2.00	1.51	1.00	2.02	ऋणात्मक
	उत्तर पश्चिम रेलवे						
61.	कोलायत-फालोदी	0.00	0.10	0.00	0.00	15.55	ऋणात्मक
62.	अजमेर-पुष्कर	5.00	10.00	5.00	5.00	10.97	ऋणात्मक
63.	दौसा-गंगापुर सिटी	0.10	15.00	10.00	5.00	10.27	ऋणात्मक

1	2	3	4	5	6	7	8
	दक्षिण-मध्य रेलवे						
64.	मुनिराबाद-महबूबनगर	5.00	10.00	10.00	10.00	24.44	1.67
65.	काकीनाडा-कोटीपल्ली	10.00	10.00	21.32	15.00	45.13	10.93
66.	गुलबरग्र-बीदर	10.00	15.00	15.00	10.00	20.01	1.64
67.	पेडापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	20.00	10.00	15.00	15.00	86.62	6.33
68.	मर्चेला-नालगोंडा	0.10	0.01	1.00	1.00	0.25	5.86
69.	गढ़वाल-रायचुर	5.00	1.00	5.00	5.00	9.24	ऋणात्मक
70.	काकीनाडा-पिथापुरम	10.00	0.00	0.01	0.01	0.01	8.08
71.	कोटापल्ली-नारसापुर	20.00	8.00	5.00	2.00	9.31	ऋणात्मक
72.	नांदयाल-येरागुंटा	2.00	1.00	5.00	5.00	14.33	7.82
	दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे						
73.	डालीराजहरा-जगदलपुर	0.01	0.01	0.01	0.01	0.43	16.25
74.	बिश्रामपुर-अंबिकापुर	10.0	10.00	26.00	20.00	28.49	0.45
	दक्षिण-पूर्व रेलवे						
75.	हवड़ा-आमटा	30.00	5.00	5.00	5.00	71.06	7.76
76.	तमलुक-दिघा	0.00	20.00	15.00	11.00	244.05	2.53
	दक्षिण रेलवे						
77.	अनगमाली-साबरीमाला	20.00	10.00	10.00	2.00	5.40	ऋणात्मक
78.	तनुर (कुट्टीपुरम)-गुरूवायूर	5.00	0.01	3.00	3.00	6.72	ऋणात्मक
79.	करूर-सेलम	10.00	15.00	15.69	5.00	64.69	11.19
80.	कोट्टयम-इरूमेली	5.00	0.01	2.00	2.00	0.14	ऋणात्मक
	दक्षिण-पश्चिम रेलवे						
81.	हुबली-अंकोला	20.00	20.00	15.00	18.02	49.03	10.59
82.	धरमावरम-पेनुकोण्डा, पुट्टापरथी के रास्ते	20.00	0.52	0.02	0.02	112.35	14.14
83.	कोटुर-हरीहर, हारपनाहल्ली के रास्ते	1.00	7.00	5.00	3.00	11.32	1.92
84.	कंदूर-चिकमंगलूर-साकलेसपुर	3.00	9.00	15.00	15.00	32.86	ऋणात्मक
85.	बेंगलोर-सत्यमंगलम	2.00	0.25	0.10	0.10	0.27	ऋणात्मक

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	हासन-बेंगलोर	15.00	8.00	26.00	29.00	120.78	ऋणात्मक
	पश्चिम-मध्य रेलवे						
87.	रामगंजमंडी-भोपाल	5.00	20.00	20.00	27.00	6.72	ऋणात्मक
	पश्चिम रेलवे						
88.	कवाडवंज-मोडासा	1.00	0.01	0.16	0.16	60.13	ऋणात्मक
89.	गांधीनगर-अदरेज मोती-कलोल	10.00	10.00	15.00	20.00	14.00	ऋणात्मक
90.	गोधरा-इन्दौर तथा देवास-मकसी	15.00	22.10	20.00	15.00	58.10	11.62

[अनुवाद]

डीजल तेल की खपत

3223. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से डीजल तेल की खपत में कमी आई है;

(ख) क्या डीजल के अनुपात के मुकाबले मिट्टी तेल की खपत में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या डीजल की खपत में कमी मिट्टी तेल में भारी मिलावट के कारण हो रही है; और

(घ) डीजल में भारी मिलावट को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) जहां वर्ष 2001-02 के दौरान डीजल खपत में 3.7% की कमी आई थी, वहीं 2002-03 और 2003-04 के दौरान इसमें क्रमशः 0.3% और 1.8% की वृद्धि हुई है। मिट्टी तेल के मामले में खपत में वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान क्रमशः 7.7% 0.3% और 1.9% की कमी आई।

अपमिश्रण पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से मिट्टी तेल आयातों को नियंत्रित करना, राज्य सरकार से गैर-पी डी एस मिट्टी तेल पर बिक्री कर दरों में वृद्धि करने का अनुरोध करना, तेल कंपनियों द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण, दोषी डीलरों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई और कड़ी बनाने के लिए समय-समय पर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में संशोधन आदि शामिल हैं।

पहिया एवं धुरा संयंत्र की स्थापना

3224. श्री खारबेल स्वाईं: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पहिया एवं धुरा संयंत्रों की संख्या कितनी है एवं उनके कार्य निष्पादन की दर क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार छपरा, बिहार में एक नए पहिया एवं धुरा संयंत्र की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलें इस समय दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से देशी सप्लाई प्राप्त करने के अतिरिक्त रेल पहिया कारखाना, बेंगलूर में पहियों एवं धुरों का निर्माण कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संयंत्रों में निर्मित कुल पहिए एवं धुरे नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

		2001-02	2002-03	2003-04
रेल पहिया कारखाना	पहिए	83760	101554	110407
	धुरे	35911	43322	50513
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	पहिए	43371	41686	46020
	धुरे	6533	6260	3941

(ख) वर्ष 2004-05 के रेल बजट भाषण में घोषणा की गई है। यह प्रस्तावित संयंत्र केवल पहियों के निर्माण के लिए होगा।

(ग) देश में मौजूद पहिया निर्माण क्षमता में कमी होने की संभावना है।

[हिन्दी]

निजीकरण किये गये उद्यम

3225. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अधीन उद्यमों का निजीकरण/विनिवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या एवं नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उद्यम-वार सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(घ) क्या सरकार को उपरोक्त उद्यमों के निजीकरण/विनिवेश में की गई कथित अनियमितताओं की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने मामले की पूरी जांच के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के दो उद्यम हैं जहां विगत पांच वर्षों के दौरान निजी भागीदारों में इक्विटी का विनिवेश किया गया है।

(ख) और (ग) उद्यमों के नाम, विनिवेश की तिथि तथा प्राप्त राशि निम्नानुसार है:

	उद्यमों के नाम	विनिवेश की तिथि	प्राप्त राशि
क.	लगन जूट मशीनरी कारपोरेशन लि. (एलजेएमसी)	04.07.2000	2.53 करोड़ रुपये
ख.	जेसप एंड कंपनी लि. (जेसप)	29.08.2003	18.18 करोड़ रुपये

(घ) विनिवेश प्रक्रिया में की गई किसी भी अनियमितता से सरकार अवगत नहीं है।

(ङ) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

गेल की विस्तार योजना

3226. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के विस्तार की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु किन स्रोतों से धन जुटाने की संभावना है; और

(घ) विस्तार योजना कि कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने गेल के विस्तार की योजना नहीं बनाई है। गेल एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू) है। नवरत्न पी एस यू के बोर्डों को, विस्तार की योजनाएं बनाने का अधिकार दे दिया गया है। गेल द्वारा विस्तार योजनाएं तैयार करना एक सतत एवं जारी प्रक्रिया है। गेल अपने प्रचालन, इक्विटी/संयुक्त उद्यम सहभागिता द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, पेट्रोरसायनों, दूर-संचार, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) पुनः गैसीकरण, नगर गैस वितरण, अन्वेषण तथा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विस्तार कर रही है।

उपर्युक्त के अलावा, गेल मुख्यतः मिश्र, तुर्की, बांग्लादेश, ईरान, फिलीपीन्स, म्यांमार आदि में अपने मुख्य विशेषज्ञता क्षेत्रों में कारोबार के वैश्वीकरण पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है।

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आंतरिक संसाधन सृजन तथा बाजार उधारों के द्वारा धन जुटाया जाएगा।

(घ) विस्तार योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन एक सतत तथा जारी प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

सब्जियों की ढुलाई

3227. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्रीमती कृष्णा तीरथ:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा सब्जियों की ढुलाई में बढ़ोत्तरी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जून, 2004 से जुलाई, 2004 तथा विशेष प्रशीतक गाड़ी से रेलवे द्वारा पटना से दिल्ली तक कितनी मात्रा में सब्जी की ढुलाई की गई;

(घ) रेलवे द्वारा लाभस्वरूप कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ङ) क्या दिल्ली पहुंची पहली प्रशीतक रेलगाड़ी में सब्जियां सड़ी हुई थीं, जिसमें हानि हुई; और

(च) किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है एवं योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) फल, सब्जियों, फ्रोजेन खाद्य सामग्री आदि सहित नश्य पण्यों के परिवहन के लिए भारतीय रेल पर अभी तक कुल 10 रेफ्रिजेरेटेड यान शुरू किए गए हैं।

(ग) और (घ) पटना से नई दिल्ली के लिए 20 जून, 2004 को रेफ्रिजेरेटेड यान में 8.68 सब्जियों के 125 पैकेज बुक किए गए थे, रेलवे को इस यातायात से 14,100 रुपए की आमदनी हुई है।

(ङ) और (च) सभी पैकेज ताजी स्थिति में नई दिल्ली पहुंच गए थे। सब्जियों के दस पैकेजों को लेने वाला कोई नहीं था इसलिए अंततः उन्हें नष्ट कर दिया गया। इससे रेलवे को कोई हानि नहीं हुई है।

रेल संपर्क

3228. श्री सुग्रीव सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ऐसे जिलों की पहचान कर ली है जो रेल मार्ग द्वारा नहीं जोड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे जिलों को रेल मार्ग द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषतः उड़ीसा के फूलबनी जिले को जोड़ने संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। सभी जिलों को रेल द्वारा जोड़ने की कोई नीति नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा राज्यों में फूलबनी से ब्रह्मपुर तक नई रेल लाइन के लिए 2002-03 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसके अनुसार 160 किमी लंबी इस रेल लाइन के निर्माण की लागत (-)1.56% के प्रतिफल की दर सहित 500.42 करोड़ रुपए आंकी गई थी। परियोजना के अलाभप्रद स्वरूप, चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो-फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

कृषकों हेतु भूमि सुधार कार्यक्रम

3229. श्री धनसिंह रावत: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषकों के विकास हेतु भूमि सुधार कार्यक्रम चलाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य-योजना बनाई गई है और देश के प्रत्येक राज्य में विशेषतः दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर ब्लाक में कितनी निधि आबंटित/जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) भूमि सुधार का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किए जा रहे क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) में शामिल है। इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार सृजन, गरीबी उपशमन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मानव तथा अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास करना शामिल है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यकलापों को पर्वत शिखर से घाटी की ओर पद्धति के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है, जिनमें मृदा-नमी संरक्षण,

वनीकरण, चरागाह विकास, बागवानी एवं पुष्पकृषि, मत्स्यपालन करना आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 1.4.1995 से लेकर 31.3.2004 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया क्षेत्र तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विकसित किए गए समग्र क्षेत्र में कृषि नहीं की जाती है। इसमें से कुछ क्षेत्र वन कवरेज, चरागाह भूमि में वृद्धि के रूप में तथा गैर कृषि उपयोगों आदि के लिए उपयोग में चला जाता है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर ब्लाक में इस समय कोई क्षेत्र विकास कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

विवरण

क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत 1.4.1995 से 31.3.2004 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया क्षेत्र तथा जारी की गई निधियां

राज्य	आई.डब्ल्यू.डी.पी.		डी.पी.ए.पी.		डी.डी.पी.	
	स्वीकृत क्षेत्र (हैक्टेयर में)	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	स्वीकृत क्षेत्र (हैक्टेयर में)	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	स्वीकृत क्षेत्र (हैक्टेयर में)	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	427912	12897.01	1626500	30599.02	331000	5849.38
बिहार	54000	919.25	147500	2257.17	—	—
छत्तीसगढ़	139106	2692.57	384500	4309.76	—	—
गोवा	10000	82.50	—	—	—	—
गुजरात	320669	7590.15	804500	13158.18	987000	16282.17
हरियाणा	72962	1168.48	—	—	386000	8966.68
हिमाचल प्रदेश	287857	6465.65	139000	1936.09	210000	4474.36
जम्मू-कश्मीर	62447	1432.31	170000	2141.05	288500	7014.22
झारखंड	57679	738.60	509500	3334.57	—	—
कर्नाटक	278682	6877.68	806500	13149.70	499000	7458.58
केरल	44551	1123.38	—	—	—	—
महाराष्ट्र	258143	3435.87	1177500	12851.89	—	—
मध्य प्रदेश	407810	10490.66	1253500	23833.62	—	—
उड़ीसा	251481	5810.38	415000	4682.29	—	—
पंजाब	14731	477.14	—	—	—	—
राजस्थान	276739	7002.60	388000	7360.19	2236500	53484.9
तमिलनाडु	227237	5609.08	532000	8797.91	—	—

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	475506	11431.69	613000	11475.90	—	—
उत्तरांचल	129346	1405.24	271000	1684.48	—	—
पश्चिम बंगाल	15460	514.50	163500	1531.19	—	—
अन्य	—	—	—	1116.62	—	557.25
योग	3812318	88164.74	9401500	144219.63	4938000	104087.54
अरुणाचल प्रदेश	95971	905.28	—	—	—	—
असम	373688	5569.03	—	—	—	—
मणिपुर	148968	2244.44	—	—	—	—
मेघालय	62725	764.98	—	—	—	—
मिजोरम	193803	2751.83	—	—	—	—
नागालैण्ड	275930	7345.17	—	—	—	—
सिक्किम	96006	291.84	—	—	—	—
त्रिपुरा	19423	2072.17	—	—	—	—
योग	1266514	21944.74	—	—	—	—
कुल योग	5078832	110109.48	9401500.00	144219.63	4938000.00	104087.54

[अनुवाद]

जैव-डीजल का उत्पादन

3230. श्री विक्रम केशरी देव: क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने झटरोपा (रतन जोत) जैसे गैर-खाद्य तेल के बीजों से जैव-डीजल के उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इसके लिए कोई प्रायोगिक परियोजना है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे के साथ उप-उत्पादक के रूप में जैव-डीजल की उत्पादन संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) योजना आयोग ने जैव-ईंधन के विकास पर एक समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ जटरोफा करकास से जैव-डीजल के उत्पादन की सिफारिश की थी। उक्त समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए दि एनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इन्स्टीट्यूट (टेरी), नई दिल्ली द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) की तैयारी चालू कर दी है।

मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन के अनुसंधान और विकास केन्द्र और भारतीय रेल के बीच जैव-डीजल का उत्पादन करने, इसका डीजल के साथ सम्मिश्रण करने और भारतीय रेल के स्वामित्व के डीजल इंजिनों को चलाने में इस सम्मिश्रण का उपयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए आई.ओ.सी. (आर एण्ड डी) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और रेल मार्गों के आस-पास भारतीय रेल के पास उपलब्ध भूमि का इस्तेमाल किया जाना है। रेलवे की भूमि

के 70 हेक्टेयर भूमि पर जटरोफा करकास के पौधारोपण के लिए एक कार्यादेश दिया गया है और गुजरात में सुरेन्द्र नगर जिले में कार्य आरम्भ किया गया है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

3231. श्री राजाराम पाल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश भारत सरकार की एक मात्र एकक है जो फाइबर आप्टीकल केबल्स का उत्पादन करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने आप्टीकल फाइबर का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लि. बंद होने के कगार पर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संस्थान की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) मांगे गये ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	फाइबर कि.मी. (एफकेएम) में उत्पादन
2001-02	6.498
2002-03	शून्य
2003-04	शून्य

(ग) 2003 के नवम्बर के अंत से दो माह, जब भारत संचार निगम लिमिटेड से 10 लाख कोर किलोमीटर (एलसीकेएम) की पालिथीन इन्स्यूलेटेड जेली फील्ड (पीआईजेएफ) केबल की आपूर्ति के क्रयादेश की प्राप्ति हुई, को छोड़कर, अप्रैल, 2003 से हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) में उत्पादन निलंबित है। एचसीएल, एक रूग्ण कंपनी है जो बीआईएफआर से पंजीकृत है, जिसने एचसीएल के संदर्भ में अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

(घ) रुग्णता के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

(1) टेलीकाम केबल के उत्पादन में उच्च लागत; और

(2) अप्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों की दृष्टि से क्रयादेश की कमी।

(ङ) जब कभी एचसीएल को क्रयादेश देने के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया गया है, कंपनी ने एचसीएल की दीर्घकालिक जैव्यता को स्थापित करने हेतु तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को नियुक्त किया है।

[अनुवाद]

सी.सी.आई. द्वारा डी.जी. सेट की खरीद

3232. श्री रघुनाथ झा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम लि. ने आर्डर प्रस्तुत करने से पूर्व वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित किये बिना अगस्त, 1996 में एक डी.जी. सेट की खरीद की थी जो अप्रयुक्त रहा फलस्वरूप 16.71 करोड़ रुपये का परिहार्य खर्च हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक परिवर्तनों पर विचार किये बिना डी.जी. सेट की खरीद के लिए और बेवजह 16.71 करोड़ रुपये के निवेश करने के लिए प्रबंधन/निदेशक मण्डल के विरुद्ध कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बेवजह सरकारी धन को ब्लॉक करने के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) जी नहीं, उपर्युक्त प्रश्न (क) के उत्तर की दृष्टि से।

[हिन्दी]

अप्रैल 2004 से जून 2004 के दौरान तेलशोधन कारखानों का उत्पादन

3233. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2004 से जून, 2004 की अवधि के दौरान तेल शोधन कारखानों हेतु उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या उत्पादन में कोई कमी दर्ज की गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या तेल शोधन कारखानों के उत्पादन में कमी ने अप्रत्यक्ष ढंग से देश के विदेशी मुद्रा भण्डार को प्रभावित किया है; और

(च) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 2004-जून, 2004 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों सहित रिफाइनरियों से कुल उत्पादन 29719 हजार मीट्रिक टन था।

(ग) जी, नहीं। अप्रैल, 2003-जून, 2003 की तदनुरूपी अवधि के दौरान उत्पादन 28687 हजार मीट्रिक टन था।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन हेतु प्रयुक्त निधि

3234. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तित करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) आमान परिवर्तन कार्यों पर वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान कुल खर्च क्रमशः 739.77 करोड़ रुपए, 847.52 करोड़ रुपए और 1217.56 करोड़ रुपए (अनंतिम) था।

(ख) खर्चों का ब्यौरा रेलवे-वार रखा जाता है न कि राज्य-वार।

आंध्र प्रदेश में रेल उपरिपुल का निर्माण

3235. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से दक्षिण-मध्य रेलवे में नालगोंडा जिला स्थित रायगीर में रेल उपरिपुल और वारंगल जिले के महबूबा-बाद नगर में वाया काजी पेट होकर सिकंदराबाद-विजयवाड़ा लाइन पर रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रायगीर और बंगापल्ली स्टेशनों के बीच किमी 251/11-14 पर समपार सं. 33 के बदले सड़क उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अगस्त, 2003 में प्राप्त हुआ था। मार्च, 2004 को इस समपार पर यातायात घनत्व 14040 गाड़ी वाहन इकाई है इसलिए मौजूदा नियमों के अंतर्गत लागत में भागीदारी के आधार पर सड़क ऊपरि पुल बदलाव के लिए अर्हक नहीं है तदनुसार राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था। लेकिन महबूबाबाद टाउन में सड़क ऊपरि पुल के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, समपार सं. 82 के बदले 1999-2000 में महबूबाबाद सड़क ऊपरी पुल स्वीकृत किया गया था और वह पूरा हो गया है तथा मार्च 2004 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।

[हिन्दी]

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण

3236. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायत चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए एक समान आरक्षण नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार और कुछ अन्य राज्यों में पंचायत चुनावों में मुखिया, प्रमुख और चेयरमैन के एक पद के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सुविधा प्रदान नहीं की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न राज्यों की पंचायतों में दलित और जनजातीय महिलाओं के आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर बिहार में इन महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) बिहार को छोड़कर, जहां अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, प्रत्येक राज्य में महिला सदस्यों और अध्यक्षों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रावधान लागू हैं। बिहार के संबंध में पटना उच्च न्यायालय ने 1994 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. नं. 3351 और सदृश मामलों में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के पिछड़ी जाति की सीटों के आरक्षण से जुड़े कतिपय प्रावधान निकालते हुए रिट याचिकाओं पर निर्णय दिया था और यह निर्णय भी दिया था कि ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि वे पद एक-एक होते हैं और आरक्षण करने का अर्थ शत-प्रतिशत आरक्षण होगा। बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। बाद में, बिहार सरकार के एक आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ने 29.8.2004 को यह स्पष्टीकरण दिया कि सरकार राज्य में लम्बित अपीलों पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन मौजूदा कानून के अनुसार पंचायत के चुनाव करा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर बिहार सरकार ने चुनाव करा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर बिहार सरकार ने पंचायत के सभी तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के पदों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए बिना अप्रैल 2002 में पंचायत चुनाव कराए। यह मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।

(घ) और (ङ) संविधान के अनुच्छेद 243 घ में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा और सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में इस तरह आरक्षित सीटों की संख्या का अनुपात यथासंभव उतना होगा जितना कि उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में होगा और ऐसी सीटों का आबंटन उस पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त के अनुसार, कम से कम एक तिहाई आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो, से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंधित मामला न्यायाधीन है। ऐसे आरक्षण उन सभी राज्यों में लागू हैं जहां पंचायत चुनाव हुए हैं और दो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों - झारखण्ड और पांडिचेरी, जहां अभी पंचायत चुनाव होने हैं के कानूनों में इसकी व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण समृद्धि के बारे में आयोजित मुख्य मंत्रियों और राज्यों के ग्रामीण विकास तथा पंचयती राज मंत्रियों के सम्मेलन में संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्व-शासन की सच्ची संस्था बनाने तथा उन्हें मजबूती प्रदान करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य-योजना का एक मसौदा तैयार करने के लिए सात गोल-मेज सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। 22-23 सितम्बर, 2004 को होने वाले तीसरे गोल-मेज सम्मेलन में पंचायती राज के लिए आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

[अनुवाद]

संगीत और वीडियो एल्बमों को मंजूरी देना

3237. श्री सुरेश कुरूप: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिलीज की जाने वाली संगीत वीडियो एल्बमों को मंजूरी देने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार फिल्म प्रमाणन सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस बयान से अवगत है कि सेंसर बोर्ड द्वारा देश में संगीत वीडियो एल्बमों को मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में निर्णय लेने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) चलचित्र अधिनियम, 1952 और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के अनुसार वीडियो सहित सभी फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। केन्द्रीय फिल्म

प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों और सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में फिल्म और वीडियो सामग्री को प्रमाणित करता है।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र से ग्रामीण भाषायी कार्यक्रम

3238. **श्री जी.एम. सिद्धेश्वरः** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंगलोर दूरदर्शन केन्द्र से भाषा-वार प्रसारित ग्रामीण भाषायी कार्यक्रमों की अवधि कितनी है;

(ख) क्या उक्त समयावधि में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत वित्तीय वर्ष के दौरान कमीशन वर्ग के अंतर्गत रिले कार्यक्रमों के लिए बैंगलोर दूरदर्शन केन्द्र को कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई;

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान उक्त वर्ग के अंतर्गत कार्यक्रमों की संख्या और कमीशन की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने दूरदर्शन केंद्र बंगलौर द्वारा प्रति माह प्रसारित विशिष्ट ग्रामीण दर्शक कार्यक्रमों का निम्नलिखित ब्यौरा दिया है:-

(1)	कन्नड़	-	1680 मिनट (अर्थात् 28 घण्टे)
(2)	कोंकणी	-	60 मिनट
(3)	कोडवा	-	30 मिनट
(4)	तुलु	-	30 मिनट

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सोमवारों को प्रातः 6.30 बजे चांदना चैनल पर 16 अगस्त, 2004 से एक अतिरिक्त आधे घण्टे के ग्रामीण कार्यक्रम का प्रसारण शुरू कर दिया है।

(घ) से (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान कार्यक्रमों की सामान्य कमीशनिंग करने के लिए केंद्र को 2,22,44,000/- रु. की राशि दी गई थी। इस वर्ष कमीशंड श्रेणी के अंतर्गत रखे जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

मेहत पुर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में वस्तुओं की उतराई

3239. **श्रीमती प्रतिभा सिंहः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू हिमाचल गुड्स ट्रक ओनर यूनियन, मेहत पुर, जिला-ऊना, हिमाचल प्रदेश ने यह मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के लिए रेल द्वारा लाए जाने वाले कोयला एवं उर्वरक जैसी वस्तुओं को पंजाब के नंगल और किरतपुर स्टेशनों के बजाय हिमाचल प्रदेश के मेहत पुर रेलवे स्टेशन पर उतारा जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए अगस्त, 2003 में माननीय मंत्री से अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां।

(ग) राय मेहतपुर स्टेशन पर माल यातायात की सम्हलाई के लिए कोई अवसंरचना नहीं है। किरतपुर स्टेशन, जो कि राय मेहतपुर स्टेशन के नजदीक ही है, पर माल यातायात की सम्हलाई के लिए पर्याप्त अवंसरचना है। किरतपुर स्टेशन पर माल यातायात की लदान/उतराई के लिए उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किरतपुर से डाइवर्ट किए गए माल यातायात की सम्हलाई के लिए राय मेहतपुर पर अवसंरचना सृजित करने के लिए किसी प्रकार और निवेश करना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। इस प्रकार, न्यू हिमाचल गुड्स ट्रक ओनर्स यूनियन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

व्यक्तियों/संगठनों को रेल पास

3240. **श्री जुएल ओरामः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों और संगठनों को पास एवं रियायतें जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक रेलवे द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों को जारी किए गए पास और रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यक्तियों और संगठनों को जारी किए जाने वाले ऐसे पास/रियायतों के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का वर्ष में एक बार दौरा करने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जनजातीय परिवारों को पास जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) मानार्थ कार्ड पास/रियायतें समय-समय पर घोषित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार व्यक्तियों की कोटियों/संगठनों को दिए जाते हैं। मानार्थ कार्ड पास रेल मंत्री जी के विवेकाधिकार से व्यक्तियों/संगठनों को भी जारी किए जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पिछले 3 वर्षों से अब तक लागू योजनाओं के अनुसार मानार्थ कार्ड/चैक पैस/रियायतें निम्नलिखित कोटियों के व्यक्तियों/संगठनों को दी दी गई हैं:-

I कार्ड पास

(1) स्वतंत्रता सेनानी

(2) अर्जुन पुरस्कार विजेता/ओलम्पिक में पदक प्राप्त/एशियन एवं राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता/द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता

(3) चक्र सीरीज वीरता पुरस्कार (रक्षा) विजेता

(4) वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पद तथा वीरता (पुलिस) के लिए पुलिस पदक विजेता

(5) भारत रत्न पुरस्कार विजेता

(6) पूर्व रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री/उप रेल मंत्री

(7) हिंदी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य

(8) रेल मंत्री के विवेकाधिकार के तहत सामाजिक/सांस्कृतिक/शैक्षिक/खेलकूद/कल्याण कार्यकलापों एवं अन्य में लगे उत्कृष्ट व्यक्तियों/संगठनों को चिकित्सा के आधार पर।

II चैक पास

इकहरी यात्रा (जाना-आना) मानार्थ पास जिन्हें चैक पास कहा जाता है, निम्न को जारी किए जाते हैं:

(1) लाइसेंसधारी पोर्टर

(2) रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार, रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री तथा बार्ड के सदस्यों के विवेकाधिकार के तहत सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेलकूद तथा कल्याण कार्यकलापों में लगे व्यक्ति तथा संगठन।

III रियायतें

1. शारीरिक रूप से विकलांग/अधरंग के शिकार व्यक्ति मार्गरक्षी के साथ (दोनों के लिए) - किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

2. नेत्रहीन व्यक्ति के अकेले अथवा मार्गरक्षी के साथ यात्रा करने पर (दोनों के लिए) - किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

3. किसी भी प्रयोजन से मार्गरक्षी के साथ यात्रा कर रहे मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति (दोनों के लिए)।

4. बहरे और गूंगे व्यक्ति (जो बहरा और गूंगा दोनों हो)-किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

5. उपचार/आवधिक जांच के लिए कैंसर रोगी के अकेले यात्रा करने पर अथवा मार्गरक्षी के साथ (दोनों के लिए)।

6. उपचार/आवधिक जांच के लिए टी.बी./पुलिस वालगेरिस रोगी के अकेले यात्रा करने पर अथवा मार्गरक्षी के साथ (दोनों के लिए)।

7. असंक्रामक कुष्ट रोगी-उपचार/आवधिक जांच के लिए।

8. थैलेसीमिया रोग से पीड़ित रोगी के अकेले अथवा मार्गरक्षी के साथ यात्रा करने पर (दोनों के लिए)-उपचार/आवधिक जांच के लिए।

9. हृदय रोगियों की शल्य चिकित्सा के लिए अकेले अथवा मार्गरक्षी के साथ यात्रा करने पर (दोनों के लिए)।

10. किडनी ट्रांसप्लांट आपरेशन/डायलैसिस कराने के लिए किडनी रोगी के अकेले अथवा मार्गरक्षी के साथ यात्रा करने पर (दोनों के लिए)।

11. आस्टोमी रोगी के किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करने पर।

12. न्यूनतम 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक को—किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

13. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पाने वालों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्—किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

14. श्रम पुरस्कार विजेता-उत्पादकता और अभिनव के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार से पुरस्कृत कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी—किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

15. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय सेवा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक—किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

16. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चे के साथ जाने वाले माता-पिता में से कोई भी—किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

17. युद्ध में हताहत सैनिकों की विधवाएं—किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

18. श्रीलंका में शांति कार्रवाई में मारे गए भारतीय शांति सेना (आई.पी.के.एफ.) के कर्मचारियों की विधवाएं—किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

19. आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की विधवाएं—किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

20. वर्ष 1999 में कारगिल में आपरेशन विजय में शहीदों की विधवाएं—किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने पर।

21. आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मियों की विधवाएं।

22. सदाशयी विद्यार्थी।

23. राष्ट्रीय एकता शिविरों में भाग लेने वाले युवक:-

(क) राष्ट्रीय युवा परियोजना।

(ख) मानव उत्थान सेवा समिति।

24. कार्य शिविरों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थियों को।

25. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के लिए साक्षात्कार में हिस्सा लेने वाले बेरोजगार युवाओं को।

26. जहाजरानी के नेवीगेशनल/इंजीनियरी प्रशिक्षण ले रहे कैडेट और जहाजरानी इंजीनियर प्रशिक्षु-घर और प्रशिक्षण केंद्र के बीच यात्रा के लिए।

27. भारत स्काउट एवं गाइड्स-स्काउटिंग ड्यूटी के लिए।

28. प्राइमरी/सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापक शैक्षिक दौरों के लिए।

29. किसान एवं कारखानों में श्रमिकों-कृषि/उद्योग संबंधी प्रदर्शनियों में जाने के लिए।

30. सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष गाड़ियों में यात्रा कर रहे किसानों को।

31. सामाजिक/सांस्कृतिक/शैक्षिक महत्व के कतिपय अखिल भारतीय निकायों के वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने वाले शिष्टमंडल के सदस्य।

32. नर्सें और मिडवाइफ-छुट्टी और ड्यूटी के लिए।

33. सेंट जान एम्बुलेंस बिग्रेड और राहत कल्याण एम्बुलेंस कोर, कलकत्ता-एम्बुलेंस शिविरों/प्रतियोगिताओं के लिए।

34. भारत सेवा दल, बेगंलूर-शिविर/बैठकें/रैलियां/ट्रेकिंग प्रोग्रामों के लिए।

35. सर्विस सिविल इंटरनेशनल के स्वयंसेवकों को—समाज सेवा के लिए।

36. कलाकार-कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।

37. अखिल भारतीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को।

38. भारतीय पर्वतारोहण फेडरेशन द्वारा आयोजित पर्वतारोहण अभियान में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को।

39. भारत सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/जिला के मुख्यालयों द्वारा प्राधिकृत प्रेस संवाददाताओं को प्रेस संबंधी कार्य के लिए।

40. असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों जिनकी आय 400 रुपये प्रतिमाह से कम है—अधिकतम 100 कि.मी. तक यात्रा के लिए।

मणिपुर में दीफू और कारोंग के बीच रेल लाइन

3241. डा. टोकचोम मैन्या: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दीफू और कारोंग के बीच रेल लाइन बिछाने संबंधी प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो कार्य प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए अब तक आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) वास्तविक रूप से कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है;

(ङ) मणिपुर के लिए क्या कोई नई परियोजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जीरीबम से इम्फाल (तुपुल) तक नई लाइन के कार्य को 2003-04 के पूरक बजट में शामिल किया गया है। कार्य शुरू करने के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण, नक्शे और अनुमान तैयार करने जैसी प्रारंभिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। 2004-05 के दौरान इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

रेलवे में भ्रष्टाचार

3242. श्री नकुल दास राई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि रेलवे कर्मचारी राजधानी एक्सप्रेस में टिकटों के लिए पूरा किराया लेकर यात्रियों को यात्रा की अनुमति दे देते हैं किन्तु उन्हें मार्ग में ही टिकट देते हैं तथा शेष राशि को अपनी जेबों में भर लेते हैं जैसा कि 19 जुलाई, 2004 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में खबर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) रेलवे में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) 13.7.2004 को उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग ने गाड़ी सं. 2423 (गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस) में औचक जांच की। जांच के दौरान विभिन्न सवारी डिब्बों में छः यात्री बिना टिकट पाए गए थे जिन्होंने बताया है कि वे मार्गवर्ती विभिन्न स्टेशनों अर्थात् गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी से चढ़े थे और उनसे गाड़ी में चढ़ते समय किराया सवारी डिब्बे के चल टिकट परीक्षक द्वारा ले लिया गया था लेकिन उनके द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के पश्चात् भी उन्हें कोई टिकट नहीं दिया गया था। सतर्कता ने पाया कि एक चल टिकट परीक्षक ने सतर्कता जांच के पश्चात् हड़बड़ाहट में बिना टिकट यात्रा कर रहे नौ यात्रियों के लिए न्यू जलपाईगुड़ी से एक साथ अतिरिक्त किराया टिकट तैयार कर दिया था जबकि ये यात्री विभिन्न सवारी डिब्बों में अलग-अलग यात्रा कर रहे थे। शेष तीन यात्री जिनके अतिरिक्त किराया टिकट बनाए गए थे, जांच के दौरान नहीं पाए गए।

(ग) दो सवारी डिब्बे के चल टिकट परीक्षक जो अपने-अपने सवारी डिब्बों में यात्रियों को बिना टिकट ले जा रहे थे को निलंबित कर दिया गया। उन दोनों के विरुद्ध अनुशासनिक एवं अपील नियमों के अंतर्गत नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा शिकायतों की जांच के अलावा रेलों में उसकी कार्य प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए नियमित निवारक और छद्म जांच भी आयोजित की जाती है। इन कुछ जांचों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी शामिल किया जाता है। वर्ष 2003-04 के दौरान सतर्कता द्वारा 29985 निवारक जांचे की गई, 1346 शिकायतों की जांच की गई, 486 छद्म जांच की गई और विभिन्न अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए 8758 प्राधिकारियों को दंडित किया गया।

महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाएं

3243. श्री गुरुदास कामत:
प्रो. महादेव राव शिवनकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में चालू/लंबित रेल परियोजनाएं एवं किए गए सर्वेक्षण और नए मण्डलों को खोलने का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परियोजना-वार कितनी प्रगति की गई है;

(ख) प्रत्येक परियोजना हेतु अब तक कितनी धनराशि स्वीकृति और खर्च की गई है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के समापन के निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या कुछ परियोजनाएं अपनी समय-सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजनाओं के समयबद्ध समापन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) से (च) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है। परियोजना शीघ्र पूरी करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

किए गए व्यय और लक्ष्य, जहां कहीं भी नियत किए गए हों, सहित वर्तमान स्थिति के साथ चालू परियोजनाओं का विवरण नीचे दिये अनुसार है

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	चालू परियोजनाओं का विवरण	कि.मी.	अनुमानित लागत	मार्च, 2004 तक व्यय	2004-05 के दौरान परिव्यय	परियोजना की वर्तमान स्थिति और पूरा होने की संभावित तारीख, जहां कहीं नियत की गई हो
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइनें					
1.	अहमदनगर-बीद-परली वैजनाथ	250	353.08 (संशोधनाधीन)	11.75	20	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है-15 कि.मी. लंबाई (अहमदनगर-नारायणदोह खंड) में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है जहां मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
2.	अमरावती-नारखेड	138	284.27	107.17	16.49	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे और बड़े पुलों का कार्य प्रगति पर है। अमरावती से चांदुर बाजार खंड (44 कि.मी.) को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	बारामती-लोनाड	54	138.48	6.62	4	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है। लोनाड-फल्टन (27 कि.मी.) के लिए भूमि संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदा संबंधी कार्य किया जा रहा है। पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
4.	पनवेल-कर्जत	28	137.96	113.82	5	कार्य पूरा हो गया है। इसे यातायात के लिए अभी खोला जाना है।
5.	पुनतांबा-शिर्डी	16.6	48.78	13.15	8.92	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। 9 में से 7 बड़े पुलों का कार्य पूरा हो गया है।
आमान परिवर्तन						
1.	अकोला-पूर्णा	210	245.5	19.39	20	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
2.	बालाघाट कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया	285	511.86	96.44	38.06	गोंदिया-बालाघाट (42 कि.मी.) खंड पर सभी प्रारंभिक कार्य पूरे हो गए हैं। 17.1.2003 से मेगा ब्लाक पर कार्य शुरू कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों का कार्य प्रगति पर है। गोंदिया-बालाघाट (41 कि.मी.) खंड को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	मिरज-लातूर	374	515.57	192.78	25	कार्य चरणों में किया जा रहा है। कुर्डवाडी से पंढरपुर (52 कि.मी.) और लातूर-लातूर रोड (33 कि.मी.) का कार्य पूरा हो चुका है। कुर्डुवाडी-लातूर खंड में मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। "रोजगार गारंटी योजना" के अंतर्गत इस खंड में राज्य सरकार द्वारा मिट्टी संबंधी कार्य कराया जा रहा है परंतु प्रगति बहुत ही धीमी है। मिरज-पंढरपुर के बीच भी कार्य आरंभ कर दिया गया है।
4.	मुडखेड-आदिलाबाद	167	199.06	59.85	30	कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। आदिलाबाद-किन्वत (45 कि.मी.) का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	सिकंदराबाद-मुडखेड और जनखमपेठ-बोधन	269	287.83	206.38	25	मुदखेड-धर्माबाद-निजामाबाद-बोलाराम-मनोहराबाद और जनखमपेठ से बोधन का पहले ही आमान परिवर्तन किया जा चुका है और यातायात के लिए खोला जा चुका है, मनोहराबाद-निजामाबाद (118 कि.मी.) के बीच आमान परिवर्तन का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7
6.	सोलापुर (होटगी) गदग	300	276	200.38	15	सोलापुर से बीजापुर (110 कि.मी.) खंड पूरा हो गया है। बीजापुर-बागलकोट (93 कि.मी.) का कार्य वर्ष 2004-05 में पूरा करने का लक्ष्य है।
दोहरीकरण						
1.	दीवा-कल्याण	11	48.06	28.37	9	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और पटरी जोड़ने संबंधी कार्य प्रगति पर है।
2.	पनकी-मोहोल	17	42.73	15.00	10	बजट 2003-04 में कार्य शामिल कर लिया है। नक्शे तैयार करना और अनुमान जैसे कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
3.	पनकी-सोलापुर	16.28	38.52	6.09	25	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
4.	पनवेल-जसई-जेएनपीटी	28.5	53.23	20.50	25	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
महानगर परिवहन परियोजना						
1.	बेलापुर-पनवेल-पूर्व पश्चिम गलियारे के भाग के रूप में दैनिक यात्री दोहरी लाइन को दोहरीकरण	10.9	92.50	85.88	0.50	दोहरी लाइन शुरू हो गई है और 4.4.2000 को दैनिक यातायात के लिए खोल दी गई है। शेष कार्य शहर और औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाना है।
2.	बेलापुर-सीवूड-उरान विद्युतीकृत दोहरी लाइन	22.3	163.49	44.39	8	कार्य प्रगति पर है। संसाधनों की तंगी के कारण सीआईडीसीओ द्वारा इस परियोजना को कम प्राथमिकता दी जा रही है।
3.	मुंबई-शहरी यातायात परियोजना (एमयूटीपी)	108.8	3125.2	646.78	232.97	विभिन्न उपनगरीय संबंधी कार्य प्रगति पर है।
4.	नवीं मुंबई में गलियारा सं. 1 का भाग थाणे-तुर्भे-नेरूल-वाशी	22.5	131.47	95.14	3	प्रथम चरण में 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। परियोजना का शुरू करना संरक्षा जोनों के रास्ते में पड़ने वाले अतिक्रमणों को हटाने पर निर्भर है। सीआईडीसीओ में धन की तंगी के कारण दूसरे चरण को सीआईडीसीओ द्वारा कम प्राथमिकता दी गई है।
5.	थाणे-मुंब्रा-दीवा 5वीं और 6ठी लाइन	9.42	86.87	1.20	5.01	सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

जो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, किंतु शेष कार्य और वित्तीय समायोजन के लिए बजट में शामिल हो चुकी है, ऊपर नहीं दर्शाई गई हैं।

महाराष्ट्र में चालू सर्वेक्षण के ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.
1.	शिरपुर-महोव नई लाईन	185
2.	सोलापुर तुलजापुर-ओसमानाबाद-नई लाइन	60
3.	चिंचवाड और रोहा नई लाइन	95
4.	अचलापुर-मूर्तिजापुर-यवतमाल-पुलगांव-अर्वी-आमान परिवर्तन	225
5.	लातूर रोड-मुदखेड नई लाइन	120
6.	छिंदवाडा-नागपुर आमान परिवर्तन	150
7.	पुणे-मिरज-कोल्हापुर दोहरीकरण के सर्वेक्षण को अद्यतन करना	326

जहां तक महाराष्ट्र में नए मंडल का मामला है पुणे और नांदेड मंडल 1.4.2003 से परिचालन के लिए खुल गए हैं। प्रशासनिक इमारत और आनुषंगिक ढांचा संबंधी कार्य प्रगति पर है।

बारासात-हसनाबाद खण्ड का विस्तार

3244. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सुन्दरवन के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए बारासत-हसनाबाद खण्ड को बीर नगर तक विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार पूर्वी रेलवे के अंतर्गत बारासत-हसनाबाद रेल लाइन के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर निहित लागत कितनी है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) बारासात-हसनाबाद विद्युतीकरण का कार्य पहले ही पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।

बारासात-हसनाबाद (चरण-I) अर्थात् बारासात-सोंदलिया खंड के विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण भी 23.65 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत पर अनुमोदित कार्य है। मिट्टी, ब्लैंकेटिंग और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है जिनमें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में तेजी लाई जाएगी और पूरे किए जाएंगे।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में डकैती

3245. **श्री पंकज चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलगाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात करने के बावजूद भी रेलगाड़ियों में डकैती की घटनाएं कम नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या हाल ही में वाराणसी से रांची अने वाले 'इन्टर सिटी' रेलगाड़ी में डकैती की एक घटना हुई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उस रेलगाड़ी में रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों की तैनाती के बावजूद भी डकैती की घटना हुई; और

(ङ) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और उन रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी.डी. न्यूज हेतु एंकरों/संवाददाताओं की भर्ती

3246. श्री पारसनाथ यादव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2003 और इसके बाद दूरदर्शन न्यूज में बड़े स्तर पर एंकरों/संवाददाताओं और अस्थाई पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें स्वीकार्य वेतनमानों से उच्च वेतनमान प्रदान किये गए;

(ग) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन न्यूज को इसके परिणामस्वरूप भारी खर्च वहन करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उपरोक्त नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का भी पालन नहीं किया गया;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन नियुक्तियों में आरक्षण नीति को लागू करने का है; और

(ज) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) कुछ एंकरों/रिपोर्टरों को 2002 से कार्यसुपुर्दगी आधार पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति संविदा आधार पर है न कि नियमित पद पर।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि संविदा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को दिया जाने वाले पारिश्रमिक बाजार स्थिति और अन्य सहबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती द्वारा तय किया जाता है।

(ग) प्रसार भारती के अनुसार एंकरों/रिपोर्टरों को दिया जा रहा पारिश्रमिक संबंधित व्यक्तियों के अनुभव के पूर्णरूपेण अनुरूप है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। संविदात्मक नियुक्तियां प्रसार भारती द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थीं।

(च) एंकर सह रिपोर्टर की नियुक्ति विशुद्धत: व्यावसायिक आधारों पर है न किसी ऐसे पद के विरुद्ध जिसके लिए पद की भर्ती की जाती है। इसके दृष्टिगत और इस तथ्य के मद्देनजर की यहां एंकर/रिपोर्टर का कोई पद नहीं है जिस पर व्यावसायिक मीडिया विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है इसलिए कार्यसुपुर्दगी के आधार पर बाहरी व्यक्तियों की सेवा प्राप्त करते समय कोई आरक्षण नहीं किया गया था।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पाइप लाइनों के जरिए रसोई गैस सेवा

3247. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ शहरों में घरेलू इस्तेमाल के लिए पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस सेवा शुरू की गई है;

(ख) वर्तमान में उन शहरों के नाम क्या हां जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध है;

(ग) निकट भविष्य में इस सुविधा को शुरू करने के लिए चयनित शहरों के नाम क्या हैं; और

(घ) पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति करने हेतु क्या दर प्रभारित की जा रही है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 27 नगरों में आवास परिसरों में घरेलू ग्राहकों को पाइपलाइनों के माध्यम से एल पी जी की आपूर्ति करने के लिए एल पी जी रेटिकुलेटेड प्रणाली की शुरूआत की है (संलग्न विवरण I के अनुसार) प्रणाली को अपनाने के लिए ग्राहकों की इच्छा और तेल विपणन कंपनियों की वाणिज्यिक परिस्थितियों के आधार पर 7 अन्य शहरों संलग्न विवरण II के अनुसार में प्रणाली की शुरूआत प्रस्तावित है।

(घ) पाइपलाइनों के माध्यम से एल पी जी की आपूर्ति के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रभारित दरें राजसहायता की समान दर के अनुसार हैं जो सिलेंडरों के माध्यम से घरेलू एल पी जी ग्राहकों पर लागू है।

विवरण I

उन नगरों के नाम जहां रेटिकुलेटेड एल पी जी सुविधा उपलब्ध है

उत्तरी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र
नौएडा	कोलकाता	मुंबई	चेन्नई
जयपुर		पुणे	मदुरै
लखनऊ		नवी मुंबई	पांडिचेरी
गुड़गांव		नागपुर	हैदराबाद
चंडीगढ़		नासिक	बैंगलोर
दिल्ली		राजकोट	त्रिची
		सूरत	त्रिनेलवेली
			कोयम्बटूर
			त्रिवेन्द्रम
			कोचीन
			मंगलौर
			गुंटूर
			विशाख

विवरण II

वे नगर जहां रेटिकुलेटेड एल पी जी सुविधा आरम्भ करने का प्रस्ताव है

उत्तरी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र
बीकानेर		रायपुर	हुबली
जालंधर			विजाग
			विजयवाडा
			अंगोल

[हिन्दी]

झारखण्ड में रेल उपरिपुल

3248. **श्री चन्द्र शेखर दूबे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखण्ड में कितने स्थानों पर रेल उपरिपुल/रेल अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा गत तीन वर्षों से आज तक कितने स्थानों पर रेल उपरिपुल के निर्माण हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु निधियों के अभाव में कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) चालू कार्यों के पूरा होने हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है और कितने मामलों में कार्य तो प्रारंभ किया गया परन्तु कुछ कारणों की वजह से उसे बीच में ही रोक दिया गया तथा उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां कार्य रोक दिए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान इस कार्य हेतु प्रदान की गई अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) झारखंड राज्य में लागत में भागीदारी के आधार पर सड़क ऊपरी/निचले पुलों के 21 कार्य स्वीकृत हैं जिसमें से 19 कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। दो कार्यों के संबंध में राज्य सरकार ने कार्य की योजना का अभी विनिश्चय नहीं किया है। निधियों की तंगी के कारण कोई चालू परियोजना रोकी नहीं गई है। चालू कार्यों को अगस्त, 2004 से दिसंबर 2006 के बीच पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) निधियां राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती हैं बल्कि रेलवे-वार आबंटित की जाती हैं। बहरहाल, इन कार्यों में रेलवे के भाग का निष्पादन करने के लिए 2004-05 के दौरान 21.75 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

एन.सी.सी. का दुरुपयोग

3249. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा':** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में एन.सी.सी. के कैडेटों से लिया गया प्रवेश शुल्क कैडेट कोर महानिदेशालय के कार्यालय में रेजीमेंटल निधि में जमा किया जाता है तथा इस निधि का उपयोग निदेशकों और अतिरिक्त निदेशकों के कार्यालय और आवासों को सुसज्जित करने में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन निधियों को कैडेटों के कल्याण हेतु उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भर्ती किए गए एन सी सी कैडेटों से 4 रु./- प्रति वर्ष अंशदान लिया जाता है जिसे एन सी सी निदेशालय के रेजीमेंटल कोष में जमा करा दिया जाता है। आबंटित राशि का उपयोग केवल एन सी सी कैडेटों और स्टाफ के कल्याण संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है न कि एन सी सी निदेशक और अपर निदेशक कार्यालयों और आवासों को सजाने के लिए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

''भेल'' द्वारा विद्युत संयंत्र की स्थापना

3250. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''भेल'' को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ''टर्नकी'' आधार पर 40 मेगावाट का सह-उत्पादन रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। भेल ने जून, 2004 में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., विशाखापत्तनम से 20 मेगावाट सह-उत्पादन रक्षित विद्युत संयंत्र की दो यूनिटों को स्थापित करने हेतु 218 करोड़ रुपये मूल्य का क्रयादेश प्राप्त किया है।

इस क्रयादेश में शामिल कार्यक्षेत्र में विनिर्माण और आपूर्ति के साथ-साथ संयंत्र का सिविल कार्य, निर्माण तथा इसे चालू करना शामिल है, जिसके यूनिट-I को पूरा करने के लिए 18 महीनें तथा यूनिट-II को पूरा करने के लिए 21 महीने का समय लगेगा।

विभिन्न राज्यों में एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र

3251. श्री ए. साई प्रताप: क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में नए एल.पी.जी. बोटलिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों में 7 नए एल पी जी भरण संयंत्रों की स्थापना करने की योजना बनाई है, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों में एल पी जी भरण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए स्थानों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्थान	प्रस्तावित क्षमता टीएमटीपीए में
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	44
2.	कर्नाटक	बंगलौर	44
3.	मिजोरम	मौलखांग	5
4.	मणिपुर	सेकमई	10
5.	महाराष्ट्र	1. वसई	10
		2. माहुल	88
6.	मध्य प्रदेश	*राहूखाडी	44
		योग	245

*हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) के 34 टी एम टी पी ए क्षमता वाले वर्तमान एल पी जी संयंत्र का मांगलिया (मध्य प्रदेश) में स्थान परिवर्तित करके संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

बिहार में भर्ती के दौरान भगदड़

3252. श्री डी. विट्ठल राव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2004 में बिहार के आरा में एक सेना भर्ती अभियान के दौरान हुई भगदड़ में कुछ छात्र घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) बिहार स्थित आरा में 13 से 15 जून, 2004 तक एक सेना भर्ती रैली आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई थी। यह रैली आरा में एक स्टेडियम में आयोजित की जानी थी और इसे 0500 बजे शुरू होना था। 13 जून, 2004 की प्रात: लगभग 0430 बजे भारी भीड़ थी और कुछ उम्मीदवारों ने गेट तोड़कर स्टेडियम में घुसने की कोशिश की और गेट पर प्रतिबन्धित रास्ते पर गिर पड़े और अपने पीछे आ रहे उम्मीदवारों के नीचे दब गए, जिससे कुछ उम्मीदवारों को मामूली चोटें आईं, उनमें से दो को पटना मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, पटना ले जाया गया। पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया।

(ग) रैली की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि अलग-अलग जिले/तहसील के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग दिन रखा जाए ताकि उम्मीदवारों की भीड़ को कम किया जा सके और भीड़ को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सके। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिसमें भीड़ पर नियंत्रण रखना भी शामिल है, पर्याप्त पुलिस बल सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

पर्वतीय क्षेत्रों हेतु पेयजल

3253. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय से देश के विशेषकर उत्तरांचल राज्य के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल मुहैय्या कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विशेषकर उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल मुहैय्या कराने संबंधी कितनी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां रिलीज करके सभी ग्रामीण बसावटों को शामिल करने के लिए राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। निधियां आबंटित करते समय पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम वाले राज्यों को 35 प्रतिशत वेटैज दी जाती है। अंतर-राज्य आबंटन के लिए मानदंड इस प्रकार है:-

	जिस बात को महत्व दिया जाता है	प्रतिशत
(क)	ग्रामीण जनसंख्या	40
(ख)	डी.डी.पी., डी.पी.ए.पी., एच.ए.डी.पी. के अंतर्गत राज्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में विशेष श्रेणी वाले पहाड़ी राज्य	35
(ग)	कवर न किए गए/आंशिक रूप से कवर किए गए गांव (2:1 अनुपात पर)	15
(घ)	गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र	10
	कुल	100

2004-05 के दौरान आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया संलग्न है।

(ग) राज्य स्तर पर अलग-अलग जल आपूर्ति योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें अनुमोदित किया जाता है तथा कार्यान्वित किया जाता है तथा ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजने की जरूरत नहीं होती है।

विवरण

13.8.2004 के अनुसार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य तथा डी.डी.पी.) के अंतर्गत राज्य-वार रिलीज की स्थिति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन	13.8.04 के अनुसार रिलीज	सूखे के कारण रिलीज	कुल रिलीज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9661.00	4830.50	1724.00	6554.50
2.	बिहार	5467.00	—	—	0.00
3.	छत्तीसगढ़	1966.00	983.00	—	983.00
4.	गोवा	89.00	—	—	0.00
5.	गुजरात	4890.00	2445.00	—	2445.00
6.	हरियाणा	1458.00	729.00	—	729.00
7.	हिमाचल प्रदेश	4007.00	2003.50	—	2003.50
8.	जम्मू-कश्मीर	9231.00	4615.50	—	4615.50
9.	झारखण्ड	2178.00	1088.83	—	1088.83
10.	कर्नाटक	7418.00	3708.89	—	3708.89
11.	केरल	2914.00	1457.00	280.00	1737.00
12.	मध्य प्रदेश	5719.00	2859.50	—	2859.50
13.	महाराष्ट्र	11792.00	5896.00	—	5896.00
14.	उड़ीसा	5120.00	2560.00	—	2560.00
15.	पंजाब	2078.00	1039.00	—	1039.00
16.	राजस्थान	15057.00	7528.35	—	7528.35
17.	तमिलनाडु	5261.00	2630.50	—	2630.50
18.	उत्तरांचल	2241.00	1120.50	307.50	1428.00
19.	उत्तर प्रदेश	9592.00	4796.00	—	4796.60
20.	पश्चिम बंगाल	6296.00	3148.00	—	3148.00
21.	अंडमान व नि. द्वीप समूह	5.63	—	—	0.00
22.	चंडीगढ़	0	—	—	0.00
23.	दादर व नगर हवेली	3.75	—	—	0.00

1	2	3	4	5	6
24.	दमन व दीव	0	—	—	0.00
25.	दिल्ली	2.81	—	—	0.00
26.	लक्षद्वीप	0	—	—	0.00
27.	पांडिचेरी	2.81	—	—	0.00
	उप योग (क)	112450.00	53439.07	2311.50	55750.57
28.	अरुणाचल प्रदेश	5570	2785.00	—	2785.00
29.	असम	9395	—	—	—
30.	मणिपुर	1912	956.00	—	956.00
31.	मेघालय	2203	—	—	—
32.	मिजोरम	1580	790.00	—	790.00
33.	नागालैण्ड	1621	810.50	—	810.50
34.	सिक्किम	665	—	—	—
35.	त्रिपुरा	1954	977.00	—	977.00
	उप योग (ख)	24900.00	6318.50	—	6318.50
	कुल (क) + (ख)	137350.00	59757.57	2311.50	62069.07
	डी.डी.पी. के अंतर्गत रिलीज				
1.	आंध्र प्रदेश	609.00	304.50	—	304.50
2.	गुजरात	66.00	33.00	—	33.00
3.	हरियाणा	660.00	330.00	—	330.00
4.	हिमाचल प्रदेश	10.00	5.00	—	5.00
5.	जम्मू-कश्मीर	330.00	165.00	—	165.00
6.	कर्नाटक	1559.00	779.50	—	779.50
7.	राजस्थान	7966.00	3983.00	—	3983.00
	कुल	11200.00	5600.00	—	5600.00

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज

3254. **डा. अरुण कुमार शर्मा:**
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी/दूरदर्शन नेटवर्क के सुधार हेतु पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार कितना आबंटन/विशेष पैकेज दिया गया और प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितना आबंटन किया गया और आबंटन उपयोग में लिया गया;

(ख) कुल परिव्यय सहित विशेष पैकेजों के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार एवं सुधार हेतु विशेष पैकेज के अंतर्गत निधियों का आबंटन निम्नानुसार है:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	दूरदर्शन	आकाशवाणी
2001-02	शून्य	शून्य
2002-03	45.35	12.50
2003-04	40.50	16.00
2004-05	43.20	18.80

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर (चरण-1) हेतु विशेष पैकेज के भाग के रूप में अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन की स्थिति उनके परिव्यय और अब तक हुए व्यय सहित संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) दूरदर्शन

क्र.सं.	परियोजना	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)	व्यय	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	शिलांग, कोहिमा, इम्फाल, ऐजवाल और ईटानगर में 5 उ.श.ट्रां. (1 कि.वा. से 10 कि.वा. तक) का उन्नयन	22.7	2002-03-9.73 2003-04-3.23 2004-05-0.072 (जुलाई 2004 तक)	सभी 5 उ.श.ट्रां. का उन्नयन किया गया
2.	ऐजवाल और शिलांग में उपग्रह भू स्टेशन	15.02	2002-03-7.84 2003-04-1.58 2004-05-0.027 (जुलाई 2004 तक)	दोनों भू-स्टेशन चालू किए गए
3.	उपग्रह वीडियो फोन	1.65	2002-03-1.81 2003-04-शून्य 2004-05-शून्य (जुलाई 2004 तक)	उपग्रह वीडियो फोन अधिप्राप्त किए गए और प्रयोग में है।

1	2	3	4	5
4.	160 गांवों (प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों में 20) में केबल शीर्ष-छोर	7.15	2002-03-7.12 2003-04-शून्य 2004-05-शून्य (जुलाई 2004 तक)	133 केबल शीर्ष-छोर स्थापित किए गए शेष 27 केबल शीर्ष-छोर को 2004-05 के दौरान स्थापित किए जाने की आशा है।
(ख) आकाशवाणी				
1.	10 कि.वा. तक एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टीरियो स्टुडियो (ईटानगर)	610	2002-03-185.91 2003-04-22.96 2004-05-शून्य (जुलाई 2004 तक)	पूरी हो गई है।
2.	10 कि.वा. तक एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टीरियो स्टुडियो (कोहिमा)	610	2002-03-12 2003-04-22.47 2004-05-शून्य (जुलाई 2004 तक)	1 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित अंतरिम स्थापना पूरी हो चुकी है।
3.	10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टीरियो स्टुडियो (पोर्टब्लेयर)	660	2002-03-174 2003-04-85.98 2004-05-शून्य (जुलाई 2004 तक)	पूरी हो गई है।
4.	सी ई एस का उन्नयन गुवाहाटी शिलांग ईटानगर	600	2002-03-305 2003-04-1.88 2004-05-शून्य (जुलाई 2004 तक)	पूरी हो गई है।

ग्रामीण विकास का चीनी मॉडल

3255. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का चीनी मॉडल की तर्ज पर आमूल-चूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन माडलों की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण समृद्धि विषय पर मुख्य मंत्रियों और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रधान मंत्री ने इस सम्मेलन के अपने उद्घाटन भाषण में ग्रामीण व्यापार केंद्र के चीनी मॉडल से सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद के मूल्य को संवर्धित करता है। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक कार्य-योजना को मसौदा तैयार करने के लिए सात गोल-मेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि संविधान के प्रावधान के अनुसार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए

पंचायती राज संस्थाओं को स्व-शासन की एक वास्तविक संस्था बनने में सक्षम बनाया जा सके। 28-29 अगस्त, 2004 को मैसूर में आयोजित होने वाले गोल-मेज सम्मेलन-II में "पंचायती राज: योजना और कार्यान्यवन तथा ग्रामीण व्यापार केंद्र" पर चर्चा की जाएगी। इस गोल-मेज सम्मेलन के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण केंद्र के चीनी माडल के संबंध में चर्चा की जाएगी। अनेक भारतीय व्यापार संगठन (फिक्की, सी.आई.आई., एसोचेम और अन्य) राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान, जो मैसूर बैठक में मुद्दों के आरंभिक प्रस्तुतीकरण का समन्वय कर रहा है, की सहायता कर रहे हैं।

पुस्तकालयों हेतु अनुदान

3256. श्री आर. प्रभु: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुस्तकालय विकास योजना के अंतर्गत राज्य स्तर के पुस्तकालयों हेतु राज्यों को कोई अतिरिक्त अनुदानों को स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य स्तर के पुस्तकालयों को सीधे और मंत्रालय द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के माध्यम से अनुदान दिए हैं।

(ख) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण I और II संलग्न है।

विवरण I

मंत्रालय द्वारा संस्तुत परियोजनाओं और निधियों के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य	परियोजना	संस्तुत राशि (रुपए में)
महाराष्ट्र	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, मुम्बई में पुस्तक वितरण अधिनियम अनुभाग का रख-रखाव	15.00 लाख
तमिलनाडु	(i) कोन्नेमारा पब्लिक लाईब्रेरी, चेन्नई में पुस्तक वितरण अधिनियम अनुभाग का रख-रखाव	55.00 लाख
	(ii) तंजावूर महाराज सर्फोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजावूर में विकास कार्यकलाप	13.00 लाख

विवरण II

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता द्वारा संस्तुत परियोजनाओं और निधियों के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य	परियोजना	संस्तुत राशि (रुपए में)
1	2	3
उत्तर प्रदेश	(i) रैकों और पुस्तकों की खरीद हेतु इलाहाबाद सार्वजनिक पुस्तकालय, इलाहाबाद	10,50,000/-
	(ii) पुस्तकों की आपूर्ति हेतु जे.पी. ट्रस्ट, बलिया।	9,65,945/-

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का आधुनिकीकरण	12,50,000/-
	पुस्तकों की खरीद	9,74,343/-
मणिपुर	राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का आधुनिकीकरण	12,50,000/-
	पुस्तकों की खरीद	1,04,511/-
मेघालय	पुस्तकों की खरीद	6,00,687/-
मिजोरम	पुस्तकों की खरीद	10,00,000/-
नागालैंड	राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का आधुनिकीकरण	17,00,000/-
	ग्रामीण पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशिक्षण	3,50,000/-
सिक्किम	राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का आधुनिकीकरण	12,50,000/-
	पुस्तकों की खरीद	9,94,404/-

विद्यालयों के लिए पेयजल

3257. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेजल मिशन की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की आपूर्ति को भी राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में कई प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की अनुपलब्धता की समस्या पर कौन सी योजना ध्यान देगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रौढ़ साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल मुहैया कराना है।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी

3258. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्री विजय कृष्ण:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के मद्देनजर सरकार का विचार एलपीजी और मिट्टी के तेल पर आयात शुल्क घटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके पश्चात् सरकार को कितनी राशि के राजस्व का घाटा उठाना पड़ेगा; और

(घ) सरकार ऐसे राजस्व घाटे की किस तरीके से भरपाई करेगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विश्रामबाग में रेल पुल

3259. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्रामबाग में मिराज-सांगली रेल पुल काफी कमजोर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा मरम्मत-कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल पुल की सही स्थिति नहीं बताई गई है। बहरहाल, यह समझा जाता है कि उठाया गया मुद्दा पुणे-मिराज खंड पर मिरज विश्रामबाग के बीच किमी 274/8-9 पर सड़क पुल के संबंध में है।

पुल का निरीक्षण मध्य रेलवे के मुख्य पुल इंजीनियर द्वारा किया गया है और विंग वाल में कुछ दरारें पाई गई हैं। विंग वाल का पटरी की टेक लगाकर अस्थायी बचाव किया गया है। बहरहाल, पुल की मौजूदा दशा रेल और सड़क यातायात के लिए सुरक्षित है।

(ख) 12.86 लाख रुपए की लागत पर विंग वाल के पुन: निर्माण का स्थायी मरम्मत कार्य 2004-2005 के दौरान स्वीकृत किया गया है।

(ग) मरम्मत कार्यों की स्वीकृति में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। मरम्मत कार्य महाप्रबंधक की शक्तियों के अधीन स्वीकृत किए गए हैं। मरम्मत कार्य मानसून के पश्चात् दिसम्बर, 2004 से शुरू किए जाएंगे।

रेल डिब्बों की सुरक्षा हेतु जर्मनी के साथ समझौता

3260. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल डिब्बों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा हेतु जर्मनी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते विशेषकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) रेल डिब्बों के आधुनिकीकरण की चालू परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) किन-किन रेलगाड़ियों में ऐसे रेल डिब्बों को लगाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) अक्तूबर, 1995 में हस्ताक्षरित मैसर्स एल्सटाम एलएचबी, जर्मनी को दिए गए ठेके के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा खरीदी गई प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत में अत्याधुनिक सवारी डिब्बों का विनिर्माण किया जा रहा है।

(ङ) आंशिक ठेके के रूप में खरीदे गए 24 आयातित सवारी डिब्बे नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में चल रहे हैं और भारत में इस डिजाइन के विनिर्मित किए जा रहे सवारी डिब्बे नई दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में चल रहे हैं।

हैदराबाद में निजाम की ज्वैलरी का प्रदर्शन

3261. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में निजाम की ज्वैलरी के स्थायी प्रदर्शन हेतु अनुदान संबंधी स्वीकृति पर विचार करने तथा प्रस्तावित रत्न और ज्वैलरी पार्क से सटी एक अत्याधुनिक गैलरी का निर्माण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है अथवा की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 3 जुलाई, 2003 के अपने पत्र के जरिये यह सूचित किया था कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, मलेशिया की एक फर्म के सहयोग से बंजारा हिल्स हैदराबाद में स्टेट आफ द आर्ट रत्न एवं आभूषण पार्क का विकास कर रही है। राज्य सरकार ने निजाम के आभूषणों की एक स्थायी गैलरी स्थापित करने हेतु उक्त पार्क के खाके में एक एकड़ भूमि प्रदान करने की पेशकश की है।

(ग) विशेष सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने अक्तूबर, 2003 में सोच विचार कर यह निर्णय लिया था कि निजाम की ज्वैलरी को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली की एक गैलरी में रखा जाए। वैसे, सरकार अब हैदराबाद शहर में समय-समय पर निजाम की ज्वैलरी की प्रदर्शनी आयोजित करने की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में विचार कर रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नई रेल लाइनें

3262. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में मालशेज घाट-दरया घाट (शिवनेरी), जून्नर से होकर कल्याण और अहमदनगर के बीच नई रेल लाइन बिछाने हेतु वर्ष 1974 में सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) मुरबाद के रास्ते कल्याण से अहमदनगर तक नई लाइन के अद्यतन सर्वेक्षण 2000-01 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, इस 204 किमी लंबी लाइन के निर्माण की लागत (-) 0.54% की प्रतिफल की दर से 772.11 करोड़ रु. आकलित की गई थी। चालू परियोजनाओं के थ्रोफारवर्ड, अलाभप्रद प्रकृति वाली परियोजना और संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए प्रस्तावित लाइन पर विचार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

एलपीजी सिलिंडरों की कलाबाजारी

3263. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित राज्यों में एलपीजी सिलिंडरों की हो रही कालाबाजारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गैस एजेंसियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा एलपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी रोकने और उनका नियमित वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या एतिहाती उपाय किए जा रहे हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2001 के अनुसार दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को एलपीजी सिलेंडरों के लिए अधिक पैसा वसूलने के संबंध में वर्ष 2003-04 के दौरान अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में 15 और जम्मू और कश्मीर में 5 शिकायतें मिली हैं।

(ग) तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा अधिक पैसा वसूलने को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 प्राख्यापित किया गया है। आदेश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर अधिक पैसा वसूलने की मनाही है। ऐसा अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 3 माह से 7 वर्ष की कैद के साथ दंडनीय है।

(2) राज्य सरकारें उपर्युक्त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं।

(3) तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए विपणन अनुशासन, दिशानिर्देश सरकार द्वारा अप्रैल 2001 में स्थापित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार रीफिल/स्थापना प्रभारों आदि पर अधिक पैसा वसूलना साबित हो जाने के मामले में डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध पहले अपराध पर चेतावनी, दूसरे अपराध पर 5,000 रुपए जुर्माने, तीसरे अपराध पर 15,000 रुपए जुर्माने और चौथे अपराध पर समाप्ति का प्रावधान है।

(4) तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों से घरेलू सिलेंडरों पर अधिक पैसा न वसूलें। तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम, आपूर्ति स्थल और मार्ग में यह सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच करते हैं कि अधिक पैसा न वसूला जाए। अधिक पैसा वसूलने की किसी शिकायत के सिद्ध हो जाने पर दोषी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और/या डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विश्व विरासत के रूप में उनाकोटी

3264. श्री खगेन दास: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने त्रिपुरा में उनाकोटी को विश्व विरासत केन्द्र के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) उनाकोटी को विकसित और संरक्षित करने तथा इसे पर्यटक केन्द्र के रूप में प्रचारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उनाकोटी के निकट शिब्बानी तथा त्रिपुरा के पिलक और कमलपुर में उत्खनन कार्य किये जाने की जरूरत है जहां महत्वपूर्ण स्मारकों के पता चलने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव तथा देखभाल एक सतत प्रक्रिया है। बहुत के पर्यटक सहायक उपाय जैसे शैलकृत अध्युपचित्र तथा मूर्तियों के साथ-साथ पहुंच पगडंडियों, नालों के ऊपर पुल, सीढ़ियां बनाने तथा खरपतवार की सफाई कार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्थल का ऐतिहासिक महत्व दर्शाने वाले तथा कुछ संवेदनशील बिन्दुओं पर निर्देश देते हुए साइन बोर्ड लगाए गए हैं।

(घ) और (ङ) उनाकोटि के निकट शिवानी पुरातात्विक स्थल केन्द्रीय संरक्षित नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने स्थल का दौरा किया तथा 12वीं शताब्दी ई. के शैलकृत शिवलिंगों की खोज की सूचना दी है।

पिलक स्थित पुरातात्विक स्थल जैसे ठकुरानी टीला तथा श्यामसुन्दर टीला का पहले ही उत्खनन किया जा चुका है। कमलपुर स्थल का निरीक्षण भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा किया गया था। त्रिपुरा के धलाई जिला के अंतर्गत लालचर्रा के निकट अन्वेषण किया गया है। यद्यपि कुछ जली हुई ईंट संरचनाओं की सूचना मिली है किन्तु प्राचीन बस्ती के कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए, इस स्थल का आगे और उत्खनन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नई रेल लाइनें

3265. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पनवेल-करजात में नई ब्राड गेज विद्युतीकृत रेल लाइन, बारामती-लोनान्द नई रेल लाइन, अमरावती-नारखेड़ नई रेल लाइन, नई रेल लाइन अहमदनगर बीड-वैजनाथ, पुरतंबर-शिर्डी और मिराज-लातुर बिछाने से संबंधित कार्य का ब्यौरा क्या है तथा क्या यह कार्य तक समय-सीमा के अनुरूप चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो कार्य-निष्पादन में किस हद तक विलम्ब हुआ है; और

(ग) इन कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इन पर कितना व्यय हुआ है तथा इन परियोजनाओं की लागत वृद्धि यदि कोई है तो कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं पर प्रगति हो रही है।

विवरण

क्र सं.	चालू परियोजनाओं का ब्यौरा	कि.मी.	मूल लागत (रुपए (करोड़ में)	प्रत्याशित लागत (रुपए करोड़ में)	मार्च, 2004 तक व्यय (रुपए करोड़ में)	2004-05 के दौरान परिव्यय (रुपए करोड़ में)	परियोजना की वर्तमान स्थिति और पूरा करने की संभाव्य तारीख जहां कहीं नियत हो
1	2	3	4	5	6	7	8
नई लाइन							
1.	पनवेल-करजत	28	1.66	137.96	113.82	5	कार्य पूरा हो गया है। इसे यातायात के लिए अभी शुरू किया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बारामती-लोनाड	54	75	138.48	6.62	4	अंतिम स्थान-निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण पूरा हो गया है। लोनाड-फाल्टन (27 कि.मी.) के लिए भूमि संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मिट्टी संबंधी कार्य की निविदा की प्रक्रिया शुरू हो गई और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गया है।
3.	अमरावती-नाड़खेर	138	121	284.27	107.17	16.49	भूमि के अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे और बड़े पुलों पर कार्य किया जा रहा है। अमरावती से चंदूर बाजार (44 कि.मी.) खंड तक का कार्य 31.3.2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ	250	353.08	353.08	11.75	20	अंतिम स्थान-निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण पूरा हो गया है। जहां 15 कि.मी. तक (अहमदनगर-नारायणडोह खंड) भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा हो गया है वहीं मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
5.	पुनतंबा-शिर्डी	16.6	48.76	48.78	13.15	8.92	अंतिम स्थान-निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य किया जा रहा है। 9 छोटे पुलों में से 7 छोटे पुलों का कार्य पूरा हो गया है।
आमान परिवर्तन							
1.	मिरज-लातूर	374	225	515.57	192.78	25	यह कार्य चरणों में किया जा रहा है। कुरडूवाडि से पंढरपुर (52 कि.मी.) और लातूर-लातूर रोड (33 कि.मी.) तक का कार्य पूरा हो गया है। कुरूडूवाडि-लातूर खंड में मिट्टी संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। इस खंड में मिट्टी "रोजगार गारंटी योजना" के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है परंतु कार्य काफी धीमी गति से किया जा रहा है। मिरज-पंढरपुर के बीच भी कार्य शुरू हो गया है।

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम

3266. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने वाली 500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम को बल प्रदान करने हेतु 500 करोड़ रुपये देने के लिए यू.टी.आई. बैंक के साथ एक समझौता किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे संबंधित सभी आवश्यक कागजात मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम स्वीकृति कब तक दी जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार यू.टी.आई. बैंक ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रु. के ऋण की व्यवस्था करने की पेशकश की गयी है। तथापि, कोई करार संपन्न नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बाड़मेर में तेल कुएं

3267. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री महावीर भगोरा:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में तेल/पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार और मात्रा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस भंडार में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी-कितनी हिस्सेदारी है;

(घ) क्या ओएनजीसी और अधिक कुएं खोदने हेतु कोई सर्वेक्षण करा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 की प्रचालक मैसर्स कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा.लि. ने 9 खोजें की हैं जिनमें से 8 राजस्थान के जिला बाड़मेर में और 1 जिला जालौर में है। प्रचालक ने बाड़मेर में 4 तेल खोजों और जालौर में 1 तेल खोज को वाणिज्यिक घोषित किया। प्रचालक द्वारा 5 तेल खोजों नामत: सरस्वती, रागेश्वरी, एनए-1, मंगला और जीआर-एफ के संबंध में स्थानिक भंडार 44.88 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हैं और शेष 4 खोजें मूल्यांकनाधीन हैं। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लि. (ओआईएल) के राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में 12.55 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) स्थानिक गैस भंडार हैं।

(ग) ब्लाक में वाणिज्यिक तेल खोजों से तेल उत्पादन के विकास और प्रारंभ के बाद राज्य सरकार को कच्चे तेल के उत्पादन पर रायल्टी प्राप्त होगी जबकि केन्द्र सरकार को उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अनुसार संविदाकार द्वारा संविदा लागत की वसूली के बाद कच्चे तेल के उत्पादन पर उपकर और लाभ पेट्रोलियम का हिस्सा प्राप्त होगा।

(घ) और (ङ) ओएनजीसी 2002-03 के दौरान चिन्नेवाला टिब्बा में की गई गैस खोज का आगे सीमांकन करने के लिए जैसलमेर के दक्षिणी खारातार क्षेत्र में 3-डी भूकंपीय सर्वेक्षण कर रही है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत धनराशि का अन्यत्र उपयोग

3268. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 16 दिसम्बर, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2094 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि के अन्यत्र उपयोग संबंधी आरोपों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-2004 और वर्ष 2004-2005 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस योजना के अंतर्गत कितनी इकाइयों का निर्माण किया गया है और निर्माण किया जाना है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 तक योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) असम सरकार ने यह जानकारी दी है कि परियोजना निदेशक, डीआरडीए, कामरूप ने दिनांक 17 सितम्बर, 2003 के "असम ट्रिब्यून" में प्रकाशित आरोपों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने अभी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ख) 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटित निधियां तथा लक्ष्यों की तुलना में निर्मित/उन्नयन इकाईयों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	आबंटन (रु. लाख में)			आवासों की संख्या*		
		केन्द्र	राज्य	कुल	लक्ष्य	निर्मित/उन्नयन	निर्माणाधीन आवास
1.	2003-2004	14124.59	4708.20	18832.79	106149	78752	29389
2.	2004-2005	18584.99	6195.00	24779.99	11175	6917	116166

* मई, 2004 तक की सूचना के अनुसार (अनंतिम)

(ग) 2000-2001 से 2003-2004 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य की तुलना में निर्मित/उन्नयन किए गए आवासों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(संख्या इकाईयों में)

क्र.सं.	वर्ष	आवासों की संख्या	
		लक्ष्य	निर्मित/उन्नयन
1.	2000-2001	98857	65089
2.	2001-2002	99913	46817
3.	2002-2003	96371	65587
4.	2003-2004	106149	78752

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या

3269. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम और अभियांत्रिकी कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र से कई पदों को हटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्थानांतरण पूर्वोत्तर क्षेत्र के हितों के विरुद्ध है और इससे निकट भविष्य में पदों में कमी होगी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) विभिन्न आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या की तुलना में इस समय रिक्त पड़े कार्यक्रम और अभियांत्रिकी पदों की संख्या कितनी है;

(च) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकतर दूरदर्शन केन्द्रों में कैमरामैन की कमी है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त पदों की संख्या कितनी है और इन रिक्तियों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रीमिक्स गाने

3270. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जब भी कोई टी.वी. सेट को खोलता है, तो प्रचलित पुराने गानों की रीमिक्स तेज धुनों और अश्लील दृश्यों की बौछार का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रीमिक्स गानों के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पुराने गानों को रीमिक्स से बचाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के लिए नोडल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रतिलिप्यधिकार प्रभाग, शिक्षा विभाग) है। उस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, रिमिक्स व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों द्वारा अपर्याप्त रायल्टी के भुगतान के कारण संगीत उद्योग को होने वाली वित्तीय हानि आदि के संदर्भ में गीतों में रिमिक्स की समस्या को उनके ध्यान में लाया गया है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में संशोधन करने पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग में एक कोर समूह गठित किया गया है तथा संगीत उद्योग के विभिन्न समूहों ने रिमिक्स को कवर करने वाली धारा 52(1)(अ) के प्रतिधारण/विलोपन/आशोधन के संबंध में अपने-अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाली फिल्मों का प्रदर्शन

3271. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 2004 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फिल्म इंस्पायर्ड सेट्स किलर्स" शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आपराधिक पृष्ठभूमि वाली फिल्मों का प्रदर्शन रोकने का है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में बच्चों को अपराध की लत पड़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) "फिल्म इंस्पायर्ड सेट्स किलर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों में उल्लिखित फिल्म "हम से है जमाना" को चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 8.8.83 को प्रमाणित किया गया था तथा बोर्ड ने कुछ दृश्यों को काटने पर फिल्म के यू प्रमाण-पत्र की सिफारिश की थी।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5ख(1) और उसके अंतर्गत बनाए गए दिशा-निर्देशों के तहत फिल्मों को प्रमाणित किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने पर यह ध्यान दिया जाता है कि फिल्मों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक हिंसा का चित्रण न होने पाए। निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रासंगिक हैं:-

2 (i) हिंसा जैसे समाज विरोधी कार्यकलापों को महिमामण्डित न किया जाए और ना ही उनको न्यायोचित ठहराया जाए।

2 (ii) अपराधियों की कार्य-शैलियों, किसी अपराध के लिए उकसाने वाले अन्य दृश्यों या शब्दों का चित्रण न किया जाए।

2 (iii) दृश्य-

(क) जिनमें पीड़ित या कर्ता के रूप में हिंसा में बच्चों की संलिप्तता प्रदर्शित की गई हो अथवा हिंसा में उनको बलात् साक्ष्य बनाया गया हो, या किसी भी प्रकार के बाल शोषण के रूप में उनका चित्रण किया गया हो,

(ख) जिनमें शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग, व्यक्तियों को शोषण या उपहास का प्रदर्शन किया गया हो, और

(ग) जिनमें जानवरों के प्रति निर्दयता या उनका दुरूपयोग प्रदर्शित किया गया हो, उनका अनावश्यक रूप से प्रस्तुतीकरण न किया जाए।

2 (4) हिंसा, निर्दयता एवं संत्रास के निरर्थक या परिहार्य दृश्यों, प्रमुखतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए लक्षित हिंसा के दृश्यों तथा लोगों को असंवेदनशील या अमानवीय बनाने वाले दृश्यों का चित्रण न किया जाए।

पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायती राज

3272. श्री गिरिधर गमांग: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान में विशेषकर पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के संबंध में और स्व-शासन के संस्थान के रूप में परिकल्पित पंचायती राज के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायत के विस्तार के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मंत्रालय इसकी उपलब्धियों का पता लगाने हेतु अधिसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अधिसूचित क्षेत्रों वाले राज्य सरकारों, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों की बैठक बुलाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) संविधान के भाग IX के आज्ञापक प्रावधानों को बहुत हद तक शब्दश: और कुछ हद तक भावत: लागू किया गया है।

तथापि, निधियों, कार्यों एवं कर्मियों के अंतरण, जैसा कि अनुच्छेद 243छ में प्रावधान किया गया है और अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जिला योजना समितियों से संबंधित आज्ञापक प्रावधानों के संबंध में भी बहुत कार्य किया जाना है। पंचायती राज संस्थाओं में संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहां तक अनुसूची-V के क्षेत्रों का सवाल है, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 दिनांक 24.12.1996 को प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम का 9 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान, के जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है। इन सभी राज्यों ने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधानों के अनुसार संशोधन किया था लेकिन कुछ राज्यों को अभी भी भूमि, लघु खनिज, जल निकायों, ग्रामीण बाजारों आदि से संबंधित विषयों के कानून में संशोधन करना है। पंचायती राज के माध्यम से 'गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण समृद्धि' पर मुख्यमंत्रियों और राज्यों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में यह तय किया गया कि पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं पर सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएं जिनमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज मंत्री और उनके अधिकारी भाग लें। 'पंचायती राज में आरक्षण' विषय पर रायपुर में 22-23 सितम्बर, 2004 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस गोलमेज सम्मेलन में पेसा के कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कर्नाटक में विशेष परियोजना

3273. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विलंब के क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार से स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना की विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत प्राप्त परियोजनाओं का एक विवरण संलग्न है।

(ग) विशेष परियोजनाओं की स्वीकृति प्रणाली में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेष परियोजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पहले परियोजनाओं की जांच करना आवश्यक है, उसके बाद इसे परियोजना जांच समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए बशर्ते वे दिशा-निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी करते हों। किसी तरह की कमी वाली परियोजनाओं को वापिस राज्यों को भेज दिया जाता है। परियोजना जांच समिति द्वारा उपयुक्त पाई गई परियोजनाओं को ग्रामीण विकास विभाग की परियोजना अनुमोदन समिति को भेज दिया जाता है। परियोजना अनुमोदन समिति की स्वीकृति के बाद, निधियां रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कर्नाटक से प्राप्त परियोजनाएं मंजूरी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

1.04.1999 अर्थात् प्रारंभ से लेकर कर्नाटक सरकार से प्राप्त विशेष परियोजनाओं की सूची को दर्शाने वाला विवरण

1. कोलार जिला, कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तथा रोजगार सृजन संबंधी मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम की विशेष परियोजना
2. रायचूर जिला, कर्नाटक में रायचूर मुख्य लिफ्ट सिंचाई योजना की परियोजना रिपोर्ट
3. गुलबर्गा जिला, कर्नाटक में डेयरी विकास के लिए विशेष परियोजना
4. दक्षिणी कन्नड़ जिला में क्षेत्र धर्मस्थल द्वारा कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र में आयोपार्जक गतिविधियों को शुरू करने के लिए परियोजना
5. पिलिकुला निसर्गधाम, मूदसिद्धी गांव, मंगलौर जिला, कर्नाटक में कारीगरों के गांव के लिए विशेष परियोजना
6. कोलार जिला, कर्नाटक में बीपीएल परिवारों के डेयरी उद्योग के उत्थान हेतु मूलभूत ढांचे के विकास के लिए परियोजना
7. चिकन्याकनहल्ली तालुक, तुमकूर जिला, कर्नाटक में गरीबी उन्मूलन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालीन प्रबंध हेतु सचेतना-एसजीएसवाई विशेष परियोजना

8. जमराजा नगर जिला, कर्नाटक में बाजार परिसरों के निर्माण के लिए परियोजना

9. सिमोगा जिला, कर्नाटक में डेयरी विकास

10. बेल्लारी, कर्नाटक में महिला अपैरल पार्क

11. गडग जिला, कर्नाटक में बहु-आयोपार्जन गतिविधि के माध्यम से बीपीएल कृषि परिवारों की अधिकारिता के लिए परियोजना

12. उदुपी जिला, कर्नाटक में काजू दाने की उपज के लिए काजू संसाधन इकाई लगाने हेतु परियोजना

13. उदुपी जिला, कर्नाटक में आयोपार्जक गतिविधियां शुरू करने के लिए परियोजना

14. उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक में डेयरी पालन, दुग्ध उत्पादन, संसाधन और विपणन के लिए परियोजना

15. बेलगांव जिला, कर्नाटक में गड़रियों और ऊन बुनने वालों की सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के लिए परियोजना

16. मैसूर जिला, कर्नाटक में कृषि उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण आबादी हेतु रोजगार सृजन के लिए परियोजना

17. मैसूर और चमराजा नगर जिला, कर्नाटक में डेयरी विकास गतिविधियों के लिए परियोजना

18. बीजापुर जिला, कर्नाटक में डेयरी गतिविधियों को फिर से चालू करने के लिए परियोजना

19. दावनगेरे जिला, कर्नाटक में डेयरी पालन, दुग्ध उत्पादन, संसाधन और विपणन के लिए परियोजना

20. धारवाड़ जिला, कर्नाटक में ग्रीन हाऊस टेक्नालोजी के संवर्द्धन के लिए परियोजना

राजकोट से वरावल के बीच बड़ी लाइन का आमान परिवर्तन

3274. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में राजकोट से वरावल (सोमनाथ) के बीच बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य को पूरा करने के पश्चात् निरीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में रेलगाड़ियों को कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जी हां। रेल संरक्षा आयुक्त ने खंड का निरीक्षण पहले ही कर लिया है और कतिपय मदों के अनुपालन के पश्चात् यात्री गाड़ी परिचालन के लिए फिट प्रमाणित कर दिया है।

(ग) खंड को मालगाड़ी सेवाओं के लिए पहले ही खोल दिया गया है। बहरहाल, यात्री सेवाएं रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा उल्लिखित मदों के अनुपालन जो 30.9.2004 तक होने की संभावना है, के पश्चात् शुरू की जाएंगी।

[हिन्दी]

रेल मार्ग

3275. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैसे रेलमार्गों की संख्या कितनी हैं और वे कौन से रेलमार्ग हैं जहां यातायात की सघनता 80% से अधिक है;

(ख) दिल्ली-कोटा-मुम्बई मार्ग पर यातायात की सघनता कितनी है और सवाई माधोपुर-वडोदरा और वडोदरा-मुम्बई खण्डों पर इसका प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इसके अत्यधिक सघन रेल मार्गों को चार लेनों वाला बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे पर यातायात की संतृप्ति संबंधी रूट-वार आंकड़े नहीं रखे जाते। ये आंकड़े केवल खण्ड-वार रखे जाते हैं क्योंकि ऐसी बहुत ही कम रेलगाड़ियां हैं जो बहुत से खण्डों के एक संपूर्ण रूट से गुजरती है।

(ख) दिल्ली-कोटा-मुम्बई मार्ग पर अधिकतर खण्ड संतृप्त हैं। सवाई माधोपुर-वडोदरा और वडोदरा-मुम्बई खण्डों की उपयोगिता का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खण्ड	प्रतिशत
सवाई माधोपुर-वडोदरा खण्ड	
सवाई माधोपुर-गुर्ला	124
गुर्ला-कोटा	153.4
कोटा-नागदा	110.7
नागदा-रतलाम	160.8
रतलाम-गोधरा	157.2
गोधरा-वडोदरा	126.1
वडोदरा-मुंबई खण्ड	
वडोदरा-भरूच	149.4
भरूच-सूरत	148.1
सूरत-उधना	140.0
उधना-वलसाड	138.3
वलसाड-दहानू रोड	137.1
दहानू रोड-विरार	114.9
विरार-वसई रोड	127.8
वसई रोड-बोरीवली	132.5
बोरीवली-जोगेश्वरी	138.1
जोगेश्वरी-अंधेरी	139.7
अंधेरी-बांद्रा	176.2
बांद्रा-माहिम जं.	113.9
माहिम जं.-मुंबई सेंट्रल	103.9

[अनुवाद]

डीटीएच प्रसारण हेतु आशय-पत्र

3276. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:**
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और ए.एस.सी. इन्टरप्राइजेज लिमिटेड (जी ग्रुप कंपनी) ने डीटीएच प्रसारण हेतु आशय-पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो आशय-पत्र जारी करने हेतु सरकार के पास लंबित पड़े डी टी एच आवेदनों की संख्या कितनी है और इन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या डी.टी.एच. के कुछ आवेदन एफ.आई.पी.बी. और अन्य एजेंसियों द्वारा मंजूरी दिए जाने और सरकार द्वारा प्रवेश शुल्क स्वीकार किए जाने के बावजूद लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन आवेदनों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) सरकार ने दूरदर्शन की के यू बैंड ट्रांसमिशन परियोजना को अनुमोदित कर दिया था, जिसमें 30 फ्री-टु-एयर चैनलों का वितरण परिकल्पित है। मैसर्स ए एस सी इन्टरप्राइजेज लि. को प्रासंगिक डीटीएच दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 16 सितम्बर, 2003 को लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है।

(ख) मैसर्स स्पेस टीवी, एस्सल श्याम कम्युनिकेशंस लि. और नोएडा साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क लि. से संबंधित तीन आवेदनों पर मंत्रालय में कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) मैसर्स स्पेस टीवी लि. ने अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रवेश शुल्क जमा करा दिया है। उनके आवेदन पर इस समय मंत्रालय में कार्रवाई चल रही है। आवेदक कंपनी को आशय पत्र प्रदान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

3277. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु संचालित की जा रही योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राज्य को तद्नुसार केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों/शासित क्षेत्र की सरकारों ने भी उक्त सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान इस संबंध में राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार क्या प्रावधान किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कुतुब मीनार को पर्यटकों हेतु खोलना

3278. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "कुतुब मीनार" जैसे विरासत स्थल को आम जनता/पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुतुब मीनार को कब तक खोले जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) विश्वदाय स्थल परिसर जिसमें कुतुब मीनार तथा अन्य स्मारक शामिल हैं, जनता तथा पर्यटकों के लिए खुले हैं। तथापि, पर्यटकों को कुतुब मीनार पर चढ़ने की अनुमति नहीं है क्योंकि सीढ़ियां भगदड़ के बाद 1981 से बन्द हैं। उक्त भगदड़ में 45 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा 20 व्यक्ति घायल हो गए थे।

(ग) परिकल्पित पर्याप्त सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने के बाद ही सीढ़ियों को जनता के लिए खोला जाएगा।

मध्य प्रदेश में सूखा संभावित क्षेत्र

3279. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक मध्य प्रदेश के सूखा संभावित क्षेत्रों में जल सुविधा भंडारण और जल-स्तर बनाए रखने से संबंधित प्राप्त संस्वीकृत और लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ग) बजट में घोषित सूखा संभावित क्षेत्रों हेतु 100 करोड़ रुपये की योजना का ब्यौरा क्या है और इस अनुदान के संवितरण के तरीके क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) को मृदा-नमी संरक्षण, जल संसाधन विकास, वनरोपण, चरागाह विकास आदि जैसे कार्यकलापों को शुरू करके प्राकृतिक संसाधन आधार को सूखे के प्रभाव से मुक्त करने तथा पुनः उपयोग योग्य बनाने के उद्देश्य के साथ वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कार्यक्रम वाले राज्यों को निधियों का विशेष आबंटन नहीं किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय नई परियोजनाएं, 500 हैक्टेयर की प्रत्येक परियोजना, वाटरशेड विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत करता है और निधियां जिला पंचायतों को 5 वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान किस्तों में जारी की जाती हैं। केन्द्रीय निधियों की पहली किस्त नई परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ ही जारी की जाती है तथा कार्यक्रम के मांग आधारित होने के कारण बाद की किस्तें राज्य सरकार/जिला पंचायतों से उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखाओं के लेखा-परीक्षित विवरण, तिमाही प्रगति रिपोर्टों आदि के साथ विशेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाती हैं। केन्द्रीय निधियां जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिला पंचायत ने इसे जारी की गई निधियों की पिछली किस्त के 50% से अधिक भाग का उपयोग कर लिया है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक 154.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग) बजट में उन जल स्रोतों जो प्रत्यक्ष तौर पर कृषि से जुड़े हुए हैं, की मरम्मत करने, पुनः उपयोग योग्य बनाने तथा नवीकृत करने के लिए 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक योजना का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुदानों को जारी करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रक (नोडल) मंत्रालय है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण संबंधी मानदंड

3280. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के एक हजार से ज्यादा की जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु धन आवंटित करने के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ख) एक हजार से ज्यादा की जनसंख्या वाले क्षेत्र को गांव मानने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) सड़क के निर्माण हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2468 करोड़ रु. का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से 320 करोड़ रु. बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए हैं। इसकी तुलना में, महाराष्ट्र हेतु 130 करोड़ रु. सहित, राज्यों को 2230 करोड़ रु. का मानकीकृत आबंटन किया गया है। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, न्यूनतम 80% निधि संपर्कविहीन बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जानी है जिसमें 1000 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी है।

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए इकाई एक "बसावट" है जो एक क्षेत्र में रहने वाली आबादी का समूह है, जिसका लंबे समय तक स्थान-परिवर्तन नहीं होता है। आबादी के आकार की गणना करने के लिए 500 मीटर के दायरे (पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 1.5 कि.मी. की सड़क दूरी) में आने वाली समस्त बसावटों की आबादी को मिला लिया जाना चाहिए। जनगणना-2001 में दर्ज आबादी इसके लिए आधार हो सकती है।

(ग) ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ज्यामितीय मानक और संरचनात्मक डिजाइन इण्डियन रोड्स कांग्रेस रूरल रोड्स मैनुअल आई आर सी एस पी 20:2002 के अनुरूप हैं। मैनुअल में अपेक्षित यातायात, मिट्टी तथा मैदानी प्रकृति और मौसमी घटकों पर आधारित डिजाइन मानदण्डों का वर्णन किया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी स्वामित्व वाले उपग्रहों के उपयोग पर प्रतिबंध

3281. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी टी एच एवं संचालकों को सीधे कार्यक्रमों को प्रसारित करने हेतु विदेशी स्वामित्व वाले उपग्रहों के उपयोग पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) लाइसेंस करार की निबंधन एवं शर्तों के अनुच्छेद-11 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारक भारतीय एवं विदेशी दोनों के उपग्रहों पर डी टी एच सेवा के लिए बैंडविड्थ क्षमता का प्रयोग कर सकता है। भारतीय उपग्रहों के प्रयोग की परिकल्पना वाले प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके परिचालन इन्सेट और लाइसेंसधारक द्वारा प्रयोग किए जा रहे उपग्रह के बीच अन्तर-प्रणाली समन्वयन करार के उपबंधों के अनुरूप होंगे।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां

3282. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रति वर्ष ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के रूप में कितनी रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या सभी ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम समय-सारणी जारी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के बारे में आम जनता को सूचना प्रदान करने हेतु अग्रिम समय सारणी जारी करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रेल प्रति वर्ष ग्रीष्मकाल और त्यौहार के अवसरों सहित व्यस्ततम अवधियों के दौरान विशेष गाड़ियां चलाती है। ये गाड़ियां विभिन्न खंडों पर यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चलाई जाती हैं। बहरहाल, 2026 और 1769 ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां क्रमशः 2003 और 2004 के दौरान चलाई गई थीं।

(ख) ग्रीष्मकालीन समय-सारणी यात्रियों को समय पर मुहैया करा दी गई थीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रसोई गैस का देश में उत्पादन

3283. श्रीमती जयाप्रदाः
श्री नीतीश कुमारः

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस की घरेलू आवश्यकता के अधिकतम प्रतिशत को देश में हुए उत्पादन से पूरा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या देश में उत्पादित रसोई गैस की मूलभूत उत्पादन लागत को रसोई गैस पर होने वाले व्यय के आधार पर तय किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं और रसोई गैस की मूलभूत लागत को तय करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किया गया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्ष 2003-04 के दौरान एलपीजी की 82% घरेलू आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन से पूरी की गई।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां रिफाइनरियों और फ्रेक्शनेटरों को घरेलू रूप से उत्पादित एलपीजी के लिए आयात समता मूल्य दे रही है। इस प्रकार एलपीजी का आयात समता मूल्य तेल विपणन कंपनियों की लागत समझा जाता है।

[अनुवाद]

कादियां और ब्यास के मध्य रेल लाइन

3284. श्री नवजोत सिंह सिद्धूः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कादियां और ब्यास के मध्य रेल संपर्क को काफी पहले संस्वीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त रेल मार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उपरोक्त रेल मार्ग को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। प्रस्तावित बटाला-ब्यास बड़ी आमान रेल लाइन परियोजना के कादियां-ब्यास खण्ड को जनवरी, 1928 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) और (ग) बटाला और कादियां के बीच खण्ड को दिसम्बर, 1928 में पूरा किया गया था और यातायात के लिए खोला गया था। बहरहाल, कादियां-ब्यास के बीच नई लाइन के निर्माण को वित्तीय तंगियों के कारण छोड़ दिया गया था।

किसान चैनल

3285. श्री मंजुनाथ कुन्नुरः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषकों को उनका अपना किसान टी.वी. दिखाने हेतु जनवरी, 2004 में शुरू किए गए चैनल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह चैनल संसाधनों और मानव श्रम की कमी का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि किसान चैनल को डाल्टनगंज, डिब्रूगढ़, गुलबर्गा, हिसार, इन्दौर, जलपाईगुड़ी, मुजफ्फरपुर, राजकोट, सम्बलपुर, शिलांग, वाराणसी और विजयवाड़ा से नैरोकास्टिंग मोड में 21 जनवरी, 2004 को प्रारम्भ किया गया था। कृषि कार्यक्रमों को जलपाईगुड़ी से शाम को 5.30 से 6.00 बजे तक और अन्य केन्द्रों से शाम को 6.00 से 6.30 बजे तक प्रसारित किया जा रहा है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय इस चैनल को न तो संसाधन संकट और न ही जनशक्ति के अभाव का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

झारखंड में लंबित रेल परियोजनाएं

3286. **श्री टेक लाल महतो:**
डा. रामेश्वर उरांव:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री चन्द्रशेखर दूबे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड राज्य में रेलवे से संबंधित परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राज्य में लंबित/चालू रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षण की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं तथा सर्वेक्षणों में से प्रत्येक को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उपरोक्त परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) लंबित परियोजनाएं वे परियोजनाएं मानी जाती हैं जिन्हें इस शर्त के साथ बजट में शामिल किया गया था कि निर्माण कार्य आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा। झारखण्ड के राज्य में ऐसी कोई परियोजना लंबित नहीं है। झारखण्ड में अंशतः अथवा पूर्णतः पड़ने वाली विभिन्न चालू परियोजनाओं की स्थिति, उनकी अनुमानित लागत और 2004-05 के लिए परिव्यय, 31.3.04 तक व्यय और पूरा होने की लक्ष्य तारीख, जो निर्धारित की गई है, निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	प्रत्याशित व्यय 31.3.04 तक (करोड़ रु. में)	परिव्यय 2004-05 (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति/पूरा करने के लिए लक्ष्य तारीख जो नियत की गई है
1	2	3	4	5	6
नई लाइन					
1.	देवगढ़-दुमका (60 कि.मी.)	180.72	33.51	15.00	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य तथा पुल संबंधी कार्य चल रहा है। 2006-07 के दौरान कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना की दो-तिहाई लागत झारखण्ड सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
2.	देवगढ़-सुल्तानगंज, बांका-बाराहाट और बांका-भितिया रोड (147 किमी.)	312.00	42.86	8.00	अंतिम स्थल सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण और पुल संबंधी कार्य चल रहा है। बांका-बाराहाट (13 किमी.) को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6
3.	दुमका-के रास्ते मंदाराहिल-रामपुरहाट (130 किमी.)	254.07	57.43	10.00	अंतिम स्थल सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य तथा अन्य गतिविधियां प्रगति पर हैं। झारखण्ड सरकार कार्य की लागत के एक हिस्से को वहन करेगी।
4.	गिरिडीह-कोडरमा (105 किमी.)	371.36	78.71	15.00	कोडरमा-महेशपुर खण्ड पर भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य चल रहा है। 2006-07 के दौरान कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना की लागत का दो-तिहाई झारखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
5.	कोडरमा-रांची (189 किमी.)	1033.00	215.24	5.00	कार्य चरणों में शुरू किया गया। कोडरमा-हजारीबाग शहर पर भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। संपूर्ण खंड पर मिट्टी संबंधी और भूमि संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। 2006-07 के दौरान निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना की लागत की दो-तिहाई लागत झारखण्ड सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
6.	कोडरमा-तिलैया (68 किमी.)	307.71	7.53	15.00	अंतिम स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
आमान परिवर्तन					
1.	तोरी तक विस्तार के साथ रांची-लोहरदगा (113 किमी.)	185.32	44.43	17.34	रांची-लोहारदगा खण्ड पर मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य चल रहा है और आमान परिवर्तन का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना की दो-तिहाई लागत झारखण्ड सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
दोहरीकरण					
1.	गोयलकेरा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर-बोंडामुण्डा (40 किमी.)	186.92	1.97	0.01	कार्य को निम्न परिचालनिक प्राथमिकता दी गई है।

झारखण्ड राज्य में चालू सर्वेक्षण जिनके निम्नलिखित तारीखों में पूरा होने की संभावना है:-

सर्वेक्षण का नाम	प्रत्याशित लागत (लाख रुपए में)	पूरा होने की संभावित लक्ष्य तिथि
नई लाइनें		
हजारीबाग-गरवारोड	17.96 (कोडरमा-हजारीबाग-गरवारोड के लिए, जिसमें से कोडरमा-हजारीबाग को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।	31.03.2005
छतरा-तोरी	2.92	31.03.2005
गया-छतरा	0.60	अभी निर्धारित नहीं
हंसदिया-गोड्डा	1.96	अभी निर्धारित नहीं
रांची-कांद्रा	3.00	31.3.2005
कांद्रा-नामकोम	5.2	अभी निर्धारित नहीं
झाझा-गिरीडीह	5.74	31.3.2005
दोहरीकरण		
चक्रधरपुर-बोंडामुडा तीसरी लाइन	लागू नहीं	31.12.2004

[अनुवाद]

सड़कों के उन्नयन हेतु धन का आवंटन

3287. **डा. तुषार अमर सिंह चौधरी:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री महेश कनोडीया:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री दिन्शा पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु धन का आवंटन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-2005 हेतु इस योजना के अंतर्गत धन का प्रस्तावित राज्य-वार आवंटन कितना है; और

(ग) कुछ राज्यों में विशेषकर गुजरात में सड़कों के उन्नयन हेतु पर्याप्त धन आवंटित न करने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत नई संपर्कता और उन्नयन के लिए राज्य-वार निधियों के आबंटन का ब्यौरा संलग्न

विवरण में दिया गया है। उन्नयन के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता। जब तक पात्र बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ा जाना बाकी है तब तक उन्नयन के लिए राज्य के आबंटन के 20% से अधिक का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्नयन कार्यक्रम का मुख्य भाग नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2004-05 के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निधियों का आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आबंटन (रु. करोड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	90
2.	अरुणाचल प्रदेश	35
3.	असम	75
4.	बिहार	150
5.	छत्तीसगढ़	87
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	50
8.	हरियाणा	20
9.	हिमाचल प्रदेश	60
10.	जम्मू-कश्मीर	20
11.	झारखण्ड	110
12.	कर्नाटक	95
13.	केरल	20
14.	मध्य प्रदेश	213
15..	महाराष्ट्र	130
16.	मणिपुर	20
17.	मेघालय	35
18.	मिजोरम	20
19.	नागालैंड	20
20.	उड़ीसा	175
21.	पंजाब	25
22.	राजस्थान	130
23.	सिक्किम	20
24.	तमिलनाडु	80
25.	त्रिपुरा	25
26.	उत्तर प्रदेश	315
27.	उत्तरांचल	60
28.	पश्चिम बंगाल	135
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	10
30.	दादर और नगर हवेली	5
31.	दमन व दीव	5
32.	दिल्ली	5
33.	लक्षद्वीप	5
34.	पांडिचेरी	5
	कुल	2255

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आरक्षण से संबंधित सिफारिशें

3288. श्री तापिर गाव: क्या सामाजिक न्याय और **अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र/गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालय और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण लागू करने के लिए कानून बनाने के संबंध में की गयी विभिन्न सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) 20.2.2004 को स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है। तथापि पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक आरक्षण अधिनियम अधिनियमित करने के लिए अपनी 6ठीं व 7वीं रिपोर्टों में सिफारिशें की हैं। इस अधिनियम से आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए निःशुल्क रेल पास

3289. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को निःशुल्क रेल पास प्रदान करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) क्या व्यय सुधार आयोग ने हाल ही में सरकार से इस मद पर होने वाले व्यय में काफी कटौती करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल कर्मचारियों को पास निःशुल्क आधार पर दिए जाते हैं अतः इनकी लागत की गणना नहीं की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) रेल कर्मचारियों को पास न दिए जाने की व्यय सुधार आयोग की सिफारिश को रेलवे और सचिवों की समिति द्वारा व्यावहारिक नहीं पाया गया है। मंत्रिमंडल को इस असहमति से अवगत कराया जा रहा है।

[हिन्दी]

पार्सल बुकिंग कार्यालयों में भ्रष्टाचार

3290. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पार्सल/मालभाड़ा बुकिंग कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में जोनवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) इन शिकायतों के आधार पर कितने अधिकारी दोषी पाये गये तथा आज की स्थिति के अनुसार उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी और की गयी कार्रवाई का क्या परिणाम निकला?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। हालांकि क्षेत्रीय रेलों के पार्सल/बुकिंग कार्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से इस संबंध में 492 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 266 कर्मचारी और अधिकारी, जो दोषी पाए गए हैं, के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की गई है। अनुशासन एवं अपील नियम कार्रवाई जिसमें समय लगता है तथा सतत प्रक्रिया है, पूरी होने के बाद ही की गई कार्रवाई के परिणाम का पता चल पाएगा। शिकायतों की संख्या और दोषी पाए गए कर्मचारी और अधिकारी का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलें	प्राप्त शिकायतों की संख्या	दोषी पाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4
1.	मध्य रेलवे	72	46
2.	पूर्व रेलवे	28	कोई नहीं
3.	उत्तर रेलवे	161	105
4.	पूर्वोत्तर रेलवे	04	01

1	2	3	4
5.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	कोई नहीं	कोई नहीं
6.	दक्षिण रेलवे	32	08
7.	दक्षिण मध्य रेलवे	50	08
8.	दक्षिण पूर्व रेलवे	11	67
9.	पश्चिम रेलवे	40	05
10.	पूर्व मध्य रेलवे	14	कोई नहीं
11.	पूर्व तटीय रेलवे	कोई नहीं	कोई नहीं
12.	उत्तर मध्य रेलवे	36	11
13.	उत्तर पश्चिम रेलवे	17*	कोई नहीं
14.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	कोई नहीं	कोई नहीं
15.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	01*	कोई नहीं
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	26	15
	कुल	492	266

* शिकायतों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

3291. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और रसोई गैस की एजेंसियों के आबंटन के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और रसोई गैस के बिक्री केन्द्रों के आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी एजेंसियों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं? और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार ने खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पंप) डीलरों, एसकेओ-एलडीओ डीलरों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को प्राधिकृत किया है। तेल विपणन कंपनियों को इस उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कहते हुए सरकार ने इन दिशानिर्देशों में सम्मिलित करने के लिए कतिपय व्यापक और वस्तुनिष्ठ मानदंड सुझाए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने तदनुसार अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार किए हैं और वे इन दिशानिर्देशों के अनुसार चयन तथा आबंटन करती रही हैं। उपर्युक्त दिशानिर्देशों में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने और आबंटन करने में तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में संबंधित तेल विपणन कंपनी की चयन समिति द्वारा कतिपय निर्धारित मानदंडों और उनके लिए वरीयता की तुलना में उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के आधार पर डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन सम्मिलित है।

इसके अलावा सरकार निम्न दो योजनाओं के अंतर्गत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन भी करती है, जो तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

(1) कारगिल में "आपरेशन विजय" में युद्ध में शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवा/निकटतम संबंधी को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए विशेष योजना।

(2) निम्न दो श्रेणियों में योग्य व्यक्तियों को वास्तविक अनुकम्पा आधार पर आबंटन के लिए डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का विवेकाधीन कोटा:-

* रक्षा/अर्ध सैनिक बलों/पुलिस कार्मिकों, जो युद्ध में शहीद हो गए हों या उन व्यक्तियों के आश्रित जो अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए स्थायी रूप से विकलांग हो गए हों और जिनका अभी तक उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया है।
* केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हो गए हैं या स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं और जिनका अभी तक उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया है, के आश्रित।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02 से 2003-04 के दौरान तेल विपणन कंपनी-वार किए गए डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन निम्नानुसार हैं:-

तेल विपणन कंपनी का नाम	आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की संख्या (पेट्रोल/डीजल पंप)	आबंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या	आबंटित एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों की संख्या
आईओसी	1339	1046	113
एचपीसी	1094	476	31
बीपीसी	303	425	36
आईबीपी	1507	58	5
योग	4243	2005	185

(ग) और (घ) तेल विपणन कंपनियों और सरकार को चयनों/आबंटनों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की जांच की जाती है और जांच के बाद उपचारी कार्रवाई की जाती है।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा पैट्रोरसायन संयंत्रों की स्थापना

3292. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल इंडिया का दक्षिणी और पूर्वी भारत में पेट्रोरसायन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(ग) ये संयंत्र उत्पादन के लिए कब तक तैयार हो जाएंगे?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) गेल केरल तथा असम में पेट्रोरसायन संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रही है। केरल में पेट्रोरसायन परिसर का स्थान कोच्चि से 212 कि.मी. दूर कासरगोड़ में तथा असम में डिब्रूगढ़ से 15 कि.मी. दूर प्रस्तावित है। ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में जैव-डीजल का उपयोग

3293. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में जैव-डीजल के उपयोग के लिए कोई परीक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेल प्राधिकारियों द्वारा रेलगाड़ियों को कब तक जैव-डीजल से चलाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में जैव-डीजल के उत्पादन के लिए रेल लाइन के साथ-साथ हजारों पेड़ लगाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इरादा गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों में जैव-डीजल के उत्पादन को सुगम बनाने हेतु इन पेड़ों को लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) डीजल रेल इंजनों को बायो-डीजल से चलाने के लिए फील्ड परीक्षणों सहित आरंभिक अध्ययन किए गए हैं। जब कभी बायोडीजल वाणिज्यिक रूप से आसानी से उपलब्ध होगा तब इस ईंधन के नियमित विकल्प के रूप में दोहन की विस्तृत योजना बनाई जाएगी। बहरहाल, रेलों ने रेल भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है जिससे विभिन्न मिश्रणों के लिए अपेक्षित उत्पाद प्राप्त होगा।

(ग) और (घ) जी हां। रेलों ने जुलाई 2004 तक 24,000 जैत्रोफा कर्कस पेड़ लगाए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) चालू वर्ष 2004-05 के लिए विभागीय प्रयास के माध्यम से जैत्रोफा कर्कस के 57 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

मंगलौर-हासन रेल पटरियों का आमान-परिवर्तन

3294. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंगलौर-हासन रेल पटरियों के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आमान परिवर्तन हेतु क्षेत्र लंबाई का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक राज्य के समस्त रेलवे का विलय पूर्वोत्तर रेलवे के साथ कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या मंगलौर रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे को नहीं सौंपा गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) मंगलौर-हासन खंड पर हासन-सकलेशपुर (42 किमी.) और कनकनाडी-कबाकापुत्तर (44 किमी.) का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और खंड को रेल सेवाओं के लिए खोल दिया गया है। कबाकापुत्तर-सुब्रामया रोड (42 किमी.) का कार्य हाल ही में पूरा किया गया है। शेष हिस्से अर्थात् सुब्रामया रोड-सकलेशपुर (56 किमी.) जहां कार्य समाप्ति के अंतिम चरणों में है, के कार्य को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) हासन-मंगलौर आमान परिवर्तन परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए शेष राशि की आवश्यकता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा अमरीकी सहायक कंपनी लॉ पाइप्स को ठेका

3295. श्री बाड़िगा रामकृष्णा:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने दहेज बीजापुर पाइपलाइन परियोजना के लिए अमरीकी सहायक कंपनी लॉ पाइप्स को ठेका प्रदान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सॉ पाइप्स लिमिटेड ने ठेके के अंतर्गत मालभाड़ा और सीमाशुल्क पर बचत से हुई आय का एक-चौथाई भाग देने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सॉ पाइप्स ने ठेके के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया है; और

(च) यदि हां, तो सॉ पाइप्स के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, नहीं। गेल ने संविदा मैसर्स सॉ पाइप्स लिमिटेड, भारत को दी थी न कि सॉ पाइप्स, यूएसए को। संविदा लगभग 467 करोड़ रुपये के मूल्य पर दी गई। सॉ पाइप्स लिमिटेड, भारत को दिया गया क्रय आदेश दाहेज-विजयपुर पाइपलाइन (डीवीपीएल) के लिए 270 कि.मी. लाइन पाइप की आपूर्ति के लिए था।

(ग) और (घ) मैसर्स सॉ पाइप्स लिगमिटेड (एसपीएल) ने विचलन के लिए उनको मंजूर किए गए वाणिज्यिक लाभ गेल को देने से इंकार कर दिया है। अतः 23 करोड़ रुपये की धनराशि (गेल की परियोजना प्रबंधन परामर्शक, मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वाणिज्यिक लाभ) की कटौती मैसर्स एसपीएल के बीजकों से गेल द्वारा कर ली गई है। इसके अतिरिक्त 5.91 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति गेल द्वारा मैसर्स सॉ पाइप्स लिमिटेड को नहीं की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में चट्टान काटकर बनायी गयी गुफाओं का संरक्षण

3296. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:**
श्री सुबोध मोहिते:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कुछ जिलों में महापाषाण युग संबंधित चट्टान काटकर बनायी गयी गुफाओं की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन गुफाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे को मालभाड़े से प्राप्त आय

3297. **योगी आदित्यनाथ:**
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे को मालभाड़े से आय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान मालभाड़े में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा भुगतान के आधार पर ढुलाई किए माल की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान माल-भाड़ा से कुल आय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	(राशि)
2001-2002	24845.40
2002-2003	26504.82
2003-2004	27617.97 (अनंतिम)

(ख) और (ग) जी हां। चालू वर्ष के दौरान माल भाड़ा में वृद्धि हुई है। 2003-04 की पहली तिमाही (जून तक) में 133.17 मिलियन टन माल भाड़ा की तुलना में, चालू तिमाही में तदनुरूपी आंकड़े 141.26 मिलियन टन हैं। मालभाड़ा आय (अनंतिम) में भी 6,275 करोड़ रुपए (जून, 2003 तक) से 7,091 करोड़ रुपए (जून, 2004 तक) की वृद्धि दर्ज की गई है। माहवार ब्यौरे नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:-

	2003-04 माल, भाड़ा		2004-05 माल भाड़ा		अंतर माल भाड़ा	
	मिलियन टन में	आय करोड़ रुपयों में	मिलियन टन में	आय करोड़ रुपयों में	मिलियन टन में	आय करोड़ रुपयों में
अप्रैल	43.07	2025.38	45.54	2218.78	+2.47	+193.40
मई	45.77	2196.68	48.75	2354.88	+2.98	+158.20
जून	44.33	2052.89	46.97	2517.68	+2.64	+464.79
	133.17	6274.95	141.26	7091.34	+8.09	+816.39

(घ) प्रश्न के भाग (क) में दर्शाई गई माल भाड़ा आय के संदर्भ में रेलों द्वारा परिवहन की गई सामग्री की राजस्व आय की वर्ष-वार मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	परिवहन की गई सामग्री की मात्रा (मिलियन टन में)
2001-02	492.50
2002-03	518.74
2003-04	557.39 (अनंतिम)

[अनुवाद]

कंप्यूटरीकृत सक्षमता मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव

3298. श्री अनन्त नायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की रेलवे में सुरक्षा से संबंधित जानकारी और कार्यकुशलता का पता लगाने के लिए कम्प्यूटरीकृत सक्षमता मूल्यांकन प्रणाली का विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(ग) यह नयी प्रणाली कब तक शुरू हो जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस सिलेंडरों पर प्रतिभूति जमाराशि

3299. श्री राजेन्द्र कुमार:
श्री नकुल दास राई:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनियां और भारतीय तेल निगम ने सरकार से गैस सिलेंडर के लिए प्रतिभूति जमा राशि को बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त तेल कंपनियों ने रसोई गैस के नये कनैक्शन जारी करना, उस समय तक बंद रखने की बात कही है जब तक सरकार उनकी उक्त मांग को मान नहीं लेती; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) इस्पात मूल्यों में वृद्धि की बात को ध्यान में रखते हुए सिलेंडरों की प्रापण लागत में वृद्धि के कारण एलपीजी सिलेंडरों की प्रत्याभूति जमा राशि को बढ़ाने के लिए पीएसयू तेल विपणन कंपनियों ने सरकार से सम्पर्क किया। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) ओएमसीज ने कुछ राज्यों में एलपीजी उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची बनाई है। सरकार ने ओएमसीज को एक महीने की अवधि के अंदर 1.8.2004 तक की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने की सलाह दी है।

थानी में गुड्स टर्मिनल केन्द्र

3300. **श्री जे.एस. आरून रशीद:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के थानी जिले में गुड्स टर्मिनल और गुड्स बुकिंग केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का बंद किया जाना

3301. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने अंततः हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का पुनरुद्धार करने के लिए क्या प्रयास किये हैं;

(ग) क्या इसे बंद किये जाने से पहले कामगारों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने दिनांक 06.07.2004 को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (सिका) के अंतर्गत हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को बंद करने की सिफारिश की है।

एचईसी के लिए वर्ष 1972 से 1996 तक कई पुनरुद्धार पैकेजों को लागू किया गया। अंतिम पैकेज को वर्ष 1996 में स्वीकृत किया गया था, उसे भी बी.आई.एफ.आर. ने विफल घोषित कर दिया है। विगत 13 वर्षों में इक्विटी/ऋण/अनुदान के जरिए 890.32 करोड़ रुपए (योजनागत 144.67 करोड़ रुपए तथा गैर-योजनागत 424.71 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया तथा 294.14 करोड़ रुपए बट्टे-खाते में डाले गये। हालांकि, एचईसी के पुनरुद्धार की संभावनाओं तथा संभाव्यताओं पर अध्ययन करने तथा संवीक्षा करने के लिए एक और प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच, बी.आई.एफ.आर. के आदेश के विरुद्ध एएआईएफआर में अपील की जा रही है।

(ग) और (घ) कंपनी को बंद करने से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) के अंतर्गत उपलब्ध लाभ मुहैया कराते हुए कामगारों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी।

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

3302. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिणी नौसेना कमान, कोची के पास अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु अनेक आवेदन लंबित हैं;

(ख) दक्षिणी नौसेना कमान के पास ये आवेदन कब से लंबित हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में नियुक्ति न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने रक्षा विभागों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों से संबंधित क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) निम्नलिखित 87 आवेदन-पत्र लंबित हैं:

वर्ष	संख्या
2001 से पूर्व	44
2002	24
2003	09
2004	10
कुल	87

(ग) ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण।

(घ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुपालन किया जाता है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां समूह 'ग' और 'घ' पदों पर सीधी भर्ती के केवल 5% तक ही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उनके हाल ही के अनुदेशों के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग किसी एक वर्ष में उपलब्ध सीधी भर्ती की रिक्तियों का केवल एक तिहाई ही भर सकते हैं परन्तु यह भी वार्षिक भर्ती योजना के अंतर्गत उस विभाग की स्वीकृत नफरी के 1% के अध्यधीन है। इसके परिणामस्वरूप, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए रिक्तियों की उपलब्धता सीमित हो गई है।

रेल परियोजनाओं की स्थिति

3303. **श्री एस.के. खारवेन्थन:**
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री पंकज चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी रेल परियोजनाओं की घोषणा की गयी है;

(ख) राज्य-वार कितनी परियोजनाएं पूरी कर ली गयी हैं और कितनी लंबित पड़ी हैं;

(ग) लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में क्रमशः कुल 9, 13, 39 और 5 परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) लंबित पड़ी 6 परियोजनाओं को छोड़कर सभी 240 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं लंबित पड़ी छः परियोजनाएं मंजूरी मिलने के विभिन्न चरणों में हैं। 2004-05 में नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजनाओं की इन नई परियोजनाओं के लिए कुल 3803.37 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन परियोजनाओं के पूरे हो जाने की संभावना है।

विवरण

कुल 88 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। रेलवे में लंबित परियोजनाओं का आशय उन परियोजनाओं से है जिन्हें इस व्यवस्था के तहत बजट में शामिल किया गया था कि इन पर कार्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा। इस समय ऐसी 6 लंबित परियोजनाएं हैं। 240 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है इसमें 6 लंबित परियोजनाएं भी शामिल हैं। राज्यवार विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	राज्य	निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण	लंबित परियोजनाओं सहित परियोजनाओं में बकाया प्रगति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	27	7	20
2.	असम और उत्तर पूर्व राज्य	12	2	10

1	2	3	4	5
3.	बिहार	47	15	32
4.	छत्तीसगढ़	10	5	5
5.	दिल्ली	4	0	4
6.	गुजरात	14	5	9
7.	हरियाणा	7	0	7
8.	हिमाचल प्रदेश	3	0	3
9.	जम्मू-कश्मीर	3	1	2
10.	झारखंड	11	3	8
11.	कर्नाटक	22	4	18
12.	केरल	14	2	12
13.	मध्य प्रदेश	10	1	9
14.	महाराष्ट्र	27	8	19
15.	उड़ीसा	25	6	19
16.	पंजाब	7	1	6
17.	राजस्थान	15	4	11
18.	तमिलनाडु	25	6	19
19.	उत्तर प्रदेश	47	14	33
20.	उत्तरांचल	3	1	2
21.	पश्चिम बंगाल	45	15	30

नोट: एक से अधिक राज्यों में पड़ने वाली परियोजनाओं को प्रत्येक राज्य में दर्शाया गया है।

गैर-कानूनी खेप

3304. डा. राजेश मिश्रा:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में मार्च 2004 में सेवा आसूचना एकक द्वारा 1916 आश्रम एक्सप्रेस की एक लीज पार्सल वैन की तलाशी के दौरान सोना, चांदी, रत्नों और लाखों रुपए की नकदी से भरे पैकेज जब्त किए गए थे जिनके बारे में पट्टाधारक द्वारा घोषणा-पत्र में रेलवे को कोई सूचना नहीं दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लीज पार्सल वैनों के माध्यम से माल की गैर-कानूनी खेप रोकने और इस सुविधा को त्रुटिरहित बनाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। सेना आसूचना से सूचना प्राप्त होने पर, दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और रेलवे सुरक्षा बल (रे.सु.ब.)/दिल्ली मेन के कार्मिकों ने 03.3.2004 को गाड़ी सं. 2916 (न कि 1916, जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है) आश्रम एक्सप्रेस

की पट्टे पर ली गई फ्रंट ब्रेक वैन (एस एल आर) में लदान के दौरान 56 पैकेटों की जांच की। इनमें से 8 पैकेटों में जांच के दौरान 886 किग्रा. चांदी की छड़ें, चेनें, बर्तन, 7.3 किग्रा. सोने के आभूषण और बिस्कुट; 55,03,255 रुपए नकद, (कुल लगभग 1.77 करोड़ रुपए का सामान) मिले, जिसे दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत जब्त कर लिया और दिल्ली रेलवे पुलिस को जमा करा दिया। बाद में, जब्त किए गए सभी पारेषणों को आयकर विभाग को सौंप दिया गया।

मैसर्स जय लक्ष्मी पार्सल सर्विस, अहमदाबाद द्वारा गाड़ी सं. 2916 आश्रम एक्सप्रेस की पट्टे पर ली गई फ्रंट-एस एल आर में पाकेटों का लदान करवाया गया था। पार्टी ने अग्रेषण नोट में पैकेटों की अन्तर्वस्तु की घोषणा सामान्य सामान के रूप में की थी और तद्नुसार रेलवे द्वारा पट्टाधारक को पार्सल-वे (पी डब्ल्यू) बिल सं. 845922 दिनांक 03.3.2004 जारी कर दिया गया।

(ग) रेलवे को निम्नलिखित निवारक उपाय करने के लिए कहा गया है:-

(1) विस्फोटक सामग्री की जांच के लिए श्वान दस्तों का उपयोग किया जा रहा है।

(2) पट्टाधारकों को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पट्टे पर ली गई एस एल आर में कोई अवैध सामान नहीं भेजा जा रहा है, प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

(3) राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी), रेलवे सुरक्षा बल और वाणिज्य कर्मचारियों को समन्वित तरीके से आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए हिदायत दी गई है और स्टेशन क्षेत्र में संदेहास्पद व्यक्तियों पर कड़ी निगाह रखने के लिए कहा गया है।

(4) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा औचक जांच की जाती है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा रेलवे को इंजनों की आपूर्ति

3305. **श्री विजय कृष्णा:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने रेलवे को इंजनों की आपूर्ति की थी और इन्हें वारंटी अवधि के दौरान चालू हालत में रखना अनिवार्य था;

(ख) क्या कंपनी अपनी वारंटी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1997-98 से 2001-02 के दौरान 6.82 करोड़ रुपये के लीज किराये की वसूली नहीं हो सकी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) बीएचईएल ने वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान भारतीय रेल को बिल्ड-आपरेट-लीज (बीओएल) स्कीम के तहत एसी/डीसी लोकोमोटिव के 65 नगों की आपूर्ति की थी जिनकी वारंटी अवधि के दौरान चालू हालत में रखना अपेक्षित था।

(ख) से (घ) आपूर्ति की गई 19 लोकोमोटिव के लिए देय लीज किराये में से भारतीय रेल द्वारा 6.82 करोड़ रुपये की कटौती कर ली गयी तथा भेल की बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति (बीएलएसी) ने 11-12 जुलाई, 2004 को हुई अपनी बैठक में पूरे मामले की जांच की। लोकोमोटिव को वारंटी अवधि के दौरान चालू हालत में नहीं रखने के मुख्य कारण उच्च मूल्य के आयातित कल पुर्जों की अनुपलब्धता तथा रेलवे द्वारा अनुरोध किये गये अतिरिक्त संशोधन थे। वारंटी अवधि के बाद कुछ और भी कटौतियां की गयीं जिसके लिए बीएलएसी ने कानूनी राय लेने और आवश्यक समझे जाने पर इस मामले को रेलवे के साथ उठाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, प्रत्येक लोकोमोटिव के कुछ मामलों में, बीएलएसी ने भेल की झांसी यूनिट द्वारा किये गए विलम्ब तथा मरम्मतों की गुणवत्ता की जांच तथा विश्लेषण करने की भी सिफारिश की है।

बजट में परिव्यय

3306. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगातार सस्ती होती जा रही घरेलू विमान यात्रा से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण अंतरिम बजट में अनुमानित यात्री आय 14,200 करोड़ रुपए से घटकर 13,940 करोड़ रुपए रह गयी है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या रेलवे को इस वर्ष के लिए 14,898 करोड़ रुपए के परिव्यय को पूरा करने के लिए 3,400 करोड़ रुपए के बाजार ऋण जुटाना होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 2004-05 के लिए शुद्ध योजना परिव्यय 14,498 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है न कि 14,898 करोड़ रु.। इसमें चल स्टाक की खरीद के लिए भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से वित्त पोषित किया जाने वाला 3400 करोड़ रुपये शामिल है। भारतीय रेल वित्त निगम से बाजार उधार के माध्यम से रेल योजना का आंशिक वित्त पोषण जो गत कई वर्षों से रेलों की वार्षिक योजना का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है, आवश्यकता पर आधारित होता है और यह किसी वित्त वर्ष में योजनाबद्ध चल स्टाक की खरीद पर निर्भर करता है।

2004-05 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम बांडों के माध्यम से खरीदे जाने वाले योजनाबद्ध चल स्टाक की मदों के ब्यौरे ''निर्माण कार्य, मशीनरी एवं चल स्टाक कार्यक्रम, भाग-II'' नामक इस वर्ष के बजट दस्तावेज में दिए गए हैं।

उड़ीसा में ग्रामीण विकास में प्रगति

3307. श्री तथागत सत्पथी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2003 के दौरान सरकार की गरीबी उपशमन योजनाएं विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में विशेषकर उड़ीसा में ग्रामीण लोगों के लिए इन योजनाओं को अर्थक्षम और लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियां और राज्य का तंत्र इन योजनाओं के बारे में ध्यान नहीं दे रही है और यहां तक कि उड़ीसा के अधिकांश जिलों में बैठक तक नहीं बुलायी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(छ) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2003-04 हेतु उड़ीसा राज्य सरकार से मिली प्रगति रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत 98007.96 लाख रु. की कुल उपलब्ध निधि की तुलना में 79019.80 लाख रु. का कुल उपयोग किया गया था, जो दर्शाता है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर 80.63 प्रतिशत निधियां खर्च की गयी हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी की एक व्यापक व्यवस्था की है जिसमें आवधिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से निगरानी, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्रीय अधिकारी योजनाएं, राज्य/जिला अधिकारियों द्वारा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण केंद्र स्तरीय समन्वयन समिति तथा राज्य स्तरीय समन्वयन समिति जैसे विभिन्न निगरानी तंत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने जिला स्तरीय मानिटरों तथा राष्ट्र स्तरीय मानिटरों के माध्यम से निगरानी करना भी शुरू किया है।

(घ) से (च) उड़ीसा सहित राज्य सरकारों को भी चार-सूत्री नीति, अर्थात् योजनाओं के बारे में जागरूकता का सृजन, पारदर्शिता जन-भागीदारी और विश्वसनीयता-ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण, को अपनाने की सलाह दी गई है, जैसा कि मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और यह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भी प्रभावी ढंग से निगरानी करता है।

(छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर डालता रहा है और इन योजनाओं को कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वित करने के लिए कहता रहा है जिससे कि योजनाओं के लाभ लक्ष्य समूहों तक पहुंचे।

असहाय बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

3308. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान असहाय बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित तथा जारी की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इन संगठनों ने निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) दिनांक 18.8.2004 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान कर्नाटक और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 2003-04 के दौरान गैर-सरकारी संगठन-वार निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। यह मंत्रालय वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा देने के लिए अपनी वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन भी बनाता है।

(ख) से (घ) विगत वर्षों में गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त निधियों से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्र उनके द्वारा वर्ष के दौरान अनुदान की दूसरी किस्त की निर्मुक्ति हेतु आवेदन के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं। ये प्रस्ताव वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में प्राप्त होते हैं और उपयोग प्रमाण-पत्र अभी देय नहीं हैं।

विवरण

असहाय बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

(18.8.2004 की स्थिति के अनुसार) (लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान		अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता		दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम		बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम		समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	276.09	140.59	18.94	3.90	1571.02	343.93	124.56	51.86	0.80	1.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	47.19	0.00	15.73	3.21	56.18	0.00	11.65	3.89	0.00	0.00
4.	बिहार	85.71	7.54	0.00	0.00	181.28	11.27	5.01	2.62	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	5.03	0.00	0.00	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02	0.00	1.52	5.13	0.00	0.00
7.	गुजरात	63.33	23.41	2.30	0.00	91.95	13.39	120.58	4.60	0.00	0.00
8.	हरियाणा	11.97	7.15	11.24	0.00	115.70	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	2.73	0.00	0.00	23.14	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	12.63	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	झारखंड	9.38	0.00	0.00	0.00	8.28	3.89	3.47	3.31	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	269.95	51.09	6.65	2.48	928.96	99.16	37.52	9.22	0.00	0.00
13.	केरल	11.00	0.00	0.00	0.00	542.46	78.02	27.50	16.36	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	164.69	49.15	24.33	4.16	90.22	28.75	8.57	5.23	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	244.74	54.99	102.32	33.08	212.80	24.66	79.28	47.99	6.81	0.00
16.	मणिपुर	30.48	2.61	59.88	14.56	77.00	9.87	4.75	7.30	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	70.06	2.78	2.18	3.53	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	380.07	12.56	14.52	0.00	378.00	55.78	18.79	11.96	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	109.66	36.33	14.28	7.59	0.00	0.00
22.	राजस्थान	190.52	79.45	51.32	13.81	143.24	18.94	30.77	10.06	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	38.57	0.00	7.59	0.00	514.76	99.66	92.65	27.69	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	7.42	5.95	0.00	0.00	13.63	6.46	3.95	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	205.10	54.75	66.61	20.61	656.85	116.22	89.09	17.81	3.99	2.00
26.	उत्तरांचल	43.42	0.00	5.49	1.64	51.62	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	116.92	58.11	10.45	5.17	536.06	106.87	223.93	84.76	0.00	9.18
संघ राज्य क्षेत्र											
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.5	0.00
29.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	0.00	19.84	6.50	0.00	0.00
30.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दिल्ली	185.76	21.79	48.82	17.48	646.69	87.14	67.88	7.80	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00

अग्नि प्रक्षेपास्त्र परीक्षण

3309. श्रीमती कृष्णा तीरथ:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री अतीक अहमद:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 जुलाई, 2004 को अग्नि श्रृंखला के तृतीय 'अग्नि ए-1' भारत के सतह से सतह तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र, जिसकी मारक क्षमता 700 कि.मी. तक है, का सफल परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्षेपास्त्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और यह परीक्षण किस हद तक सफल रहा;

(ग) अग्नि श्रृंखला के प्रक्षेपास्त्रों का अब तक कितनी बार परीक्षण हुआ है;

(घ) क्या यह पाकिस्तान के गौरी प्रक्षेपास्त्र का मुकाबला करता है;

(ङ) यदि हां, तो यह गौरी की तुलना में कैसा है; और

(च) 'अग्नि ए-1' प्रक्षेपास्त्र को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां। अग्नि-I प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उड़ान परीक्षण 4 जुलाई, 2004 को किया गया है।

(ख) अग्नि-I एक टन पे लोड ले जा सकता है और इसे सड़क/रेल लाउंचर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। उड़ान परीक्षण ने, इसके लिए निर्धारित मिशन के सभी लक्ष्यों को, प्राप्त कर लिया।

(ग) अग्नि-I और अग्नि-II प्रक्षेपास्त्रों पर अब तक कुल मिलाकर पांच उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) अग्नि-I अपनी रेंज क्षमता के साथ खतरे की सम्भावना का सामना करता है और अग्नि-II की गौरी से भी अधिक लम्बी रेंज है।

(च) सेना में शामिल करने के लिए इसका उत्पादन किया जा रहा है।

इरुगुर-कोयम्बटूर लाइन की दोहरीकरण परियोजना

3310. श्री के. सुब्बारायण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 करोड़ रु. के परिव्यय से 1996 में स्वीकृत इरुगुर-कोयम्बटूर लाइन की दोहरीकरण परियोजना बाद के बजट में अपर्याप्त धनराशि आबंटन के कारण अब तक पूरी नहीं की जा सकी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के विनिर्माण पर अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना की संशोधित अनुमान लागत कितनी है; और

(ग) इस परियोजना के तब तक पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) इरुगुर-कोयम्बटूर के दोहरीकरण के कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत निम्न परिचालनिक प्राथमिकता दी गई थी।

(ख) कोयम्बटूर और कोयम्बटूर नार्थ के बीच अप-लाइन पहले ही पूरी की जा चुकी है और यातायात के लिए चालू की जा चुकी है। शेष भाग में मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य और गिट्टियों की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 38.66 करोड़ रुपए होगी।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को पूरा किए जाने की संभावना है।

पंजाब के भटिण्डा जिले में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के लिए परियोजना

3311. श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के भटिण्डा जिले में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के लिए कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है और इस परियोजना पर पहले कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) वर्तमान में इस परियोजना की स्थिति क्या है और इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना में कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) भटिंडा (पंजाब) में रिफाइनरी परियोजना गुरू गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (जीजीएसआरएल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की सहायक कंपनी है।

(ख) अनुमोदित परियोजना लागत 9,806 करोड़ रुपए (जून 1998 के मूल्यों पर) है। जुलाई, 2004 तक परियोजना पर 288.1 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(ग) परियोजना के संबंध में पूरी की गई मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं:-

(1) रिफाइनरी के लिए भटिंडा में, 1992 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है और कार्यस्थल के निर्धारण, मार्गों, नहरों, नालियों, क्षेत्र के प्रकाश और टैंक नीवों से संबंधित काम पूरा कर लिया गया है।

(2) भंडारण टैंकेजों के लिए इस्पात प्लेटें प्राप्त कर ली गई हैं।

(3) मुन्दरा में कच्चे तेल के टर्मिनल के लिए 310 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और 185 एकड़ भूमि का कार्यस्थल विकास पूरा कर लिया गया है।

(4) कच्चे तेल की पाइपाइल के समूचे भू-भाग के लिए प्रयोक्ता का अधिकार प्राप्त कर लिया गया है।

पंजाब सरकार ने 1998-2000 के दौरान बिक्री कर छूट सहित प्रोत्साहनों का वित्तीय पैकेज प्रदान किया था। परियोजना का वित्तपोषण सुकर बनाने के लिए समझौता ज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहन पैकेज तैयार करना आवश्यक हो गया। तदनुसार परियोजना के प्रति पंजाब सरकार और एचपीसीएल और बाध्यताओं को सम्मिलित करते हुए आश्वासन विलेख (डीओए) का सितंबर 2001 में प्रस्ताव किया गया। तथापि, पंजाब सरकार से आश्वासन विलेख की प्राप्ति में विलंब के कारण मुख्य परियोजना कार्य अप्रैल, 2003 से निलंबनाधीन है।

(घ) रिफाइनरी को पूर्ण क्षमता तक चालू कर दिए जाने के बाद एचपीसीएल/जीजीएसआरएल द्वारा लगभग 995 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी समाचार-पत्रों का प्रकाशन

3312. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री सीताराम यादव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विदेशी समाचार-पत्रों और अन्य प्रकाशनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें देश में कार्य करने की अनुमति मिल गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन विदेशी समाचार-पत्रों समूहों के लिए मानदण्ड में छूट देने का है जो भारत में मुद्रण करना चाहते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार 1955 के कैबिनेट संकल्प को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन करने के लिए विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दिशानिर्देशों को सशक्त बनाने के लिए एक कानून बनाने का भी निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) सरकार इस मामले में विधान बनाने पर विचार कर रही है।

विवरण

इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मामलों की सूची

क्र.सं.	आवेदक कंपनी का नाम	मैगजीन का नाम	अनुमोदन-पत्र की तारीख
1	2	3	4
	I. विदेशी वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्टीकृत मैगजीनों/पत्रिकाओं/आवधिकों का भारतीय संस्करण		
1.	मै. लिविंग मीडिया इण्डिया लि.	गोल्फ डाइजेस्ट	22 जनवरी, 2003
2.	मै. लिविंग मीडिया इण्डिया लि.	साइंटिफिक अमेरिकन	3 फरवरी, 2003
3.	मै. लिविंग मीडिया इण्डिया लि.	कास्मोपोलिटन	4 जुलाई, 2003
4.	मै. लिविंग मीडिया इण्डिया लि.	रीडर्स डाइजेस्ट	15 सितम्बर, 2003
5.	मै. एक्सपोजर मीडिया मार्केटिंग प्रा.लि.	पार गोल्फ	15 अक्तूबर, 2003
6.	मै. प्रिज्म बुक्स प्रा.लि.	द जर्नल आफ एण्टीमाइक्रोबियल केमोथेरोपी	19 फरवरी, 2004
7.	मै. प्रिज्म बुक्स प्रा.लि.	ह्यूमन रिप्रोडक्शन	19 फरवरी, 2004
8.	मै. प्रिज्म बुक्स प्रा.लि.	जर्नल आफ डर्मेटोलाजिकल ट्रीटमेंट	19 फरवरी, 2004
9.	मै. एक्सपोजर मीडिया मार्केटिंग प्रा.लि.	एशियास्पा	19 फरवरी, 2004
10.	मै. लिविंग मीडिया इंडिया लि.	गुड हाऊसकीपिंग	16 अप्रैल, 2004
11.	मै. प्रिज्म बुक्स प्रा.लि.	ब्लड प्रेशर	16 जुलाई, 2004
12.	मै. प्रिज्म बुक्स प्रा.लि.	जर्नल आफ आब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलाजी	20 जुलाई, 2004
13.	मै. प्रिज्म बुक्स प्रा.लि.	हीमेटोलाजी	20 जुलाई, 2004
14.	मै. प्रिज्म बुक्स प्रा.लि.	इण्टरनेशनल जर्नल आफ साइकेट्रि इन क्लीनिकल प्रैक्टिस	20 जुलाई, 2004
15.	मै. प्रिज्म बुक्स प्रा.लि.	यूरोओन्कोलाजी	29 जुलाई, 2004
16.	मै. प्रिज्म बुक्स प्रा.लि.	एड्स ऐब्सट्रैक्ट्स	17 अगस्त, 2004
17.	मै. क्विण्टसेंस साइंस कम्युनिकेशंस प्रा.लि.	क्विण्टसेंस इण्टरनेशनल	17 अगस्त, 2004

1	2	3	4
II. वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्टीकृत/मैग्जीनों/पत्रिकाओं/आवधिकों को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी निवेश			
1.	मैसर्स टाटा इन्फोमीडिया लिमिटेड	बैटर फोटोग्राफी	7 अप्रैल, 2003
2.	मैसर्स टाटा इन्फोमीडिया लिमिटेड	सर्च	3 जून, 2003
3.	मैसर्स टाटा इन्फोमीडिया लिमिटेड	ओवरड्राइव	3 जून, 2003
4.	मैसर्स टाटा इन्फोमीडिया लिमिटेड	आटोमानीटर	3 जून, 2003
5.	मैसर्स टाटा इन्फोमीडिया लिमिटेड	ओवरड्राइव ग्रेडप्रिक्स	3 जून, 2003
6.	मैसर्स टाटा इन्फोमीडिया लिमिटेड	ए वी मैक्स	7 मई, 2003
7.	मैसर्स टाटा इन्फोमीडिया लिमिटेड	खाना पीना	20 नवम्बर, 2003
8.	मैसर्स टाटा इन्फोमीडिया लिमिटेड	येलो लाइन आफिस गाइड	20 नवम्बर, 2003
9.	मैसर्स सोराबजी आटोमोटिव कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	आटोकार इंडिया	19 फरवरी, 2004
10.	मैसर्स टाटा इन्फोमीडिया लिमिटेड	फोटो इमेजिंग	19 फरवरी, 2004
11.	मैसर्स सेज पब्लिकेशंस इंडिया लिमिटेड	इनसेज	1 मार्च, 2004
12.	मैसर्स टीबी डब्ल्यू पब्लिशिंग एण्ड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	इन्टेलीजेंट कम्पूटिंग	1 मार्च, 2004
13.	मैसर्स बनयान नेटफेक्स प्राइवेट लिमिटेड	द ब्रांड रिपोर्टर	1 मार्च, 2004
III. समाचार-पत्रों और समसामयिक विषयों वाले आवधिकों को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश			
1.	मैसर्स एच टी मीडिया लिमिटेड	न्यूज एण्ड करेन्ट अफेयर्स पब्लिकेशंस	3 दिसम्बर, 2003
2.	मैसर्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड	न्यूज एण्ड करेन्ट अफेयर्स पब्लिकेशंस	9 मार्च, 2004, 29 मार्च, 2004 और 5 अप्रैल, 2004

राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए कर

3313. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नीतीश कुमार:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय करों के अलावा राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल पर कर लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा पेट्रोल और डीजल पर किस रूप में और किस दर से कर लगाया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में पेट्रोल और डीजल की औसत वार्षिक आवश्यकता कितनी है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए बिक्री कर और अन्य उद्ग्रहण व्यापकतः दो श्रेणियों नामतः वसूलनीय और गैर-वसूलनीय कर/उद्ग्रहण में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। खुदरा बिक्री मूल्यों में सम्मिलित उद्ग्रहण अर्थात् जिनका प्रभाव उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है वसूलनीय कर हैं जबकि अन्य उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्षतः डाले बिना तेल कंपनियों द्वारा समाहित किए जाने वाले उद्ग्रहण गैर-वसूलनीय कर हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री करों और अन्य उद्ग्रहणों जोकि 1 अप्रैल, 2003 और 1 अप्रैल, 2004 को लागू थे, की दरों के बारे में ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण II पर दिया गया है।

(ग) वर्ष 2003-04 के लिए विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की बिक्रियों का ब्यौरा विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण I

1.4.2004 से राज्यवार वसूली योग्य कर

क्र.सं.	राज्य/कर	एमएस	एचएसडी
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	29.00	31.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	1. रु. प्रति लीटर	1. रु. प्रति लीटर
	कुल बिक्री कर	0.00	0.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	क्रय कर	29.00	31.00
	सीएसटी	4.00	4.00
	बीएमसी चुंगी	3.00	3.00
	प्रवेश कर	29Sअ 1 रु. प्र.ली.	31Sअ 1 रु. प्र.ली.

टिप्पणी: 1. 1.7.2002 से एमएस तथा एचएसडी के लिए बिक्री कर क्रमशः 30 और 34 तथा मुंबई, थाणे तथा नवी मुंबई के लिए सरचार्ज 1 रु. प्रति लीटर था।

2. नगर निगम की सेवाओं के अंदर बिक्री के लिए 1 प्रतिशत की दर से तथा अन्य राज्य की नगर निगम सेवाओं के लिए बिक्री के लिए 0.1 प्रतिशत की दर से उपकर, नवी मुंबई की नगर निगम सीमाओं में आयातित एमएस तथा एचएसडी पर नवी मुंबई नगर निगम द्वारा लगाया जाता है।

3. 1.10.2002 में महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रवेश कर लगाया है एमएस तथा एचएसडी पर प्रवेश कर की दर 30 प्रतिशत तथा 34 प्रतिशत और मुंबई, नवी मुंबई तथा थाणे के लिए 1 रु. प्रति लीटर है।

प्रवेश कर महाराष्ट्र राज्य के भीतर खपत के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर प्रवेश कर वसूली योग्य है। महाराष्ट्र अथवा अंतराज्यीय बिक्री के भीतर पुनः बिक्री के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए प्रवेश कर वसूली योग्य नहीं है।

2.	गुजरात		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	18.00
	अतिरिक्त कर	20.00	20.00

1	2	3	4
	उपकर	2.00	3.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	प्रवेश कर	0.00	21.60
	कुल बिक्री कर	2.00	2.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00

टिप्पणी: 1. स्टाक अंतरण पर अदा किया गया प्रवेश कर देय स्थानीय बिक्री कर पर मुआवजे के रूप में अनुमत्य है। किन्तु एचएसडी पर कोई मुआवजा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह मोटर स्पिरिट कराधान अधिनियम के अंतर्गत शामिल है।

2. स्थानीय बिक्री कर के समतूल्य देयता उल्लंघन लागू है यदि उत्पाद कर की अदायगी के बिना खरीदे जाते हैं और गुजरात राज्य के भीतर नहीं बेचे जाते।

3.	**मध्य प्रदेश**		
	वसूली योग्य कर	25.00	25.00
	प्रवेश कर	1.00	1.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	15.00	15.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	टर्मिनल कर	0.00	0.00
4.	**छत्तीसगढ़**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	25.00	25.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	0.00	0.00
	गैर वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	टर्मिल कर	0.00	0.00
5.	**गोवा**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	19.00	17.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	25.00	25.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00

1	2	3	4
6. उत्तर प्रदेश			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	20.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
7. उत्तरांचल			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	20.00
8. दिल्ली			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
9. हिमाचल प्रदेश			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
10. जम्मू और कश्मीर			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	0.00	0.00
	उपकर	रु. 1000/लीटर	0.00
11. पंजाब			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	8.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
	उपकर	रु. 1000/लीटर	0.00

1	2	3	4
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
12.	**राजस्थान**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	23.00	16.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	15.00	15.00
	कुल बिक्री कर	0.25	0.25
	प्रवेश कर	1.00	1.00
13.	**हरियाणा**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर*		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	स्थानीय क्षेत्र विकास कर:		

1. 1.4.2003 से हरियाणा में वैट (मल्टी प्वाइंट टैक्स) कार्यान्वित किया गया है। कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं।
2. वैट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 1.4.2003 से इंटर आयल कंपनी बिक्री लेन-देनों पर बिक्री कर छूट हटा दी गई है।
3. यद्यपि हरियाणा वैट अधिनियम के अंतर्गत खरीद कर का प्रावधान है किंतु इंटर आयल कंपनी लेन-देनों पर वैट के भुगतान के कारण तेल कंपनियों पर कोई खरीद कर देयता नहीं होगी।

14.	**चंडीगढ़**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	11.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
15.	**आंध्र प्रदेश**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	30.55	19.33
	गैर-वसूली योग्य कर		
	खरीद कर	10.00	10.00
	कुल बिक्री कर	2.00	2.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00

*अपंजीकृत डीलरों को 10% की दर से अपना नियमित सामान्य बिक्री कर इनमें से जो भी अधिक हो लगाया जाता है। गैर-पंजीकृत डीलरों को केन्द्रीय बिक्री कर बिक्री पर अतिरिक्त कर गैर-वसूली योग्य है।

1	2	3	4
16.	**तमिलनाडु**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	3.00	25.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	0.00	0.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	सामान्य बिक्री कर/कुल बिक्री पर अतिरिक्त कर	0.00	0.00
	खरीद कर	9.00	9.00
	खरीद कर पर सरचार्ज	5.00	5.00
	खरदी कुल बिक्री पर अतिरिक्त कर	0.00	0.00
	प्रणाली खरीद कर	9.45	9.45
	केन्द्रीय बिक्री कर*.	4.00	4.00
	अपंजीकृत डीलरों को केन्द्रीय बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	0.00	0.00
	खरीद कर (चेन्नई)		
17.	**केरल**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	28.00	24.00
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	0.00	0.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	उपकर	4.00	4.00
18.	**कर्नाटक**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	28.00	17.50
	प्रवेश कर	5.00	5.00
	सड़क/बुनियादी ढांचा उपकर (01.02.2004 से प्रभावी)	0.00	0.00

*अपंजीकृत डीलरों को 10 प्रतिशत की दर से अथवा नियमित सामान्य बिक्री कर इनमें से जो भी अधिक हो लगाया जाता है। गैर-पंजीकृत डीलरों को केन्द्रीय बिक्री कर बिक्री पर अतिरिक्त कर गैर-वसूली योग्य है।

1	2	3	4
	गैर-वसूली योग्य कर		
	खरीद कर	28.00	4.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	प्रवेश कर	–	–
19.	**उड़ीसा**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	20.00
	प्रवेश कर	1.00	1.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
20.	**असम**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	10.00	10.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	खरीद कर	4.00	4.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
21.	**बिहार**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	21.50	17.00
	बिकी कुल बिक्री और बिक्री कर पर अतिरिक्त कर*	1.00	1.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर और अतिरिक्त कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00

*एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईडीपी द्वारा अंतर कंपनी खरीद पर बिक्री कुल बिक्री पर अतिरिक्त कर गैर-वसूली योग्य हो जाता है।

1	2	3	4
22.	**झारखण्ड**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	15.00
	बिकी कुल बिक्री और बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	1.00	1.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
23.	**पश्चिम बंगाल**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.55
	बिक्री कर पर सरचार्ज	0.00	0.00
	उपकर	1000 रु./कि.ली.	1000 रु./कि.ली.
	गैर-वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	20.00	20.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	टिप्पणी: एमएस की विक्रयों पर प्रति किलो लीटर पर 17 रु. की कर छूट है।		
24.	**मेघालय**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	8.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	2.00	2.00
25.	**मणिपुर**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
26.	**नागालैंड**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	24.00	15.00

27.	त्रिपुरा		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	अतिरिक्त कर	0.50	0.50
28.	अरुणाचल प्रदेश		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	अतिरिक्त कर	0.00	0.00
29.	मिजोरम		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	अतिरिक्त कर	0.00	0.00

विवरण II

1.4.2004 से राज्यवार वसूली योग्य कर

क्र.सं.	राज्य/कर	एमएस	एचएसडी
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	29.00	31.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	1 रु. प्रति लीटर	1 रु. प्रति लीटर
	कुल बिक्री कर	0.00	0.00
	गैर--वसूली योग्य कर		
	क्रय कर	29.00	31.00

1	2	3	4
	सीएसटी	4.00	4.00
	बीएमसी चुंगी	3.00	3.00
	प्रवेश कर	28% + 1 रु. प्र.ली.	31% + 1 रु. प्र.ली.

टिप्पणी: 1.1.7.2002 से एमएस तथा एचएसडी के लिए बिक्री कर क्रमशः 30 और 34 तथा मुंबई, थाने तथा नवी मुंबई के लिए सरचार्ज 1 रु. प्रति लीटर था।

2. नगर निगम की सेवाओं के अंदर बिक्री के लिए 1 प्रतिशत की दर से तथा अन्य राज्य की नगर निगम सेवाओं के लिए बिक्री के लिए 0.1 प्रतिशत की दर से उपकर, नवी मुंबई की नगर निगम सीमाओं में आयातित एमएस तता एचएसडी पर नवी मुंबई नगर निगम द्वारा लगाया जाता है।

3. 1.10.2002 से महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रवेश कर लगाया है एमएस तथा एचएसडी पर प्रवेश कर की दर 30 प्रतिशत तथा 34 प्रतिशत और मुंबई, नवी मुंबई तथा थाणे के लिए 1 रु. प्रति लीटर है।

प्रवेश कर महाराष्ट्र राज्य के भीतर खपत के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर प्रवेश कर वसूली योग्य है। महाराष्ट्र अथवा अंतराज्यीय बिक्री के भीतर पुन: बिक्री के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए प्रवेश कर वसूली योग्य नहीं है।

2. गुजरात

वसूली योग्य कर		
बिक्री कर	20.00	18.00
अतिरिक्त कर	20.00	20.00
उपकर	2.00	3.00
गैर-वसूली योग्य कर		
प्रवेश कर	0.00	21.60
कुल बिक्री कर	2.00	2.00
केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00

टिप्पणी: 1. स्टाक अंतरण पर अदा किया गया प्रवेश कर देय स्थानीय बिक्री कर पर मुआवजे के रूप में अनुमत्य है। किन्तु एचएसडी पर कोई मुआवजा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह मोटर स्पिरिट कारखाना अधिनियम के अंतर्गत शामिल है।

2. स्थानीय बिक्री कर के समतुल्य देयता उल्लंघन लागू है यदि उत्पाद कर की अदायगी के बिना खरीदे जाते हैं और गुजरात राज्य के भीतर नहीं बेचे जाते।

3. मध्य प्रदेश

वसूली योग्य कर	25.00	25.00
प्रवेश कर	1.00	1.00
बिक्री कर पर सरचार्ज	15.00	15.00
गैर-वसूली योग्य कर		
केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
टर्मिनल कर	0.00	0.00

1	2	3	4
4. छत्तीसगढ़			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	25.00	25.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	0.00	0.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	टर्मिल कर	0.00	0.00
5. गोवा			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	19.00	17.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	25.00	25.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
6. उत्तर प्रदेश			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	20.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	प्रवेश कर	–	5.00

प्रवेश कर, स्थानीय क्षेत्र से, उस स्थानीय क्षेत्र से बाहर किसी स्थान जिसमें उत्तर प्रदेश से बाहर का स्थान शामिल है, में उत्पादों की खपत, इस्तेमाल अथवा बिक्री के लिए प्रवेश पर देय है और उसे देय बिक्री कर पर लगाया जा सकता है.

1	2	3	4
7. उत्तरांचल			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	20.00
8. दिल्ली			
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	25.00	14.00
10.	जम्मू और कश्मीर		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	0.00	0.00
	उपकर	रु. 1000/लीटर	0.00
11.	पंजाब		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	8.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
	उपकर	रु. 1000/लीटर	0.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
12.	राजस्थान		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	23.00	16.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	15.00	15.00
	कुल बिक्री कर	0.50	0.50
	प्रवेश कर	1.00	1.00
13.	हरियाणा		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर*		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	स्थानीय क्षेत्र विकास कर:		

1. 1.4.2003 से हरियाणा में वैट (मल्टी प्वाइंट टैक्स) कार्यान्वित किया गया है। कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं।
2. वैट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 1.4.2003 से इंटर आयल कंपनी बिक्री लेन देनों पर बिक्री कर छूट हटा दी गई है। किंतु 8.7.2003 से आरपीएस सहित इंटर आयल कंपनी खरीदों में 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर देय है।
3. यद्यपि हरियाणा वैट अधिनियम के अंतर्गत खरीद कर का प्रावधान है किंतु इंटर आयल कंपनी लेन-देनों पर वैट के भुगतान के कारण तेल कंपनियों पर कोई खरीद कर देयता नहीं होगी।

* अपंजीकृत डीलरों को 10 प्रतिशत की दर से अथवा बिक्री कर इनमें से जो भी अधिक हो लगाया जाता है। गैर-पंजीकृत डीलरों को केन्द्रीय बिक्री कर बिक्री पर अतिरिक्त कर गैर-वसूली योग्य है।

1	2	3	4
14.	**चंडीगढ़**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	11.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
15.	**आंध्र प्रदेश**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	30.55	19.33
	गैर-वसूली योग्य कर		
	खरीद कर	10.00	10.00
	कुल बिक्री कर	2.00	2.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
16.	**तमिलनाडु**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	30.00	25.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	0.00	0.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	सामान्य बिक्री कर/कुल बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	0.00	0.00
	खरीद कर	9.00	9.00
	खरीद कर पर सरचार्ज	5.00	5.00
	खरीद कुल बिक्री पर अतिरिक्त कर	0.00	0.00
	प्रभावी खरीद कर	9.45	9.45
	केन्द्रीय बिक्री कर*	4.00	4.00
	अपंजीकृत डीलरों को केन्द्रीय बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	0.00	0.00
	खरीद कर (चेन्नई)		

*अपंजीकृत डीलरों को 10 प्रतिशत की दर से अथवा नियमित सामान्य बिक्री कर इनमें से जो भी अधिक हो लगाया जाता है। गैर-पंजीकृत डीलरों को केन्द्रीय बिक्री कर पर अतिरिक्त कर गैर-वसूली योग्य है।

1	2	3	4
17.	केरल		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	28.00	24.00
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	0.00	0.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	उपकर	4.00	4.00
18.	कर्नाटक		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	28.00	17.50
	प्रवेश कर	5.00	5.00
	सड़क/बुनियादी ढांचा उपकर (01.02.2004 से प्रभावी)	0.00	0.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	खरीद कर	28.00	4.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	प्रवेश कर		
19.	उड़ीसा		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	20.00
	प्रवेश कर	1.00	1.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
20.	असम		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	10.00	10.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	खरीद कर	4.00	4.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00

1	2	3	4
21.	बिहार		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	21.50	17.00
	बिकी कुल बिक्री और बिक्री कर पर अतिरिक्त कर*	1.00	1.00
	गैर वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर + अतिरिक्त कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	प्रवेश कर	16.00	16.00
22.	झारखण्ड		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	15.00
	बिक्री कुल बिक्री और बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	1.00	1.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर पर सरचार्ज	10.00	10.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00
	प्रवेश कर@		
23.	पश्चिम बंगाल		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	25.00	12.55
	बिक्री पर सरचार्ज	0.00	0.00
	उपकर	1000 रु./कि.ली.	1000 रु./किली.
	गैर-वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	20.00	20.00
	केन्द्रीय बिक्री कर	4.00	4.00

टिप्पणी: एमएस की बिक्रयों पर प्रति किलो लीटर पर 17 रु. की कर छूट है।

*एचपीसीएल, बीपीसीएल और आइबीपी द्वारा अंतर कंपनी खरीद पर बिक्री कुल बिक्री पर अतिरिक्त कर गैर-वसूली योग्य हो जाता है।

@उत्पादों पर प्रवेश कर देय बिक्री कर पर समायोजनीय है।

1	2	3	4
24.	**मेघालय**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	8.00
	बिक्री कर पर सरचार्ज	2.00	2.00
25.	**मणिपुर**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
26.	**नागालैंड**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
27.	**सिक्किम**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.50
28.	**त्रिपुरा**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	अतिरिक्त कर	0.50	0.50
29.	**अरुणाचल प्रदेश**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	अतिरिक्त कर	0.00	0.00
30.	**मिजोरम**		
	वसूली योग्य कर		
	बिक्री कर	20.00	12.00
	गैर-वसूली योग्य कर		
	अतिरिक्त कर	0.00	0.00

विवरण III

सा.क्षे.उ. बिक्रियां-2003-04 (अनंतिम)

(टी.एम.टी.)

राज्य	एचएसडी	एमएस
1	2	3
आंध्र प्रदेश	3474	576
अंडमान और निकोबार	52	6
अरुणाचल प्रदेश	39	12
असम	413	89
बिहार	1051	115
चंडीगढ़	63	57
छत्तीसगढ़	522	96
दादरा और नागर हवेली	112	7
दमन और दीव	48	7
दिल्ली	1130	607
गोवा	265	60
गुजरात	2123	663
हरियाणा	2031	273
हिमाचल प्रदेश	286	59
जम्मू-कश्मीर	312	80
झारखंड	768	117
कर्नाटक	2383	504
केरल	1326	423
लक्षद्वीप	7	0
मध्य प्रदेश	1519	297
महाराष्ट्र	3449	1141
मणिपुर	31	13
मेघालय	153	23
मिजोरम	23	10
नागालैंड	21	12
उड़ीसा	881	145
पांडिचेरी	198	42
पंजाब	2122	451
राजस्थान	2686	334
सिक्किम	30	5
तमिलनाडु	3051	712
त्रिपुरा	45	13
उत्तर प्रदेश	4229	675
उत्तरांचल	320	67
पश्चिम बंगाल	1840	218
योग	37044	7919

टिप्पणी: कुल बिक्रियों में नेपाल और भूटान भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

डीलरशिप के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग

3314. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डीलरशिप हेतु मानदंड को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नियुक्त डीलरों द्वारा जाली दस्तावेजों का उपयोग किए जाने के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामले हैं;

(ख) उनके विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गयी है; और

(ग) डीलरों द्वारा जाली दस्तावेजों के उपयोग को रोकने के लिए तेल कंपनियों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की प्रक्रिया में अन्य मुद्दों के साथ-साथ साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन-पत्रों

के साथ भेजे गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी संगत दस्तावेज और निर्धारित प्रमाणपत्रों की संलग्न प्रतियों के साथ मूल दस्तावेज और प्रमाणपत्रों का सत्यापन सम्मिलित है। संबंधित तेल कंपनी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी भी चुने हुए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूरों की क्षेत्रीय जांच करते समय प्रति जांच करते हैं। नकली दस्तावेज के सभी आरोपों की जांच-पड़ताल की जाती है और नकली दस्तावेज का कोई प्रमाण मिलने पर डीलरशिप रद्द कर दी जाती है या आशय पत्र को अंतिम संविदा में बदलने से मना कर दिया जाता है।

2001-02 से 2003-04 की अवधि के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा नियुक्त डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से मणिपुर राज्य में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एक नकली प्रमाणपत्र भेजने और राजस्थान राज्य में इसी कंपनी के एक खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पंप) के लिए नकली शपथ-पत्र भेजने के एक-एक मामले का पता लगाया गया। जबकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त कर दी गई है, वहीं खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप का मामला न्यायाधीन है।

कोई सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनी नियुक्ति से पहले चुने हुए डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार करती है, उसमें एक खंड होता है जिसके अंतर्गत यदि डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अपने आवेदन-पत्र में दी गई कोई सूचना किसी भी तात्विक संबंध में झूठी पाई जाती है, तो तेल विपणन कंपनी इस करार के अंतर्गत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त कर सकती है।

आईआरसीटीसी की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली

3315. श्री रूपचन्द मुर्मु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कितनी हैं; और

(ख) ऐसी आस्तियों की वसूली के लिए आईआरसीटीसी द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं और इसमें कितनी सफलता हासिल हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लि. के पास फिलहाल कोई गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संरक्षित स्मारकों के इर्द-गिर्द अतिक्रमण

3316. श्री खारबेल स्वाईं:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संरक्षित स्मारकों के आसपास स्मारक-वार कितनी भूमि का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने संरक्षित स्मारकों के आसपास अतिक्रमण रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास से अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं विशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के उपबंधों के अधीन 1992 में, एक अधिसूचना जारी की है और जिसमें खनन कार्य एवं निर्माण कार्य दोनों के लिए संरक्षित स्मारकों के निकट अथवा उनसे लगी 100 मीटर तक की संरक्षित सीमा और उसके बाद के 200 मीटर तक को क्रमशः निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अधीन, मंडलों के अधीक्षण पुरातत्वविदों को केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के वास्ते कार्रवाई करने के लिए संपदा अधिकारी की शक्तियां दी गई हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 एवं 1959 के उपबंधों के तहत सख्ती से अनुपालन हेतु जिला प्राधिकारियों को उचित अनुदेश जारी करें।

[हिन्दी]

पदों को समाप्त करना

3317. श्री रघुराज सिंह शाक्यः
श्री निखिल कुमार चौधरीः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा गठित व्यय सुधार समिति के प्रस्ताव पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) विभिन्न संगठनों के युक्तिसंगत पुनर्गठन हेतु उठाए जाने वाले कतिपय क़दमों के अध्यधीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय 1334 पदों को समाप्त करने के लिए प्रारम्भ में सहमत हो गया था।

व्यय सुधार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मामला सचिवों की समिति के समक्ष रखा गया था जिसने 28 अप्रैल, 2004 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव रखा कि क्षेत्रीय प्रचार और गीत एवं नाटक प्रभाग को बंद किया जाए तथा फोटो प्रभाग, प्रकाशन विभाग और फिल्म प्रभाग का आकार काफी हद तक कम किया जाए।

विभिन्न मुद्दों और विकल्पों के विस्तृत अध्ययन के पूरा होने के पश्चात् मामले की सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए समाप्त किए जाने वाले पदों की संख्या के संबंध में अभी तक परिशोधित आकलन तैयार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सुविधाजनक स्टोर खोलना

3318. श्री सुग्रीव सिंहः क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का विचार अपने विक्रय केन्द्रों पर कुछ आधुनिक सुविधाजनक स्टोर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो बीपीसीएल द्वारा कितने सुविधाजनक स्टोर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) किन-किन राज्यों में इन विक्रय केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीपीसीएल का 2004-05 के दौरान दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों और चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर 75 सुविधा भंडारों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

मद्यनिषेध संबंधी राष्ट्रीय नीति

3319. श्री बी. विनोद कुमारः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में मद्यनिषेध संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार की है/बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मद्यनिषेध संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह एक राज्य विषय है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में पुराने रेल पुल

3320. श्री रघुनाथ झा:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात तथा अन्य राज्यों में उन पुलों की कुल संख्या कितनी है जो अस्सी वर्ष से भी अधिक पुराने हैं;

(ख) क्या रेल विभाग के पास रेल पुलों के बारे में उचित और पर्याप्त डाटाबेस नहीं है जिसके कारण उनकी उचित निगरानी करना अत्यन्त कठिन है;

(ग) यदि हां, तो रेल पुलों के बारे में उचित डाटाबेस नहीं रखने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ऐसे पुराने पुलों की किस प्रकार निगरानी और रख-रखाव कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल पुलों की स्थिति रेलवे-वार रखी जाती है न कि राज्य-वार 16 क्षेत्रीय रेलों पर लगभग 75600 रेल पुल हैं, जो कि 80 वर्षों से ज्यादा पुराने हैं।

(ख) उचित मानीटरिंग के लिए रेल पुलों के बारे में पर्याप्त और उचित सूचना उपलब्ध है। बहरहाल, रेलवे ने निरीक्षण और प्रबंध प्रणाली का और आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलवे के पास पुलों के वार्षिक निरीक्षण के लिए एक बहु-आयामी अनुसूची निर्धारित है और प्रत्येक पुल का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाता है। ऐसी निरीक्षणों के दौरान देखी गई खामियों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है अथवा यदि आवश्यक हो, तो मरम्मत होने के समय तक समुचित गति प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव

3321. डा. राम लखन सिंह: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृति हेतु कतिपय परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) परियोजनाओं के लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय अनिवार्य रूप से केवल सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य सरकार से इस मंत्रालय में औद्योगिक परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

जगदीशपुर से हल्दिया तक गैस पाइपलाइन बिछाना

3322. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "गेल" द्वारा उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक गैस पाइप लाइन बिछाने में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) प्राथमिक अध्ययन के आधार पर, गेल का उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है। तथापि, पाइपलाइन परियोजना की प्रगति गैस के स्रोतीकरण तथा डाउन स्ट्रीम विपणन समझौते पर आश्रित है।

युद्ध पोतों का निर्माण

3323. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वदेशी प्रौद्योगिकी से युद्ध पोतों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

युद्धपोत निर्माण में प्लेटफार्मों का अभिकल्पन तथा निर्माण शामिल है जिन पर शस्त्र, सेंसर तथा अन्य उपस्कर रखे जाते हैं। भारत में युद्ध पोतों का विनिर्माण 1961 से किया जा रहा है और उसमें स्वदेशी प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ता जा रहा है। रक्षा शिपयार्डों में उन्नत अपतटीय गश्ती जलयानों तथ. .त्र गश्ती जलयानों की श्रेणी के युद्ध पोतों का निर्माण पहले ही स्वदेशी अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी से किया जा रहा है। फ्रिगेटों तथा कार्वेटों सहित उच्चतर श्रेणी के युद्धपोतों के लिए प्लेटफार्मों के अभिकल्पन तथा विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता भी हासिल कर ली गई है। तथापि, नौसेना की अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इन प्लेटफार्मों पर लगाने हेतु शस्त्रों तथा सेंसरों, जिनके लिए भारत में प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, की विदेशों से अधिप्राप्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

धार-मक्सी-गोधरा रेल लाइन

3324. श्री छतर सिंह दरबार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धार-मक्सी-गोधरा रेल लाइन को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त राशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। 2004-05 के दौरान इस परियोजना के लिए मात्र 15 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की जा सकी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों के लिए दिशानिर्देश

3325. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों के लिए विशिष्टताओं हेतु कुछ नए मानदंड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इन पेट्रोल पंपों में से कितने अब तक निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं; और

(ङ) निर्धारित मानकों को अब तक पूरा नहीं करने वाले पेट्रोल पंपों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) में भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ ईंधन केन्द्रों, सेवा केन्द्रों आदि तक पहुंच के लिए मानक जारी किए हैं। ये मानक 17.10.2003 से राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ स्थापित किए जा रहे सभी नए खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) पर लागू होते हैं।

(ग) 1 जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ, चार सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या 7896 थी।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ सभी खुदरा बिक्री केन्द्र 17.10.2003 के बाद एमओआरटीएच द्वारा निर्धारित नए मानकों के अनुरूप स्थापित किए जा रहे हैं। 17.10.2003 से पूर्व स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों को विगत में निर्धारित मानकों का अनुपालन करना है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1983 के बाद स्थापित किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों के मामले में इनको भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा निर्धारित 1983 मानक पूरे करने चाहिएं। तेल कंपनियों ने आईआरसी मानकों का अनुपालन करने के लिए जहां आवश्यक हो खामियों को दुरूस्त करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। तथापि, ऐसे कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों, जहां अपरिहार्य कारणों से उक्त मानकों का अनुपालन करना व्यवहार्य नहीं हो, के मामले में एमओआरटीएच से आईआरसी मानकों का अनुपालन करने से उन खुदरा बिक्री केन्द्रों को छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

एन सी सी कैडेटों को पुरस्कार

3326. श्री मनोरंजन भक्तः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न निदेशालयों से एन सी सी कैडेटों को सचिव (रक्षा) और महानिदेशक (एन सी सी) द्वारा विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निदेशालय-वार दिए गए ऐसे पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल और लक्षद्वीप निदेशालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसे अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शीघ्र स्वीकृति दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एन सी सी कैडेटों को दिए गए ऐसे पुरस्कारों का निदेशालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002 में केरल तथा लक्षद्वीप निदेशालय के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा उक्त दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए थे और महानिदेशालय एन सी सी के प्रशंसा-पत्र प्रदान किए गए थे।

(ङ) प्रशस्ति-पत्र की प्रक्रिया में दो माह लगते हैं। निदेशालयों से प्रतिवर्ष 10 अक्तूबर तक प्रशस्ति-पत्र प्राप्त किए जाते हैं तथा पुरस्कारों की घोषणा नवंबर के अंतिम रविवार को एन सी सी दिवस पर की जाती है। प्रस्तावों को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा सचिव और महानिदेशक रा.कै.को. के स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को दिए गए पुरस्कारों का ब्यौरा

क्र.सं.		2001			2002			2003		
		प्राप्त प्रशस्ति पत्र	डी एस* सी सी पुरस्कृत	डीजी** सी सी पुरस्कृत	प्राप्त प्रशस्ति पत्र	डी एस** सी सी पुरस्कृत	डीजी** सी सी पुरस्कृत	प्राप्त प्रशस्ति पत्र	डी एस** सी सी पुरस्कृत	डीजी** सी सी पुरस्कृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8	—	5	2	—	2	9	—	4
2.	बिहार	1	—	—	2	—	2	2	—	1
3.	दिल्ली	2	—	1	5	—	3	1	—	1
4.	गुजरात	13	5	6	23	—	7	1	—	—
5.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	केरल एवं लक्षद्वीप	—	—	—	2	—	2	—	—	—
7.	कर्नाटक एवं गोवा	4	—	3	9	—	6	11	—	5
8.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	—	—	-	3	—	1	4	—	3
9.	महाराष्ट्र	6	—	5	8	—	2	6	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	—	—	—	1	—	1	2	—	2
11.	उड़ीसा	4	—	3	1	—	1	6	2	3
12.	पंजाब	2	—	1	3	—	1	8	—	5
13.	राजस्थान	1	—	1	7	—	5	3	—	2
14.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	3	—	3	4	—	3	4	—	2
15.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	7	—	6	12	5	3	12	2	6
16.	पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम	2	—	1	—	—	—	2	—	1
	कुल	53	5	35	82	5	39	71	5	38

*डी एस सी सी : रक्षा सचिव का प्रशंसा-पत्र

**डी जी सी सी : महानिदेशक एन सी सी का प्रशंसा-पत्र

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की सूची में बढ़ई (तरखान और लोहार) समुदायों को शामिल करना

3327. **श्रीमती प्रतिभा सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** अनुसूचित जाति की सूची में बढ़ई और लोहार समुदाय को शामिल करने बारे में 4.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के उक्त प्रस्ताव पर भारत के महापंजीयक ने अपनी टिप्पणी केन्द्र सरकार को भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी, हां। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में तरखान को शामिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की सुविधाएं

3328. **श्री सीताराम सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 2004 के हिंदी दैनिक "हिन्दुस्तान" में "देश की अधिकांश आबादी शौचालय सुविधाओं से वंचित" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जी, हां। जनगणना, 2001 के निष्कर्षों के अनुसार, केवल लगभग 22 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास बुनियादी स्वच्छता सुविधा थी।

(ग) और (घ) ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को तीव्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) परियोजना शुरू की है। वर्तमान में देश के 398 जिलों में ये

परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा, 130 और जिलों को बेसलाइन सर्वेक्षण करने और टी.एस.सी. परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रति जिला 10 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं। भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार देने के लिए "निर्मल ग्राम पुरस्कार" नामक एक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्य पूर्ण स्वच्छता हासिल करना है। दसवीं योजना के अंत तक सभी जिलों तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान को विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

बीएचईएल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए विद्यालय

3329. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएचईएल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए अलग विद्यालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में बीएचईएल के कितने शिक्षा सर्किल हैं;

(ग) क्या इन स्कूलों के कर्मचारियों तथा अध्यापकों को बीएचईएल के कर्मचारियों के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) पूरे देश में भेल के विभिन्न टाउनशिपों के अपंगों तथा विकलांगों के लिए विशेष विद्यालयों सहित कुल मिलाकर 66 विद्यालय चलाये जा रहे हैं। ये विद्यालय विभिन्न राज्यों में स्थित भेल के 8 टाउनशिपों में चलाये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे 26 विद्यालय हैं, जो सभी भेल के भोपाल टाउनशिप में स्थित हैं। ये विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से भेल द्वारा नहीं चलाये जाते हैं परन्तु, सोसाइटियों तथा शैक्षिक प्रबंधन बोर्डों द्वारा चलाये जाते हैं जिनके अपने कर्मचारियों के लिए सेवा की अपनी निजी निबंधन और शर्तें हैं। भेल ने इन सोसाइटियों तथा बोर्डों को विद्यालयों को चलाने के लिए केवल भूमि या कुछ मामलों में लीज पर भवन प्रदान किये हैं। ये विद्यालय भेल के कर्मचारियों के बच्चों के अलावा अन्य बच्चों को भी दाखिला देते हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। जैसाकि ऊपर (क) तथा (ख) में उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों को चलाने के लिए इन विद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को संबंधित शैक्षिक प्रबंधन बोर्डों तथा स्वतंत्र शैक्षिक सोसाइटियों/ट्रस्टों की सेवा की निबंधन और शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाता है न कि भेल की निबंधन और शर्तों द्वारा। इसलिए, उन्हें मुहैया कराई जा रही सुविधाओं की तुलना भेल के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। सरकार के पास इस संबंध में स्कीम बनाने की ऐसी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में सैनिक स्कूल खोलना

3330. श्री नकुल दास राई: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार सैनिक स्कूल खोलने के राज्य-वार कितने प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे किन स्थानों पर खोले जाएंगे; और

(घ) इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) मिजोरम में सैनिक स्कूल खोलने के लिए मिजोरम राज्य सरकार का प्रस्ताव लंबित है और यह रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है। रक्षा मंत्रालय ने नागालैंड के पुंगलवा में एक सैनिक स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। जहां तक सिक्किम में एक सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रश्न है, सिक्किम के माननीय मुख्य मंत्री के अनुरोध पर राज्य सरकार को सैनिक स्कूल खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए विस्तृत मार्ग-निदेश भेज दिए गए हैं। तथापि, सिक्किम में सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए परियोजना प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना है।

सैनिक स्कूल खोला जाना मुख्यतया राज्य सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे का प्रावधान करने तथा स्कूल चलाने के लिए उनके अपने हिस्से के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

भारतीय संस्कृति संरक्षण

3331. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई जन जागरूकता अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी नहीं, तथापि सरकार भारत, कला और संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण तथा प्रचार-प्रसार की विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित कर रही है।

अनेक संस्थान जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, बौद्ध एवं तिब्बती अध्ययन संस्थान, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संग्रहालय तथा पुस्तकालय, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी सी आर टी), राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भी ऐसे कार्यकलापों में कार्यरत हैं जिनमें प्रदर्शिनयां, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रलेखन, प्रकाशन, संरक्षण आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी सैनिकों की लावारिस लाशें

3332. श्री गुरुदास कामत: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सौ से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों जो कारगिल युद्ध के दौरान भारत में घुसपैठ कर गए थे, की लाशें भारतीय जमीन पर लावारिस तथा सम्मानहीन अवस्था में दफन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इन लाशों को लेने से/दावा करने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) पाकिस्तान की सरकार ने उस समय झूठा दावा किया था कि उनके किसी भी सैनिक ने कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया था।

समपार हेतु नई प्रणाली

3333. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समपारों पर नई लाइट और सायरन प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो नई प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में किए गए परीक्षणों के क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह प्रणाली 2000 मीटर से अधिक की दूरी से आसन्न खतरे का पता लगाने के बाद सड़क उपयोगकर्त्ताओं को आडियो सायरन और विज्युअल फ्लेशिंग लाइट के माध्यम से सचेत कर देती है। विस्तारित परीक्षणों के लिए 90 समपारों (बिना चौकीदार वाले 20 समपारों सहित) पर डिजिटल एक्सल डिटेक्टर आधारित गाड़ी चालित चेतावनी उपस्कर की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है ताकि स्थानों की भिन्न-भिन्न हालतों एवं वातावरण के अंतर्गत इसकी कार्य प्रणाली की जांच की जा सके। उत्तर, पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, पूर्व मध्य, दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य रेलों पर 2004-05 में इन फाटकों पर कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। विस्तारित परीक्षणों के संबंध में सूचना मार्च 2005 तक मिलने की संभावना है।

[हिन्दी]

कोडरमा और गिरीडीह के बीच रेल लाइन

3334. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002 में कोडरमा और गिरीडीह के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था और कार्य भी प्रारम्भ हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या निधियों की कमी के कारण कार्य रोक दिया गया था;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उक्त रेल लाइन बिछाने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) वर्ष 2002 में भूमि के अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा भूमि का कुछ हिस्सा सौंपा गया था। कार्य पहले ही प्रगति पर है। यह कार्य झारखंड राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जा रही है।

[अनुवाद]

उत्खनन परियोजनाएं

3335. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री ब्रह्मानन्द पंडा:
श्री गणेश सिंह:
श्री गिरिधर गमांग:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही उत्खनन परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उत्खनन कार्य पर कितना खर्च हुआ; और

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन के लिए पहचान किए गए नए स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देश में शुरू किए गए, चालू उत्खनन कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उत्खनन पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है:

वर्ष	व्यय (लाखों में)
2001-2002	168.70
2002-2003	399.43
2003-2004	342.07

(ग) क्षेत्र सत्र 2004-05 के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, इस अवस्था में, उत्खनन के लिए प्रस्तावित नए स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किए गए चालू उत्खननों की सूची

क्र.सं.	स्थल का नाम
1	2
1.	आदि बद्री, जिला यमुनानगर, हरियाणा
2.	आदिचनालुर, जिला तूतीकोरिन, तमिलनाडु
3.	अहिछत्र, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश
4.	बकरौर (सुजाता कुटीर), जिला गया, बिहार
5.	नाराबती किला, जिला कटक, उड़ीसा
6.	बरोड़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
7.	भीम बैठका जिला रायसेन, मध्य प्रदेश
8.	भीरराना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा
9.	चाक 86 एवं तरखन वाला डेरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
10.	चंदोर, गोवा, गोवा
11.	दौलताबाद किला, जिला दौलताबाद, महाराष्ट्र
12.	धौलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात
13.	हर्ष-का-टीला पर उत्खनन, थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र, हरियाणा
14.	किला चित्रदुर्ग, जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक
15.	हम्पी, जिला बेलारी, कर्नाटक

1	2
16.	हांसी, जिला हिसार, हरियाणा
17.	जूनी करन, जिला कच्छ, गुजरात
18.	कालिंजर किला, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश
19.	केसरिया, जिला पूर्व चंपारन, बिहार
20.	प्राचीन गौड़ महल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध बैसगाजी दीवार से लगा टीला, जिला मालदा, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल
21.	बाक्सानगर का टीला, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा
22.	मूसाबाग, लखनऊ, उ.प्र.
23.	राजघाट, जिला वाराणसी, उ.प्र.
24.	रेजीडैंसी, लखनऊ, उ.प्र.
25.	सरीदकेल, खुन्ती, जिला रांची, झारखंड
26.	संत अगस्टाइन परिसर की वैज्ञानिक सफाई, उत्तर गोवा, गोवा
27.	स्वयंभू मन्दिर परिसर की वैज्ञानिक सफाई, वारंगल किला, जिला वारंगल, आंध्र प्रदेश
28.	बौद्ध स्थल की वैज्ञानिक सफाई, रत्नागिरी, जिला जाजपुर, उड़ीसा
29.	तुगलकाबाद किला, दक्षिण रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली, नई दिल्ली
30.	बारावटी किला, जिला कटक, उड़ीसा
अन्तः जलीय उत्खनन	
1.	प्रिंसेज रायल का उत्खनन, सुदूर बंगाराम, जिला कावारट्टी, लक्षद्वीप
2.	महाबलीपुरम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु
3.	एलीफेंटा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र

विवरण II

2004-05 के दौरान उत्खनन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तावित नए स्थलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	स्थल का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	प्राचीन टीला, कोट्टूरु, जिला विशाखापट्टनम
2.	मध्य प्रदेश	चतुरभुज नाला, जिला मंदसौर
3.	मध्य प्रदेश	गोंडारमऊ, जिला भोपाल
4.	उड़ीसा	आरागढ़, जिला पुरी
5.	उत्तर प्रदेश	सनौली, जिला बागपत
6.	उत्तर प्रदेश	लाटिया, जिला गाजीपुर

राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट

3336. श्री खगेन दास: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापितों का पुनर्वास

3337. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डी आर डी एल की चारदीवारी का 100 मीटर क्षेत्र संस्थापना की संवेदनशील प्रकृति के मद्देनजर खाली कराया जाना है;

(ख) क्या इस क्षेत्र से कुछ अतिक्रमण हटाया जाना है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश ने रक्षा मंत्रालय के कंचनबाग, हैदराबाद में डी आर डी एल के निकट रहने वाले प्रभावित लोगों की पुनर्वास लागत को वहन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार से, क्षेत्र खाली कराए जाने तथा पुनर्वास संबंधी विस्तृत प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

3338. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिवा-कल्याण, पांचवीं और छठी लाइन (10.73 किमी.) आर ओ आर, पनवेल-जसाई (जे एन पी टी) (28.5 किमी.) आर ओ आर 20 प्रतिशत-पकनी-शोलापुर (16.8 किमी.) आर ओ आर-3 और पकनी-मोहाल (17 किमी.) रेल लाइनों के दोहरीकरण के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई और उन पर आज तक कितना खर्च आया; और

(ख) परियोजनाओं को कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	चालू परियोजनाओं का ब्यौरा	कि.मी.	अनुमानित लागत	मार्च 2004 तक व्यय	2004-05 के दौरान परिव्यय	परियोजना की वर्तमान स्थिति तथा पूरा होने की संभावित तिथि यदि कोई निर्धारित हो
दोहरीकरण						
1.	दीवा-कल्याण 5वीं तथा 6ठी लाइन	11	48.06	28.37	9	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, गिट्टी बिछाने तथा लाइन जोड़ने संबंधी कार्य प्रगति पर है।
2.	पनवेल-जसई जेएनपीटी	28.5	53.23	20.50	25	मिट्टी संबंधी कार्य तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
3.	पंकी-सोलापुर	16.28	38.52	6.09	25	मिट्टी संबंधी कार्य तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
4.	पंकी-मोहोल	17	42.73	15.00	10	यह कार्य 2003-2004 के बजट में शामिल है। नक्शे तथा अनुमान तैयार करने जैसे आरंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

उपर्युक्त सभी परियोजनाएं राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत आती हैं जिन्हें पांच वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने की योजना है।

मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन

3339. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार द्वारा गठित समिति ने असम में मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने और इससे संबंधित संरेखण कार्य से हाथियों और अन्य वन्य जीवों के प्राकृतिक पर्यावास एवं पर्यावरण को होने वाले खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा रेलवे को किस प्रकार के तथा कितने खतरे के बारे में बताया गया है और पर्यावरण को ऐसे खतरे को टालने तथा कम करने के लिए क्या सिफारिश की गई है तथा सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) असम में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से पर्यावरण और हाथियों के प्राकृतिक पर्यावास तथा अन्य वन प्राणियों को होने वाले खतरों के बारे में असम राज्य सरकार द्वारा गठित समिति, यदि कोई है, के बारे में रेलवे को कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल सुरक्षा संबंधी अध्ययन

3340. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संगठन/शैक्षिक संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से रेल सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी नहीं। अनुसंधान संगठन/शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्वतंत्र रूप से आयोजित किए गए ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी रेल मंत्रालय को नहीं है। बहरहाल, भारतीय रेलों के अनुसंधान और विकास स्कंध अर्थात् अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) द्वारा अध्ययन/परियोजनाएं/मिशन आयोजित किए जाते हैं, जो गाड़ी परिचालन की संरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण होते हैं।

महाराष्ट्र की रेलवे पुलिस पर किया गया खर्च

3341. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा रेलवे पुलिस पर किए गए खर्च की बड़ी बकाया राशि रेलवे द्वारा अदा की जानी है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2003 और 2004 की स्थिति के अनुसार ऐसी कितनी बकाया राशि है;

(ग) क्या ऐसे देयों की मंजूरी को सुचारू बनाने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। 24.92 करोड़ रु. की राशि के दावे केवल लेखा प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता, राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत पदों का परिचालन आदि के कारण बकाया है। यह मामला राज्य सरकार और संबंधित रेलवे के बीच विचाराधीन है।

(ख) 31.3.2003 और 31.3.2004 को महाराष्ट्र सरकार को देय बकाया राशि क्रमशः 25.21 करोड़ रु. और 39.52 करोड़ रु. थी। बहरहाल, 31.3.2004 को बकाया 39.52 करोड़ रु. में से, 14.60 करोड़ रु. का पहले ही भुगतान किया जा चुका है और आज की तारीख में केवल 24.92 करोड़ रु. की राशि बकाया है।

(ग) और (घ) रेलों के पास सभी स्पष्ट अनुमेय बिलों के भुगतान के लिए स्थायी अनुदेश हैं।

उड़ीसा में जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र

3342. श्री गिरिधर गमांग: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों, पर्वतीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों के लिए अलग कार्मिक नीति, अनन्य कार्यक्रम तथा केन्द्रों के विकास की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) आकाशवाणी सभी स्टेशनों के लिए समान कार्मिक, कार्यक्रम और विकास संबंधी नीतियों का अनुसरण करता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण

3343. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के उन दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनका आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) इन दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि के खर्च होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) दसवीं योजना के दौरान गुजरात में अहमदाबाद और राजकोट स्थित दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण परिकल्पित है। 10वीं योजनावधि के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद का पूर्ण डिजिटलीकरण जबकि दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट का 50% तक डिजिटलीकरण करना परिकल्पित है। दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद के पूर्ण डिजिटलीकरण और दूरदर्शन केंद्र, राजकोट के 50% डिजिटलीकरण के 10.35 करोड़ रुपये की कुल लागत पर वर्ष 2005-06 तक पूरे हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

मूर्तियों तथा वास्तुकला संबंधी अवशेषों की तस्करी

3344. श्री ब्रजभूषण शरण सिंह:
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंदिरों की मूर्तियों तथा वास्तुकला संबंधी अवशेषों की सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित कितनी वस्तुओं की विदेशों को तस्करी की गई है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी मूर्तियों और वास्तुकला संबंधी अवशेषों की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन मूर्तियों और वास्तुकला संबंधी अवशेषों को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कदमों के द्वारा कितनी सफलता हासिल की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, भगवान सूर्य की एक प्रचीन प्रस्तर मूर्ति को तस्करी से देश से बाहर ले जाया गया था।

(ख) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन, भारतीय, पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा-शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय और राज्य सरकार पुलिस जैसी विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ परामर्श करके, सीमा-शुल्क निकासी चैनलों पर सतर्कता बढ़ाकर और तलाशी को गहन करके पुरावशेषों की चोरी और उनकी तस्करी रोकने के कदम उठाए गए हैं।

(ग) और (घ) भगवान सूर्य की मूर्ति संयुक्त राज्य अमरीका के सीमा-शुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई थी और बाद में भारत को वापस की गई।

[अनुवाद]

ताबूत घोटाला

3345. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ताबूत घोटाले की जांच कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) यह मामला रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है।

वन भूमि पर रेल लाइन बिछाना

3346. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों द्वारा वन भूमि पर पड़ने वाले चल रहे रेल लाइन बिछाने संबंधी परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए मुख्य वन संरक्षक के पास भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को मुख्य संरक्षक द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) प्रश्न में किसी विशेष परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है। अत: प्रश्न का विषय-वार सही उत्तर देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

केरोसीन तथा रसोई गैस की उत्पादन लागत

3347. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पेट्रोल तथा डीजल की वास्तविक उत्पादन लागत (बेसिक) तय करने के पश्चात् केरोसीन तथा रसोई गैस की बेसिक उत्पादन लागत तय कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के लिए आकलित उपर्युक्त वस्तुओं की औसत लागत कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रसोई गैस तथा केरोसीन की बेसिक उत्पादन लागत तय करने में क्या बाधाएं आ रही हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) तेल शोधन बहु-उत्पाद उत्पादन के साथ एक सतत संसाधन उद्योग है, इसलिए उत्पादन की उत्पाद-वार लागत का अलग से आकलन नहीं किया जाता। तेल विपणन कंपनियां रिफाइनरियों को आयात समता आधार पर मिट्टी तेल और एलपीजी के मूल्यों का भुगतान करती हैं। 2002-03 और 2003-04 के दौरान मिट्टी तेल के आयात समता मूल्य क्रमश: 10,244 रुपए प्रति कि.ली. और 10,854 रुपए प्रति कि.ली. थे। इन वर्षों के दौरान एलपीजी के तदनुरूपी औसत आयात समता मूल्य क्रमश: 15,637 रुपए प्रति एमटी और 16,071 रुपए प्रति एमटी थे।

[अनुवाद]

राजस्थान में एलपीटी का उन्नयन करके एचपीटी बनाना

3348. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में एचपीटी/एलपीटी/वीएलपीटी का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में कुछ वीएलपीटी/एलपीटी का उन्नयन करके उन्हें एचपीटी बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक की तारीख तक उस राज्य में उन दूरदर्शन केन्द्रों का उन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2004-05 में उन्नत बनाने हेतु किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) इस समय राजस्थान में दूरदर्शन के 100 ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रा.-10, अ.श.ट्रा. 71, अ.अ.श.ट्रा.-19) कार्यशील है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान अजमेर स्थित दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों (डी डी-1 और डी डी न्यूज) का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन की स्कीम इस समय कार्यान्वयनाधीन है। राजस्थान में अन्य किसी अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन करने की परिकल्पना नहीं है।

विवरण

राजस्थान में कार्यशील टीवी ट्रांसमीटर

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10)

अजमेर	अजमेर (डी डी न्यूज)	बाड़मेर (अंतरिम)
बूंदी	बूंदी (डी डी न्यूज)	जयपुर
जयपुर (डी डी न्यूज)	जैसलमेर	जोधपुर
जोधपुर (डी डी न्यूज)		

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (71)

अलवर	अलवर (डी डी न्यूज)	अनूपगढ़

बाली	बांसी (डी डी न्यूज)	बंसवाड़ा
बरान	बड़ी सदरी	बाड़मेर
बसावा	भद्रा	भरतपुर
भीलवाड़ा	भीनमाल	बीकानेर
बीकानेर (डी डी न्यूज)	चिड़ावा	चित्तौड़गढ़
चुरू	डीग	डूंगरपुर
गंगानगर	गंगापुर	हनुमानगढ़
हिंडोन	जैसलमेर	जालौर
झालावाड़	झुंझनू	करनपुर
करौली	केसरियाजी	खेतड़ी
किशनगढ़ वास	कोटा (डी डी न्यूज)	कोटपुतली
कुशलगढ़	मकराना	माउंट आबू
नागर	नागौर	नाथद्वारा
नवलगढ़	नीमच	नौहर
नोखा	पाली	फलोदी
पिलानी	पिडवा	प्रतापगढ़
रायसिंह नगर	राजगढ़	रतनगढ़
रावतसर	सगवाड़ा	सलुम्बेर
सरदार शहर	सवाईमाधोपुर	शाहपुरा
सीकर	सिरोही	सोजत
श्रीडूंगरगढ़	सुजानगढ़	सूरतगढ़
तारानगर	टोंग	उदयपुर
उदयपुर (डी डी न्यूज)	वल्लभनगर	
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (19)		
आंधी	अमेत	भीम
चौमहला	देवगढ़	फतेहपुर
गंगापुर	कोटरा	कुम्भलगढ़
लक्ष्मणगढ़	मंडलगढ़	नीम का थाना
राजगढ़	रावतभाटा	सीकरी
तीबी लालसोत	विराटनगर	जमुआ रामगढ़

कर्नाटक के हवेरी जिले के लिए आवास योजना

3349. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्नाटक के हवेरी जिले में आवास योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का इस जिले को "विशेष श्रेणी" के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना, हवेरी जिले सहित कर्नाटक के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मकानों के निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हवेरी जिले को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 286.20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। जिले को पहली किस्त के रूप में 143.10 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किसी जिले को "विशेष श्रेणी" प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

गुजरात और त्रिपुरा में ओएनजीसी द्वारा विद्युत संयंत्र लगाना

3350. डा. तुषार अमर सिंह चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री महेश कनोडीया:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री नकुल दास राई:

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) ने गुजरात सरकार के साथ गुजरात में दहेज में बड़े विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या ओएनजीसी का विचार त्रिपुरा में विद्युत संयंत्र लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन विद्युत संयंत्रों को शुरू करने की संभावित तारीख क्या है और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) विद्युत के कितने हिस्से का रक्षित उपभोग और उस क्षेत्र में अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा उपभोग किया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने दहेज में विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए गुजरात सरकार की किसी संस्था के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) से (ङ) त्रिपुरा तथा देश के अन्य स्थानों पर भी विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने की ओएनजीसी की योजना एक संकल्पना चरण पर है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पाद और सेवाओं के लिए नीति

3351. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों संबंधी स्थायी समिति (स्कोप) ने कुछ और समय के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.ई.) के उत्पादों और सेवाओं के लिए खरीद संदर्भ की नीति को जारी रखने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) सरकारी उपक्रमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के उत्पादों तथा उनकी सेवाओं के लिए क्रय अधिमानता की वर्तमान नीति अगले दो वर्षों, अर्थात 31.3.2006 तक बढ़ा दी जाए, क्योंकि इससे सरकारी उद्यमों द्वारा अन्य सरकारी उद्यमों तथा सरकारी निकायों को की जाने वाली बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, जो सरकारी उद्यमों के लिए अत्यंत आवश्यक सहायता है।

(ग) क्रय अधिमानता की नीति को 31.3.2004 के बाद की अवधि तक बढ़ाने का मामला सरकारी के विचाराधीन है।

अशक्तों के लिए आयोग की स्थापना

3352. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अशक्तों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उन्हें सुलझाने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय आयोग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोग द्वारा कब तक काम शुरू कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन निम्नलिखित कार्य करने के लिए हुआ था:

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए दर्जे, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को समाप्त करने की दिशा में केन्द्रीय सरकार को कार्रवाई संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों की सिफारिश करना ताकि विकलांगता के बावजूद उनकी क्षमताओं के लिए उनका पुनर्मूल्यांकन किया जा सके और देश के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में मनो-सामाजिक एकीकरण और पूर्ण भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा गरीबी उन्मूलन के पैकेजों, रोजगार एवं अन्य सहायक सेवाओं का अधिकार दिया जा सके;

(2) विकलांग क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में संस्थाओं की स्थिति और दशाओं की समीक्षा करना तथा सिफारिशें करना; तथा

(3) अपनी सिफारिशों के साथ विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को वार्षिक रिपोर्ट देना; और

(4) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना;

आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 5 सह-सदस्य होते हैं। वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्यों, अध्यक्ष और सदस्य सचिव के अतिरिक्त केवल 4 सह-सदस्य हैं।

(ग) और (घ) आयोग ने मार्च, 2004 से कार्य करना शुरू किया था और इससे वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन के नए केन्द्रों की स्थापना

3353. श्री हरि केवल प्रसाद:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से आकाशवाणी/दूरदर्शन के नए केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने और पुराने दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) आज की तारीख के अनुसार उपर्युक्त प्रत्येक केन्द्र के संबंध में रिपोर्ट क्या है;

(छ) उपर्युक्त केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) इस समय देश में दूरदर्शन के 59 स्टूडियो 1407 ट्रांसमीटर तथा 215 आकाशवाणी केंद्र कार्यशील हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नए आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों अर्थात अति विशिष्ट व्यक्तियों, राज्य सरकारों, जन-सामान्य आदि से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार हेतु योजनाओं को तैयार करते समय इनको ध्यान में रखा जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। नए टी वी केंद्रों और मौजूदा टी वी केंद्रों के उन्नयन की 67 परियोजनाएं इस समय देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वयनाधीन हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं की अवस्थितियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(च) से (ज) उपर्युक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है और इनके 10वीं योजनावधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से पूरे होने की आशा है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दूरदर्शन केन्द्र		आकाशवाणी
		स्टूडियो	ट्रांसमीटर	स्टेशन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	103	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	49	5
3.	असम	4	28	10
4.	बिहार	2	41	5
5.	छत्तीसगढ़	2	27	5

1	2	3	4	5
6.	गोवा	1	2	1
7.	गुजरात	2	73	7
8.	हरियाणा	1	20	3
9.	हिमाचल प्रदेश	1	53	6
10.	जम्मू-कश्मीर	3	133	11
11.	झारखंड	2	27	5
12.	कर्नाटक	2	66	14
13.	केरल	2	33	7
14.	मध्य प्रदेश	3	78	14
15.	महाराष्ट्र	3	124	20
16.	मणिपुर	1	8	1
17.	मेघालय	2	10	5
18.	मिजोरम	1	8	3
19.	नागालैंड	1	14	4
20.	उड़ीसा	3	94	11
21.	पंजाब	1	12	3
22.	राजस्थान	1	101	17
23.	सिक्किम	0	8	1
24.	तमिलनाडु	1	71	9
25.	त्रिपुरा	1	9	3
26.	उत्तर प्रदेश	7	85	14
27.	उत्तरांचल	1	54	6
28.	पश्चिम बंगाल	3	35	6
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	15	1
30.	चण्डीगढ़	1	2	1
31.	दादर एवं नगर हवेली	0	1	—
32.	दमन एवं दीव	0	2	1

1	2	3	4	5
33.	दिल्ली	2	5	1
34.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	0	10	1
35.	पांडिचेरी	1	6	2
	कुल योग	59	1407	215

विवरण II

कार्यान्वयनाधीन टीवी परियोजनाएं

1. **स्टूडियो परियोजनाएं**

वारंगल*

कालीकट*

पटियाला*

गंगटोक*

कोयम्बटूर*

मदुरै*

दिल्ली (डीडी भवन)

राजौरी*

गोरखपुर (स्थायी)

रांची (संवर्धन)

रायपुर (संवर्धन)

देहरादून (स्थायी)

2. **ट्रांसमीटर परियोजनाएं**

उ.श.ट्रा. अम्बाजोगई (डी डी न्यूज स्थायी)

उ.श.ट्रा. अमृतसर (20 के.वी. स्थायी)

उ.श.ट्रा. अमृतसर (डी डी न्यूज स्थायी)

उ.श.ट्रा. बालूरघाट (स्थायी)

उ.श.ट्रा. बाड़मेर (स्थायी)

उ.श.ट्रा. भटिंडा (डी डी न्यूज)

उ.श.ट्रा. बीकानेर

उ.श.ट्रा. बिलासपुर

उ.श.ट्रा. कालीकट (डी डी न्यूज)

उ.श.ट्रा. कन्नानूर (स्थायी)

उ.श.ट्रा. छतरपुर

उ.श.ट्रा. धर्मशाला

उ.श.ट्रा. धर्मपुरी

उ.श.ट्रा. दारवाड़ (डी डी न्यूज स्थायी)

उ.श.ट्रा. फाजिल्का (स्थायी)

उ.श.ट्रा. हिसार

उ.श.ट्रा. हिसार (डी डी न्यूज)

उ.श.ट्रा. जलगांव (स्थायी)

उ.श.ट्रा. करनाल

उ.श.ट्रा. कसौली (डी डी न्यूज)

उ.श.ट्रा. खड़गपुर

उ.श.ट्रा. कुम्बाकोणम (स्थायी)

उ.श.ट्रा. कुपवाड़ा (डी डी न्यूज स्थायी)

उ.श.ट्रा. कुपवाड़ा (स्थायी)

उ.श.ट्रा. कुर्सियांग (डी डी न्यूज)

उ.श.ट्रा. लखीमपुर (स्थायी)

उ.श.ट्रा. नौसेरा (डी डी न्यूज स्थायी)

उ.श.ट्रा. नौसेरा (स्थायी)

उ.श.ट्रा. पांडिचेरी (स्थायी)

उ.श.ट्रा. राधनपुर

उ.श.ट्रा. राजकोट (डी डी न्यूज स्थायी)

उ.श.ट्रा. सागर

उ.श.ट्रा. सहरसा

उ.श.ट्रा. साम्बा (डी डी न्यूज स्थायी)

उ.श.ट्रा. साम्बा (स्थायी)

उ.श.ट्रा. श्रीनगर (डी डी न्यूज उन्नयन)

उ.श.ट्रा. श्रीनगर (कशीर चैनल उन्नयन)

उ.श.ट्रा. सूरत (डी डी न्यूज स्थायी)

उ.श.ट्रा. तिरूनेलवेल्ली

उ.श.ट्रा. टिथवाल

उ.श.ट्रा. बडोदरा

उ.श.ट्रा. बडोदरा (डी डी न्यूज)

अ.श.ट्रा. अम्बासा

अ.श.ट्रा. बहाल्डा*

अ.श.ट्रा. फतेहाबाद

अ.श.ट्रा. कैथल*

अ.श.ट्रा. खाजुवाला*

अ.श.ट्रा. कोल्हापुर*

अ.श.ट्रा. मिरियालागुडा*

अ.श.ट्रा. मुधोल*

अ.श.ट्रा. पुंगनूर*

अ.श.ट्रा. सतरसाल*

अ.श.ट्रा. सिंधनूर*

अ.श.ट्रा. देवभोग

अ.श.ट्रा. मरहोरा

*स्थापना संबंधी कार्य पूरा हो गया है। कर्मचारियों की मंजूरी अभी दी जानी है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी संबंधी कार्य बल

3354. श्री के.एस. राव:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोजने हेतु एक कार्य बल गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना से ग्रामीण बेरोजगार लोगों को किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोजने हेतु एक कार्य दल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाओं हेतु धनराशि का आवंटन

3355. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल परियोजनाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) इसमें कितनी राशि गुजरात राज्य में रेल परियोजनाओं पर व्यय की जानी है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलवे के वार्षिक योजना परिव्यय हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2004-05 के लिए नई रेल लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए 3803.37 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) गुजरात राज्य में आंशिक रूप से/पूरी तरह से आने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान 123.22 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) के माध्यम से विरमगाम-मेहसाना के आमान परिवर्तन परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए भी उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ष 2004-05 के लिए 14,498 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी पायलट परियोजना

3356. श्री डी.वी. सदानंद गौडा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन स्थानों को और धनराशि उपलब्ध कराने का है जहां पर राजीव गांधी पायलट परियोजना आंशिक रूप से लागू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन पंचायतों को स्वजलधारा योजना के अंतर्गत और धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने राजीव गांधी पायलट परियोजना के नाम पर प्रस्तुत प्राक्कलन के रूप में राशि का 10 प्रतिशत भाग जमा करा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (घ) स्वजलधारा के अंतर्गत, भारत सरकार पूरे वर्ष के लिए निर्धारित अंतर-राज्य त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) आबंटन अनुपात के अनुसार निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन करती है और राज्य सरकारों को इसके बदले में जिला-वार आबंटन करने की जरूरत होती है, जिसमें वे जिले शामिल हैं जहां क्षेत्र सुधार प्रायोगिक, परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं। आशा है कि स्वजलधारा के अंतर्गत जिले-वार आबंटनों को अंतिम रूप देते समय, राज्य सरकारें उन चालू योजनाओं की जिले-वार संख्या को ध्यान में रखेंगी, जहां अपेक्षित सामुदायिक अंशदान पहले से ही जुटा लिए गए हैं। वैसी योजनाएं, जो क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू नहीं की जा सकी थीं और जो स्वजलधारा के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं, जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा आबंटित राशि में से स्वजलधारा के अंतर्गत मंजूरी की पात्र हैं।

केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

3357. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत देश के और जिलों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर हिमाचल प्रदेश में तत्संबंधी जिला वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के अंतर्गत जिला-वार राज्य-वार कितनी निधियां प्रदान किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार का देश के सभी जिलों, जिनमें हिमाचल प्रदेश के जिले भी शामिल हैं, के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

(ग) संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक मांग जनित अभियान है जिसके अंतर्गत राज्यों को कारण-कार्य तर्क के आधार पर आबंटन नहीं किए जाते। संपूर्ण स्वच्छता अभियान वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकार/जिला कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण स्वच्छता अभियोजना परियोजना मंजूर की जाती है।

तमिलनाडु में चालू रेल लाइन परियोजनाएं

3358. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में चालू रेल परियोजनाओं की स्थिति और नई रेल लाइनें बिछाने तथा ऊपरिपुल बनाने संबंधी सर्वेक्षण का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन प्रत्येक परियोजनाओं और सर्वेक्षणों को पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं द्वारा अभी तक आवंटित और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) तमिलनाडु में करूर-सेलम और बेंगलोर-सत्यामंगलम नई लाइन

परियोजनाओं पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी तथा अन्य कार्यकलाप प्रगति के विभिन्न चरणों पर हैं। भूमि अधिग्रहण के संबंध में मुकदमेबाजी चल रही है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। 31.3.2004 तक इस परियोजना पर 64.69 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। 2004-05 के दौरान 5 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा। चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बैंगलोर-सत्यमंगलम नई लाइन परियोजना पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है। वन क्षेत्र में खतरनाक परिस्थितियां होने के कारण सर्वेक्षण कार्य धीमा हो गया था। इस परियोजना पर 31.3.2004 तक 0.27 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। 2004-05 के दौरान 0.10 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

नई लाइनों के लिए चालू सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है:

सर्वेक्षण	लम्बाई (किमी में)	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
मदुरै-कोट्टायम बड़ी लाइन के लिए	232	दिसम्बर, 2004
इरुमेली-पुनालूर-त्रिवेंद्रम नई बड़ी लाइन के लिए (अद्यतन सर्वेक्षण)	136	मार्च, 2005
अरियालूर के रास्ते तंजावूर से चेन्नै तक नई बड़ी लाइन	320	दिसम्बर, 2004
पांडिचेरी के रास्ते टिंडीवनम्-कुड्डालोर के बीच नई बड़ी लाइन	71	सितम्बर, 2004

उपर्युक्त के अलावा, वंडीवाश, चेप्पूर, अरानी, आरकोट, रानीपेट, वालाजापेट, शोलींधुर, आर.के. पेट, पोडातूर और पल्लीपट्ट के रास्ते टिंडीवनम से नागरी (165 कि.मी.) और पूनामल्ली के रास्ते चेन्नै से श्रीपेरम्बदूर (42 कि.मी.) में नई लाइन निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य को तथा धरमपुरी के रास्ते जालारपेट्टे-होस्सूर के लिए अद्यतन सर्वेक्षण को भी 2004-05 के बजट में शामिल किया गया था। इन सर्वेक्षणों को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक अनुदेश भी दिया गया है।

तमिलनाडु राज्य में निर्माणाधीन फ्लाईओवरों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। रेलें फ्लाईओवर के अपने भाग का काम अर्थात् रेलपथ पर पुल खास का निर्माण करती है और पहुंच मार्गों का निर्माण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए पूरा करने की तिथि राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण पूरा करने पर निर्भर करता है। बहरहाल, रेलवे द्वारा पहुंच मार्गों के साथ-साथ कार्य पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में चल रहे इन कार्यों के लिए रेलवे को इस वर्ष 28.52 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष इन कार्यों पर 14.35 करोड़ रु खर्च किए गए थे।

विवरण

तमिलनाडु राज्य में फ्लाइओवरों की स्थिति
(लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	रेलवे का हिस्सा (लाख रु. में)	राज्य का हिस्सा (लाख रु. में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	जोलारपेट्टाई-इरोड खंड पर 354/32-34 किमी पर समपार सं. 116 के बदले मगुंदाचावदी सड़क उपरि पुल	2000-01	560	554	महाप्रबंधक द्वारा अनुमान स्वीकृत किया गया। 17.4.2003 को कार्य सौंपा गया था। कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
2.	कुदालनगर-डिंडिगुल पेलानाडू रोड पर 490/7-8 किमी पर समपार सं. 360 के स्थान पर सड़क उपरि पुल	2000-01	542	537	सी ई/एच द्वारा संशोधित जीएडी को सहमति दी गई। स्कवू एन्गल में परिवर्तन सहित परिवर्तित डीएडी जारी किया गया। अनुमान स्वीकृत। उप संरचना ड्राइंग जारी की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।
3.	चेन्नै सेन्ट्रल-तिरुवेल्लूर खंड पर पट्टाभिराम-तिरुमिनबरावुर स्टेशनों के बीच 28/21-23 किमी पर समपार सं. 12 के स्थान पर चेन्नै सेन्ट्रल-तिरुवेल्लूर पर थिरुनिंरावुर सड़क उपरि पुल	2000-01	578	570	जीएडी तैयार किया जा चुका है और सीईएच को सहमति के लिए भेजा गया है।
4.	चेन्नै सेन्ट्रल-आराकोणम खंड पर 25/4-6 किमी पर समपार सं. 10 के स्थान पर पट्टाभिराम सड़क ऊपरि पुल।	2000-01	578	570	जीएडी के प्रतिहस्ताक्षर के लिए सीबीआई की टिप्पणी का पालन किया जा रहा है।
5.	चेन्नै-गुड्डुर खंड पर 13/2-3 किमी पर समपार सं. 10 के स्थान पर कधिवाक्केम में सड़क ऊपरि पुल।	2000-01	560	554	सीई/एच की सहमति के लिए जीएडी भेजा गया है।
6.	इरोड़-तिरुपुर-431/10-12 किमी पर समपार सं. 129 के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल	2000-01	560	554	जीएडी प्रतिहस्ताक्षरित के लिए सीबीआई की टिप्पणी का पालन किया जा रहा है। अनुमान स्वीकृत किया जा चुका है। निविदाएं कम प्राप्त होने के कारण पुन: निविदाएं मांगी गई हैं।
7.	तिरुथानी-71 ए/36-38 किमी पर समपार सं. 33 के स्थान पर सड़क उपरि पुल।	2000-01	560	554	सीई/एच के द्वारा जीएडी स्वीकृत 6.1.04 को महाप्रबंधक द्वारा अनुमान स्वीकृत किए गए।
8.	तंजावूर-मायिलादुतुरल-तंजावूर खंड पर 353/1-2 किमी पर समपार सं. 303 के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल।	2000-01	542	537	सीई/एच के द्वारा संशोधित जीएडी स्वीकृत। सीबीआई द्वारा जीएडी प्रतिहस्ताक्षरित किए गए। सीईएच से सड़क अनुमान प्राप्त किया जाना है। निविदाएं खोली गई हैं और उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
9.	गुदीयाथम-आराकोणम-रेणिगुंटा खंड पर 154/12-14 किमी पर समपारा सं. 64 के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल।	2000-01	560	554	सीई/एच द्वारा जीएडी को सहमति दी गई। आशोधित अनुमान सीई/एच को प्रतिहस्ताक्षर के लिए भेजा गया है।
10.	सेलम-पेट्टूरडैम खंड पर 8/6-7 किमी पर समपार सं. 9 के स्थान पर ओमालूर में सड़क ऊपरि पुल।	2000-01	542	537	जीएडी को सहमति दी जा चुकी है। अनुमान स्वीकृत किए जा चुके हैं। उप संरचना ड्राइंग अनुमोदित और जारी की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
11.	वंचीमनी याछ्छी-तिरुनेलवेली खंड पर समपार सं. 485 के स्थान पर टूटीकोरिन में सड़क उपरि पुल।	2000-01	542	537	सीई/एच द्वारा जीएडी को सहमति दी जा चुकी है। 27.6.02 को अनुमान स्वीकृत किए गए। उप संरचना के लिए ड्राइंग जारी की जा चुकी हैं। कार्य प्रगति पर है।
12.	विरुधनगर-वंचीमनी याछ्छी-586/1-2 किमी पर समपार सं. 437 के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल।	2000-01	542	537	रेलवे का हिस्सा पूरा किया जा चुका है। रोड विद्व की स्वीकृति के लिए सीई/एच को आशोधित अनुमान भेजे जा चुके हैं। पहुंच मार्गों का कार्य पूरा किया जा चुका है।
13.	कोविलपट्टी-विरुधुनगर-वंचीमनी याछ्छी खंड पर 588/9-10 किमी पर समपार सं. 440 के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल।	2000-01	542	537	रोड विद्व के संबंध में सीई/एच से आशोधित अनुमान पर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। रेलवे का हिस्सा पूरा किया जा चुका है। पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू होने वाला है।
14.	चेन्नै-विल्लुपुरम खंड पर किमी 34/5-6 पर समपार सं. 34 के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल।	2000-01	578	570	12.9.03 को जीएडी स्वीकृति हेतु सीई/एच को भेजा गया।
15.	तिरुपंडरीपुलियूर-किमी 205/6 पर समपार सं. 159 के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल, 1 गर्डर पाइल 12 अदद आरसीसी ट्रस्टल के साथ 1×15 पीएसी.	1996-97	332	404	रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच-मार्गों पर पाइलिंग कार्य प्रगति पर है।
16.	जोलाइपेट-इरोड-खंड पर त्रिपाथूर और सेलम स्टेशनों के बीच 222/8-10 पर समपार सं. 90 के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल।	2000-01	387	382	सीई/एच द्वारा जीएडी स्वीकृत। बोर्ड द्वारा अनुमान स्वीकृत किया जाना है। कार्य प्रदान कर दिया गया है।
17.	एमआईटी गेट-एमआईटी गेट के समीप चौरपेट और तांबरम स्टेशनों के बीच किमी 26/1-2 पर समपार सं. 28 के स्थान पर सड़क निचला पुल।	1998-99	422	422	बोर्ड द्वारा अनुमान स्वीकृत करने के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। रेलवे के हिस्से और पहुंच मार्गों का व्यय पूरा होने वाला है।
18.	पालककराई-पालककराई-और टीपीबे फोर्ट के बीच किमी 139/2-3 पर मौजूदा समपार सं. 85 के स्थान पर सड़क ऊपरि पुल।	1998-99	724	788	पुल के भाग का काम पूरा हो गया है। पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है। आम जनता से अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण यह उल्लेखनीय है कि सड़क ऊपरि पुल 84 के चालू होने के पश्चात ही इसके आगे सड़क ऊपरि पुल का कार्य शुरू किया जाएगा।
19.	चिदाम्बरम-किमी 247/2 पर समापार सं. 202 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल, 1×28 किमी पाइल फाउंडेशन आरसीसी ट्रस्टल पीएससी बाक्स	1996-97	223	482	सीबीआई द्वारा जीएडी प्रतिहस्ताक्षरित। राजमार्गों से पहुंच मार्गों के लिए विस्तृत अनुमान की प्रतीक्षा की जा रही है। निविदा खोली गई है और उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
20.	उक्कदम-कोयम्बटूर और पोदनूर स्टेशनों के बीच सड़क निचला पुल-किमी 18/10-11 पर समपार के स्थान पर उक्कडाम बाईपास सड़क	1993-94	80	149	जीएडी सीई/एच द्वारा स्वीकृत। अनुमान पार्टी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु भेजे गए हैं। 28.8.03 को पुन: निविदा बुलाई गई जो एक बार दोबारा निरस्त कर दी गई और अब निविदाएं आमंत्रित की जानी है।
21.	तैनूर हाई रोड-किमी 137/18-19 पर मौजूदा समपार सं. 84	1998-99	532	643	पुल के भाग का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है। मार्च 2004 तक पूरा होने की संभावना है।
22.	बनारस-केप कोमोरिन रोड-डिंडिगुल-मदुरै खंड के बीच किमी 493/4-5 पर समपार सं. 363 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	2000-01	542	537	उप संरचना पूरी हो गई है। टाई स्टेजिंग ड्राइंग सीबीआई द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिए गए हैं। रेल संरक्षा आयुक्त से सुपरस्ट्रक्चर बिछाने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। पहुंच मार्गों का कार्य अभी-अभी शुरू हुआ है।
23.	चेन्नै बीच आरक्कोणम खंड के किमी 41/33-43/2 पर समपार सं. 18 के स्थान पर तिरुवेल्लोर सड़क ऊपरी पुल	1999-00	569	569	जेएडी स्वीकृत। अनुमान स्वीकृत। पाइलिंग और पाइल कैप कालम का कार्य पूरा हो चुका है। 8 ट्रस्टल शहतीरों में से 7 पूरे हो गए हैं। 6 पीएससी गर्डरों में से 3 बिछा दिए गए हैं। टीवाई स्टेजिंग हेतु रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। कार्य प्रगति पर है।
24.	मोरापुर-किमी 267/4-6 पर समपार सं. 100 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1998-99	380	470	सीबीआई द्वारा जीएडी प्रतिहस्ताक्षरित। महाप्रबंधक द्वारा अनुमान स्वीकृत। अस्थाई समपार हेतु सीआरएस एप्लीकेशन पर कार्रवाई चल रही है। सुपर स्ट्रक्टर के ड्राइंग जारी कर दिए गए हैं। टाई स्टेजिंग नक्शों का सत्यापन किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
25.	करूर-पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 में किमी 64/2-3 पर समपार सं. 37 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	1998-99	627	616	सीई/एच द्वारा जीएडी स्वीकृत और सीबीई के प्रतिहस्ताक्षर हेतु भेजा गया है। अनुमान स्वीकृत। उपसंरचना के ड्राइंग स्वीकृत। कार्य प्रगति पर है।
26.	किमी 477/6-7 पर ओंदिपुदुर सड़क ऊपरी पुल कोयम्बतूर कार्प. इरुगूर और पोदानूर स्टेशनों में किमी 477/6-7 के स्थान पर समपार सं. 145	1999-00	451	1185	सीबीई कार्यालय की जीएडी सीईएच द्वारा स्वीकृत। महाप्रबंधक द्वारा अनुमान स्वीकृत। 28.8.03 को पुन: निविदा खोली गई जो निरस्त हो गई और दोबारा 29.1.03 को निविदा बुलाई गई जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
27.	जोलापेट-इरोड़ खंड पर किमी 335/10-12 पर समपार 114 के स्थान पर सेलम सड़क ऊपरी पुल	2000-01	560	554	सीई/एच द्वारा जीएडी स्वीकृत। बोर्ड द्वारा अनुमान स्वीकृत। 19.6.03 को कार्य का ठेका दे दिया गया है। अभिकल्प का बक्सा जारी कर दिया गया है।
28.	इरोड़े-पोदेनूर खंड-पर किमी 411/30-32 पर सं. 126 के स्थान पर इरोड़े-पोदेनूर सड़क ऊपरी पुल	2000-01	560	554	प्रतिहस्ताक्षर हेतु जीएडी को सीबीई के पास भेजा गया है और जांच हो रही है। अनुमान स्वीकृत कार्य प्रगति पर है।
29.	विरुद्धनगर-वंचीमनियाची-किमी 587/6-7 के स्थान पर समपार सं. 439 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	2000-01	546	546	सीई/एच द्वारा जेएडी स्वीकृत। अनुमान स्वीकृत। यह कार्य समपार सं. 437 एवं 440 और यातायात मार्गविपथन के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
30.	जोलारपेट्टाई-इरोड़ खंड पर किमी 223/0-2 पर समपार सं. 91 के स्थान पर जोलारपेट्टाई-इरोड़ तिरुपात्तूर के बीच सड़क ऊपरी पुल	2000-01	560	554	सीई/एच द्वारा जीएडी स्वीकृत। मुख्य पुल इंजीनियर के प्रश्नों का संकलन किया जा रहा है। मुख्य इंजीनियर/एच से विस्तृत सड़क लागत की प्रतीक्षा की जा रही है। 10.7.03 को निविदाएं खोली गई थीं जो निरस्त हो गईं और पुन: निविदाएं खोली गईं जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है।
31.	इरोड़े-पोदेनूर खंड पर किमी 429/8-10 पर समपार सं. 128 के स्थान पर इरोड़े-पोदानूर के बीच उथुकुल्ली सड़क ऊपरी पुल।	2000-01	560	554	मुख्य इंजीनियर/एच द्वारा स्वीकृत। ठेका दे दिया गया है और प्रगति पर है।
32.	मवालादुतुरन-तन्जावुर खंड के किमी 262/9-10 पर समपार सं. 216 के स्थान पर महलादुतुराई-तन्जावुर के बीच शिरकाझी सड़क ऊपरी पुल	2000-01	542	537	मुख्य इंजीनियर/एच से एलएस और स्थल योजना प्राप्त होनी बाकी है।
33.	तिरुवालम-सेव्यूर-आरकोनम-कटपड़ी खंड पर तिरुवालम और सेव्यूल स्टेशनों के बीच किमी 120/40-16 पर समपार सं. 50 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	2000-01	515	506	मुख्य इंजीनियर/एच द्वारा जीएडी स्वीकृत और सीबीई द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। अनुमान प्रतिहस्ताक्षर हेतु पार्टी को भेज दिया गया है।
34.	वालाडी-पिचचंदर-विल्लुपुरम-तिरुची कोरड खंड के वालाडी और पिचचैंडर कोविल स्टेशनों के बीच किमी 321/6-7 पर समपार सं. 234 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	2000-01	603	597	सीबीई द्वारा जीएडी पर प्रतिहस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अनुमान स्वीकृत हो गया है। दोनों ओर ट्रस्टल शहतीर पूरे हो गए हैं। ठेकेदार द्वारा टीवाई प्रबंधन लक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
35.	सोमानुर स्टेशन पर किमी 459/30-32 पर समपार सं. 139 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	2004-05	595	595	निर्माण कार्य 2004-05 के दौरान स्वीकृत
36.	विल्लीवाकम और कोरत्तूर स्टेशनों पर कमी 11/32-43 पर समपार सं. 4 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	2004-05	563	563	निर्माण कार्य 2004-05 के दौरान स्वीकृत।
37.	विमकोनगर और तिरुवोतियूर स्टेशनों के के बीच किमी 10/10-12 पर समपार सं. 6 के स्थान पर सड़क निचला पुल	2004-05	275	275	निर्माण कार्य 2004-05 के दौरान स्वीकृत।
38.	मालापाकम यार्ड पर समपार सं. 32-ए और 685-बी के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	2004-05	724	724	निर्माण कार्य 2004-05 के दौरान स्वीकृत।

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

जीएडी-जनरल एग्रीमेंट ड्राइंग

सीबीई-चीफ ब्रिज इंजीनियर

सीई-चीफ इंजीनियर

दूरदर्शन के निर्माण स्टूडियो की स्थापना

3359. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री बची सिंह रावत 'बचदा':

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में नए/अतिरिक्त निर्माण स्टूडियो स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) इन स्टूडियो को स्टूडियो-वार कब तक कार्यशील बनाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त स्टूडियो परियोजना की अनुमोदित पूंजीगत लागत 143.86 करोड़ रु. है।

(घ) प्रत्येक स्टूडियो परियोजना के पूरा होने की लक्षित तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन स्टूडियो परियोजनाएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवस्थिति	लक्षित तारीख
आन्ध्र प्रदेश	वारंगल	तकनीकी रूप से तैयार है।
छत्तीसगढ़	रायपुर (संवर्धन)	2005
दिल्ली	डी डी भवन	2004
झारखंड	रांची (संवर्धन)	2005
जम्मू-कश्मीर	राजौरी	तकनीकी रूप से तैयार है।
केरल	कालीकट	तकनीकी रूप से तैयार है।
पंजाब	पटियाला	तकनीकी रूप से तैयार है।
सिक्किम	गंगटोक	तकनीकी रूप से तैयार है।
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	तकनीकी रूप से तैयार है।
	मदुरै	तकनीकी रूप से तैयार है।
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर (स्थायी)	2006
उत्तरांचल	देहरादून (स्थायी)	2006

रक्षा आधुनिकीकरण कोष की स्थापना

3360. डा. राजेश मिश्रा:
श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अपने 21वें प्रतिवेदन में यह पाया था कि रक्षा बजट के व्यपगत होने के कारण सौदों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसलिए एक रक्षा आधुनिकीकरण कोष (डी एम एफ) स्थापित किए जाने की अत्यंत आवश्कता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय ने प्रस्तावित कोष के संचालन हेतु कार्यविधि और प्रक्रियाएं तैयार कर ली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान रक्षा आधुनिकीकरण कोष हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान डी एम एफ से चलाई जा रही/चलाई जाने वाली परियोजनाओं के क्या नाम हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और डी एम एफ को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 21वीं रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय से रक्षा आधुनिकीकरण कोष के संचालन के लिए कार्यविधि तथा प्रक्रियाएं तैयार करने के कार्य में तेजी लाए जाने की इच्छा व्यक्त की थी।

(ख) रक्षा मंत्रालय ने रक्षा आधुनिकीकरण कोष के संचालन के लिए एक विस्तृत लेखाकरण प्रक्रिया तैयार की थी तथा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सहित संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया था।

(ग) से (ङ) रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, रक्षा आधुनिकीकरण कोष भारत के लोक लेखा में बनाया जाना है तथा यह कोष तीनों सेनाओं तथा एकीकृत रक्षा स्टाफ की सभी बड़ी अधिप्राप्तियों के लिए होगा। 8 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किए गए आम बजट 2004-05 में, चालू वित्त-वर्ष के लिए रक्षा आधुनिकीकरण कोष हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत मकानों का निर्माण

3361. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) के अंतर्गत कितने मकानों तक निर्माण किया गया;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया या था;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अवधि के दौरान इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ङ) 2000-2001 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) शुरू की गई थी तथा वर्ष 2002-03 से इसे योजना आयोग को अंतरित कर दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04) के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के ग्रामीण आवास घटक के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या 675790 है। योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 934128 आवास बनाए गए हैं।

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के ग्रामीण आवास घटक के राज्यवार आबंटन तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की रिलीज को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान पीएमजीवाई के अंतर्गत ग्रामीण आश्रय घटक के लिए राज्यवार आबंटन और रिलीज

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ए.सी.ए. आबंटन (2000-2001)	ए.सी.ए. रिलीज (2000-2001)	ए.सी.ए. आबंटन (2001-2002)	ए.सी.ए. रिलीज (2001-2002)	ए.सी.ए. आबंटन (2002-2003)	ए.सी.ए. रिलीज (2002-2003)	ए.सी.ए. आबंटन (2003-2004)	ए.सी.ए. रिलीज (2003-2004)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2130.90	1065.45	2841.20	2841.20	2841.20	2841.20	2841.20	2841.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	1022.55	511.28	764.00	382.00	764.00	764.00	764.00	764.00
3.	असम	2693.55	1346.78	2011.00	2011.00	2500.00	2500.00	2900.00	2900.00
4.	बिहार	3291.90	3291.00	8602.65	4301.32	8460.55	8460.55	8460.55	8460.55
5.	छत्तीसगढ़	471.00	471.00	351.70	351.70	515.00	515.00	515.00	515.00
6.	गोवा	11.70	11.70	11.70	5.85	12.00	12.00	8.70	4.35
7.	गुजरात	971.85	485.92	725.60	362.80	0.00	0.00	1068.30	1068.30
8.	हरियाणा	251.70	251.70	187.90	187.90	187.90	93.95	187.90	187.90
9.	हिमाचल प्रदेश	1059.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.	जम्मू-कश्मीर	2573.70	1286.85	450.00	0.00	470.00	470.00	400.00	400.00
11.	झारखंड	1016.85	1016.85	3416.40	379.60	1861.50	930.75	744.60	744.60
12.	झारखंड	1126.95	563.47	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
13.	केरल	1036.20	518.10	800.00	400.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00
14.	मध्य प्रदेश	1235.55	853.27	1460.62	730.31	1275.00	1275.00	1275.00	637.50
15.	महाराष्ट्र	1486.95	1486.95	1110.30	555.15	396.00	396.00	60.87	30.43
16.	मणिपुर	728.40	364.20	550.00	0.00	400.00	200.00	400.00	200.00
17.	मेघालय	608.86	608.86	454.60	454.60	300.00	300.00	300.00	300.00
18.	मिजोरम	606.15	606.15	606.15	606.15	626.00	626.00	626.00	626.00
19.	नागालैंड	616.96	616.95	452.60	230.35	700.00	350.00	2228.00	2228.00
20.	उड़ीसा	1478.25	1478.25	1103.80	1103.80	1236.80	618.00	436.00	436.00
21.	पंजाब	606.00	606.00	452.50	226.25	444.00	444.00	667.00	333.50
22.	राजस्थान	1446.00	1446.00	1446.00	1446.00	1061.00	300.00	1061.00	1061.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सिक्किम	421.65	210.83	950.00	950.00	300.00	300.00	300.00	300.00
24.	तमिलनाडु	1571.85	2330.85	2222.76	2222.76	1877.76	1877.76	1877.76	1877.76
25.	त्रिपुरा	762.45	762.44	2124.90	2124.90	1550.00	1550.00	1208.00	1208.00
26.	उत्तर प्रदेश	188.40	188.40	390.70	70.35	200.00	200.00	300.00	300.00
27.	उत्तरांचल	5045.25	5045.25	3767.00	3767.00	3700.00	3700.00	3710.00	3710.00
28.	पश्चिम बंगाल	2517.30	1258.65	1880.00	940.00	1849.00	1849.00	1849.00	1849.00
	कुल	36978.01	28684.05	40634.08	28150.99	37827.71	34873.21	39088.88	37883.09

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन में ओएनजीसी का प्रवेश

3362. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विद्युत उत्पादन व्यवसाय में प्रवेश करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी ने राज्य सरकारों के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु करार पर हस्ताक्षर किए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) विद्युत संयंत्र स्थापित करने का आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की योजना संकल्पना चरण पर ही है।

(ग) और (घ) ओएनजीसी ने राज्य सरकारों के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, गुजरात और औद्योगिक विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के साथ उनके विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है।

ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन

3363. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ने अभी पूरी तरह कार्य करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे एक पूर्णतः रेलवे जोन बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। पूर्व-तट रेलवे जोन पहले ही 01.4.2003 से पूरी तरह से कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में रेल ओवरब्रिज और अंडरब्रिज

3364. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में स्थानवार कितने रेल ओवर/अंडरब्रिज हैं;

(ख) कितने रेल ओवर/अंडरब्रिज जीर्ण-शीर्ण हाल में हैं;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसे कितने पुलों की मरम्मत किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने रेल पुलों के आधुनिकीकरण और निर्माण हेतु किसी नई योजना पर कार्यवाही शुरू की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) कोई नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	खंड	स्टेशनों के बीच	पुल सं.	स्थल
1	2	3	4	5
(क) मौजूदा ऊपरि सड़क पुल				
1.	बैंगलूर-हुबली	मल्लसंद्र-गुब्बी	283ए	84/5-4
2.	बैंगलूर-हुबली	गुब्बी-निट्टूर	273ए	90/11-12
3.	बैंगलूर-हुबली	तिपतूर-होन्नावली रोड	215	144/9-10
4.	बैंगलूर-हुबली	आदिहाली-अरसीकेरे	194ए	163/13-14
5.	बैंगलूर-हुबली	तोलहुण्से-दावणगेरे	21ए	320/5-6
6.	बैंगलूर-हुबली	हरिहर-कुमारपथम	89ए	340/15-16
7.	मैसूर-अरसीकेरे	दोरनहल्ली-कृष्णराजनगर	247	33/7-8
8.	मैसूर-अरसीकेरे	कृष्णराजनगर-हम्पापुरा	246ए	34/9-35/0
9.	मैसूर-अरसीकेरे	मंदेगेरे-होलनरसीपुर	134ए	76/9-77/0
10.	मैसूर-अरसीकेरे	हासन-बागेशपुरा	59ए	119/9-10
11.	मैसूर-अरसीकेरे	हासन-बागेशपुरा	43	134/8-9
12.	मैसूर-चामराजनगर	मैसूर-चामराजपुरम	759	0/14-15
13.	चिकजाजूर-रायदुर्ग	चित्रदुर्ग-बालेनहल्ली	41	34/6-7
14.	चिकजाजूर-रायदुर्ग	चित्रदुर्ग-बालेनहल्ली	60	40/12-13
15.	चिकजाजूर-रायदुर्ग	चित्रदुर्ग-बालेनहल्ली	67	44/7-8
16.	चिकजाजूर-रायदुर्ग	चल्लाकैरे-तलाकू	94	70/4-5
17.	हासन-मंगलोर	हासन-सकलेशपुर	11	2/12-3/0
18.	हासन-मंगलोर	हासन-सकलेशपुर	24	7/11-12
19.	हासन-मंगलोर	हासन-सकलेशपुर	37	13/13-14

1	2	3	4	5
20.	हासन-मंगलोर	हासन-सकलेशपुर	43	15/9-10
21.	हासन-मंगलोर	हासन-सकलेशपुर	98	33/5-6
22.	हासन-मंगलोर	हासन-सकलेशपुर	114	39/1-2
23.	हासन-मंगलोर	हासन-सकलेशपुर	33ए	24/1-2
24.	जोलारपेट्टै-बैंगलूर	कृष्णराजपुरम-बैय्यप्पनाहल्ली	832ए	341/40-42
25.	जोलारपेट्टै-बैंगलूर	कृष्णराजपुरम-बैय्यप्पनाहल्ली	835ए	345/2-4
26.	जोलारपेट्टै-बैंगलूर	बैंगलूर पूर्व-बैंगलूर कैंट	839बी	349/100-200
27.	बंगारपेट-मारिकुप्पम	बंगारपेट-बी एम ई एल नगर	के9	7/4-5
28.	बंगारपेट-मारिकुप्पम	बी एम ई एल नगर-कोरामंडल	के13	8/6-7
29.	बंगारपेट-मारिकुप्पम	कोरामंडल-ओरगाम	के18	9/7-8
30.	बंगारपेट-मारिकुप्पम	कोरामंडल-ओरगाम	के24	11/5-6
31.	बंगारपेट-मारिकुप्पम	ओरगाम-चाम्पियन	के29	12/7
32.	बंगारपेट-मारिकुप्पम	ओरगाम-चाम्पियन	के35	13/8-9
33.	बंगारपेट-मारिकुप्पम	चाम्पियन-मारिकुप्पम	के43	15/12-13
34.	बैंगलूर-सेलम	होसूर-आनेकल रोड	420	160/8-9
35.	बैंगलूर-सेलम	केरमेलाराम-बेलन्दूर रोड	516	196/3-4
36.	बैंगलूर-हुबली	बैंगलूर सिटी-यशवंतपुर	418	2/3-4
37.	बैंगलूर-हुबली	बैंगलूर सिटी-यशवंतपुर	416ए	3/6-7
38.	बैंगलूर-हुबली	बैंगलूर सिटी-यशवंतपुर	414ए	4/9-10
39.	बैंगलूर-हुबली	यशवंतपुर-चिकबाणवार	410ए	8/1-2
40.	बैंगलूर-हुबली	यशवंतपुर-चिकबाणवार	408बी	8/9-10
41.	बैंगलूर-हुबली	यशवंतपुर-चिकबाणवार	407ए	9/6-7
42.	बैंगलूर-हुबली	निदवंडा-हिरेहल्ली	339ए	50/6-7
43.	बैंगलूर-हुबली	निदवंडा-हिरेहल्ली	332ए	56/1-2
44.	बैंगलूर-हुबली	निदवंडा-हिरेहल्ली	331	56/10-11
45.	बैंगलूर-हुबली	क्यातसंद्र-तिमकुर	नया	65/000-100
46.	बैंगलूर-हुबली	क्यातसंद्र-तिमकुर	313ए	64/12-13

1	2	3	4	5
47.	बैंगलूर-मैसूर	बैंगलूर सिटी-न्याण्डहल्ली	431	3/4-5
48.	बैंगलूर-मैसूर	बैंगलूर सिटी-न्याण्डहल्ली	438	5/4-5
49.	बैंगलूर-मैसूर	केंगरी-हेज्जाला	461	13/5-6
50.	बैंगलूर-मैसूर	केंगरी-हेज्जाला	481	22/7-8
51.	बैंगलूर-मैसूर	हेज्जाला-बिड़दी	488	25/1-2
52.	बैंगलूर-मैसूर	बिदड़ी-रामनगरम	504	30/8-9
53.	बैंगलूर-मैसूर	बिदड़ी-रामनगरम	509	32/2-3
54.	बैंगलूर-मैसूर	रामनगरम-चेनपटणा	551	46/4-5
55.	बैंगलूर-मैसूर	रामनगरम-चेनपटणा	563	51/9-10
56.	बैंगलूर-मैसूर	चेनपटणा-सेट्टिहल्ली	575 नया	57/3-4
57.	बैंगलूर-मैसूर	हनकेरे-मांडया	667	92/600-700
58.	बैंगलूर-मैसूर	येलियूरू-ब्याडरहल्ली	690	105/7-8
59.	बैंगलूर-मैसूर	येलियूरू-ब्याडरहल्ली	693	105/
60.	बैरयप्पनाहल्ली-धर्मावरम	चन्नासंद्र यार्ड	547	3/7-8
61.	बैरयप्पनाहल्ली-धर्मावरम	चन्नासंद्र-यलहंका	538	6/11-12
62.	बैरयप्पनाहल्ली-धर्मावरम	दोड्डबल्लापुर-ओड्डूरहल्ली	461	40/3-4
63.	बैरयप्पनाहल्ली-धर्मावरम	ओड्डूरहल्ली-मकालीदुर्ग	454ए	45/6-7
64.	बैरयप्पनाहल्ली-धर्मावरम	ओड्डूरहल्ली-मकालीदुर्ग	422	52/11-12
65.	यशवंतपुर-यलहंका	यशवंतपुर-यलहंका	520ए	39643
66.	हुबली-मिरज	हुबली-उन्कल	251	469/9-10
67.	हुबली-मिरज	नवलूर-धारवाड़	235-ए	484/9-10
68.	हुबली-मिरज	धारवाड़-क्यारकोप्प	230-ए	489/6-7
69.	हुबली-मिरज	मुगद-कंबारगणवी	187	509/10-11
70.	हुबली-मिरज	मुगद-कंबारगणवी	179	511/1-2
71.	हुबली-मिरज	लोण्डा-गुंजी	2	560/6-7
72.	हुबली-मिरज	खानापुर-देसूर	54	585/14-15
73.	हुबली-मिरज	देसूर-बेलगाम	126-ए	610/2-3
74.	हुबली-मिरज	बेलगाम-सांबरी	26-ए	613/4-5

1	2	3	4	5
75.	हुबली-मिरज	रायबाग-कुडची	181ए	713/12-13
76.	हुबली-मिरज	रायबाग-कुडची	181बी	714/5-6
77.	हुबली-मिरज	उगारकुर्द-शेडवाल	201ए	730/3-4
78.	गदग-शोलापुर	अलमट्टी-बंडाल	63सी	128/14-15
79.	गदग-शोलापुर	जुमनाल-बीजापुर	77ई	189/12-13
80.	गदग-शोलापुर	बीजापुर-मिंचनाल	77एफ	191/3-4
81.	बेल्लारी-होसपेट	बेल्लारी-बेल्लारी कैंट	262ए	207/7-8
82.	बेल्लारी-होसपेट	तोरणगल्लू-गाडीगनूर	202ए	175/2-1
83.	बेल्लारी-होसपेट	पापिनायकनहल्ली-करीगनुरू	153ए	151/14-13

(ख) मौजूदा निचले सड़क पुल

1.	बेंगलूरू-हुबली	बानसन्द्र-करडि	242ए	118/15-16
2.	बेंगलूरू-हुबली	करडि-तिपटूरू	222ए	138/14-15
3.	बेंगलूरू-हुबली	आदिहल्लि-अरसीकेरे	192डी	164/14-15
4.	बेंगलूरू-हुबली	देवनूर-कदूर	138बी	204/1-2
5.	बेंगलूरू-हुबली	बीरूर-नागवंगल	131ए	211/3-4
6.	बेंगलूरू-हुबली	तोलहुण्से-दावणगेरे	21	320/14-15
7.	बेंगलूरू-हुबली	तोलहुण्से-दावणगेरे	16ए	323/15-324/1
8.	बेंगलूरू-हुबली	तोलहुण्से-दावणगेरे	15डी	325/2-3
9.	बेंगलूरू-हुबली	दावणगेरे-हरिहर	15ए	325/7-8
10.	बेंगलूरू-हुबली	दावणगेरे-हरिहर	14बी	326/5-6
11.	बेंगलूरू-हुबली	दावणगेरे-हरिहर	92	338/9-10
12.	बेंगलूरू-हुबली	हावेरि-व्याडगि	43ए	393/11-12
13.	मैसूर-अरसीकेरे	मैसूर-बेलागुला	301ए	0/7-8
14.	मैसूर-अरसीकेरे	बेलागुला-सागरकट्टे	278ए	11/13-14
15.	मैसूर-अरसीकेरे	सागरकट्टे-कृष्णराजनगर	250	32/5-6
16.	मैसूर-चामराजनगर	मैसूर-चामराजपुरम	757	0/4-5
17.	मैसूर-चामराजनगर	चामराजपुरम-अशोकापुरम	763	2/10-11

1	2	3	4	5
18.	मैसूर-चामराजनगर	अशोकापुरम-कडकोल	765ए	6/3-4
19.	मैसूर-चामराजनगर	कडकोल-नंजनगुड टाउन	773ए	16/2-3
20.	चिकजाजूर-रायदुर्ग	चित्रदुर्ग-बालेनहल्ली	43	35/1-2
21.	चिकजाजूर-रायदुर्ग	चित्रदुर्ग-बालेनहल्ली	45	35/13-14
22.	चिकजाजूर-रायदुर्ग	चित्रदुर्ग-बालेनहल्ली	61	41/6-7
23.	चिकजाजूर-रायदुर्ग	बालेनहल्ली-चलाकेरी	89	66/8-9
24.	हासन-मंगलोर	हासन-सकलेशपुर	20	5/11-12
25.	हासन-मंगलोर	हासन-सकलेशपुर	92	30/9-10
26.	हासन-मंगलोर	सुब्रहमण्या रोड-कनीवरू	366	98/2-3
27.	हासन-मंगलोर	कबकापुत्र-बंतावल	513	140/7-8
28.	हासन-मंगलोर	कबकापुत्रर-बंतावल	539	146/16-17
29.	हासन-मंगलोर	कबकापुत्रर-बंतावल	577	157/3-4
30.	हासन-मंगलोर	बंतावल-कनकंदी	607	166/6-7
31.	हासन-मंगलोर	बंतावल-कनकंदी	663	181/8-9
32.	बीरूर-शिमोगा टाउन	भद्रावति-शिमोगा-बिडेर	60ए	45/1-2
33.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	मालानुर-देवनगंति	804	315/24-26
34.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बैयापनाहल्ली-बेंगलूरू ईस्ट	833ए	347/16-18
35.	बेंगलूरूजोलारपेट्टै	बेंगलूरू ईस्ट-बंगलूरू कैंट	842बी	350/24-26
36.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बेंगलूरू ईस्ट-बेंगलूरू कैंट	845	351/48-50
37.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बेंगलूरू कैंट-बेंगलूरू सिटी	848ए	352/26-28
38.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बेंगलूरू कैंट-बेंगलूरू सिटी	852	353/8-10
39.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बेंगलूरू कैंट-बेंगलूरू सिटी	853ए	353/12-14
40.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बेंगलूरू कैंट-बेंगलूरू सिटी	858ए	354/13-15
41.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बेंगलूरू कैंट-बेंगलूरू सिटी	863	354/40-42
42.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बेंगलूरू कैंट-बेंगलूरू सिटी	865बी	355/8-14
43.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बेंगलूरू कैंट-बेंगलूरू सिटी	867	355/31-33
44.	बेंगलूरू-जोलारपेट्टै	बेंगलूरू कैंट-बेंगलूरू सिटी	867	355/8-9
45.	बेंगलूरू-सेलम	रायक्कोट्टै-पेरियनागथनई	306	123/6-7
46.	बेंगलूरू-सेलम	केलमंगलम-होसूर	410	156/4-5

1	2	3	4	5
47.	बेंगलूरू-सेलम	आनेकल रोड-हिलालिगे	470	178/16-17
48.	बेंगलूरू-सेलम	करमेलाराम-बेलानदूर रोड	511	193/12-13
49.	बेंगलूरू-सेलम	बेलानदूर रोड-बांसवाडी	531	202/9-10
50.	बेंगलूरू-तिमकुर	बेंगलूरू सिटी-यशवंतपुर	423	0/8-9
51.	बेंगलूरू-तिमकुर	बेंगलूरू सिटी-यशवंतपुर	422	0/13-14
52.	बेंगलूरू-तिमकुर	बेंगलूरू सिटी-यशवंतपुर	420	1/13-14
53.	बेंगलूरू-तिमकुर	निडवंदा-हिरेहल्ली	330	57/6-7
54.	बेंगलूरू-तिमकुर	तिमकुर-मल्लसंद्र	305ए	69/10-11
55.	बेंगलूरू-मैसूर	बेंगलूरू सिटी-न्याण्डहल्ली	424	0/800-900
56.	बेंगलूरू-मैसूर	न्याण्डहल्ली-केंगरी	446ए	8/3-4
57.	बेंगलूरू-मैसूर	न्याण्डहल्ली-केंगरी	448	8/400-500
58.	बेंगलूरू-मैसूर	बिडदी-रामनगरम	506	31/6-7
59.	बेंगलूरू-मैसूर	बिडदी-रामनगरम	512	33/5-6
60.	बैच्वप्पनाहल्ली-धर्मावरम	चनासंद्र-यलहंका	535	7/9-10
61.	बैच्वप्पनाहल्ली-धर्मावरम	राजनकुंटी-दोड्डबल्लापुर	490	29/4-5
62.	बैच्वप्पनाहल्ली-धर्मावरम	दोड्डबल्लापुर यार्ड	476	36/9-10
63.	बैच्वप्पनाहल्ली-धर्मावरम	माकली दुर्ग-तोण्डेभावी	367ए	62/6-7
64.	हुबली-मिरज	हुबली-उन्कल	253	469/1-2
65.	हुबली-मिरज	धारवाड-क्यारकोप्प	228ए	490/3-4
66.	हुबली-मिरज	कंबारगणवी-आलनावर	151ए	525/7-8
67.	हुबली-बेल्लारी	हुलकोटी-गदग	29ए	57/10-11
68.	हुबली-बेल्लारी	गदग-कनगिनहाल	31ए	58/8-9
69.	हुबली-बेल्लारी	बेल्लारी यार्ड	266ए	208/13-14
70.	गदग-शोलापुर	कडलीमट्टी-अलमट्टी	62ई	120/12-13
71.	गदग-शोलापुर	कडलीमट्टी-अलमट्टी	62एम	125/1-2
72.	गदग-शोलापुर	कडलीमट्टी-अलमट्टी	63ए	127/4-5

[हिन्दी]

रेल कार्यशालाओं की स्थिति

3365. श्री कैलाश मेघवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सारे देश में रेल कार्यशालाओं की हालत दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन कार्यशालाओं के पुनरूद्धार हेतु उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सकार ने उक्त प्रयोजन हेतु कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) जी नहीं। कारखानों और अनुरक्षण डिपुओं में सुधार लाने के लिए समय-समय पर निवेश निर्माण कार्यक्रम (योजना शीर्ष 42) में दिए गए कार्यों के माध्यम से और एम एण्ड पी कार्यक्रम (योजना शीर्ष 41) में की गई व्यवस्था के अनुसार मशीनरी तथा प्लांट को शुरू करने के लिए रेलवे की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। पिछले 6 वर्षों के दौरान निर्माण कार्यक्रम (योजना शीर्ष 42) और एम एण्ड पी कार्यक्रम (योजना शीर्ष 41) के अंतर्गत वर्ष-वार खर्च निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निर्माण कार्यक्रम	एम एण्ड पी कार्यक्रम (आंकड़े करोड़ रुपए में)
1999-2000	167.69	91.01
2000-01	165.51	91.65
2001-02	206.91	82.92
2002-03	209.52	72.74
2003-04	211.90 (अनंतिम)	154.11 (अनंतिम)
2004-05	275.10 (प्रस्तावित)	160.02 (प्रस्तावित)

घरेलू उत्पादन से रसोई गैस की मांग को पूरा करना

3366. श्री रामजी लाल सुमन:
श्री नीतीश कुमार:

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू उत्पादन से पेट्रोल और डीजल की मांग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद घरेलू उत्पादन से रसोई गैस की मांग को भी पूरा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू उत्पादन से रसोई गैस की वर्तमान मांग को पूरा करने और देश में रसोई गैस के उत्पादन को बढ़ाने हेतु उत्पादन में आ रही बाधाओं का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में रसोई गैस की मांग को पूरा करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) घरेलू स्रोतों से उपलब्ध एलपीजी की वर्तमान मात्रा देश में मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एलपीजी की आपूर्ति और मांग के बीच कमी आयातों के माध्यम से पूरी की जाती है।

(ग) से (ङ) देश के सभी रिफाइनरियां एलपीजी का अधिकतम उत्पादन करने के प्रयास कर रही हैं। कच्चे तेल के संसाधन से वर्तमान उत्पादन नमूना एलपीजी की ऊंची मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तथापि, नाफ्था और भारी अन्त्यों जैसे अधिशेष उत्पादों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

फर्जी गैर-सरकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता

3367. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कापार्ट ने वर्ष 1997 से 2002 के दौरान हरियाणा राज्य में फर्जी/नकली गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्वीकृत, जारी और प्रयुक्त राशि का गैर-सरकारी संगठन-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कपार्ट द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण करने के पहले और बाद में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जांच के क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इन फर्जी गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि देने का अनुमोदन करने, स्वीकृति देने और राशि जारी करने वाले कापार्ट के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) कपार्ट ने वर्ष 1997 से 2002 की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में 91 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी है। इनमें से 6 गैर-सरकारी संगठनों को बाद में फर्जी/नकली पाया गया और उन्हें काली सूची में डाल दिया गया है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को संगठन की परियोजना और उसके कामकाज दोनों के मूल्यांकन के बाद कपार्ट द्वारा स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत निधियों को की गयी प्रगति के अनुसार और सूचित वास्तविक प्रगति के उचित मूल्यांकन के बाद किस्तों में रिलीज किया जाता है।

शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंध में उल्लिखित 6 गैर-सरकारी संगठनों का विस्तृत मूल्यांकन पैनल के मानिटरों और कपार्ट के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जनवरी, 2003 के आरंभ में किया गया था।

सभी 6 संगठनों को श्री एस.के. जैन, बंसोगेट, चौड़ा बाजार, करनाल द्वारा संचालित पाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि क्षेत्रीय केन्द्र में कार्यरत कपार्ट के अधिकारियों की सांठगांठ से इन संगठनों द्वारा निधियों का दुरूपयोग/रिकार्डों में गड़बड़ी की जाती थी। दल ने सुझाव दिया कि सभी सगठनों को काली सूची में डाला जाए और उन्हें दी गयी सहायता राशि की वसूली की जाए। सभी 6 संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है और उनके विरुद्ध हरियाणा पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। आरंभ में श्री एस.के. जैन की पत्नी को हरियाणा पुलिस द्वारा 27.2.2004 को गिरफ्तार किया गया था और श्री एस.के. जैन और उनके पुत्र को घोषित अपराधी करार दिया गया था। श्री एस.के. जैन और उनके पुत्र ने 25.03.2004 को आत्मसमर्पण कर दिया था और वे आज तक न्यायिक हिरासत में हैं। श्री एस.के. जैन की पत्नी को 27.3.2004 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(ङ) और (च) जी, हां। कपार्ट ने अपने उन दो अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम 1965 के नियम 14 के अंतर्गत मेजर पेनाल्टी लगाने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है जो प्रथमदृष्टया इन 6 संगठनों को धनराशि स्वीकृत और रिलीज करने तथा प्रस्तावों की जांच करने में लिप्त पाए गए हैं।

(छ) ऊपर भाग (ङ) और (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

स्वीकृत की गई, रिलीज की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा (गैर-सरकारी संगठन और परियोजना-वार)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम और पता	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग में लाई गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.(1)	राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग मंडल, गांव रणवार जि. करनाल, हरियाणा	आर्ट्स के अंतर्गत रणवार गांव में हस्त निर्मित कागज प्रशिक्षण एवं उत्पादन यूनिट	8,75,700	7,15,700	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ
(2)	राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग मंडल, गांव. रणवार जि. करनाल, हरियाणा	पी सी योजना के अंतर्गत कलश गांव में प्रशिक्षण और उत्पादन के लिए समेकित परियोजना	13,05,832	7,48,440	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
(3)	राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग मंडल, गांव रणवार जि. करनाल, हरियाणा	पी सी योजना के अंतर्गत खस बनाना	5,69,250	5,69,250	5,69,250
2.(1)	कौशिक ग्रामोद्योग मंडल, जोगी दास बिल्डिंग, चौड़ा बाजार, जि. करनाल	पी सी योजना के अंतर्गत हैंडपंप की स्थापना	5,82,309	5,82,309	5,82,309
(2)	कौशिक ग्रामोद्योग मंडल, जोगी दास बिल्डिंग, चौड़ा बाजार जि. करनाल	पी सी योजना के अंतर्गत कतलाम गांव में प्रशिक्षण और उत्पादन	5,73,056	3,64,144	3,64,144
3.	खादी सेवा निकेतन, गांव व डाकखाना जुन्दला, जि. करनाल	पी सी योजना के अंतर्गत धागा और मोमबत्ती बनाने और हैंडपंपों की मरम्मत तथा बागान लगाने के लिए प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र	5,57,480	5,57,480	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ
4.	अंजुम उद्योग मंडल, बासो गेट, करनाल	पी सी योजना के अंतर्गत रणवार गांव में टेलरी, डेयरी फार्मिंग और हैंडपंपों को लगाने के कार्य में प्रशिक्षण	6,42,290	6,42,290	6,42,290
5.	कर्ण खादी ग्रामोद्योग समिति, गांव कबौरी, जि. पानीपत	पी सी योजना के अंतर्गत कावोरी गांव में बर्तन, मोमबत्ती बनाना, हैंडपंप की मरम्मत करने के कार्य में प्रशिक्षण व उत्पादन और डेयरी यूनिट	5,96,600	5,96,600	5,96,600
6.	अनिल ग्रामोद्योग मंडल, जि. बारी, डा. थानेसर, जि. कुरुक्षेत्र	पी सी योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र जिले में मरियापुर गांव में धागा, मोमबत्ती बनाने और बागान कार्य में प्रशिक्षण एवं उत्पादन	4,80,634	4,36,184	4,36,184

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) छावनी बोर्डों के वर्ष 2002-2003 में वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 517/04]

(3) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्ट्स, बटोट के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्ट्स, बटोट के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 518/04]

(5) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 519/04]

(7) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 520/04]

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 521/04]

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 522/04]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 523/04]

(3) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 524/04]

(5) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 525/04]

(7) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 526/04]

(9) (एक) खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 527/04]

(11)(एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 528/04]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 2004 जो 29 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 489(अ) में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 529/04]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 530/04]

(ख) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 531/04]

(3) (एक) नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आफ परसंस विद आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसएबीलिटीज; नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आफ परसंस विद आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसएबीलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 532/04]

(5) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 533/04]

(7) अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 534/04]

अपराह्न 12.02 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरूदास कामत (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरूअनन्तपुरम): महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों 2004-05" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुभाष महरिया (सीकर): महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आल इंडिया फूड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन, मुंबई के सेक्रेटरी श्री रामकृष्ण एस. केनी और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं। जिसमें भारतीय खाद्य निगम के खाद्य अंतरितीयों को केन्द्रीय सरकार की उदारीकृत पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने हेतु समर्थ बनाने के लिए खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 12क-4क में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

अपराह्न 12.06½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 18 अगस्त, 2004 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा 18 अगस्त, 2004 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*[ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 535/04]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पाठक, मुझे वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान उपहार कर को समाप्त करने के संबंध में सभा को कथित रूप से गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध दिनांक 18 और 19 अगस्त, 2004 को विशेषाधिकार प्रश्नों की आपकी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने इस मामले में वित्त मंत्री की टिप्पणियां मांगी हैं। टिप्पणियां प्राप्त होते ही मैं निर्णय लूंगा।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग इतने इम्पेशेन्ट हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा में होने वाली सारी कार्यवाही को शून्य काल में परिवर्तित मत कीजिए। आज शून्य काल नहीं है। यह प्रश्न काल के पश्चात् का काल है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सबको एक जैसा न्याय मिले, चाहे किसी भी कास्ट के किसी भी रिलीजन के लोग हों, लेकिन सभी को लगे कि हिंदुस्तान में हम सभी को न्याय मिल रहा है। इस दृष्टि से मैं एक सुझाव सदन के सामने रखना चाहूंगी कि इस देश में कई बार अलग-अलग स्थानों, पर अलग-अलग प्रकार के दंगे होते हैं। जैसे वर्ष 1984 में दिल्ली में दंगा हुआ, उसमें सिख समाज विक्टिमाइज हुआ, प्रभावित हुआ था। वर्ष 1993 में मुम्बई में बम ब्लास्ट हुए, उस समय भी दंगे हुए और विभिन्न प्रकार के लोग उसमें भी प्रभावित हुए थे, विक्टिमाइज हुए थे। इसी प्रकार से देश के अलग-अलग भागों में दंगे होते आये हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): गुजरात में भी दंगे हुए, उस पर बोलिये। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन: गुजरात में भी दंगे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन, कृपया एक मिनट। मैं सभा को सम्बोधित करने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय सदस्यों क्या हम यहां हर सदस्य का वक्तव्य स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं? क्या माननीय सदस्यों के पास अपने विवेक से बोलने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हम हर माननीय सदस्य को निर्देश देंगे कि उन्हें क्या बोलना चाहिये और क्या नहीं बोलना चाहिये? वे सभा की माननीय सदस्या हां। उनका अपना दृष्टिकोण है। जब तक वे असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करती और जितना समय मैंने उन्हें बोलने को दिया है, वे अपना मत रखने की हकदार हैं। उसी प्रकार आपको भी यह अधिकार है। मैं दोनों पक्षों से आग्रह करता हूं कि वे एक दूसरे के भाषण में व्यवधान न डालें। मैं विशेषरूप से सभी माननीय नेताओं से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि कृपया सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। आप अपनी टिप्पणियां कीजिए। उन्हें सभी का कार्यवाही में शामिल किया जायेगा। यदि आप केवल शोर-शराबा करते हैं तो कुछ भी सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। इसलिए मैं आप सभी से यह अपील करता हूं कि कृपया एक दूसरे के साथ सहयोग करें और अध्यक्षपीठ को कुछ राहत दीजिये।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय: हम सबको बोलने का मौका देंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: यह भी सही है कि गुजरात में भी दंगे हुए। यह एक अच्छी बात हुई है कि कुछ सम्प्रदाय के लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से अभी-अभी केसिज दूसरी जगह ट्रांसफर हुए हैं, केसिज रीओपन करने की बात भी हुई है। यह बात ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगी कि इसी प्रकार का सिस्टम,

[अनुवाद]

मुकदमों के हस्तांतरण की समान व्यवस्था प्रणाली

[हिन्दी]

सभी को मिले। इसलिए मैं चाहूंगी कि ऐसे क्रिमिनल केसिज, जो जगह-जगह कई बार ऐसा लगता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन, परन्तु यह एक न्यायिक आदेश है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: महोदय, मैं न्यायिक आदेश के संबंध में कुछ नहीं कह रही हूं। ...*(व्यवधान)* मैं न्यायिक आदेश को उद्धृत नहीं कर रही हूं। ...*(व्यवधान)* मैं कुछ नहीं कह रही हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या हुआ है? क्या सभी मुकदमों का निपटारा हो चुका है? यदि वे कोई टिप्पणी कर रही हैं तो इसमें आपको क्या होता है? यह किस प्रकार मुकदमों को प्रभावित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। वे अपनी टिप्पणी कर रही हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? क्या वे अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने की हकदार नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मधूसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): मैं उसे विवादित नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, फिर आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

श्री मधूसूदन मिस्त्री: मैं केवल याद दिला रहा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आप अपना ख्याल रख सकते हैं उसी प्रकार वे भी अपना ख्याल रख सकती हैं।

अध्यक्ष का काम सभा की कार्यवाही को नियंत्रित करना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन, यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको अवसर दिया है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद मैं किसी विशेष मुकदमे अथवा किसी निर्णय का उल्लेख नहीं कर रही हूं।

[हिन्दी]

मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि यह ठीक बात है, लेकिन इस प्रकार का मौका सभी को मिले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया जल्दी समाप्त कीजिए क्योंकि अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: इस दृष्टि से मैं चाहूंगी कि अलग-अलग स्टेट्स में लोगों को यदि न्याय प्रदान करना है और इस जजमेंट के प्रकाशन में कुछ अमेंडमेंट किया जाना आवश्यक हो, तो वह किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सब अध्यक्षपीठ को सहयोग देंगे तो मैं यह प्रयास करूंगा कि आप सभी को बोलने का अवसर मिले। आज 39 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले इस बात का प्रयास निरन्तर हो रहा है, लेकिन लगता यह है कि आम आदमी न्याय से निरन्तर वंचित होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नीचे की अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक केसेस का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: संक्षेप में बोलिए।

[अनुवाद]

कृपया संक्षेप में बोलिए क्योंकि आज 39 विषय हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मैं बहुत शार्ट में बोल रहा हूं। यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम आम लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का आदेश दिया है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन नहीं किया है।

महोदय, उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसने इस समय 1488 फास्ट ट्रैक अदालतों में से 242 फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है और वे काम कर रही हैं जो कुछ अदालतों का 15 प्रतिशत हैं। एक तरफ तो उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए, लेकिन दूसरी ओर कुछ राज्य इनका गठन नहीं कर रहे हैं जिससे आम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, इस हेतु फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने के लिए जो भी प्रयास केन्द्र सरकार कर सकती है, जैसे राज्य सरकारों से संपर्क करने, पत्र-व्यवहार करने और उनकी बैठकें बुलाने का काम वह करे। यह काम वे सरकार को जरूर करने चाहिए जिससे आम आदमी को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, क्योंकि आपने इसी विषय पर नोटिस दिया हुआ है अतः आप अपने आप को इस विषय से सम्बद्ध कर सकते हैं। कृपया अपने आप को इस विषय से सम्बद्ध करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि सभी को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित करने के आदेश दिए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई इनके भाषण में व्यवधान डालता है तो उसे बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगला नाम मैं आपका पुकारने जा रहा हूं परन्तु यदि आप इसी तरह व्यवधान डालते रहे तो मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों में जो मुकदमे लंबित हैं उनकी एक लम्बी फेहरिस्त है। जिस गति से राज्यों में न्यायिक विवादों का निपटारा किया जा रहा है उससे यह फेहरिस्त बढ़ती जा रही है और जिस गति से केन्द्र सरकार वादों का निपटारा कराना चाहती है, उस गति से निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए महोदय, गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह एक अहम सवाल है। हम लोग जुडीशियरी पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जिस गति से मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, वह ठीक नहीं है और उनके त्वरित गति से निपटारे हेतु माननीय सदस्य ने मुझसे पहले बोलते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाने की बात कही है। इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं। मैं सरकार से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस बारे में सकारात्मक रुख अपनाते हुए पहल करेगी, ताकि गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल उच्च न्यायालय स्तर पर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि निचली अदालतों से लेकर जिला अदालतों एवं उच्च न्यायालय तक में मुकदमों की जो संख्या बेतहाशा ढंग से बढ़ती जा रही है, उसे कम करने हेतु सम्यक रूप से इस समस्या पर क्या केन्द्र सरकार विचार करेगी और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का आदेश दिया है, उन्हें बनाने हेतु राज्यों को प्रवृत्त करेगी ताकि करोड़ों की संख्या में जो वाद लंबित पड़े हैं, वे निर्णीत हो सकें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सरकार इस विषय पर गम्भीरता से विचार करे। श्री चौधरी लालसिंह कृपया संक्षेप में बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: किसी अन्य टिप्पणी पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा?

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर, हमारा मसला बड़ा जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय: जल्दी फ़िनिश कीजिए।

चौधरी लाल सिंह: सर, जितना टाइम मेरा आपने ले लिया, उतने में तो मैं अपनी बात खत्म कर देता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सलाह के लिए आपका धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी रियासत जम्मू-कश्मीर के हालात आप बेहतर जानते हैं, पूरा हिन्दुस्तान जानता है। इसका मुकाबला किसी अन्य स्टेट से किया जाए तो मैं समझता हूं कि वह अलग बात होगी। आप जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर स्टेट की रिक्रुटमेंट बैन की गई है। हमारा टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स खत्म है, एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर इफेक्टेड है। हमारे स्टेट की बुरी हालत है। हमारे यहां रोजगार खत्म हो रहा है और हमारा यूथ बेकार है। कोई भी जरिया ऐसा नहीं है कि हमारे लोग उस पर अपनी जिन्दगी का निर्वाह कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, हमारी 25,000 पोस्टें वेकेंट पड़ी हैं, उसमें बिजली, हैल्थ और ड्रिंकिंग वाटर पर इफेक्ट हो रहा है। बेसिकली हमारा यूथ बहुत परेशान है। इसलिए हमारी रिकवेस्ट है कि इसे हमारी सरकार कंसीडर करे। हमारी स्टेट से रिक्रुटमेंट पर लगा बैन उठाए ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके और जो गलत बातों में बार-बार इन्डल्ज हो रहे हैं, वे कम से कम वापस आएं। हमारी स्टेट में शांति हो और लोगों को रोजगार मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपको मेरी बात का गुस्सा लगा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। गुस्से की बात नहीं है, यह हाउस चलाने की बात है। यह कोई क्लब नहीं है।

[अनुवाद]

यह भारतीय संसद की लोक सभा है। हम उस गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 45 करोड़ एकड़ भूमि बंजर है, जब कि 20 करोड़ एकड़ भूमि एक-दो वर्षों में खेती योग्य बनाई जा सकती है, जिसमें सरकार इसके लिए उपाय करे, संसाधन जुटाए। पूरे देश में चार करोड़ अनुसूचित जाति के लोगों को पांच एकड़ के हिसाब से जमीन वितरित की जा सकती है।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई कानून बनाएं। हालांकि भूमि का मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुला कर जितनी बंजर एवं बेकार भूमि पड़ी हुई है, उसे अनुसूचित जाति के लोगों में वितरित कर दें तो उससे एक सामाजिक क्रांति आएगी और लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बीर सिंह महतो—उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): अध्यक्ष महदोय, स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लि. (सेल) की अनुषंगी इकाई इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि. (इस्को) के लिए रिवाइवल पैकेज का निर्माण होने तक एन.जे.सी.एस. का लाभ नहीं देने का आदेश इस्पात मंत्रालय के पत्रांक एफ. नं.-9(1) 98 सेल दिनांक 10.08.99 के द्वारा दिया गया था। दिनांक 20.11.2003 को बी.आई.एफ.आर. द्वारा रिवाइवल पैकेज मंजूर कर लिया एवं इस्कों के वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ और अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मजदूरों के अथक परिश्रम से कम्पनी मुनाफे की ओर अग्रसर है।

महोदय, घाटे के बावजूद भी दिनांक 23.07.2001 को सेल के लिए एन.जे.सी.एस. लागू कर दिया गया और इसकी अनुषंगी इकाई इस्को को इस लाभ से वंचित कर दिया गया। अब इस्को ने लाभ अर्जित करना प्रारंभ किया है तथा इस्पात मंत्री एवं सेल के अधिकारियों के द्वारा इन्हें एन.जे.सी.एस. मोहन पे कमीशन तथा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता नं. 6-7 की सुविधाओं को प्रदान करने का आश्वासन भी अनेकों बार दिया गया, परन्तु आज तक इसे लागू नहीं किया गया।

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस्को कर्मियों को तत्काल एन.जे.सी.एस. मोहन पे कमीशन तथा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता नं. 6-7 की सुविधाओं को अविलम्ब लागू किया जाए ताकि मुनाफे की ओर अग्रसर इस्को को घाटे में तब्दील होने से बचाया जा सके एवं इस्को कर्मियों को न्याय मिल सके।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने इस मामले को उठाया है, धन्यवाद।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, झारखंड के हजारीबाग जिला में पतरातू में बिरला एलाय स्टील लि.

का कारखाना सन् 1996 से बंद है। इसमें ढाई हजार लोग काम करते थे। तीन-चार वर्ष तक जब यह नहीं खुला तो 1500 मजदूर मात्र 25,000 रुपए की वी.आर.एस. की राशि लेकर चले गए। अभी भी 1000 से अधिक मजदूर इस आशा में बैठे हुए हैं कि कारखाना खुलेगा और उन्हें रोजी मिलेगी।

महोदय, कारखाना बंद होने से 50 से अधिक मजदूरों की मौत भूख एवं बीमारी से हो गई है। दो दर्जन से अधिक लड़कियों ने जहर खाकर और डैम में डूब कर आत्महत्या कर ली। जहां कारखाना है, उस कालोनी में रह रहे मजदूरों का बिजली और पानी काट दिया गया है। झारखंड सरकार इच्छाशक्ति के अभाव में कुछ भी करने से लाचार है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस कारखाने को खुलवाने हेतु उचित कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, प्राकृतिक रबड़ के मनमाने आयात को नियंत्रित करने के लिए पिछली सरकार ने यह आदेश जारी किए थे कि आयात को केवल दो पत्तन कोलकाता और विशाखापत्तनम तक सीमित रखा जाये। अब वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में नये आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार सभी पत्तन आयात के लिए स्वतंत्र हैं। यदि सभी पत्तनों से आयात की अनुमति दी जाती है तो यह न केवल मात्रा बल्कि गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। जिस प्रकार काली मिर्च और अन्य कुछ उत्पादन विभिन्न पत्तनों से आ रहे हैं उसी प्रकार प्राकृतिक रबड़ भी भारत में अधिक मात्रा में आनी आरम्भ हो जायेगी। अतः मैं माननीय मंत्री और सरकार से पिछली सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश कि आयात को केवल दो पत्तनों कोलकाता और विशाखापत्तनम पत्तन तक सीमित किया जाये को पुरःस्थापित करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की मांग करता हूं।

रबड़ का निर्यात भी समस्या का सामना कर रहा है। इसे पिछली सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था और लगभग 70,000 टन रबड़ का निर्यात किया गया था। यह पिछले किसी निर्यात के विपरीत था। निर्यात को कुछ सब्सिडी प्रदान कर ऐसा किया गया। अब वह समय बीत गया और अब वर्तमान सरकार को इस सुविधा को बढ़ाने के संबंध में निर्णय लेना है। मैं वाणिज्य मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वे इस संबंध में भी निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय: सभी सदस्यों से आग्रह है कि वे संक्षेप में बोलें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, हाल ही में केरल विधान सभा ने केन्द्रीय सरकार से तिरूअनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ स्थापित करने के संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। सर्वसम्मति से निर्णय सेवा निवृत्तमुख्य न्यायमूर्ति की इस टिप्पणी कि खंडपीठ की स्थापना करना कोई जनहित का कार्य नहीं है के पश्चात् लिया गया था। कितना विचित्र न्यायिक दृष्टिकोण है यह। उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के पश्चात् केरल विधान सभा ने इस संबंध में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की जाये केवल वही किसी राज्य की ऐसी राजधानी है जहां कोई खंडपीठ नहीं है। यह पहले यहां कार्य कर रही थी और इसे अवश्य पुनः चालू किया जाना चाहिये। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के संबंध में केरल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के बारे में शीघ्र कदम उठाये। मामला लम्बे समय से निर्णय के लिए लम्बित पड़ा है। मैं समझता हूं कि सरकार समय के अनुकूल इस संबंध में निर्णय ले।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, देश भर के लाखों डाकघर पिछले 131 वर्षों से लघु बचतों का काम देश भर में कर रहे हैं। यदि यह कहा जाये कि लघु बचतों के क्षेत्र में उनकी मोनोपोली है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डाकघर इन्दिरा विकास पत्र, किसान पत्र और लघु बचतों के माध्यम से लगभग 4.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक उन्होंने एकत्र किये हैं। मेरा वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि उन्होंने जो बजट स्पीच में यह कहा है कि अब यह काम कुछ हाई प्रोफाइल बैंकों के माध्यम से कराया जायेगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस निर्णय को निरस्त करें और डाकघरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के जो दूरदराज के क्षेत्र हैं, वहां से भी धन संग्रह होता है, वह प्रभावित होगा और इससे जो डाकघर थे, जिनको लगभग 40 परसेंट कमीशन भी प्राप्त होता था, उनकी हालत भी और बिगड़ जायेगी, क्योंकि पहले ही डाकघरों की हालत अच्छी नहीं है। यह मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस विषय को उठाने के लिए मैं सदस्य को बधाई देता हूं।

अपराह्न 12.23 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्य न कर सकने के कारण लाहौल-स्पीति और चम्बा जिले के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से आती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में मंडी, कुल्लू, चम्बा एवं किन्नौर जिले आते हैं। यह संसदीय क्षेत्र

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

देश के संसदीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र के सीमावर्ती एवं अनुसूचित तथा पिछड़े जिले लाहौल-स्फीति, जिला किन्नौर एवं चम्बा की पांगी तथा भरमौर तहसीलें एवं उपमंडल किलाड़ में टेलीफोन एक्सचेंजों की बहुत कमी है। जो टेलीफोन एक्सचेंजों की वहां स्थिति है, उनकी भी दशा ठीक नहीं है। महीने में 20-20 दिनों तक टेलीफोन एक्सचेंजों का खराब रहना आम बात हो गई है। जो थोड़े बहुत चलते हैं उनमें भी टेलीफोन उपभोक्त स्पष्ट बात नहीं कर पाते हैं।

महोदय, दूरसंचार की नई नीति के कारण उक्त क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। जहां पहले टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना किया जाना स्वीकृत हुआ था, वहां नई नीति आने के बाद वे भी निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे पिछड़े एवं दूरदराज सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि अथवा लाभ कमाने की दृष्टि से दूरसंचार केन्द्रों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आबादी बहुत बिखरी है। वहां अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में लोग जीवन जीते हैं। यदि उन्हें टेलीफोन की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, तो उनका जीवन दूभर हो जायेगा।

जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीती में दारचा और तिंगरट में एमसीपीसी के माध्यम से टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की जानी थी, लेकिन नई नीति के कारण वहां एक्सचेंज स्थापित नहीं हो सके। इसी प्रकार गांव हंसा और क्योटो में लोगों ने टेलीफोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इन गांवों की तुलनात्मक दृष्टि से घनी आबादी है लेकिन इन गांवों को लोस्सर दूरभाष केन्द्र से इसलिए नहीं जोड़ा जा सका क्योंकि इन गांवों की दूरी 10 किलोमीटर है। लाहौल-स्पीति के डिवीजनल हैडक्वार्टर स्पीती, चम्बा जिले की पांगी घाटी के उपमंडल किलाड़ और भरमौर घाटी में एडीआर उपलब्ध अभी तक नहीं कराया गया है जिसके कारण वहां टेलीफोन सुविधा से लोग वंचित हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): जी हां।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह: पहाड़ी एवं दूरदराज क्षेत्र होने से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी ओर से मंत्री जी को बोल दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह: एक प्वाइंट और है। वहां वायरलैस इन लूप लाइन के माध्यम से टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की बात कही जाती है लेकिन वह भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसी प्रकार जिला मंडी की तहसील सरकाघाट, गोपालपुर क्षेत्र में मटियारा और धर्मपुर में टौरखोला, चच्योट क्षेत्र में शिलीबागी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप डिटेल भेज दीजिए, मंत्री जी देख लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती प्रतिभा सिंह: मेरा आपके माध्यम से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से आग्रह है कि वहां दूरदराज क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के प्रति ध्यान दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा एवं चट्टानों के खिसकने तथा तिब्बत में भू-स्खलन एवं भारी वर्षा के कारण बनी कृत्रिम झील ने परिछू नदी के बहाव को रोक दिया है। ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बोल रहे हैं? आपको फ्लड असिस्टेंस के बारे में पूछना है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. चन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैंने दो नोटिस दिये हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दो नोटिस पर नहीं बोल सकते। आप केवल फ्लड पर बोलिये क्योंकि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक विषय रिकार्ड पर जायेगा।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. चन्द्र कुमार: नीचे की परियोजनायें बंद पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको रुपया चाहिए, तो उसके बारे में बोलिये।

...(व्यवधान)

प्रो. चन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, चाइना के साथ बातचीत चल रही है कि वहां सेटेलाइट ऐमेजीज के जो फोटोग्राफ्स लिये गये हैं, उन सेटेलाइट ऐमेजीज के फोटोग्राफ्स से यह अंकित किया गया है कि इसके बहाव के लिए जो कोशिश की जा रही है, उसे क्लीयर किया जाये। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां आतंक और खतरे का जो वातावरण पैदा हुआ है, भारत सरकार इस संबंध में चाइना से बात करे और इस झील को जल्दी क्लीयर किया जाये ताकि लोग वहां आसानी से बस सकें।

[अनुवाद]

श्री एस.पी.वाई रेड्डी (नांदयाल): महोदय, भारत का भारतीय चिकित्सा परिषद चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा दी गई विभिन्न डिग्रियों को औपचारिक रूप से मान्यता देता है। आवश्यक अनुमोदन दिए जाने से पूर्व चिकित्सा परिषद संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के लिए एक चिकित्सा दल बहाल करती है। मई, 2001 में मद्रास महाविद्यालय के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष, डा. इबेनाइजर विलियम्स की अध्यक्षता में एक दल श्री वेंकटेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय, तिरुपति में महाविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग के निरीक्षण के लिए भेजा गया था। दल ने इसके पश्चात अपना निष्कर्ष चिकित्सा परिषद को भेज दिया। यह रिपोर्ट चिकित्सा परिषद को प्राप्त नहीं हुई और इस कारण इसे दूसरी बार 4 मई, 2004 को पुन: भेजा गया। परन्तु आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा इस विलम्ब से दल की रिपोर्ट के अंतर्गत कवर किए गए अभ्यर्थियों के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे शीघ्र कार्रवाई करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय: श्री रेड्डी, मंत्री जी को ऐसा अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष मोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि भोजपुरी एक लोकप्रिय भाषा है। इस देश में लगभग 20 करोड़ से अधिक लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली में भोजपुरी भाषा-भाषी हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, मेरी बात सुनी जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात कौन नहीं सुनेगा?

श्री रघुनाथ झा: भारत की एकमात्र भाषा भोजपुरी है जिसे भारत के अतिरिक्त कई अन्य देशों में भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है जिनमें प्रमुख देश मॉरिशियस, सूरीनाम, ट्रिनीडॉड ब्रिटिश गुयाना, नेपाल, फिजी, दक्षिण अमेरिका तथा वेस्टइंडीज के कुछ अन्य आइलैंड इत्यादि हैं।

उपरोक्त देशों के लगभग 25 से 50 प्रतिशत लोग भोजपुरी भाषा-भाषी हैं। भोजपुरी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हर हिन्दी भाषा आसानी से समझ लेता है। हिन्दी सिनेमा, दूरदर्शन, धारावाहिक आदि में भोजपुरी भाषा का कोई न कोई चरित्र अवश्य रहता है। भोजपुरी भाषा में पटना, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, रांची, मुजफ्फरपुर आदि में दूरदर्शन व आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस भाषा में अखबार, पत्र तथा हजारों साहित्य पढ़े जाते हैं।

भोजपुरी भाषा की पढ़ाई देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और जौनपुर विश्वास में एम.ए. तक की पढ़ाई कराई जाती है। परन्तु लोक सभा में इस भाषा में न तो बोलने की आजादी है और न ही शपथ लेने की आजादी है।

महोदय, यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि झारखंड की संथाली भाषा जिसे लगभग दो लाख लोग बोलने वाले हैं *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): दो लाख नहीं, एक करोड़ से ज्यादा लोग संथाली बोलने वाले हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: आपने उसे एलाऊ किया है। *...(व्यवधान)* हमारा आग्रह है कि यहां इस भाषा में बोलने और शपथ ग्रहण करने का अधिकार दिया जाये। हम पूर्ववर्ती सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि उसने मैथिली को *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐट्थ शैड्यूल के बारे में कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: जी हां। दोनों की ही बात है। मैथिली को उन्होंने अष्टम सूची में दर्ज किया है लेकिन भोजपुरी को छोड़ दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैथिली भाषा में मत जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: मैं वर्तमान सरकार से मांग करता हूं कि भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में दर्ज किया जाये। एक इन्फोर्मेशन है, प्रार्थना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनते तो फिर हम आपकी प्रार्थना क्यों सुनेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन में कौन-कौन सी चीज लाने की परमीशन है। उड़ीसा के एक माननीय सदस्य यहां डंडा लेकर आते हैं। अगर हमें भी कुछ लाने की परमीशन हो तो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह परमीशन एकदम नहीं है। आप कुछ मत लेकर आइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: अगर लाठी लाना परमीसेबल है तो हम भी लायें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज आप बहुत बोल चुके हैं इसलिए अब बिल्कुल मत बोलिये।

...*(व्यवधान)*

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, मैग्नजी और हमारे देश में अत्यंत महत्व की डिपॉजिट है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसके अधिक डिपॉजिट्स हैं। इस पर आधारित बहुत उद्योग होते हैं जिनमें प्रोडक्शन ऑफ स्टील, फेरो मैंग्नीज, इलैक्ट्रोलिटिक मैग्नीज डायोक्साइड, ड्राई बैटरी आदि। मैग्नजी ओर को नैशनलाइज किया गया था लेकिन उसके आधार पर इस देश में बहुत से छोटे-छोटे उद्योग खड़े हुए हैं। उनमें 1500 करोड़ रुपया बैंकों का है। ऐसी हालत में मैग्नीज ओर इंडिया लि. ने 9 सितम्बर को इसका टेंडर निकाल कर इसको डिस्पोज आफ करने का जो संकल्प किया है, घोषणा की है, उसके कारण ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है। इससे जो छोटे उद्योग हैं, जिनमें 1500 करोड़ रुपये का इंवैस्टमेंट है, वे सारे बंद हो जाएंगे। इसलिए देश में प्रथम बार जो मैगनीज ओर को डिस्पोज आफ करने के लिए टेंडर खोले जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि टेंडर निकाल कर इसको डिस्पोज आफ करने के स्थान पर मैगनीज ओर छोटे उद्योगों को देने का कष्ट करें। वर्ल्ड में हाईएस्ट प्राइस होने के कारण मल्टी नेशनल कम्पनीज के मैगनीज ओर देने के संबंध में सरकार 9 सितम्बर को इसे डिस्पोज आफ करने के लिए टेंडर खोलकर देने का निर्णय ले रही है, मेरा सरकार से आग्रह है कि उस निर्णय को रद्द किया जाए और छोटे उद्योगों को बचाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हेमलाल मूर्मू—अनुपस्थित। श्रीमती मिनाती सेन।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, जैसा कि शायद आपको ज्ञात होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता तथा आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत सहायक बच्चों के पालन-पोषण, प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित ध्यान देना, सामाजिक जागरूकता, गर्भवती तथा प्रसव के बाद महिलाओं की सेवा के अनवरत रूप से कर रहे हैं तथा भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं संबंधी अनेक कार्य करते हैं। लेकिन आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को बहुत ही अल्प मानदेय दिया जाता है जो जीवन के लिए जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकदम अपर्याप्त है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण भारत के अधिकतम हित में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को वह एक वेतमान के तहत लाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव, रेल बजट पर चर्चा होने वाली है फिर भी आप एक मिनट में अपनी बात रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जयपुर से डिग्गी मालपुरा छोटी रेल लाइन थी। उसको बड़ी रेल लाइन में बदलने के नाम पर उखाड़ दिया गया और उस पर काम भी नहीं हो रहा है। इस वजह से वहां के किसान और दूसरे आने-जाने वाले लोग परेशान हैं। डिग्गी मालपुरा में कल्याण जी का मंदिर है, जहां प्रति वर्ष लाखों लोग आते हैं। आगामी 22 अगस्त को लाखों लोग वहां आएंगे। अधिकांश लोग डिग्गी के कल्याण जी के मंदिर की पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन वापस आने के लिए अब उनके पास कोई साधन नहीं होता। ऐसे भगवान के मंदिर के नाम पर जो रेल लाइन जा रही थी, उसको बड़ी रेल लाइन बिछाने के नाम पर उखाड़ दिया गया। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां तुरंत बड़ी लाइन बिछाने का काम शुरू कराया जाए, जिससे वहां के गांवों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और कल्याण जी के दर्शनार्थ आने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। आप भी डिग्गी पधारें तो आपका भी कल्याण हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने भी सुन लिया है। श्री विकास चौधरी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यह अच्छी बात है।

श्री विकास चौधरी (आसनसोल): महोदय, असम में उत्तर-पूर्व कोल फील्ड लिमिटेड ने सभी फिजिशियनों का अस्पतालों से स्थानांतरण कर दिया है। ये कोयला खाने सुदूर पूर्व या पूर्वोत्तर असम में स्थित है। ठीक बर्मा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित उन खानों में लगभग 5000 लोग कार्य कर रहे हैं। उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती है इसलिए उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों का स्थानांतरण कर दिया गया है उन्हें पुन: वहां पर स्थानांतरित किया जाए क्योंकि बाहर के फिजिशियन वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि यह क्षेत्र उल्फा उग्रवादियों के गिरफ्त में है। इसलिए मैं संबंधित मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उत्तर-पूर्व को फील्ड लिमिटेड के अस्पतालों में सभी फिजिशियनों को पुन: स्थानांतरित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही बढ़ोत्तरी की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज आम लोगों की जरूरत की आम चीजें उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। किसानों को भी उसका फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो सटोरिए हैं, उनको भरपूर लाभ हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आवश्यक वस्तुओं की इस तरह से जो कीमतें बढ़ रही हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए आम उपभोक्ताओं के लिए सरकार कदम उठाए। कल टी.वी. में एक चैनल में दिखाया जा रहा था कि देश में भुखमरी से काफी लोगों की मौत हुई है। यह बहुत चिंता का विषय है इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा (मंगलौर): जहां तक कर्नाटक के चिकित्सा और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश का संबंध है। इसमें बहुत गड़बड़ है। व्यावहारिक रूप में, लगभग 50,000 छात्र और उनके अभिभावक शुल्क ढांचे में वृद्धि के कारण बहुत कठिनाई तथा मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं। वास्तव में कर्नाटक की सरकार ने एक संकल्प पारित किया है तथा बाद में इसके संबंध में एक कानून भी लाया है। कोई भी छात्र इन चिकित्सा और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए इतना शुल्क नहीं दे सकता। इस विषय पर सर्वदलीय बैठक में कई बार चर्चा हुई लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। निजी प्रबंधक और कर्नाटक सरकार के बीच कुछ मिलीभगत चल रही है और इस प्रकार के कदम उठा रही है जिससे कि मेधावी छात्रों को इन महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल रहा है। यदि पिछले वर्ष का शुल्क ढांचे को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे छात्रों को मदद मिलेगी अन्यथा शुल्क पिछले वर्ष की तुलना में चार गुणा बढ़ा दिया गया है।

मैं समझता हूं कि यह सही समय है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इस संबंध में एक केन्द्रीय कानून बनाए। फिलहाल केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह मेधावी छात्रों को अवसर प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को पिछले वर्ष के सामान्य शुल्क ढांचे को अपनाने का निर्देश दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से मेधावी तथा गरीब छात्र कर्नाटक के अभियांत्रिकी और चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इसमें तत्काल हस्तक्षेप करें और एक केन्द्रीय कानून बनाए तथा विगत वर्ष के शुल्क ढांचे के अंतर्गत ही मेधावी छात्रों को सीट उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दे।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, आजादी से पहले कई रियासतों के महाराजाओं ने बहुत अच्छे-अच्छे काम किये। उनमें मारवाड़ के महाराजा उम्मेद सिंह जी ने सिविल एवीएशन सेक्टर में अच्छे काम किये थे। उनके पास उस समय 9-10 हाई जहाज थे। भारत सरकार के पास राज्य सरकार का एक प्रस्ताव लंबित है कि जोधपुर एयरपोर्ट का नाम महाराजा उम्मेद सिंह एयरपोर्ट रखा जाए। राज्य सरकार ने अपनी सहमति इस विषय में केन्द्र को भेज दी है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जोधपुर एयरपोर्ट का नाम महाराजा उम्मेद सिंह एयरपोर्ट रखा जाए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं *आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना* चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34, जो पश्चिम बंगाल से गुजरती है, की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वाहनों का मुक्त तथा सुगम रूप से आना-जाना लगभग असंभव हो गया है। पूरे मार्ग में खाइयां और गड्ढे बने हुए हैं जो स्वाभाविक रूप से गतिरोधक का कार्य कर रहे हैं। इस समय इस सड़क पर किसी गतिरोधक की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्षेत्रों में खाइयां इतनी गहरी हैं कि आप आसानी से उनमें मछलीपालन कर सकते हैं। कई महीने से यातायात बाधित है और न तो केन्द्र सरकार की ओर से और न ही राज्य सरकार की ओर से इसे दुरुस्त करने के संकेत हैं।

[श्री अधीर चौधरी]

महोदय, आपको ज्ञात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 पश्चिम बंगाल की राज्य की जीवन रेखा है। इसलिए आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे ठीक करने का कार्य यथाशीघ्र किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर मैं भी आपका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार आदिवासियों को 350 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 5 ट्रेनिंग दी जाती हैं। मोटर-साईकिल, रेडियो, कम्प्यूटर, लाइन-विद्युत सुधार और टीवी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती हैं। उसमें 350 रुपये का स्टाईपेंड भी दिया जाता है। यह प्रतिदिन 12 रुपये से भी कम पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति के लोग कैसे काम करेंगे। एक जगह केवल 5 ट्रेड की ट्रेनिंग दी जा रही है जबकि 10-10 ट्रेड एक जिले में पड़ते हैं। विलासपुर जिले के रत्नपुर में एक ट्रेड में ट्रेनिंग दी जा रही है और केवल 10 लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जोकि नगण्य है। इसलिए उनकी संख्या तथा स्टाईपेंड बढ़ाया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। इससे लोगों में समन्वय की स्थिति बढ़ेगी और जाति की भावना भी नहीं आयेगी। ऐसी परिस्थिति में ट्रेनिंग देने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जाए। इस संख्या को 50 से बढ़ा कर कम से कम सौ किया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, स्टाइपैंड की राशि हजार रुपये की जाए तथा पीने के पानी और आवास की व्यवस्था की जाए। लोगों को ट्रेनिंग तो दी जाती है लेकिन ट्रेनिंग के बाद उद्योग-धंधे लगाने के लिए ऋण नहीं दिया जाता है। उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाए जिन से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

श्री सीता राम यादव (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, फ्रांस से स्कॉरपीन पनडुब्बी पर हुए समझौते के अंतर्गत 6 स्कॉरपीन पनडुब्बियां खरीदी जाएंगी जिनकी कीमत 2 करोड़ डॉलर होगी। इनमें दो फ्रांस से आएंगी तथा चार का निर्माण मुम्बई के मझगांव डॉक यार्ड में किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस पनडुब्बी को हर बिन्दु से जांचा परखा गया है? क्या यह हमारी नौसेना की शक्ति में वृद्धि करेगा? दूसरी बात यह है कि क्या मझगांव डॉक यार्ड इस तरह का स्कॉरपीन पनडुब्बी बनाने में सक्षम है या इसके लिए फ्रांस से टैक्नॉलोजी तथा टेक्नॉलोजिस्ट का आयात किया जा रहा है? मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी टैक्नॉलोजी से स्कॉरपीन पनडुब्बी देश में बनाए।

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा जिले के मेगनापुर कनकनगर गांव में 15 अगस्त को जब नेशनल फ्लैग होस्टिंग होने जा रहा था तो छः बंगलादेशी उग्रवादियों ने हैडमास्टर से फ्लैग छीन लिया और उसे जला दिया। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन छः आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जो बंगलादेशी वहां प्रवेश कर गए हैं उनको तुरन्त निकाला जाए। दूसरी बात यह है कि ऐसी सूचना मिली है कि उस एरिया में आईएसआई एक्टिविटीज बढ़ रही है। केन्द्र सरकार इसकी विधिवत जांच करे और जिन बंगलादेशी लोगों ने वहां प्रवेश किया है, उन्हें वहां से निकालने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाए।

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से चुन कर आया हूं। श्रीगंगानगर जिला भारत पाक सीमा में है। राजस्थान की सीमा में भारत-पाक सीमा में जो तारबंदी की गई थी, उस जमीन का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। किसान तारबंदी के अन्दर नहीं जा सकते हैं, उस जमीन में सिंचाई नहीं कर सकते, फसल बो और काट नहीं सकते। मेरा निवेदन है कि सीमावर्ती क्षेत्र पंजाब में किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है जबकि राजस्थान में अभी तक बिल्कुल मुआवजा नहीं दिया गया है। तारबंदी के दो दायरे हैं। दोनों के बीच आई जमीन का चार करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को मिल गया है लेकिन तारबंदी में आई पूरी जमीन का किसानों को मुआवजा केन्द्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। उसे जारी किया जाए। मेरा केवल इतना ही निवेदन है।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्करे-तोएबा ने गोधरा कांड के बाद करीब 30 युवकों को पाकिस्तान ले जाकर वहां ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग का मकसद एकमात्र यह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कत्ल किया जाए। इससे वहां उग्रवाद की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, वे और बढ़ेंगी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की तुरन्त जांच की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए और उस पर तुरन्त रोक लगायी जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्र (क्विलोन): महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। केरल विधान सभा ने एक मत से केन्द्र सरकार तथा नागर विमानन प्राधिकरण से केरल से खाड़ी के देशों को आने जाने वाली हवाई यात्रा के लिए उच्च दरों को कम करने के लिए अनुरोध किया है। अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किरायों की तुलना में इस मार्ग पर हवाई किराया अत्यंत अधिक और अनुचित है। खाड़ी

क्षेत्र में हवाई उड़ानों को चलाने वाली एयरलाइनों द्वारा अपनाई गई इस अनुचित गतिविधि की खाड़ी देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीय लोगों द्वारा आलोचना की गई है। उन्होंने केन्द्र सरकार से तथा संबंधित अधिकारियों से अपील की है लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार तथा नागर विमानन प्राधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस अत्यधिक किराये को कम करने के संबंध में अनिवासी भारतीयों के अनुरोध तथा केरल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प पर विचार करें तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के अनुसार हमारे हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति भी दें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, बिहार में सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. से बाढ़ पीड़ितों के लिए जो पैसा मिला था, वह पैसा लगभग खत्म हो चुका है और वहां फूडग्रेन्स की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण एक तरह से वहां फूड वार, खाद्यान्न युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। उसी का परिणाम है कि तीन दिन पहले दरभंगा जिले में बाढ़ पीड़ितों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसके कारण दो बाढ़ पीड़ित मारे गये। उसके पहले पातेपुर में एक बाढ़ पीड़ित पुलिस की गोली से मारा गया। वहां गोदाम लूटे जा रहे हैं और राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। मैं भारत सरकार से मागं करूंगा कि पांच ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): यह गलत स्टेटमेन्ट दे रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: छोड़िये ना, आप ऐसा क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

यह आपके लिए बाध्यकारी नहीं है।

[हिन्दी]

नहीं, ठीक है, आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: यह सदन में गलत स्टेटमैन्ट कैसे करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव: क्या गलत बात बोलना सही है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने लीडर की बात सुनिये, आपके लीडर से मना किया है।

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, बिहार में भूख से अभी तक तीन लोग मर चुके हैं। मैं भारत सरकार से पांच लाख मीट्रिक टन चावल की मांग करता हूं। सरकार तत्काल बिहार को बिना शुल्क के चावल दे। यह जो चावल दे रहे हैं, उसका शुल्क ले रहे हैं। एक ओर से पैसा देते हैं और दूसरी ओर पैसा काट लेते हैं। यदि बिहार को तुरंत सहायता नहीं दी गई तो अभी केवल दो जगह गोली चली है, आज जो हालात बिहार के अंदर हैं, उसके अनुसार दर्जनों जगह गोली चलानी पड़ेगी। अब तक बिहार मे छः सौ लोग मारे जा चुके हैं। बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों में राहत वितरण करने में पूरी तरह से असफल हुई है। इन्होंने आठ हजार करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन सवा सौ करोड़ रुपये मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सूखा प्रभावित इलाके लिए 258 करोड़ रुपये मांगे गये थे, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। बिहार सरकार ने सूखे पर कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। परसों श्री शरद पवार जी ने जो जवाब दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार में सूखा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ढाई करोड़ की आबादी बिहार में डूबी हुई है, पानी निकल गया है, लेकिन वहां खाद्यान्न चाहिए। यदि तुरंत ये सारा सामान नहीं मिलेगा तो वहां भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने इसे बहुत अच्छे ढंग से किया है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार को निर्देश दें कि पुलिस गोली चलाना बंद करे। पुलिस बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के नाम पर, गेहूं देने के नाम पर गोली से मार रही है। इसे तत्काल रोका जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात पूरी हो गई है, आप रिपीट मत कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: यह गलत बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य—उपस्थित नहीं।

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन वक्तव्यों को सभा पटल पर रखा माना जाये।

(एक) जम्मू-कश्मीर में राजौरी-पुंछ को रेल से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): जम्मू और कश्मीर राज्य केन्द्र सरकार के प्रति अत्यधिक आभारी है कि उसने कश्मीर में ऊधमपुर, कांजीगुंड तथा बारामूला तक रेल लाइन विस्तार का निर्णय लिया है और जिस पर कार्य पूरी तेजी से चल रहा है।

जम्मू संभाग में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात पुंछ के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार ने राजौरी पुंछ तक रेल लाइन के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया है जबकि राज्य में चल रही रेल परियोजनाओं की तुलना में यह प्रस्ताव काफी सुविधाजनक है।

यदि राजौरी-पुंछ के लोगों को रेल मार्ग से जोड़ दिया जाता है, तो उन्हें रोजी-रोटी का जरिया आसानी से उपलब्ध हो सकेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसे बहुत से पर्यटन/तीर्थस्थल हैं जो बड़ी संख्या में विश्व पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और इससे इस क्षेत्र के उन आभागे लोगों की स्थिति में सुधार आ सकेगा जो यहां गत पन्द्रह वर्षों से चल रहे आतंकवाद के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

इसलिए, माननीय केन्द्र मंत्री से अनुरोध है कि यह यथाशीघ्र जनता की इस महत्वपूर्ण मांग को पूरा करने की दिशा में कदम उठायें।

*सभा-पटल पर रखे माने गये।

(दो) किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पेरियार बांध की ऊंचाई को बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): मैं पेरियार बांध की ऊंचाई बढ़ाकर 152 फुट तक करने से संबंधित मामले को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। थेनी जिला विशेषकर कुमबुम, बोडी, थेनी, गुडालुर, औंडीपट्टी तथा दूसरे निकट के क्षेत्रों के किसानों की यह बहुत ही उचित मांग है। उनकी राय में यदि जल का स्तर 142 फुट से बढ़ाकर 152 पर कर दिया जाता है तो जल भंडारण दोगुना हो जायेगा और इससे सभी चैनलों के बेहतर ढंग से कार्य करेंगे तथा लोग इस जल से होने वाली सिंचाई से लाभान्वित होंगे। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र के सभी छोटे तालाबों को इन नहरों के माध्यम से सारणीकृत किया जाये ताकि छोटे किसानों को तालाबों के माध्यम से पानी मिल सके।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस बारे में तमिलनाडु और केरल की सरकारों को उपयुक्त विनिर्देश दें। जलाशय की दीवार को पहले से ही 152 फुट तक बढ़ा दिया गया है और इसे काफी मजबूत कर दिया गया है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों के व्यापक हित को देखते हुए वह केरल सरकार को इसे स्वीकार करने का विनिर्देश दे।

(तीन) हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिले लाहौल-सपीति तथा किन्नौर के भीतरी भाग सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण देश के शेष भागों से लगभग छः महीने कटे रहते हैं। छः महीने तक शेष भागों से कटे रहने के कारण उन क्षेत्रों में आने वाले बर्फानी तूफान, भीषण अग्निकांड, सड़क दुर्घटनायें, चट्टानें खिसकने से घायल तथा बीमार हुए नागरिकों को वहां से निकालने एवं राहत हेतु वहां हेलीकाप्टर सेवाएं चलानी पड़ती हैं। प्रदेश सरकार विगत 7 सालों से हर साल लगभग 7 करोड़ रुपये व्यय करके वहां हेलीकॉप्टर सेवायें चला रही है। प्रदेश छोटे एवं सीमित संसाधनों वाला है।

हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक एवं स्थानीय स्थितियां पूर्वोत्तर राज्यों की तरह ही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को यह सुविधा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, किंतु हिमाचल प्रदेश में आधारभूत सुविधायें भी दूरदराज के क्षेत्रों में नगण्य है। अतः मेरा आग्रह है कि प्रदेश सरकार को इन सेवाओं को चलाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

(चार) कुरुक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): अध्यक्ष महोदय, महाभारत और गीता की भूमि, कुरुक्षेत्र भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक में से एक है। यह घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन का आकर्षण केन्द्र है। प्रत्येक वर्ष बहुत से पर्यटक इस पवित्र स्थल पर आते हैं। लेकिन यहां पर पर्यटकों के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वे नहीं हैं।

मेरा पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस स्थल को पर्यटन के एक आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कदम उठायें और इसके लिए निधियां स्वीकृत करें।

(पांच) जलगांव और उधना के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव, मध्य रेलवे से सूरत की ओर पश्चिम रेलवे 306 किलोमीटर वाली इकहरी रेल लाइन जाती है। यह रेलवे मार्ग पश्चिम रेलवे के मुम्बई-दिल्ली तथा मध्य रेलवे के मुम्बई सीएसटी भुसावल-इटारसी जैसे 2 ट्रंक मार्गों को जोड़ता है।

इस सेक्शन का 208 आर के एम महाराष्ट्र में तथा शेष 98 आर के एम गुजरात में पड़ता है। यह सेक्शन ताप्ती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी कोयला खानों से गुजरात एवं मुम्बई क्षेत्र के लिए यह एक वैकल्पिक कोयला रेल मार्ग भी है।

इसके अतिरिक्त इसकी उपयोगिता पश्चिम और मध्य रेलों से होकर जाने वाली लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण क्रास लिंक के रूप में भी है। हाल ही में इस सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इकहरी लाइन होने के कारण यात्रा करने में अधिक समय लगता है और क्रासिंग के समय अधिक देर तक मेल गाड़ियों को बीच-बीच में रुकना पड़ता है, इससे यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जलगांव-उधना इस महत्वपूर्ण रेल सेक्शन का दोहरीकरण करना काफी आवश्यक है। इससे रेल यातायात में परिचालन को बढ़ावा देने के साथ ही वैगन और इंजन के रुकावट में कमी आयेगी तथा इस क्षेत्र का विकास होने में सहायता होगी।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जलगांव-उधना रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य को तुरंत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(छह) पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): बड़ी संख्या में पंजाब के ऐसे युवा हैं जिनके साथ संदिग्ध चरित्र वाले ट्रवेल एजेंटों ने जालसाजी की थी और जिन्हें विदेश में भेजा गया, वर्तमान में उन्हें पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बंद करके रखा गया है।

पाकिस्तान की माच जेल में इस तरह के लगभग 70 युवा गैर-कानूनी ढंग से बंद हैं और पूरे पाकिस्तान में लगभग 300 युवा बंद हैं। इन युवाओं को ईरान जैसे देशों से पाकिस्तान में इस आशा के सात धकेला गया कि वहां से उन्हें भारत भेज दिया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये युवा, जो ट्रेवल एजेंटों की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं वे पाकिस्तान में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा काट रहे हैं और अब पूरी सजा काटने के बाद भी, उन्हें भारत नहीं भेजा गया है।

बड़ी संख्या में इस तरह के युवा सजा की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी वर्षों से पाकिस्तान की जेलों में गैर-कानूनी ढंग से बंद हैं। यह भी सच है कि जब भी विदेश स्थित हमारे राजदूतावास के अधिकारियों द्वारा इन युवाओं से सम्पर्क करने का प्रयास किया जाता है तो किसी न किसी बहाने के आधार पर इन्हें युवाओं से मिलने से मना कर दिया जाता है। महोदय, आप समझ सकते हैं जब विदेश स्थित हमारे कार्यालय इन युवाओं की सहायता करने में सक्षम नहीं है तो इनकी सहायता और कौन करेगा। विदेश मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे को उपयुक्त स्तर पर क्यों नहीं उठाया जा रहा है ताकि इन युवाओं को संत्रास से मुक्ति दिलायी जा सके और उन्हें भारत वापस भेजा जा सके। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस मुद्दे को मंत्री स्तर पर उठायें ताकि भारत के इन निरपराध युवाओं को, जिनमें से अधिकतर पंजाब से हैं, भारत वापस लाया जा सके।

(सात) महाराष्ट्र के शोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः खोलने तथा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख (शोलापुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र शोलापुर, महाराष्ट्र कपड़े के उत्पादन में देश में

[श्री सुभाष सुरेश चन्द्र देशमुख]

प्रमुख स्थान रखता है। यहां पर अनेक कपड़े की छोटी-बड़ी मिलें हैं उनमें से यशवंत सूत मिल और शोलापुर सूत मिल बंद हो गयी है और अन्य सूत की मिलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। उपरोक्त दोनों मिलों के बंद होने एवं अन्य सूत मिलों की स्थिति ठीक न होने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है और बंद मिलों के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। उनके सामने भुखमरी की समस्या आ गयी है।

अत: मैं आपके माध्यम से वस्त्र मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि शोलापुर की बंद सूत मिलों को चालू करवा कर यहां पर टैक्सटाइल पार्क बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(आठ) राजस्थान राज्य में पर्यटन के विकास के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): मैं भारत सरकार का ध्यान राजस्थान को पर्यटकों के एक प्रमुख गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करता हूं। यह राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भी एक अत्यधिक पसंदीदा मंजिल है। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2003 में भारत में आए 30 लाख विदेशी पर्यटकों में से 6.2 लाख से भी ज्यादा पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया। यदि जयपुर हवाई अड्डा का उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में हो जाये, तो आने वाले समय में यह राज्य बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर पाएगा। इसी के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि राजस्थान के विभिन्न हवाई अड्डों पर आवागमन हेतु बेहतर हवाई सम्पर्क प्रदान किया जाए। एक अंतर्राष्ट्रीय समागम केन्द्र की स्थापना, मेवाड़ कांपलेक्स के विकास के लिए निधि आवंटन में बढ़ोत्तरी, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स का विकास, जयपुर और झालावाड़ में पर्यटन कांपलेक्स तथा हाथी ग्राम, आमेर को केन्द्रीय सहायता का प्रावधान के प्रस्ताव राज्य में विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करेंगे।

चूंकि राज्य का विकास अन्य विकसित तथा विकासशील राज्यों के समकक्ष नहीं हो पाया है तथा राज्य में प्रचुर अप्रयुक्त पर्यटन संभावना निहित है, इसके दृष्टिगत मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार एक कार्यबल बनाए तथा राजस्थान का विकास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की पसंद के एक राज्य के रूप में करने के लिए राज्य को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता जारी करे जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा तथा केन्द्र को विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोत्तरी से कीमती विदेशी मुद्रा कमाने में सहायता मिलेगी।

(नौ) देश में बढ़ रही क्षेत्रीय असमानताओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): बढ़ती क्षेत्रीय/अंतर्राज्यीय विषमताएं राष्ट्र के सामने एक गंभीर चिंता का विषय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता में आई सभी केन्द्र सरकारों ने सैद्धांतिक तौर पर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की वकालत की। योजना आयोग तथा वित्त आयोगों द्वारा घोषित उद्देश्य भी इसी दिशा में थे। परन्तु वास्तविक रूप में, प्रति व्यक्ति आय में विषमता सहित क्षेत्रीय असमानताएं और बढ़ गई हैं। वित्त मंत्रालय के प्रकाशन के अनुसार, वर्ष 1980-81 में अंतिम स्थान वाले राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रथम स्थान वाले राज्य की प्रति व्यक्ति आय की 32 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2000-01 में गिरकर 11.3 प्रतिशत हो गई। एक समूह के रूप में, सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित 13 निम्नतम स्थानों वाले राज्यों की प्रति व्यक्ति आय शीर्ष स्थानों वाले 4 राज्यों की तुलना में पिछले तीन दशक में नीचे दी गई है, जो देश के कुछ क्षेत्रों में धन के केन्द्रीकरण को उद्घाटित करती है। मैं जोर देकर मांग करूंगा कि राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस गंभीर क्षेत्रीय विषमता को कम करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाएं।

(दस) उत्तर प्रदेश में गजरौला और सम्भल के बीच एक नई रेल लाइन बिछाई जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का संभल नगर एक महत्वपूर्ण नगर है। यहां सबसे ज्यादा मेंथा की खेती होती है और यह मेंथा की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसके अलावा यह उत्कृष्ट किस्म की दस्तकारी और कुटीर उद्योग से जुड़े हुए उत्पादों का अति महत्वपूर्ण केन्द्र भी है। यहां निर्मित अनेक किस्म के उत्पादों का निर्यात किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से संभल रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। संभल और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि गजरौला से संभल, उत्तर प्रदेश तथा शीघ्र ही रेल मार्ग निर्माण के लिए स्वीकृति दी जाये तथा इस हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था की जाये।

(ग्यारह) बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय पैकेज दिये जाने की आवश्यकता

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया,

इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने राज्य की बाढ़ से हुई तबाही को देखा, उन्होंने राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 115 करोड़ रुपये दिये। साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था और बांध को मजबूत करने हेतु 400 करोड़ रुपये जल्द देने का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में प्रलयंकारी बाढ़ से हुए नुकसान की तुलना में उपरोक्त धनराशि बहुत ही कम है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के बीस जिलों के 197 प्रखंड बाढ़ की चपेट में रहे हैं करीब 9291 गांव इससे प्रभावित हुए हैं और करीब 4986 लाख हेक्टेयर भूमि में बाढ़ का पानी घुस गया था। इस क्षेत्र के 13.42 हेक्टेयर भूमि में लगी 29634.75 लाख रुपये की फसलें नष्ट हो गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य में बाढ़ के कारण जानमाल, पशुधन, नर्सरी उद्योग और सरकारी सम्पत्ति की भारी तबाही हुयी है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में ढांचागत सुविधाओं के निर्माण और पीड़ितों को राहत व पुनर्वास के लिए बिहार सरकार ने केन्द्र से 8000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि बिहार सरकार ने जो राहत पैकेज केन्द्र सरकार से मांगा है उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए और यह राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से देने के बजाय प्राकृतिक आपदा कोष से प्रदान की जाए।

(बारह) तमिलनाडु के बाढ़ प्रवण तिरुवन्नामलाई तथा धर्मपुरी जिलों में पनधारा प्रबंधन योजना को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर): भूजल स्तर में गिरावट देश के कई जिलों में तमिलनाडु के सूखा प्रवण जिलों में, खासकर तिरुवन्नमलई तथा धर्मापुरी जिलों में एक गंभीर समस्या है। पानी 300 फीट से भी ज्यादा गहरे बोरवेलों से निकाला जाता है। फ्लोराइड संक्रणित पानी से हड्डी रोग तथा कैंसर भी होते हैं। ऐसे वर्षा आधारित क्षेत्र 'प्रभावी जल विभाजक प्रबंधन' के द्वारा ही भू जल स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे तिरुवन्नमलई संसदीय क्षेत्र में, नत्रमपल्ली पंचायत संघ में ठक्करकुप्पम तथा थेक्कुपट्टु पंचायत प्राक्कलन तथा संभाव्यता अध्ययनों के पूरा होने के बाद भी निधियों की कमी के कारण जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से वंचित रह गए। पास के कस्बे जैसे वनियमपड़ी तथा अंबुर भी भूजल स्तर में गिरावट से प्रभावित हैं।

अत:, मैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि वह सूखा पीड़ित निधि रहित पिछड़े क्षेत्रों जो पेयजल कमी तथा फ्लोराइड संबंधित रोगों से प्रभावित हैं, में जल विभाजक प्रबंधन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाए। इस पर कृपया अविलंबनीय रूप से ध्यान दिया जाए तथा मेरे तिरूपत्तूर संसदीय क्षेत्र में एक पायलट योजना इसके लिए निधियों के आवंटन के साथ शुरू की जाए।

(तेरह) 'आदिशंकर सर्किट' योजना के अंतर्गत चिदम्बरम शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा मांगी गई निधि को स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): तमिलनाडु में चिदंबरम, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर मेरे संसदीय क्षेत्र, चिदंबरम में ही स्थित है। सचिव, पर्यटन विभाग, तमिलनाडु ने 'आदिशंकर सर्किट' योजना के तहत चिदंबरम शहर के सौंदर्यीकरण के लिए केन्द्र सरकार के पास 3.17 करोड़ रुपये की राशि के लिए अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है। अब भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन इस शहर में आते हैं तथा इस शहर और इस मंदिर का सभी दृष्टियों से सौंदर्यीकरण के द्वारा इसमें कई गुना सुधार किया जा सकता है ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित हो तथा पर्यटन विभाग के लिए राजस्व। कुड्डालोर जिला तमिलनाडु के पिछड़े जिलों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि 3.17 करोड़ रुपये की उपर्युक्त राशि चिदंबरम को आवंटित की जाती है, तो न इससे सिर्फ नए रोजगार सृजित होंगे, बल्कि यह विश्व के पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। चिदंबरम को एक विश्व विरासत केन्द्र के रूप में घोषित किया जाए।

(चौदह) आतंकवादी समूहों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को बार-बार बंधक बनाए जाने की समस्या से निपटने के लिए ठोस नीतिगत मार्गनिर्देश बनाए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या विश्व के विभिन्न भागों में एक बहुत बड़े संकट का रूप धारण करती जा रही है। निरपराध लोगों को बंधक बनाना इसी आतंकवाद का एक रूप है। भारत को विगत में कई बार इस तरह के संकट का सामना करना पड़ा है जैसे वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री के अपहरण का मामला तथा काठमांडू से कांधार जा रहे भारतीय एअरलाइन्स के वायुयान के अपहरण का मामला।

भारत सरकार ने अपहरण संकट से निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है। इस तरह के संकट से निपटने के लिए

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

एक आपदा प्रबंधन दल का गठन किया गया था। यह पता नहीं है कि यह दल अब भी कार्य कर रहा है या नहीं।

हाल में, इराक में तीन ट्रक चालकों का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्त्ता फिरौती की मांग कर रहे हैं। उन्हें बंधक बनाये हुए तीन हफ्ते से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। भारतीय बन्धकों के परिवार अत्यधिक वेदना के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इस तरह के संकट से निपटने के लिए समुचित रूप से तैयार नहीं है।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस तरह के बंधक संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए तुरन्त ठोस नीतिगत दिशानिर्देश तय करे ताकि इस तरह के संकट से निपटने में कहीं कोई चूक न हो जाये।

(पन्द्रह) असम में ब्रह्मपुत्र और दिहिंग नदियों द्वारा हो रहे भूमि कटाव को रोकने के लिए धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): ब्रह्मपुत्र तथा दिहिन्ग नदियों द्वारा डिब्रुगढ़ और तिनसुकिया जिला के रोहमरिया, बोगिबिल, खोवंग, दिरक, सुमोनी, गुज्जन-दिन्जन में भूमि कटाव की समस्या 80 के दशक से चली आ रही है। केन्द्र सरकार यहां की इस भयावह स्थिति से भलीभांति परिचित है लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। इस समस्या के कारण हमें चाय के बागानों, कृषि योग्य जमीन तथा एक बहुत बड़े रिहायशी क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा है। अब, इसके कारण डिब्रुगढ़ के उस ऐतिहासिक कस्बे को भी बहुत बड़ा खतरा हो गया है जहां एशिया के सर्वाधिक पुराने मेडिकल कालेजों में से एक असम मेडिकल कालेज स्थापित है। इतना ही नहीं, इस समस्या के कारण हजारों छोटे-बड़े चाय बागानों, सैकड़ों गांवों, शैक्षणिक संस्थाओं, विमानपत्तनों और इन सबसे बढ़कर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों को खतरा पैदा हो गया है।

इसलिए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह तुरन्त इस मामले पर ध्यान दे और अधिक विलम्ब किये बिना राष्ट्रीय सम्पदा की संरक्षा के लिए, सरकार के 8 जुलाई, 2002 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार भूमि कटाव को रोकने हेतु 350 करोड़ रुपये की पूर्व में स्वीकृत की गयी राशि तुरन्त जारी करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के अपमान के संबंध में हम लगातार सदन में मामला उठाते रहे हैं और सावरकर की ओर से आज 2.00 बजे सदन में वक्तव्य देने का आदेश आसन की तरफ से दिया गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा के माननीय नेता इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, जैसाकि मैंने बताया है, मैंने इस मुद्दे का श्री गीते द्वारा पहले ही दिन उल्लेख किये जाने के बाद केवल यह कहा था कि तथ्यों की जांच की जायेगी। अगले ही दिन, यानी कल, हमें इस बारे में जो सूचना मिली हमने उसकी जानकारी सभी को दी। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार वहां ढांचे का निर्माण जिस इंडियन आयल फाउंडेशन ने किया है यद्यपि पेट्रोलियम मंत्री उसके पदेन चेयरमैन होते हैं और उन्होंने ही इस बारे में निर्णय लिया है, पर केन्द्रीय कैबिनेट इस निर्णय में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। पूर्व में भी इससे संबंधित निर्णय बोर्ड न्यासी द्वारा लिये जाते थे। सरकार उन निर्णयों में शामिल नहीं थी। यह निर्णय भी बोर्ड न्यासियों द्वारा लिया जा रहा है। इसलिए, वस्तुत: मेरी समझ में यह नहीं आता कि भारत सरकार इस मामले में केवल इस बात के तथ्यगत क्या जवाब दे कि इसका कोई मंत्री बोर्ड न्यासी का पदेन चेयरमैन है।

इस संबंध में, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री विश्वभारती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। लेकिन वह इस सभा को इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देते कि कुलाधिपति के रूप मे उन्होंने वहां क्या कुछ किया है। जहां तक इस सभा का संबंध है किसी व्यक्ति के अधिकारिक कार्य से संबंधित मुद्दे पर ही यहां चर्चा हो सकती है। मुझे जो कुछ कहना था मैंने यह कह दिया। मुझे पता नहीं है कि इस बारे में मैं विपक्ष के नेताओं को और क्या जानकारी दूं। यदि वह बताते हैं कि उन्हें सरकार से किस तरह की जानकारी चाहिए, तो मैं जानकारी एकत्रित कर उन तक पहुंचा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के नेता श्री आडवाणी कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष जी सदन के नेता ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लालू प्रसाद जी, मैंने आडवाणी जी को बोलने के लिए कह दिया है। मैं आपको भी मौका दूंगा।

श्री लालू प्रसाद: सर, माननीय आडवाणी जी के बोलने से पहले हम अर्ज करना चाहते हैं कि क्वश्चन-ऑवर में श्री मणि शंकर अय्यर यहां बैठे थे। पेट्रोलियम मिनिस्टर को यहां एक्यूज्ड किया गया, उन्हें अलैज किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय विपक्ष के नेता का नाम बोलने के लिए पुकारा है। वे बोलने के लिए खड़े हुए और बीच में लालू जी बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, ठीक है। आप जानते हैं। आप बैठिए। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आडवाणी जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका निर्णय उन्हें खुद करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उंगली से इशारा मत करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, यह मामला दो-तीन दिन से चल रहा है और इश्यू है एक क्रान्तिकारी, जिसका सारे देश में बहुत सम्मान है। ऐसे वीर सावरकर का अपमान हुआ है। मैं अभी-अभी सदन के माननीय नेता को सुन रहा था और उन्हें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी तुलना की गई, कोई प्रधानमंत्री अगर यूनिवर्सिटी का चांसलर है तो वह अपमान की बात कभी नहीं करेंगे। यह कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई होता है तो सवाल उठ सकता है। दूसरी बात यह है कि केबिनेट बहुत कम ही मामलों में आती है, अधिकांश निर्णय मंत्री के होते हैं और उस मंत्री के निर्णय सब सरकार के माने जाते हैं, कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं माने जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में पहले जो मंत्री थे, उन्होंने एक निर्णय किया और उस निर्णय के अनुसार वहां एक स्थापना हुई। उस स्कलप्टर में कुछ बनाया, उसमें से अब जो मंत्री आए, उन्होंने एक हिस्सा हटा कर उसके स्थान पर दूसरा लगाया। अगर किसी ने उसमें महात्मा जी का लगाया तो किसी को उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सावरकर जी का वहां से हटाने पर आपत्ति है और उस कारण देश भर में बहुत बड़ी बेचैनी खड़ी हुई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे कहा गया कि वह मंत्री आकर व्यक्तिगत रूप में बयान करना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तब मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया। इस समय सवाल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा-अनिच्छा, उसके विचारों का नहीं है। सरकार ने पहले निर्णय किया, मैं गृह मंत्री रहा हूं, यहां श्री शिवराजजी बैठे हैं, आज अंडमान-निकोबार यूनियन टेरेटरी है। उसमें और यूनियन टेरेटरी में अगर किसी स्थान पर भी कोई स्मारक बनता है तो सरकार की अनुमति के बिना नहीं बन सकता और यह तो सेल्यूलर जेल में बना है। उस जेल में जो कुछ भी होता है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने एक निर्णय किया और उस निर्णय को बदला गया। यहां यह सवाल उठाया गया कि किस ने यह निर्णय बदला, यह कहना पर्याप्त नहीं है। अगर कोई पदेन चेयरमैन है तो उसकी हर चीज का उत्तर यहां नहीं दिया जायेगा। इस मामले में, सावरकर जी के अपमान के बारे में निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना होगा, उसके बिना संतोष नहीं होगा। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कई बातें कहीं, वे बातें व्यक्तिगत हुई हैं। उस मंत्री ने जो बातें व्यक्तिगत रूप से कही हैं उनसे हमारा संबंध नहीं है, लेकिन जिन बातों के बारे में सरकार उत्तरदायी है कि सेल्यूलर जेल में अगर कोई स्मारक बनता है तो बिना सरकार की अनुमति के नहीं बन सकता। उसका स्वरूप बदला जाता है तो बिना सरकार की अनुमति के नहीं बदला जा सकता। इस मामले में विपक्ष जानकारी चाहता है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस पर जो-जो बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और रेल मंत्री, श्री लालू जी ने बुनियादी सवाल को यहां रखा है। महोदय, एक मंत्री के बयान से प्रश्न उठता है और वह मंत्री स्वयं इस सदन में उपस्थित थे तथा वह बयान देना चाहते थे। हम आपसे आग्रह करेंगे, जैसे अभी विरोधी दल के नेता ने कहा और दूसरे दल के साथियों ने कहा कि दो दिनों से वार्ता हो रही है। कल आपके चेम्बर में तय हुआ था कि आज दो बजे माननीय डिफेंस मिनिस्टर और सदन के नेता इस पर बयान देंगे, लेकिन ये बयान देने के पहले ही शुरू हो गए और दोनों तरफ से जो परिस्थिति हुई, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। हम आपसे आग्रह एवं निवेदन करेंगे कि श्री मणिशंकर अय्यर जी को सदन में बुलाया जाए, आज नहीं तो कल, जब भी हो और उन्हें कहा जाए कि वे इस पर अपना पर्सनल एक्सप्लनेशन दें। उन पर जो आरोप लगे हैं, उनका जवाब दें और किस परिस्थिति में उन्होंने क्या बोला है, उसका भी जवाब दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। ...(*व्यवधान*)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, दो-तीन दिनों से चर्चा चल रही है। ...(*व्यवधान*)

एक माननीय सदस्य: चर्चा चलायी जा रही है? ...(*व्यवधान*)

श्री प्रभुनाथ सिंह: हां, चर्चा चल रही है या चलाई जा रही है। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, श्री मणिशंकर अय्यर जी इस समय देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनके बयान पर चर्चा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए लोक सभा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो उन्हें सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। उन्होंने देश की आजादी में कुरबानी दी है, कुछ किया है या नहीं किया है। यदि एक सरकार ने तय कर दिया था, जैसाकि आदरणीय आडवाणी जी ने कहा कि अगर किसी का उसमें जोड़ा जाता है तो किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर एक सरकार का निर्णय था तो उसे हटाकर जो एक देश की धरोहर जैसा पुरुष है, ऐतिहासिक पुरुष है, देश का इतिहास रचने में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का इस ढंग से अपमान करना कहीं उचित नहीं होगा। ...(*व्यवधान*)

श्री रविन्दर कुमार राणा (खगड़िया): आपकी तरह होगा। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप बोलने दीजिए न।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आपकी बात थोड़े ही कह रहे हैं। आप लोग हमसे फालतू बात मत कीजिए। समझ गये न*, ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य निपटाने चाहिए। श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: * ...(*व्यवधान*) अध्यक्ष जी, इन्हें समझाइये, ये बैठकर कमेण्ट करेंगे तो कैसे हाउस चलेगा। ...(*व्यवधान*) हमसे आप उलझेंगे तो बात खराब हो जायेगी।* ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री राणा जी, आप बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: समझाइये लालू जी, वरना बात खराब हो जायेगी। ...(*व्यवधान*)* हम आपकी बात कहां बोलते हैं, हम अपनी बात बोलते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप लोग बैठिये। आपके नेता यहां उपस्थित हैं। उन्होंने अपने मामले को यहां रखा है। कृपया बैठ जाइये।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: ...**(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आप समझाइये, हम अपनी बात बोल रहे हैं, ये क्या बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए न। हम आपको बोलने के लिए बुलाएंगे। यह सब क्या है?

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष जी, आप देखिए, इन्होंने असंसदीय शब्द का उपयोग किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि इसमें कोई असंसदीय शब्द कहा गया है, तो इसका लोप कर दिया जायेगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 20 अगस्त, 2004/29 श्रावण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री उदय सिंह	342
2.	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल*	343*
3.	श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	344
4.	श्रीमती जयाप्रदा श्री रामजीलाल सुमन	345
5.	श्री दुष्यंत सिंह श्री चन्द्रभूषण सिंह	346
6.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	347
7.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	348
8.	श्री प्रभुनाथ सिंह	349
9.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	350
10.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री विजय कृष्ण	351
11.	श्री रायापति सांबासिवा राव	352
12.	श्री हरिकेवल प्रसाद	353
13.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री वरकला राधाकृष्णन	354
14.	श्री के.एस. राव श्री कैलाश मेघवाल	355
15.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री एम. अंजनकुमार यादव	356
16.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री एम. अप्पादुरई	357
17.	श्री रामदास बंडु आठवले	358
18.	श्री रूपचन्द मुर्मू	359
19.	श्री लालचन्द्र कोल श्री खगेन दास	360
20.	श्री बी. विनोद कुमार	361

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
आरून रशीद, श्री जे.एम.	3201, 3300, 3358
आदित्यनाथ, योगी	3197, 3297
अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3316, 3335
अहमद, श्री अतीक	3219, 3309
आठवले, श्री रामदास बंडु	3195, 3280, 3361
बाबा, श्री के.सी. सिंह	3253
'बच्दा', श्री बची सिंह रावत	3249, 3359
बैस, श्री रमेश	3192

*तारांकित प्रश्न संख्या 343 को नियम 39(1) के परन्तुक के अंतर्गत वापस लिया गया।

1	2
बैठा, श्री कैलाश	3203
बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3156, 3274, 3320, 3335, 3343
भड़ाना, श्री अतवतार सिंह	3160, 3215, 3314
भगोरा, श्री महावीर	3196, 3267
भक्त, श्री मनोरंजन	3170, 3326
भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3202
वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3145, 3254, 3269, 3340
बुधौलिया, श्री राजनरायन	3212, 3360
चक्रवर्ती, श्री अजय	3244, 3316
चालिहा, श्री किरिप	3173
चन्द, श्री निहाल	3172
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3178, 3302
चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह	3190, 3287, 3350
चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र	3197, 3293, 3297, 3360
चौधरी, श्री निखिल कुमार	3317
चौहान, श्री शिवराज सिंह	3233
चौधरी, श्री पंकज	3245, 3303
चौधरी, श्री अधीर	3175, 3203, 3301, 3312
दरबार, श्री छतर सिंह	3182, 3324
दास, श्री खगेन	3264, 3336
दासगुप्त, श्री गुरुदास	3295
देव, श्री विक्रम केशरी	3230
देवरा, श्री मिलिन्द	3163, 3271
ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	3113, 3311
दूबे, श्री चन्द्र शेखर	3189, 3216, 3248, 3286
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3158
गढ़वी, श्री पी.एस.	3221, 3293, 3350

1	2
गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3141, 3265, 3338
गमांग, श्री गिरधर	3142, 3272, 3335, 3342
गंगवार, श्री संतोष	3184
गाव, श्री तापिर	3191, 3288
गेहलोत, श्री थावर चन्द	3140
गोहेन, श्री राजेन	3166
गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3193, 3294, 3356
गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3276, 3346
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	3187, 3209
हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3250
जगन्नाथ, डा. एम.	3169, 3281, 3292, 3316
जैन, श्री पुष्प	3167
जाटिया, डा. सत्यनारायण	3153, 3279
जयप्रदा, श्रीमती	3283, 3347
झा, श्री रघुनाथ	3232, 3320
कामत, श्री गुरुदास	3243, 3332
कनोडिया, श्री महेश	3287, 3350
करुणाकरन, श्री पी.	3180
कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3216, 3287
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3161, 3270
खन्ना, श्री अविनाश राय	3311
खारवेनथन, श्री एस.के.	3155, 3187, 3303, 3349
कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3171, 3275
कृष्ण, श्री विजय	3198, 3212, 3258, 3305
कृष्णदास, श्री एन.एन.	3291
कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	3186, 3285, 3349
कुरूप, श्री सुरेश	3219, 3237

1	2
कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3220, 3291
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	3187
माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3223
महाजन, श्री वाई.जी.	3183, 3212, 3297, 3360
महरिया, श्री सुभाष	3174
महतो, श्री बीर सिंह	3148, 3189, 3353
महतो, श्री टेक लाल	3187, 3286
माझी, श्री परसुराम	3162
मंडल, श्री सनत कुमार	3168
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	3260
माने, श्रीमती निवेदिता	3182, 3198, 3212, 3295, 3333
मनोज, डा. के.एस.	3188
मेघवाल, श्री कैलाश	3267, 3354, 3365
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3160, 334
मैन्या, डा. टोकचोम	3241
मिश्रा, डा. राजेश	3181, 3276, 3304, 3360
मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3146
मोदी, श्री सुशील कुमार	3192, 3236
मोहिते, श्री सुबोध	3195, 3296
मुर्मू, श्री हेमलाल	3227, 3286, 3303
मुर्मू, श्री रूपचन्द	3315
नाईक, श्रीपाद येसो	3234
नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	3183, 3302
नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	3255
नायक, श्री अनन्त	3199, 3298
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	3218
निखिल कुमार, श्री	3203, 3301

1	2
नीतीश कुमार, श्री	3283, 3313, 3366
ओराम, श्री जुएल	3240
उरांव, डा. रामेश्वर	3286
ओवेसी, श्री असादुद्दीन	3261, 3337
पाल, श्री राजाराम	3231
पलानीसामी, श्री के.सी.	3297
पंडा, श्री ब्रह्मानन्द	3144, 3335
पाण्डा, श्री प्रबोध	3282, 3345
परस्ते, श्री दलपत सिंह	3138
पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई	3139
पटेल, श्री दिन्शा	3287
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	3195, 3296
पाटील, श्री प्रकाशबापू वी.	3259
प्रभु, श्री आर.	3256
प्रसाद, श्री हरिकेवल	3148, 3290, 3353
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3168, 3202, 3214
राई, श्री नकुल दास	3242, 3299, 3330, 3330
राजेन्द्रकुमार, श्री	3200, 3299
रामदास, प्रो. एम.	3179
रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3194, 3295
राणा, श्री काशीराम	3150, 3187
राव, श्री के.एस.	3354
राव, श्री रायापति सांबासिवा	3266, 3352
राव, श्री डी. विट्ठल	3252
रावत, श्री धनसिंह	3229
रावत, प्रो. रासा सिंह	3147, 3164
रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3206, 3308, 3364

1	2
रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3247
रेड्डी, श्री मधुसूदन	3235, 3323
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	3176, 3289
रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3150, 3187, 3344
रिजीजू, श्री खीरेन	3208
सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3165, 3203, 3237, 3312
शर्मा, डा. अरुण कुमार	3254
सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	3217
शैलेन्द्र कुमार, श्री	3177, 3329
सत्पथी, श्री तथागत	3199, 3205, 3307, 3363
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3152, 3309
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3213, 3263
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3226, 3317, 3367
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	3344, 3357
शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3141, 3262, 3299, 3341
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3243
सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3238, 3325
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3184, 3284
सिंह, श्री अजित कुमार	3210
सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3148, 3263, 3344
सिंह, श्री चन्द्र भूषण	3304, 3362
सिंह, श्री दुष्यंत	3277, 3348
सिंह, श्री गणेश	3212, 3335
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3182, 3295, 3333
सिंह, कुवंर मानवेन्द्र	3225, 3353
सिंह, श्री मोहन	3143
सिंह, श्री प्रभुनाथ	3287, 3331

1	2
सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3239, 3258, 3295, 3299, 3327
सिंह, डा. राम लखन	3149, 3321
सिंह, श्री सीताराम	3159, 3328
सिंह, श्री सुग्रीव	3151, 3228, 3318, 3363
सुब्बा, श्री एम.के.	3154, 3268, 3339
सुब्बारायण, श्री के.	3211, 3310
सुमन, श्री रामजीलाल	3313, 3347, 3366
स्वाईं, श्री खारबेल	3224, 3316
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3157, 3190, 3221
ठुम्मर, श्री वी.के.	3287, 3304, 3350, 3360
थुपस्तन, श्री छेवांग	3207
तीरथ, श्रीमती कृष्णा	3152, 3227, 3309
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3295
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3183, 3287, 3293, 3355
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3150, 3187
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3278, 3333, 3350, 3351
विनोद कुमार, श्री बी.	3319
यादव, श्री अखिलेश	3204
यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3198, 3212, 3258
यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3148
यादव, श्री गिरधारी	3189
यादव, श्री पारस नाथ	3246
यादव, श्री राम कृपाल	3217, 3290
यादव, श्री सीता राम	3312
येरननायडु, श्री किन्जरपु	3168, 3257, 3281, 3322

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

संस्कृति	:	
रक्षा	:	356
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	342, 345, 349, 350, 360
पंचायती राज	:	352
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	343*, 357, 358
रेलवे	:	346, 347, 355
ग्रामीण विकास	:	344, 351, 353
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	348, 354, 359, 361

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

संस्कृति	:	3138, 3143, 3144, 3154, 3171, 3175, 3181, 3182, 3198, 3256, 3261, 3264, 3278, 3296, 3316, 3331, 3335, 3344
रक्षा	:	3146, 3252, 3184, 3185, 3188, 3193, 3201, 3208, 3212, 3249, 3252, 3302, 3309, 3323, 3326, 3330, 3332, 3337, 3345, 3360
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3168, 3169, 3186, 3204, 3217, 3225, 3231, 3232, 3250, 3301, 3305, 3321, 3329, 3351
सूचना और प्रसारण	:	3145, 3163, 3207, 3214, 3219, 3237, 3238, 3246, 3254, 3269, 3270, 3271, 3276, 3281, 3285, 3312, 3317, 3342, 3343, 3348, 3353, 3359
पंचायती राज	:	3139, 3178, 3179, 3236, 3255
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	3155, 3156, 3162, 3166, 3187, 3189, 3192, 3197, 3221, 3223, 3226, 3230, 3233, 3247, 3251, 3258, 3263, 3267, 3272, 3283, 3291, 3292, 3295, 3299, 3311, 3313, 3314, 3318, 3322, 3325, 3347, 3350, 3362, 3366
रेल	:	3147, 3149, 4150, 3153, 3158, 3160, 3161, 3164, 3167, 3173, 3191, 3194, 3196, 3199, 3200, 3202, 3210, 3211, 3213, 3215, 3216, 3218, 3222, 3224, 3227, 3228, 3234, 3235, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3248, 3259, 3260, 3262, 3265, 3274, 3275, 3282, 3284, 3286, 3289, 3290, 3293, 3294, 3927, 3298, 3300, 3303, 3304, 3306, 3310, 3315, 3320, 3324, 3333, 3334, 3336, 3338, 3339, 3340, 3341, 3346, 3355, 3358, 3363, 3364, 3365
ग्रामीण विकास	:	3140, 3141, 3142, 3151, 3157, 3159, 3165, 3170, 3172, 3174, 3176, 3177, 3180, 3195, 3202, 3205, 3206, 3209, 3229, 3253, 3257, 3266, 3268, 3273, 3279, 3280, 3287, 3307, 3328, 3349, 3354, 3356, 3357, 3361, 3367
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	3148, 3183, 3190, 3220, 3277, 3288, 3308, 3319, 3327, 3352

*तारांकित प्रश्न संख्या 343 के नियम 39(1) (परन्तुक) के अंतर्गत वापस लिया गया।

पी.एल.एस.—48/3/19/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इंटरप्राइजिज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।